(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या 23

बुधवार,

30 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : राजस्थान दिवस पर शुभकामनाएं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री फूलचन्द ।

राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़

703. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक (एल.एल. बी.) की शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र एवं छात्राओं के आवास हेतु छात्रावास का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां । राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में पी. जी. कक्षाओं के खोलने की मांग है किन्तु विधि कक्षा की कोई मांग विभाग में प्राप्त नहीं हुई है । इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के सम्बन्ध में अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्ड एवं गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जा सकेगा ।

(2) जी हां । प्रस्ताव विचाराधीन है । जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से राशि मांगी गयी है तथा समाज कल्याण विभाग से ब्ल्यू प्रिण्ट व अनुमानित व्यय के आंकड़े मंगाये जा रहे हैं ।

श्री फूलचन्द : माननीय अध्यक्ष जी, यह महाविद्यालय 1962 से चल रहा है और आदिवासी एरिया मे सबसे पुराना महाविद्यालय है बांसवाड़ा-डूंगरपुर के बाद । यू. जी. सी. के नार्म्स भी पूरे करता

(श्री फूलचन्द)

है और सरकार की मंशा है कि आदिवासी एरिया में उच्च शिक्षा आदिवासियों को दी जाए। ऐसी मंशा के आधार पर मेरा यह निवेदन है कि क्या विधि स्नातक और पी. जी. की क्लासें इस सत्र में या अगले सत्र में शुरू करवा दी जाएंगी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, कि यह ग्रेजुएट कालेज 27 वर्षों से चल रहा है और जन-जाति क्षेत्र भी है। सरकार की जो योजना है उसमें जनजाति क्षेत्र को महत्व देने का भी है, किन्तु थोड़ी देर हो गयी है। मेरे मन की भी इच्छा है कि यहां पोस्ट ग्रेजुएट कालेज होना चाहिये किन्तु अभी प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अगर सम्भावना होगी और जो बजट है हमारा उसमें से कहीं से भी निकल सकेगा तो उसके खोलने की व्यवस्था की जा सकेगी। वर्ना अगले साल 1995-96 में तो हम निश्चित रूप से खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

श्री डूंगरगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

704. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में आयुर्वेद औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में प्रायः सभी तहसील मुख्यालयों पर आयुर्वेद औषधालय खुले हुए हैं ? यदि हां, तो श्रीडूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय पर अब तक आयुर्वेद औषधालय क्यों नहीं खोला गया ?

(3) सरकार उक्त स्थान पर औषधालय कब तक खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) चूरू जिले के डूंगरगढ़ कस्बे में आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं होने के कारण सचालित नहीं है।

(2) जी नहीं। राज्य के 213 तहसील मुख्यालयों में से 130 तहसील मुख्यालयों पर ही औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं।

(3) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल यहां नवीन औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि औषधालय खोलने की क्या शर्तें हैं ? क्या इन शर्तों की पूर्ति डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय हेतु होती है ? यदि हां, तो क्यों नहीं स्वीकृति दी जाए ?

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, औषधालय खोलने की शर्तें, मापदण्ड पहले से ही तय नहीं हैं किन्तु सामान्यतया इन बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाता है। बजट का प्रावधान उपलब्ध होना, निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना, अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना तथा नवीन खुलने वाले

Page No. 3

(श्री अचलाराम मेघवाल)

औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग दो हजार होना ।

श्री किशनाराम नाई : अगर फिलहाल धन की कमी के कारण नहीं खोला जा रहा है तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष में खोला जाएगा ?

श्री अचलाराम मेघवाल : अभी पूर्ण रूप से यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री किशनाराम नाई : डूंगरगढ़ 50 हजार की जनसंख्या का कस्बा है और 20-20 किलोमीटर तक कोई औषधालय नहीं है ।....

श्री अध्यक्ष : विचार तो कर ही सकते हैं आप ।

श्री किशनाराम नाई : और फिर विचार हो रहा है । यह तो फिर कांग्रेस की सरकार भी यही जवाब देती थी कि संसाधनों की कमी के कारण नहीं खोला जा रहा । डूंगरगढ़ इतना बड़ा कस्बा है और एक आयुर्वेदिक औषधालय नहीं ?

श्री अचलाराम मेघवाल : वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी कहना मुश्किल है । कांग्रेस की संस्कृति के अन्दर जवाब देने में मैं सुधार करूंगा अगर मेरे को करने जैसा होगा, किन्तु उनका जवाब देना ठीक था तो उनका अनुकरण भी करूंगा ।

प्रश्न संख्या 705

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नरेन्द्र बुडानिया ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री जगदीप धनखड़ ।

उपभोक्ता मंच में सदस्यों की नियुक्ति

706. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जागरुक करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य स्तरीय उपभोक्ता मंच के सदस्यगण की नियुक्ति कब तक करने का सरकार विचार रखती है और यह पद कब से रिक्त है ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य के सभी जिलों में जिला फोरम एवं राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन किया हुआ है ।

(2) इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जागरुक करने की दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र योजाना ।

(राज्य मंत्री)

2. प्रति वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस का आयोजन ।
3. वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ ।
4. निबन्ध प्रतियोगिताएँ ।
5. स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता योजना ।
6. मुद्रित सामग्री का वितरण ।
7. तहसील स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन ।
8. दैनिक समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से कार्यक्रमों का प्रसारण ।

(3) राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग के सदस्यगण की नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जायगी । यह पद दिनांक 14-12-1993 से रिक्त हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल कंज़ूमर फोरम के चेयरमैन जस्टिस इराडी ने बड़ा खेद व्यक्त किया कि राज्य सरकारें अपना दायित्व इस मामले में नहीं निभा रही हैं । कितने खेद की बात है, 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है । मुख्य मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया, उसके बावजूद जिन दो सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी थी, ऐसे क्या कारण हैं कि उनकी नियुक्ति यह सरकार अब तक नहीं कर पायी है? जिसकी वजह से राजस्थान के उपभोक्ताओं को भारी कष्ट सहन करना पड़ रहा है । ये कारण बताने के साथ साथ सरकार बताए कि यह नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? मुख्य मन्त्री जी अपने आपको पता नहीं कौनसी जकड़ में महसूस कर रहे हैं? यह छोटा-सा निर्णय लेने में अपने आपको सक्षम क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रश्न के पहले भाग का ऐसा जवाब दे दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फारम ।

माननीय अध्यक्ष जी, गाँवों में सबसे ज्यादा समस्या है । गाँव का उपभोक्ता सरकारी तन्त्र से भी पीड़ित है और गैर सरकारी तन्त्र से भी पीड़ित है । उसको राहत इसलिये नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसको इस कानून की जानकारी नहीं है । अन्य प्रान्तों में जन प्रतिनिधियों को इस मामले में प्रशिक्षण दिये गये हैं, समय समय पर उनको जानकारी देने के लिये गाँवों में आयोजन किये गये हैं लेकिन इस सरकार ने गाँवों के अन्दर कोई ऐसा आयोजन आज तक नहीं किया है और न सरकार ने जन प्रतिनिधियों को इस मामले में किसी प्रकार जागरुक किया है, प्रशिक्षण दिया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मामले में इस प्रकार के कदम उठाने की चेष्टा करेगी?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विधायक तो बहुत ही जागरुक हैं । अगर इनको जागरुक करने के लिये कोई व्यवस्था की गयी तो आपत्ति की जाएगी कि हमें इस सम्बन्ध में जानकारी देने का....

श्री जगदीप धनखड़ : सरपंच, पंच उनकी बात है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरपंच, पंच हैं नहीं, केवल विधायक बचे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इनमें भी बहुत एक्सपीरिएंस्ड लोग बैठे हैं, उनको क्यों नहीं नियुक्त करते ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : विधायक बहुत एक्सपीरिएंस्ड लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देने का मैं साहस कर नहीं सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे तो प्रशिक्षित हैं, आप उनकी कमेटी क्यों नहीं बनाते ? उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : रहा सवाल कमेटी बनाने का, तो माननीय सदस्य को जानकारी है कि मैंने पहले भी हाउस में कहा था कि जल्दी ही मैं कर दूंगा। थोड़ा समय नहीं मिला

श्री जगदीप धनखड़ : 100 दिन का समय हो गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 100 दिन तो बहुत लोगों को हो गये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप हमें कहिये, हम दो मिनट में यह काम कर दें। आपकी राजनैतिक इच्छाशक्ति को क्या हो गया ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : राजनैतिक इच्छाशक्ति का सवाल नहीं है, यह आदमी के सलैक्शन का सवाल है।

श्री जगदीप धनखड़ : आदमी नहीं आपको दिक्कत आ रही है एक महिला के सलैक्शन में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वह दिक्कत तो आ रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : क्योंकि आपके मन्त्रिमण्डल में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल सही है।

श्री जगदीप धनखड़ : इसलिये आप जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आजकल आपकी महिलाओं के प्रति बहुत सहानुभूति बढ़ रही है, इस बात की तो मुझे खुशी है। क्यों बढ़ रही है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, आपकी भी इच्छा है मेरी भी इच्छा है, कोई अच्छा सा सलैक्शन हो जाए तो जल्दी से जल्दी इसमें दो सदस्यों को मनोनीत करना है, कराव देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : कब तक ? एक समय सीमा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 15 तारीख से पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री लक्ष्मण सिंह।

विद्युत मण्डल में सेवानिवृत कर्मचारियों की पुर्ननियुक्तियां

707. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) (श्री राजेन्द्र चौधरी के स्थान पर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लक्ष्मणसिंह)

(1) विद्युत मण्डल सेवा में किन-किन पदों के लिए कितने समम से भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

(2) मण्डल सेवानिवृत्ति के बाद कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर, कब तक के लिये किन-किन कारणों से पुनः नियुक्त किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डल में उक्त पदों के योग्य आशार्थियों का अभाव है ? यदि नहीं तो सरकार उक्त पदों को कब तक नियमित सेवा कर रहे आशार्थियों में से भरे जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नयी भर्ती पर वर्ष 1980 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नयी भर्ती पर छूट दी गयी है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जनवरी, 1991 से अब तक निम्न-लिखित सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके सामने अंकित पद तथा दिनांक से पुनः नियुक्ति दी गई है :—

क.सं.	नाम	पद	नियुक्ति दिनांक व अवधि
1.	श्री एस.के.चौधरी, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक	विशेषाधिकारी (सतर्कता)	दिनांक 6.6.90 से 5 माह के लिए जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाकर पुनः आदेश दिनांक 21.3-94 के द्वारा 1.4.94 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
2.	श्री डी.पी. प्रभाकर, सेवानिवृत्त मुख्य लेखा-अधिकारी (रा.रा.वि.मं)	विशेषाधिकारी (रेवेन्यू एण्ड एकाउण्ट्स)	20/7/91 से एक वर्ष के लिए जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाकर पुनः आदेश दिनांक 30/8/93 द्वारा 20/7/93 से एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया।

Page No. 7

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

क्र.म.	नाम	पद	नियुक्ति एवं दिनांक व अवधि
3.	श्री सी.आर.टेकवानी सेवानिवृत्त उपसचिव (रा.रा वि.मं.)	विशिष्ठ सहायक अध्यक्ष, राज. रा.वि.मं, जयपुर	1/2/92 से एक वर्ष के लिए जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाकर पुनः आदेश दिनांक 20/1/94 के द्वारा 1.2.94 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
4.	श्री पन्नालाल सेवानिवृत्त सहायक सचिव (रा रा वि. मं.)	सहायक सचिव	1/2/92 से एक वर्ष के लिए जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाकर पुनः आदेश दिनांक 19/2/94 के द्वारा 1/2/94 एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
5.	श्री प्रभाकर शर्मा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई वि.रा. जयपुर	विशेषाधिकारी (सिविल)	दिनांक 28/7/92 से 31/12/93 तक के लिए जिसे पुनः दिनांक 12/1/94 के द्वारा 31/3/95 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया।

उपरोक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनकी योग्यता व विषय विशेष में अनुभव रखने के आधार पर मण्डल कार्य के हित में पुनः नियुक्ति दी गयी है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी अपने पूर्व पदों से सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें राज्य सरकार ने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के तहत मण्डल में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनके नामके आगे दर्शायी गयी अवधि के लिए नियुक्त किय है। विद्युत प्रदाय नियम, 1963 के प्रावधानों के तहत मण्डल के सदस्य की अधिकतम आयु 67 वर्ष निर्धारित है तथा इन पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस अनुभवी अधिकारियों को इनके तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता के अधार पर नियुक्त किया गया है।

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति अवधि
1	श्री आर. सी. दवे	अध्यक्ष	आदेश दिनांक 2/4/91 से 11/12/92 तक की अवधि के लिए जिसे आदेश दि. 11/12/92 द्वारा 10/11/93 तक

Page No. 8

(8)

(श्री रघुवीरसिंह कोशल)

क्र.सं.	नाम	पद	नियुक्ति अवधि
			की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा पुनः 10-11-94 तक के लिए बढ़ाया गया है।
2.	श्री के. बी. दास भौमिक	सदस्य (लेखा एवं वित्त	दिनांक 28-10-91 से 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया तथा पुन आदेश दिनांक 10-12-93 के द्वारा 1-1-94 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
3.	श्री. सी. डी. माथुर	सदस्य (उत्पादन)	दिनांक 27-12 93 के आदेश द्वारा दिनांक 31-12-93 से 10 माह की अवधि के लिये।

(3) जी हां। इन पदों को शनैः शनैः नियमित सेवा कर रहे आशार्थियों से भरने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी आ गये हैं। दो सवाल पूछने हैं, आप पूछोगे या आप, निश्चय कर लो।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक-एक।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक ये और एक ये क्या ?

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है तीन नम्बर में "जी हां, इन पदों को शनैः शनैः नियमित सेवा कर रहे आशार्थियों से भरने का प्रयास किया जाएगा।" मैंने यह पूछा था कि क्या मण्डल में उक्त पदों के योग्य आशार्थियों का अभाव है ? इसके बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मेरा यह कहना है कि नियमित सेवा के लिये क्या इसमें योग्य आशार्थी नहीं हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि बोर्ड के मैनेजमेंट के अन्दर भारी गड़बड़ है। जब से आर.सी दवे चैयरमैन बने हैं। भण्डारीजी जिस समय चैयरमैन पद से हटे थे उस समय एक रुपया भी जो सप्लायर थे, उनका बाकी नहीं था। मैनेजमेंट की गड़बड़ से 100 करोड़ रुपये आज उन पर बकाया चल रहे हैं, मैनेजमेंट की कमी से, क्योंकि जो चेयरमेंन साहब हैं अपने चहेते लोगों को ही उन्होंने वापस नियुक्तियाँ दी हैं तथ्यों को छिपाने के लिए। अपने तरीके से तोड़-मरोड़ करने के लिये ही उन लोगों को लगाया गया है, मेरा यह कहना है। मैं यह कहूंगा कि जो विभाग के अन्दर इनके योग्य आशार्थी हैं उनको मंडल

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

ने क्यों नहीं लगाया है ? क्या उनका अभाव था ? यह साफ बात है कि इसके अन्दर इस तरह से चेयरमैन ने अपने + + + लोगों को लगाया है ...

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, 66,000 कर्मचारियों में से ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रिटायर होने के बादमें नियुक्ति दी गयी है। आशार्थियों पर ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि इसमें तीन पोस्ट ऐसी हैं जो पोस्ट नहीं है विशेषाधिकारी हैं। केवल दो पद ऐसे हैं कि जो प्रमोशन से भरे जा सकते हैं। मैं यह बताऊं कि इनमें से जो लोग हैं वे सब अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और विशेषज्ञ होने के नाते बोर्ड को उनके अनुभवों का लाभ मिल रहा है।

हम यह प्रयास कर रहे हैं, अब आगे इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो प्रमोशंस हो वे बोर्ड के कर्मचारियों से ही हों। वैसे ज्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ा, तीन तो ओ.एस.डी. हैं जो कोई पोस्ट नहीं होती है। यदि ये न रहें तो वह पोस्ट रहती नहीं है। ये हैं विशेषाधिकारी (सतर्कता) जिसमें एक रिटायर्ड एस.पी. लगे हुए हैं। आज भी बोर्ड में एस.पी. और डीवाई, एस.पी. की जगह खाली पड़ी हैं, ऐसे समय में इनकी नियुक्ति आवश्यक होती है। विशेषाधिकारी (रेवेन्यू ऐण्ड अकाउण्ट्स) ये सब विशेषाधिकारी है, यहं कोई पोस्ट नहीं है। एक विशेषाधिकारी (सिविल) हैं। ...(व्यवधान) ... सिद्धान्ततः रिटायर्ड लोगों को काम पर नहीं लेना चाहिये किन्तु यह विशेष परिस्थितियों में है। मैं भी इस सिद्धान्त को मानता हूं, मैंने इसमें जाकर अच्छी तरह इसको से देखा है, मैं एक-एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं कि ये बोर्ड के असेट्स हैं। फिर भी प्रयास यह किया जाएगा कि बोर्ड के जो प्रमोशंस हों, उसमें कर्मचारियों को ही प्रमोशन मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पर्टिकुलर एज होती है जिस पर गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट को रिटायर किया जाता है, चाहे 55 वर्ष हो, चाहे 58 वर्ष हो और इसके पीछे कनसैप्ट होता है कि उस एज के पश्चात् उस व्यक्ति की फिजिकल, मेण्टल कैपेबिलिटी एण्ड एफिशिएंसी में फ्लक्चुएशन आ जाता है। यहां पर बोर्ड के चेयरमैन साहब को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार एक्सटेंशन दिया गया है, पांच बार एक्सटेंशन दिया गया। मंत्री महोदय ने यहां पर बताया कि हम उनको उनके विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक्सटेंशन देते हैं।

मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से फिर ज्ञान और अनुभव दवे साहब का बढ़ता जा रहा है तो क्या उनको 70, 80, 90 और 100 साल तक एक्सटेंशन देते रहेंगे ? इन्होंने, पांच की जो लिस्ट बतायी है कि अनुभव के आधार पर उनको एक्सटेंशन दिया है, एक हैं इसमें से मिस्टर सी.डी. माथुर। वे भी अनुभवी है, ज्ञान

+ + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रखते हैं और उनसे नम्बर टू हैं। वे भी उतना ही अनुभव और ज्ञान रखते हैं और अगर दवे साहब को एक्सटेंशन नहीं देते तो सी. डी. माथुर बोर्ड के चेयरमैन बनते। इनको तो उनके अनुभव ज्ञान का लाभ मिल सकता था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पाइण्टेड प्रश्न है कि क्या वे दवे साहब के इस कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् उनको और एक्सटेंशन देने का विचार रखते हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने सी. डी. माथुर की प्रशंसा की है। ये सी. डी. माथुर भी उनमें से ही एक हैं जिनकी रिटायर होने के बाद में पुनर्नियुक्ति की गयी है। इसका मतलब आप यह तो समझ ही गये कि इसमें योग्य अधिकारियों को ही लगाया जाता है। वैसे चेयरमैन का पद सलेक्शन पोस्ट है, उसमें कोई प्रमोशन से सी. डी. माथुर या अमुक व्यक्ति आ जाए, यह नहीं है। यह सलेक्शन की पोस्ट है और इसलिये इसमें मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को छोड़कर बहुत लोग यह जानते होंगे कि दवे साहब को भी उनकी विशेष योग्यता के कारण ही पुनर्नियुक्ति दी गयी है।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसमें कई ऐसे व्यक्तियों के नाम भी हैं जिनको पुनर्नियुक्ति दी है और जो टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं हैं जैसे, उप सचिव, सहायक सचिव, उनको आपने दुबारा नियुक्ति क्यों दी ? जबकि ऐसे तो सारे बोर्ड में अधिकारी आपको मिलेंगे। जहां तक टेक्निकल मामलों का सवाल है वहां पर कुछ हद तक ठीक हो सकता है लेकिन गैर तकनीकी सदस्यों को इसमें नियुक्ति क्यों दी गयी ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस पर विचार कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको विश्वास दिलाया, जो प्रमोशन से भरी जाने वाली जगह हैं उनमें बोर्ड के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन न हो, हम स्वयं इस बात के लिये प्रयासरत हैं कि वे बोर्ड के कर्मचारियों से ही भरी जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है उससे क्या आप खुद संतुष्ट हैं ? दूसरी बात यह है कि जब सरकार ने यह प्रोविजन किया हुआ है कि 6 माह से अधिक एक्सटेंशन नहीं दिया जाए उसका एडवान्टेज लेते हुए 6-6 माह से उसको बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, 4-4 साल से एक्सटेंशन हो रहा है। क्या इस बाबत कुछ व्यवस्था करेंगे कि 6 माह से अधिक किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं दिया जाए ? नम्बर तीन, जब श्री दवे साहब का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बोर्ड के ताले लगवा देंगे ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : ताले लगवा देंगे क्योंकि उनसे योग्यतम व्यक्ति कोई है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को तो स्वीकार नहीं करता माननीय श्री लक्ष्मणसिंहजी ने जैसा कहा कि 65 साल के बाद या रिटायरमेण्ट की ऐज के बाद में मैंटल फैकल्टी वर्क नहीं करती है। इसका मतलब तो आधा हाउस यहीं खाली हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, बिलकुल सही है।

श्री लक्ष्मण सिंह : कम हो जाती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : आप और हम 65 पार कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम हो जाती है क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप खुद महसूस कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमारी शिकायत यह है कि थर्ड एक्सटेंशन किसी को नहीं मिले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि फिर खेतसिंहजी का क्या हाल होगा, परसरामजी का क्या हाल होगा, जोशीजी का क्या होगा और मेरा भी क्या होगा, इसका आप अन्दाजा लगा लें। इसलिये ये जो सारी पोस्टें हैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कई प्रकार के काम हैं.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान रहेगा आपके जाने के बाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे थर्मल पावर के सम्बन्ध में आज हिन्दुस्तान में आप किसी इंजीनियर को ढूंढें कि थर्मल पावर प्रोजेक्टस् बनाने में कौन कौन आदमी हैं तो हिन्दुस्तान में बहुत कम आदमी मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स हों जैसे हाइडल पावर जनरेट करनी हो या गैस से पावर जनरेट करनी हो या कोयले से पावर जनरेट करनी हो, इनमें कई प्रकार के एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं और दवे साहब को इसीलिये लगाया गया है कि दवे साहब की काम करने की क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : हर तरह का काम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : हर तरह का काम कर सकते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जितना काम करते हैं वे नहीं करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं। इसलिये बाकी की पोस्टों के लिये आपने कहा है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे कर भी नहीं पायेंगे। मेरी उम्र तो 48 साल की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री हरिसिंह (महुम्रा) : मेरे बराबर काम कर भी नहीं पायेंगे क्योंकि उम्र का ही बहुत फर्क हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न करें तो ही अच्छा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बाकी जो लोग लगाये गये हैं, कोई अकाउण्ट्स सर्विस के हैं, कोई सर्विस के मामलों को देखते हैं तो ऐसे एक्सटेंशन देकर परमानेण्ट नहीं किया गया है। उस आधार पर ही इन लोगों की नियुक्ति की गयी है या उनको एक्सटेंशन दिया गया है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी आदमी की फेवर की गयी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुणसिंह। नैक्स्ट। श्री अरुणसिंह। समाप्त हो गया।.... (व्यवधान). श्री अरुणसिंह। प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें।... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो गया, डिबेट नहीं है।... (व्यवधान)....नो, नो, डिबेट नहीं है, प्रश्न समाप्त हो गया है। नो, प्लीज, नो। नो प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। डिबेट नहीं होगी। फिर आप इसमें किसी बात को उठाना शुरू कर देंगे।

सब-डिपो, डीग का निर्माण कार्य

708. **श्री अरुणसिंह** (डीग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सब-डिवीजन डीग के लिये डीग में सब डिपो खोलने का विचार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिये भूमि उपलब्ध भी करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री यातायात (श्री रोहिताश्व): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालय डीग से 38 किलोमीटर दूर भरतपुर में एवं 79 किलोमीटर दूर अलवर में आगार स्थापित हैं जिनके द्वारा डीग उप खण्ड मुख्यालय के विभिन्न मार्गों पर वाहन संचालित किये जा रहे हैं। डीग में वर्तमान में केवल 8 वाहन रात्रि विश्राम करते हैं और इन्हीं का संचालन वहाँ से प्रारम्भ होता है। अतः केवल 8 वाहनों की सचालन व्यवस्था के लिये डीग में पृथक् से आगार/सब आगार खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसी दृष्टिकोण से डीग में सब आगार खोलने हेतु भूमि लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री अरुणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि जिलों में डिपो खोलने का आपका मापदण्ड क्या है ? गंगानगर जिले में 5 डिपो खोले जा चुके हैं। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान रोडवेज जब मुनाफे में है तो सब-डिपो क्यों नहीं सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर पर खोले जाएँ ? डीग पर्यटक स्थल है और कम से कम डेढ़ सौ-दो सौ बसें वहाँ से निकलती हैं।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो उप-आगार खोलने की बात की है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि डिपो और सब-डिपो को डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजनल हैड्क्वार्टर पर खोलने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिपो खोलने से पहले फिजिबिलीटी, वायेबिलिटी और पोटेंशिलिटी देखी जाती है और अभी तक पूरे राजस्थान में एक भी सब-डिपो हमने नहीं खोला है। केवल 42 डिपो हैं जिनमें कोई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर का क्राइटेरिया नहीं है।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अगर बसें और रुट्स खोलने की बात करें तो मेरी समझ में बात आती है। डिपो पर खाली हमारी बसें रात्रि में वापस जाकर उनके रखरखाव, उनमें मैकेनिकल जो कमियाँ होती हैं उनकी जाँच आदि होती है। नये रुट्स खोलने की बात करें तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दयाराम परमार।

जनजाति क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

709. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्र में कितने राजस्व गाँव हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनजाति क्षेत्र में कितने गाँव हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजातीय क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 4437 राजस्व गाँव हैं जिनमें से 4364 गाँव आबाद हैं। इनमें से 932 ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जनजाति क्षेत्र में 2806 गांव ऐसे हैं जो किसी प्रकार से सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूचना परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में सूची रखी गयी)

श्री दयाराम परमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब-प्लान में 932 गाँव ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इन 932 गांवों में इस वर्ष में स्कूल खोलने का विचार रखती है या नहीं?

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 के बजट प्रावधानों के अनुसार ट्राइबल सब प्लान में डेढ़ सौ की आबादी तक के गांव में प्राइमरी विद्यालय खोले जाएंगे। जो राजस्व गांव हैं

(श्री नन्दलाल मीणा)

उनकी आबादी 150 की है या नहीं, इस बात को मैं वर्क आउट करवा रहा हूं। यह स्पष्ट घोषणा है कि डेढ़ सौ की आबादी के गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, निश्चित रुप से ट्राइबल सब प्लान में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री दयाराम परमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब प्लान में 4364 गांवों में से 2806 गांव ऐसे हैं जो किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, क्या सरकार इन गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? इसके पीछे सरकार की क्या नीति है? इन गाँवों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा?

श्री नन्दलाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, सरकार का सन् 2000 तक ट्राइबल सब-प्लान में भी एक पंचायत को दूसरी पंचायत से ग्रेवल रोड से जोड़ने का प्रावधान है। जहां तक ट्राइबल सब-प्लान एरिया में सड़कों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले समस्या हमारे सामने यह है कि ट्राइबल सब-प्लान का इलाका मध्य प्रदेश से और गुजरात से जुड़ा हुआ है। प्राथमिकता इस बात की तय करनी है, अन्तरराज्यीय जो सड़कें हैं जिसमें राजस्थान की अधूरी हैं उनके लिए 1994-95 के बजट में हमने 675 लाख का प्रावधान किया है जिससे 115 किलोमीटर सड़क ट्राइबल सब प्लान में बनेगी। इसके लिए मध्य-प्रदेश से मिलने वाली सड़कों और गुजरात से मिलने वाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला विकास अभिकरण के माध्यम से और अकाल राहत कार्यों के माध्यम से एक पंचायत को दूसरी पंचायत से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और यह तभी सम्भव होगा कि सन् 2000 तक ग्रेवल रोड से जोड़ा जाए और राज्य योजना मद में व्यय किया जाए।

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे एक सवाल है। आपके दोनों सप्लीमेंट्री पूरे हो गये और इन दोनों सप्लीमेंट्री में आपने केवल संख्या पूछी है, इन्होंने संख्या बतायी है। अब आपने इतनी लिस्ट क्यों मंगायी? यह आपने प्रश्न के अन्त में लिख दिया कि सूची सदन की मेज पर रखी जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? आप मुझे इसकी आवश्यकता समझा दीजिए कि इसकी क्या आवश्यकता है?

श्री दयाराम परमार: अध्यक्ष महोदय इसका औचित्य यह है कि हमारे किसी भी मंत्री को या सरकार को यह पता नहीं है कि हमारे पास ट्राइबल एरिया में कितने स्कूल गांवों में हैं। दूसरी बात, सड़कों का भी यह पता नहीं है कि कितने गाँव ऐसे हैं जिनको सड़कों से नहीं जोड़ा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। इसका मतलब आप बजाय सूचना प्राप्त करने के मंत्रीजी की परीक्षा ले रहे हैं। यही मतलब है। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की परीक्षा लेने की....

श्री अध्यक्ष : यदि मंत्री जी केवल आपको संख्या देते तो क्या वह संख्या बिना देखे ही देते ? जैसे 932 गांव इन्होंने दिये हैं कि प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं तो यह संख्या तो वे देखकर ही देते आपको । तो मेरा निवेदन है आपसे, कृपया इस तरह से जिस चीज जरूरत नहीं हो, उसकी इन्फार्मेशन मांगने से व्यर्थ में सरकार का खर्चा होता है, अननेसेसरी पब्लिक एक्सपेंसेज होता है । आपके एक सवाल से हजारों रुपये का पब्लिक पर बर्डन पड़ता है इसलिए बहुत आवश्यक हो तभी मेज पर सूची मांगा करिये, यदि उससे आपको कोई सप्लीमेण्ट्री पूछनी हो । अब आपने उस बारे में सप्लीमेण्ट्री तो पूछा नहीं इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था, यह तो आपका सैक्रेटेरिएट ही इसको अतारांकित कर देता या इसको कर देता कि यह —

श्री अध्यक्ष : देखिये, जिस दिन मैं यह डाइरेक्शन दूंगा तो फिर उस समय डिस्कशन नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय को यह समझना पड़ेगा कि तारांकित हो चाहे अतारांकित हो, सामग्री तो इकट्ठी करनी पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, आप बैठिये । वे पूछ रहे हैं ।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, जैसे रेवेन्यू विलेज में प्राथमिक विद्यालय खोलते ही हैं लेकिन रेवेन्यू विलेज के साथ-साथ, जहां मजरा या ढाणी होती है और उसकी आबादी 250 से ज्यादा होती है तो क्या ट्राइबल सब प्लान में ऐसी जगह हर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 150 की आबादी पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं । हम तो आगे बढ़कर यह भी चाहते हैं, जो मजरे जिनमें 3-3 किलोमीटर के फासले में विद्यालय नहीं है वहां पर भी विद्यालय हों परन्तु वित्तीय ससाधनों के आधार पर ही यह सम्भव होगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री भरतसिंह ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी नीति के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । मैं माननीय जनजाति मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि माडा योजना के अन्तर्गत जो गांव आते हैं वे आदिवासी सब प्लान में नहीं हैं जबकि जनसंख्या उतनी ही होती है उनमें भी, तो इस लिहाज से 150 की जनसंख्या पर खोलने की बात है, या किसी भी योजना में 150-200 से ज्यादा जनसंख्या भी है तो उस तरह के गांव भी उसमें शामिल होंगे या नहीं ? माडा योजना में जनजाति बहुलता के गांव हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री नन्दलाल मीणा : इस प्रश्न से

(16)

(श्री नन्दलाल मीणा)

सवाल सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 17.75 लाख ट्राइबल सब प्लान के अलावा जनजातियां निवास करती हैं। उनके विकास के लिये, उनको आर्थिक सम्बल मिले इसके लिये उनको सीधे योजना में हाथ में लेने जा रहे हैं वर्ष 1994-95 से। माननीय सदस्य, जब माडा स्कीम को रिव्यू कर रहे थे, मैंने आपको भी आमंत्रित किया था क्योंकि जहाजपुर विधान सभा का माडा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ हिस्सा आता है। बहुत जल्दी विधान सभा के बाद माडा क्षेत्र में कौनसी योजना प्राथमिकता के आधार पर हाथ में ली जाए, सारा निर्णय करके उस पर 94-95 से लागू की जाएगी।

प्रश्न संख्या—710

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भरतसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रतनलाल ताम्बी : 150 की जनसंख्या पर खोलने की बात है, इतना ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर [उदयपुर] के आयुर्वेद औषधालय

711. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) निर्वाचन क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सालय कहाँ-कहाँ पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3 क्या नगर कानोड़ में आयुर्वेद चिकित्सालय कार्यरत है ? यदि नहीं, तो इस नगर की आबादी 15,000 से भी ज्यादा होने पर अभी तक वहां आयुर्वेद चिकित्सालय नहीं खोलने के कारण हैं ? क्या सरकार उक्त स्थान पर चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचला राम) : (1) नवीन आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई मापदण्ड निर्धारित किया हुआ नहीं है।

(2) जिला उदयपुर के वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 22 आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं, इनकी सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की आबादी 11303 है। वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण फिलहाल इस स्थान पर नवीन आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

एक माननीय सदस्य : हमको कभी मौका नहीं मिला, मैंने तो कभी से हाथ ऊंचा कर रखा है सप्लीमेंट्री के लिए। पिछले प्रश्न में भी मैंने हाथ ऊंचा कर रखा था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक में उत्तर दिया है कि कोई मापदण्ड या कोई नीति आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की सरकार ने नहीं बना रखी है, जबकि अभी कुछ समय पूर्व एक प्रश्न के जवाब में आपने बताया, मैं इस सदन में बैठा-बैठा सुन रहा था, उसमें आपने जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता, उन सब चीजों को मानते हुए औषधालय खोलने या विचार करने की बात कही है। इस प्रश्न में आपने उल्टी बात कही है कि कोई नीति निर्धारित नहीं है, इसलिये स्पष्ट करें कि कौनसी नीति है और किस नीति के आधार पर, किस मापदण्ड के आधार पर आप आयुर्वेद औषधालय खोलने जा रहे हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, प्रश्न के भाग दो में आपने जो सूची मुझे दी है, यह टेकण गांव कहां पर स्थित है? जिन आयुर्वेद औषधालयों को आपने कार्यरत बताया है, उसमें सूची में 22 वें नम्बर पर आपने लिखा है टेकरण, यह टेकण कहां है वल्लभनगर में?

श्री अचला राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीन सदस्य ने यह बताया कि नीति निर्धारित नहीं है, मैंने यह नहीं बताया कि नीति निर्धारित है। नीति निर्धारित नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जी नहीं, आपने प्रश्न में यही कहा है।

श्री अचला राम : नीति निर्धारण की बात नहीं कही है, मैंने यह कहा है कि....

श्रीमती कमला (बैराठ) : अगर कार्यालय या विभाग ने आपको यह लिखकर दे दिया कि हमने कोई नीति निर्धारित नहीं कर रखी तो यह जरुरी नहीं था कि आप उसके मुताबिक ही जवाब दें। आप खुद अपनी तरफ से यह बता सकते थे कि पॉपुलेशन का आधार, दूरी, जिऑग्राफिकल कंडीशन, आवश्यकता, इतने सारे आधार होते हैं। आपने उनके लिखे मुताबिक ही पढ़ दिया।

श्री अचलाराम : माननीय सदस्या।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसमें कोंट्राडिक्शन हुआ है। आपने मापदण्ड बताये हैं इसलिये जाँच करिये उसको, उसमें कोंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिये।

श्री अचला राम : नहीं बताये हैं।

अनेक माननीय सदस्य : बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : टेकरण के बारे में कुछ पता है आपको?

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात तो सुन लें। मैंने नीति निर्धारण की बात नहीं कही, मैंने तो यह बात कही कि....

श्री अध्यक्ष : नीति निर्धारण नहीं, मापदण्ड की बात है।

Page No. 18

श्री अचला राम : सामान्यतः इन बिन्दुओं पर विचार किया जाता है, यह बात मैंने कही है और अब भी यह कह रहा हूं कि सामान्यतः इन बिन्दुओं पर विचार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : हां, इन्हीं को रिपीट करते जाना इसमें।

श्री अचला राम : वह मापदण्ड की परिधि में हमने लिये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : 22वें नम्बर का गाँव कहाँ है, पता है आपको ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह 22वें नम्बर का गाँव कहां है वल्लभनगर में ?

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, 22वें नम्बर का गाँव इसमें, जो मुझे उत्तर दिया है ...

श्री अध्यक्ष : कहीं टाइप की कुछ गलती हुई है क्या ?

श्री अचला राम : वल्लभनगर (उदयपुर) विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालय, यह लिखा है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि 22वें नम्बर के टेकण गांव को वल्लभनगर में आपने बताया है, यह टेकण गांव कहां स्थित है ?

श्री अचला राम : टेकण लिखा जरूर है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कौनसी पंचायत है या कौनसा पंचायत मुख्यालय है ?

श्री अचला राम : यह टेकण लिखा जरूर है लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, इसके आगे यह नहीं बताया है....

श्री अध्यक्ष : यह पता नहीं है इनको।

श्री अचला राम : कि कौनसे क्षेत्र में है, इसमें मुझे यह नहीं बताया है। पता लगाकर आपको पूरी सूचना दे दूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करेंगे क्या आप ? (व्यवधान)

श्री अचला राम : क्यों नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, ये न तो मापदण्ड की बात करते हैं न गलत सूचना देने वालों के बारे में बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बता दीजिये न यह टेकण क्या है, कौनसा गांव है यह, आपको तो पता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह टेकण गांव लसाड़िया तहसील में है।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह लसाड़िया निर्वाचन क्षेत्र का गांव है, वल्लभ-

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नगर निर्वाचन क्षेत्र का नहीं है। मैंने वल्लभनगर के बारे में पूछा है। मंत्रीजी की जानकारी के लिये और आपकी जानकारी के लिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, विराजिये, हो गया।

श्री अचला राम : माननीय गुलाब सिंह जी, इसकी पूरी जानकारी करके कार्यवाही करूँगा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, हो गया। ठीक है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नैक्स्ट प्रश्न, सर। मैंने कानोड़ में आयुर्वेद औषधालय खोलने की माँग की थी, उस पर आपने कहा कि अर्थाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है तो आने वाली कौनसी पंचवर्षीय योजना तक अर्थाभाव रहेगा आयुर्वेद औषधालय खोलने के लिये, यह बताएँ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय बिना किसी मानदण्ड के नहीं खोले जाते। मानदण्ड हैं और क्या मानदण्ड हैं इसके बारे में माननीय मंत्रीजी कह चुके हैं। आपने नीति संबंधी सवाल पूछा उसके कारण से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नीति नहीं मैंने मानदण्ड पूछा है।

श्री जगदीप धनखड : पूरा कन्फ्यूजन है।+ + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, कन्फ्यूजन आप में होगा जवाब में नहीं है। ये मापदण्ड आज के तय किये हुए नहीं हैं बहुत पुराने वर्षों के तय किये हुए हैं, उन्हीं के आधार पर औषधालय खुलते हैं। यह सही है कि कई बार विवाद होता है। ये मापदण्ड जिनके आधार पर औषधालय खोले गये हैं वे विवादास्पद हो सकते हैं लेकिन मापदण्ड निश्चित रूप से हैं उन्हीं के आधार पर औषधालय खोले जाते हैं। अब कानोड़ में शायद डिस्पेंसरी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : है। राजस्थान में ऐसी कई जगह हैं जहां डिस्पेंसरी होते हुए भी आयुर्वेदिक औषधालय हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के आप कई बार विधायक रहे और मंत्री रहे और कानोड़ बहुत बड़ा कस्बा है, इसमें कोई संदेह नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कानोड़ से नाराज हैं ये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये वहां पर औषधालय नहीं खोला। औषधालय नहीं खोला तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर आलरेडी डिस्पेंसरी है। राज्य सरकार की नीति है कि जहां डिस्पेंसरी है वहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं रहना चाहिये और जिन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं या डिस्पेंसरी भी नहीं हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने चाहिये। इस सदन में इस विषय पर कई बार चर्चा हुई है। यदि आपका विशेष आग्रह है कि कानोड़ में जो काम आप नहीं कर सके वह हमारी सरकार करे तो आपको ओब्लाइज करने के बारे में मैं विचार करूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस आश्वासन के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोपीचंद। प्रश्न संख्या 712।

ब्रज क्षेत्र में गौ-हत्या एवं गौ-तस्करी

712. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पिछले 5 वर्षों में ब्रज क्षेत्र कामां, पहाड़ी, डीग एवं नगर क्षेत्रों में कितने-कितने गौ-हत्याकांड हुए ? इन काण्डों में कुल कितनी गायों की हत्या की गयी ? कितने हत्यारे पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले से होकर गायों की तस्करी होती है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में ऐसी कितनी घटनाएं हुई ? कितनी गायों को बचाया जा सका और इन घटनाओं में कितने अपराधी पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) वर्ष 1989 से 1993 के दौरान पुलिस थाना कामां, पहाड़ी, डीग एवं नगर के क्षेत्रों में गौ-हत्या के 10 अभियोग पंजीबद्ध हुए। इन प्रकरणों में कुल 10 गायों की हत्या की गयी। कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं। सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित कर सलग्न है।

(2) यह सही है कि भरतपुर जिले से गायों की यदाकदा तस्करी होती है। पिछले पांच वर्षों में गौ-वध हेतु गायें भरतपुर से बाहर ले जाने के मामले पकड़े जाकर तीन अभियोग पंजीबद्ध हुए। 71 गायों एवं एक बछड़े को बचाया गया। इन घटनाओं में लिप्त 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। वर्ष 1994 में भी 5 ऐसी घटनाओं से संबंधित 5 अभियोग दर्ज हुए हैं तथा 23 अभियुक्त गिरफ्तार किये जाकर उनके कब्जे से 263 जिन्दा गायों को बचाया गया है। मुलजिमान के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। सूचना परिशिष्ट "ख" में अंकित कर सलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गोपीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैंने थाना क्षेत्र के हिसाब से और कामां, डीग, नगर विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से सूचना मांगी थी। माननीय मंत्री महोदय ने जो संख्या बतायी है उस हिसाब से बहुत कम संख्या है।

(श्री गोपीचन्द)

डीग उपखण्ड क्षेत्र के अंदर हजारों गायों को तस्करी के लिये, काटने के लिये ले जाया जाता है और आज की तारीख में भी सैंकड़ों गायों को रोजाना ले जाया जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह ही जब मैं क्षेत्र में गया तो सैंकड़ों गायों को तो शादपुरी गांव में से नगर थाना के अंदर पकड़ा कर आया हूं और अभी कानोर के अंदर गौ हत्या हुई है। घोसिगा काण्ड जो राजस्थान में प्रसिद्ध रहा लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में जिसकी चर्चा ही नहीं आयी। 192 गायें एक साथ काटी गयीं और इस गौ हत्या प्रकरण पर जब सदन में आवाज उठी तो मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया कि कानून भी बनाया जाएगा, आई. जी. को भी भेजा जा रहा है। आज की तारीख में भी गौ हत्याएं क्षेत्र में रोजाना हो रही हैं चाहे वे पंजीबद्ध हों या नहीं हों। 10, 20, 50 गायें काटना बहुत आसान काम है और हजारों की संख्या में गायों की तस्करी हो रही है। इन गायों की तस्करी रोकने के लिये कोई पुख्ता इंतजाम करने का विचार राज्य सरकार का है या नहीं, यह भी स्पष्ट करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जब सवाल आया और जब मैं इसके पूरक प्रश्नों की तैयारी कर रहा था तो कामां, पहाड़ी, डीग एवं नगर ये क्षेत्र हैं, इनमें पहाड़ी कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं है, कामां कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कामां है।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, कामां है। डीग और नगर, अब विधान सभा क्षेत्रवाइज पूछा इसलिये मैंने इनको थानों के हिसाब से माना। पहाड़ी कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं है। इसलिये मैं सारे राजस्थान की जानकारी लाया हूं।

श्री गोपीचन्द : थाना कैसे मान लिया ? तहसील तो हैं ही कम से कम ये।

श्री कैलाश मेघवाल : पहाड़ी विधान सभा क्षेत्र नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। जैसा माननीय विधायक कह रहे हैं जरेला का काण्ड हुआ जहां पर मुख्य मंत्री, महोदय जब मुख्य मंत्री नहीं थे तब भी वहां मौके पर गये थे और क़रीब 119 गायों की बछड़ों की लाशें थीं। उसकी जांच भी अलग से करायी गयी है, उसमें भी चालान पेश किया गया है। ये जो आंकड़े दिये गये हैं, यह सही है मैंने थाना क्षेत्र के हिसाब से तैयार करके विस्तृत जानकारी दी है।

जो दूसरी जानकारी है वह भी मेरे पास है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जैसा मुख्य मंत्रीजी ने एक आश्वासन दिया था कि यह अभी का कानून थोड़ा नर्म पड़ता है और इस कानून को सख्त करने के लिये एक प्रारूप बनाया जा चुका है, वह सरकार के विचाराधीन है। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसे तिजारा के मामले हैं, झालावाड़ के भी मामले हैं, दूसरे भी मामले हैं, उन

(श्री कैलाश मेघवाल)

सारे मामलों की सरकार को जानकारी है और इस विषय में आई.जी. स्तर के हमारे अधिकारी निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं। गौ-हत्या के मामले में जहाँ कहीं भी राजस्थान में केस होगा, जो उनकी निगाह में आ जाएगा—थाने पर रजिस्टर होगा या जनता की तरफ से उनकी निगाह में लाया जाएगा, उस पर सख्ती से कार्यवाही होगी और जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, अगले विधान सभा सत्र में हम इस कानून का एक प्रारूप पेश करके सारे राजस्थान के लिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी सत्र के लिये दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : इसी विधान सभा का आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने नहीं दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी का दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, जैसी मेरी जानकारी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी सत्र के लिये दिया था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब देख लेंगे।

एक माननीय सदस्य : इसी सत्र का दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में देख लूंगा। अगर मुख्य मंत्री महोदय का यह आश्वासन होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी विधान सभा सत्र में वह ले आएगे क्योंकि हमारे पास प्रारूप तैयार हो चुका है, जैसी मेरी जानकारी है, इसलिए ले आएंगे। सारे राजस्थान में सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेगी। सारे राजस्थान के आंकड़े हैं। आई.जी., (स्पेशल विजिलेंस) को इसमें लगा दिया गया है और इस कानून को भी सख्त किया जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है कि गायों को ले जाया जा रहा है तो वे तस्करी के लिये ले जायी जा रही हैं या काटने के लिये ले जायी जा रही हैं, कई बार परमिट में ढिलाई होती है। वर्तमान कानून में वह सख्त प्रावधान ...

श्री टीकमचंद कांत : काटने के लिये ले जायी जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो स्पष्ट ही है कि काटने के लिये ले जायी जाती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : सुन तो लें। भरतपुर से मथुरा की तरफ गायें जा रही हैं पर वे काटने के लिये ले जायी जा रही हैं या नहीं ? उसमें कुछ खामियाँ हैं। इस प्रकार का सख्त प्रावधान किया जाएगा कि जो गायें ले जाने वाला है, जितनी गायें ले जायी जा रही हैं उसके बारे में, कहां पर ले जायी जा रही हैं और उसकी कब वापसी होगी। फिर इस प्रकार से जो कमी रहेगी उसमें किस तरह से सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा, वह सारा प्रारूप तैयार है। मैं सारी स्थिति देख लेता हूँ

(श्री कैलाश मेघवाल)

और अगर इसी विधान सभा का मुख्य मंत्रीजी का आश्वासन है तो मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसी विधान सभा सत्र में यह सख्त कानून आपके सामने पेश कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गायों की तस्करी अक्सर होती रहती है । उन गतिविधियों को रोकने के लिहाज से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस विषय में विशेष प्रावधान कर रहे हैं ? क्या विशेष कार्य योजना उसको रोकने के लिये इनकी है, मंत्री महोदय बताएँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें प्रशासनिक दृष्टि से यह हो सकता है कि पूरा विवरण नहीं दे सके, उसको टालने के लिये कहा लेकिन आज भी गायें पहाड़ी से, कामां से, नगर से, डीग से ले जायी जा रही हैं । वे सारी मुख्यतया काटने के लिये ले जायी जा रही हैं क्योंकि एक जीवित गाय का 500 रुपया और मरी हुई गाय के 3000 रुपये मिलते हैं । इस हिसाब से गायों को काटने के लिये ले जाते हैं ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल इसी क्षेत्र में नहीं सारे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं । इसी सत्र में कानून बनाने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन सदन को दिया था । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इसी सत्र में ऐसा कानून बनाकर सदन में पेश करेंगे ? या अगर समय नहीं हो, पास आगे के सत्र में हो जाए, प्रवर समिति को भेज दें लेकिन पेश इसी सत्र में कर दें, यह उनसे निवेदन है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गौ-हत्या की कई घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं और सरकार ने उन पर तत्काल कार्यवाही भी की है लेकिन राजस्थान से गौ की निकासी और खास तौर से अकाल के दिनों में, भारी संख्या में होती है । उस निकासी के सम्बन्ध में यह मान लिया जाए कि ये गायें काटने के लिये बाहर ले जायी जा रही हैं तो यह एक समस्या है और इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, यह एक अहम मुद्दा सरकार के सामने विचाराधीन है । कौन-सी गाय के सम्बन्ध में हम यह समझें कि इसको तो हत्या करने के लिये ले जा रहे हैं और किस गाय के लिये समझा जाए कि उसको चराने के लिये ले जा रहे हैं ? अगर कानून में किसी प्रकार की खामी रह गई और कानून बन भी गया तो लोग कोर्ट में उसको चुनौती देंगे या उसके अन्तर्गत किसी आदमी को दण्ड देना अपेक्षित है वह दण्ड उसको मिलेगा नहीं ।

इसलिये कानून तो हमने बनाया, लेकिन कई विधि विशेषज्ञों की इसमें राय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ली जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसी विधान सभा के सत्र में यह कानून रख दिया जाए लेकिन अधूरा, लूला-लंगड़ा कानून रखने से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिये माननीय सदस्य को यह विश्वास देता हूं, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि इसी सत्र में यह कानून विधान सभा में रख दिया जाए लेकिन यदि किसी कारण से विधि सम्मत राय लेने में किसी प्रकार का विलम्ब हुआ तो भी मैं जल्दी ही कोई ऐसी कार्यवाही करूंगा कि कानून विधान सभा में पास हो या नहीं हो, लेकिन उस कानून के अनुरूप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कदम इस प्रकार के उठाये जाएं जिनसे गौहत्या पर रोक लग सके।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मदनमोहन।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया समाप्त अब।

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है इसमें....

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : गायें जो पकड़ी जाती हैं उन गायों के लिये चारे की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अब यह समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्षजी, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है सिर्फ कि आम तौर पर पहचान करके अगर कुछ हम पहले भी कायदे में लगा सकें तो जो अकाल पीड़ित गायों के टोले होते हैं, वास्तव में जिनको चराने के लिये ले जाते हैं उनकी पहचान यह है कि मालिक उनको जगह-जगह चराते हुए ले जाते हैं। और जो काटने के लिये ले जाते हैं वह आम तौर पर ट्रकों में भर कर ले जाते हैं। यह एक आम पहचान है इस बात की, उसके ऊपर कुछ अपन अगर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आम पहचान आपने बता दी लेकिन आप मेलों में गयी होंगी, मेलों में कई मवेशी और खास तौर से बैल, बूढ़े या जवान, चाहे जवान भी हों, ट्रकों में ले जाते हैं, बूढ़े भी ट्रक में ले जाते हैं। अब किसको किस काम के लिये ले जाते हैं इसका पता उस समय लगाना बहुत मुश्किल है। वे उस समय अपनी रसीद भी कटाते हैं और कटाने के बाद में ले जाते हैं। उनमें किस प्रकार से डिफरेन्सिएट किया जाए कि हम यह चार्ज कर सकें कि गौ हत्या करने की गरज से ये ले जा रहे हैं। यही मसला इसमें प्रमुख है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनमोहन। यह डिबेट नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह व्यावहारिक कठिनाई है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह व्यावहारिक कठिनाई मुख्य मंत्रीजी को बता देना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सीमांत क्षेत्र के अन्दर गायें पकड़ी जाती हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बता देना व्यावहारिक कठिनाई।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पकड़ने के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई प्रावधान नहीं होता उनको घास देने का....

श्री अध्यक्ष : वही तो प्रावधान कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : और जब घास देने का प्रावधान नहीं होता है, वे गायें वापस उन तस्करों के हाथ चली जाती हैं। क्या मत्रीजी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे....

श्री अध्यक्ष : हां, हां, इस प्रावधान में यही तय कर रहे हैं, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हमेशा की व्यावहारिक कठिनाई है, श्रीमन्। इस व्यावहारिक कठिनाई के कारण गायें लावारिस होकर सीमा के बाहर जा रही हैं। इसलिये निवेदन है कि जो गायें पकड़ी जाती हैं, जो आॅक्शन किया जाता है, आॅक्शन करने से पहले उनको गौशाला को सौंप दिया जाए या उनके चारे की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नैक्स्ट, श्री मदनमोहन।

कोटकासिम (अलवर) की उचित मूल्य की दुकान के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत प्रकरण

713. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम कोटकासिम, पंचायत समिति कोटकासिम, जिला अलवर स्थित उचित मूल्य की दुकान के सम्बन्ध में गत चार वर्षों में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी शिकायतों की जांच हुई तथा जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लगभग ढाई-तीन साल पूर्व उक्त डीलर के खिलाफ केरोसिन ब्लैक मार्केट में बेचने की शिकायत हुई और जांच विचाराधीन होते हुए भी एस. डी. एम., किशनगढ़वास के कार्यालय की पत्रावली गायब हो गयी ? यदि हां, तो सरकार संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) ग्राम कोटकासिम, पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध गत चार वर्षों में कुल तीन शिकायतें श्री परमानन्द अशोक कुमार के विरूद्ध प्राप्त हुई जिनमें एक

(डा. रामप्रताप)

शिकायत की जांच में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कर उक्त दोषी उचित मूल्य दुकानदार की जमा प्रतिभूति राशि में से 300/– रुपये जब्त-सरकार कर दण्डित किया गया। दूसरी शिकायत में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए एक माह की अवधि के लिये दिनांक 10-2-94 को अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है। तथा तीसरी शिकायत की जांच उप जिलाधीश कार्यालय, किशनगढ़बास में दिनांक 19-12-93 से विचाराधीन है।

(2) यह सही है कि उक्त डीलर के खिलाफ लगभग ढाई-तीन वर्ष पूर्व केरोसिन ब्लैक मार्केट में बेचने की शिकायत हुई थी। किन्तु यह सही नहीं है कि एस.डी.एम., किशनगढ़बास कार्यालय की इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली गायब हुई है। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस डीलर के खिलाफ लगभग तीन शिकायतें कन्टीन्यू दर्ज होती रहीं, लेकिन उसको केवल तीन सौ रुपयें से दंण्डित किया गया और एक बार उसका केवल एक माह के लिये लाइसेंस रद्द किया गया। क्या मंत्री महोदय उसका हमेशा के लिये लाईसेंस रद्द करना चाहते हैं? जो तीसरी उसकी जांच चल रही है उसमें केवल यह जवाब दिया गया है कि यह सही है कि उक्त डीलर के खिलाफ लगभग ढाई-तीन वर्ष पूर्व केरोसिन ब्लैक मार्केट में बेचने की शिकायत हुई किन्तु यह सही नहीं है कि एस. डी. एम., किशनगढ़बास कार्यालय की इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली गायब हुई। जब इसकी शिकायत हो गयी कि ब्लैक करता है और हरियाणा की सीमा से तेल लाकर राजस्थान में बेचता है, उसके बाद भी इसकी फाइल तो गायब नहीं हुई लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही क्या हुई ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और फाईल गायब नहीं है, इस फाईल को मैंने खुद मंगवा लिया यहां पर, कानून में जितना भी प्रावधान होगा उस हिसाब से ज्यादा कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री महावीर भगोरा।

मुख्य वन संरक्षक, अरावली परियोजना का मुख्यालय

714. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अरावली वृक्षारोपण परियोजना तैयार करते समय मुख्य वन संरक्षक का मुख्यालय, उदयपुर में प्रस्तावित था ? यदि हां, तो वर्तमान में यह कहां कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि परि-

(श्री महावीर भगोरा)

योजना स्वीकृति के पश्चात मुख्य संरक्षक कार्यालय का मुख्यालय, जयपुर बदल दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

(3) मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने वृत्त कार्यालय हैं एवं ये किसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं तथा कहां स्थित हैं ?

(4) क्या यह सही है कि तीन वृत्त वन संरक्षक उदयपुर में बैठते हैं तथा एक जयपुर में बैठता है ? यदि हां, तो क्या प्रशासनिक नियंत्रण इस दृष्टि से उपयुक्त है ?

(5) क्या सरकार मुख्य वन संरक्षक अरावली परियोजना का मुख्यालय जयपुर से उदयपुर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अधीन चार वृत्त कार्यालय क्रमशः एक जयपुर एवं तीन उदयपुर में हैं। ये चारों वृत्त इनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

(4) जी हां। प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से उपरोक्त व्यवस्था उपयुक्त है।

(5) मुख्य वन संरक्षक, अरावली परियोजना का मुख्यालय जयपुर से उदयपुर करने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि तीन वृत्त कार्यालय उदयपुर में हैं और एक कार्यालय जयपुर में है। क्या सरकार यह उपयुक्त मानती है कि जहां तीन वृत्त कार्यालय हैं वहां मुख्य वन संरक्षक का मुख्यालय नहीं हो ? नम्बर दो, इन वृत्त कार्यालयों के अधीन कितने वन खण्ड हैं, यह थोड़ा मैं जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत केवल दो ही वृत्त कार्यालय हैं, एक उदयपुर और एक जयपुर। उदयपुर के दो वृत्त कार्यालय, दो वृत्त प्रशासनिक दृष्टि से ही सी.सी.एफ.के अण्डर हैं, बाकी अरावली परियोजना में केवल दो ही हैं एक उदयपुर और एक जयपुर। वे दो केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही उनको दिये गये हैं, उस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

दूसरी बात जो आपने पूछी है, सी. सी. एफ. का कार्यालय जयपुर होना इसलिये भी आवश्यक है कि राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर समन्वय बनाये रखना पड़ता है। दूसरा, प्रशासनिक, वित्तीय और विकास सम्बन्धी बैठकों में भाग लेना पड़ता है। तीसरा, राज्य सरकार अरावला परियोजना में जो खर्चा कर देती है उसके पुनर्भरण के लिये केन्द्र सरकार के

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

माध्यम से जापान की कम्पनी से जो पैसा देते हैं उसके लिये दिल्ली में भी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसलिये सारी बातों को देखते हुए । इन्होंने जो पूछा है, कभी भी ओरिजिनल प्लान में भी सी. सी. एफ. का कार्यालय उदयपुर में होगा, यह नहीं था। प्रारम्भिक योजना में जयपुर में ही यह सी. सी. एफ. का ऑफिस होगा, यह था।

श्री महावीर भगोरा : ऐसा है श्रीमन्, मैंने एक और पूछा है कि कितने इनमें वन खण्ड हैं। दूसरा यह था कि इन वन खण्डों में क्या कार्य चल रहे हैं अरावली परियोजना के तहत अरावली क्षेत्र सारा उदयपुर डिवीजन में है। यहाँ सी.सी.एफ. का कार्यालय पहले से ही मौजूद है जनरल खण्ड में, इसलिये इसका औचित्य है वहां।

एक माननीय सदस्य : कोई औचित्य नहीं है।

श्री महावीर भगोरा : क्यों नहीं है औचित्य ?

श्रीमती कमला : अरावली तो बहुत जगह है।

श्री रामनारायण चौधरी : हरियाणा से चालू होती है।

श्री महावीर भगोरा : औचित्य उदयपुर में इसलिये है कि पूरा अरावली क्षेत्र ही उदयपुर डिवीजन में है। यह अरावली रेंज सिर्फ अलवर का एक भाग......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसमें दस जिले आते हैं....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : सी. सी. एफ. तो पूरा वन विभाग देखता है, कोई अरावली थोड़े ही देखता है।

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने खण्ड हैं उदयपुर में।

श्री महावीर भगोरा : कितने खण्ड हैं श्रीमन्, खण्ड से ही आइडिया लग जाएगा आपको कि कितने आपके यहाँ वृत्त हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक सी.एफ. के अन्तर्गत चार वन खण्ड और चार डी. एफ. ओ. होते हैं। उस हिसाब से, अध्यक्ष महोदय, गलतफहमी यह पैदा हो रही है कि सी. एफ. कार्यालय तो केवल दो ही हैं एक उदयपुर और एक जयपुर। एक वेस्टर्न सर्किल और एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दो वृत्त कार्यालय इनको प्रशासनिक दृष्टि से दे दिये गये हैं। यदि इस विषय में आपत्ति है तो यह विचार किया जा सकता है कि इनको इनसे हटा लें, अरावली परियोजना सी. सी. एफ. के पास से हटा लें, बाकी केवल वे दौरे पर जाएँ तो उनको देख लें, प्रशासनिक दृष्टि से ही। वास्तव में अरावली परियोजना में केवल दो ही सी. एफ. हैं एक उदयपुर और एक जयपुर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपा परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

कडेल धर्मकांटा, सरदारशहर पर हुई हत्या का प्रकरण

705. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** (सरदार-शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कड़ेल धर्मकांटा सरदार शहर पर कार्यरत श्री मनोहरलाल की हत्या दिनाँक 21-3-1993 को हुई ? यदि हां, तो कैसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आठ माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी श्री मनोहरलाल के हत्यारों की खोज पुलिस द्वारा नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मुकदमें में निष्पक्ष जांच हेतु इसे सी. बी. आई. को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार मुकदमे में निष्क्रियता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री मनोहरसिंह की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज एफ. आई. आर. नं. 49/93 थाना सरदार शहर व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21 व 22-3-93 के मध्य रात्रि को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसका गला घोटकर व चोटें पहुँचा कर कारित की गई। एफ.आई.आर. सं. 49/93 थाना सरदार शहर व मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) जी नहीं। पुलिस ने तत्परता से अन्वेषण कर हत्यारों की खोज के हर सम्भव प्रयास किये एवं हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की व गहन पतारसी की, किन्तु बावजूद पतारसी के भी अभियुक्तों का पता नहीं चला।

(3) उपरोक्त वर्णित तथ्य परक स्थिति में प्रकरण की सी. बी. आई. से जाँच आवश्यक नहीं है।

(4) प्रकरण के अन्वेषण में किसी अधिकारी द्वारा निष्क्रियता नहीं बरती गई है। अतः अन्वेषण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

(एफ. आई. आर. व पोस्ट मार्टम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन पुल

710. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा-बाँरा के बीच कालीसिंध

(श्री भरतसिंह)

नदी पर निर्माणाधीन पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

(2) इस पुल के निर्माण होने तक वर्षा ऋतु में यातायात किस मार्ग से होकर जाता है तथा इस मार्ग का रख रखाव कौनसा विभाग करता है ?

(3) क्या इस वैकल्पिक मार्ग पर जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ता है ?

(4) क्या वर्षा ऋतु के पहले इस मार्ग को ठीक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) उक्त पुल के निर्माण हेतु संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी करना सरकार के विचाराधीन है जिसके उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्पन्न हो सकेगा।

(2) वर्षा ऋतु के दौरान कालीसिंध नदी में बाढ़ आने के कारण यातायात के दांई मुख्य नहर के कि. मी. 47.5 से कि. मी. 63.5 तक बायें बैंक से गुजारा जाता है इस मार्ग का रख-रखाव सिंचाई वृत्त, सी. ए. डी. कोटा के द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला गंगानगर में सड़कों का निर्माण

1083. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर जिले में वर्तमान में कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण हैं। यह कब-कब स्वीकृत हुये ? इनके अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भादरा से सिद्धमुख बाया उत्तरादाबास, भनाई, ढाका व गदरा सड़क निर्माण की स्वीकृति कब जारी हुई ? वर्तमान में कितना निर्माण कार्य हुआ एवं कितना बाकी रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भादरा से सिद्धमुख सड़क निर्माण के एलायन्मेंट के संबंध में मुख्य अभियन्ता (सड़क) जयपुर पत्र क्रमांक एफ-8(36) II 179 दिनांक 11-3-1988 एवं तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता के पत्र क्रमांक एफ-8(36) II 179 दिनांक 3-12-87 के द्वारा बाया उत्तरादाबास, भनाई, ढाका व गदरा ही रखने के निर्देश अधीक्षण अभियन्ता श्री गंगानगर को दिये गये थे ?

(4) यदि हां, तो वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य का क्या एलायन्मेंट है ? क्या सरकार उपरोक्त वर्णित एलायन्मेंट के अनुसार सड़क निर्माण का इराद,

Page No. 31

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

रखती है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक पूरा होगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संलग्न प्रपत्र "क" के अनुसार ।

(2) इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति भिन्न–2 भागों के लिए समय-समय पर निम्नानुसार की गई थी :—

1. कि.मी. 0/0 से 8/0 तक के लिए रुपये 10.00 लाख की दिनांक 27-7-79 क

2. कि. मी. 8/0 से 12/500 तक के लिए रुपये 20.00 लाख की दिनांक 17-8-81

(संशोधित कि. मी. 0/0 से 12/500 तक)

3. कि. मी. 12/500 से 17/0 तक के लिए 12.50 लाख की दिनांक 25-11-87 को

4. कि. मी. 17/0 से 22/0 तक के लिए रुपये 25.00 लाख की दिनांक 8-6-92 को ।

वर्तमान में कार्य की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार से है :—

सड़क की कुल लम्बाई 22.00 कि.मी. में से 17.0 कि. मी. में डामर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । शेष बची 5.00 कि. मी. लम्बाई में से, मिट्टी का कार्य 5 कि. मी. में पूर्ण कर दिया गया है । गिट्टी एकत्रित करने का कार्य 2 कि. मी. में किया गया है ।

शेष कार्य का विवरण :—

गिट्टी कुटाई (मेटल) व डामर का कार्य 5 कि. मी. दूरी में शेष है ।

(3) जी हां ।

(4) वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य भनाई से चूरू जिले की सीमा में बनी सड़क से न्यूनतम लम्बाई में सीधा ही मिलाना प्रस्तावित है ।

(संलग्नक के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

गांव बिछोछ (सवाई माधोपुर) में सड़क निर्माण

1084. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बामनवास के गांव बिछोछ में माध्यमिक शाला के सामने वर्षा के दिनों में रास्ता कच्चा होने से कीचड़ हो जाने पर गन्दगी फैलती है जिससे छात्रों व आने जाने वालों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस गांव के सभी

(श्री हीरालाल)

मौहल्लों के रास्तों को जहां वर्षा के दिनों कीचड़ हो जाता है, पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क सा. नि. विभाग की संधारण सूची में न होने के कारण इस पर कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) उक्त रास्ते सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसे कार्य पंचायत द्वारा करवाये एवं संधारित किये जाते हैं।

अलवर शहर में सड़कों का पेवर मशीन से डामरीकरण

1085. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अलवर शहर की सड़कों का पेवर मशीन से डामर करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से तथा निर्णय लिया जाकर सरकार कब तक इसे क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अलवर शहर में बने फ्लाई ओवरब्रिज को कब यातायात हेतु खोला गया? यह पुल किस विभाग की प्रोपर्टी है, इस पर यातायात खोलने के पश्चात रख-रखाव पर कितना पैसा खर्च किया गया व किस विभाग द्वारा?

(3) क्या उक्त पुल की एप्रोच रोड खराब हो गयी है? यदि हां, तो वह कब तक ठीक हो जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों के अभाव में पेवर मशीन से अलवर शहर में सड़कों पर डामर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) अलवर शहर में बने फ्लाई ओवर-ब्रिज को यातायात के लिये 3 सितम्बर 1992 को खोला गया है। यह पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में आ गया है। नया निर्माण होने के कारण इस पर यातायात खोलने के पश्चात् सा. नि. विभाग द्वारा कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है।

(3) वर्तमान में उपरोक्त पुल की एप्रोच रोड खराब नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के गांवों को सड़कों से जोड़ना

1086. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कितने एवं कौन-कौन से पंचायत

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मुख्यालय डामर की सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने एवं कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं ? क्या खेड़ी सालवा को पिपाड़ रोड़ से जेतीवास को बिलाड़ा से, बाड़ा कला को रिया से डामर की सड़कों से जोड़ने का सरकार वर्तमान बजट में रखे प्रावधान के अन्तर्गत जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसे पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ना आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है, जिनकी 1971 के आधार पर जनसंख्या 1000 से अधिक है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सात पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कोंसे जुड़े हुए नहीं हैं ? सूची पूर्ण विवरण संलग्न है। खेड़ी सालवा एवं रावणियाणा पंचायत मुख्यालयों को विश्व बैंक सहायता फेज--II में डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित हैं। बाड़ा कलां व जेतीवास पंचायत मुख्यालयों की प्राथमिकता के मापदण्ड में न आने के कारण सड़क से जोड़ना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सड़कें

1087. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1991 की जनसंख्या के आधार पर 1000 तक जनसंख्या के ग्राम तथा पंचायत केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की योजना एवं नीति है ?

(2) क्या जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की तहसील जहाजपुर तथा कोटड़ी क्षेत्र की 12 पंचायतों के ग्राम इस योजना में सम्मिलित किये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1988-89, 89-90 में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो किस-किस सड़क पर कितनी राशि स्वीकृत हुई और क्या कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरा करवाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों को कितनी राशि की लागत से कब तक पूरा किया जा सकेगा। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जहाजपुर हिन्डोली सड़क का बून्दी जिले के भाग में योजनान्तर्गत होते हुये भी कार्य अधूरा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस अधूरी सड़क को कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। केवल ऐसे गांव जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में, डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(3) वर्ष 1988-89 में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी सड़क की स्वीकृति जारी नहीं की गई थी एवं 89-90 में 5 सड़कों प्रपत्र "अ" के अनुसार स्वीकृति जारी की गई थी। प्रत्येक सड़क पर स्वीकृत की गई राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित है।

(4) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में 100 मीटर लम्बाई की अधूरी सड़क का कार्य माह 3/94 तक पूर्ण कर दिया जावेगा। अधूरी सड़क को पूर्ण करने में लगभग 30 से 40 हजार रुपये की राशि व्यय होगी। शेष दो सड़कों का निर्माण कार्य वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं है।

(5) निर्धारित मापदण्ड में न आने के कारण यह कार्य योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं है। अतः उक्त सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में सड़कों का निर्माण

1088. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार 1971 की 1000 की जनसंख्या 1981 की 1000 की जनसंख्या व 1991 की 1500 की जनसंख्या वाले गांवों व पंचायत मुख्यालयों की मुख्य सड़क को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार 3 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य सड़क से दूर स्थित पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से गांव व पंचायत मुख्यालय इस परिधि में आते हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं।

(3) उपरोक्त बिन्दु एक के अनुसार माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 की जनसंख्या से ऊपर के थलकलां (1012) व बड़ला (1143) दो गांव हैं जिनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है।

जोधपुर में सड़कों के निर्माण हेतु राशि का आवंटन

1089. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम को वर्ष 1992-93, 1993-94 में कितनी राशि सड़क निर्माण हेतु आवंटित की गयी एवं कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) सार्वजनिक निर्माण खण्ड प्रथम जोधपुर को वर्ष 1992-93, 1993-94 को पेचरिपेयर हेतु कितना धन आवंटन किया गया तथा कितना खर्चा किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पेचरिपेयर के लिए ग्रिट, लकड़ी, डामर, सहायक अभियंता कार्यालय या सड़कों के नजदीक गैंग हटों में टेण्डर देकर इकट्ठी न करवाकर मिश्रण सामग्री सीधे प्लांटों से टेण्डर करवाकर आपूर्ति कर पेचरिपेयर कार्य करवाये गये जबकि उपखण्ड बिलाड़ा व भोपालगढ़ में स्थानीय क्वारियां से लीड कम पड़ती व रेट भी कम आती है ? इससे विभाग का कितना खर्चा ज्यादा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन पेच रिपेयर कार्यों पर कितनी ग्रिट, डामर काम में लिया गया वर्कवार अलग विवरण वर्ष 1992-93, 1993-94 का सदन की मेज पर रखें।

(5) इस खण्ड प्रथम को वर्ष 1992-93, 1993-94 फरवरी तक ने कितना डामर टैंकरों द्वारा मंगाया तथा कितना पेकबन्द ड्रमों से मंगाया गया तथा उपखण्ड-वार कितना-कितना डामर स्टॉक में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) इस खण्ड द्वारा किन-किन सड़कों पर पेच रिपेयर हेतु मिश्रण सामग्री (ग्रिट डामर मिक्सड) विभागीय ट्रकों से किस प्लांट से सप्लाई की गयी व लेबर वर्क किन-किन ठेकेदारों से करवाया गया प्रति मीटर या प्रति किलोमीटर कितना खर्चा आया ?

उत्तर

(1) सा. नि. विभाग जिला खण्ड प्रथम, जोधपुर को वर्ष 92-93 व 93-94 में राशि आवंटन की गई निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आवंटन की गई राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
92-93	44.50	44.48
93-94	21.00	21.19

(2) जिला खण्ड प्रथम, जोधपुर को वर्ष 92-93, 93-94 को संधारण हेतु क्रमश: 150 लाख तथा 174.72 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई जिसमें से क्रमश: 149.96 लाख तथा 178.00 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया पेचरिपेयर हेतु अलग से धन राशि आवंटन करने की विभाग में प्रक्रिया नहीं है।

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री]

(3) बिलाड़ा व भोपालगढ़ उप खण्डों में संधारण के कार्य को गति देने की दृष्टि से मिश्रण सामग्री प्लान्ट से लाकर पेच-रिपेयर का कार्य करवाया गया तथा विभागीय पद्धति के अनुसार विभागीय श्रमिकों द्वारा भी मौके पर सामग्री एकत्रित करके भी कुछ सड़कों पर पेचरिपेयर करवाया गया। समय की बचत के उद्देश्य से जो कार्य करवाया गया उसका लागत से तुलना करना सम्भव नहीं है।

(4) इन पेचरिपेयर कार्यों पर जो ग्रिट व डामर काम में लिया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मिश्रण सामग्री का वजन	मिश्रण सामग्री में अनुमानित ग्रिट की मात्रा	मिश्रण सामग्री में अनुमानित डामर की मात्रा
92-93	—	—	—
93-94	243.20 मै. टन	128.95 मै. टन	9.726 मै. टन
योग :	243.20 मै. टन	128.95 मै. टन	9.726 मै. टन

काम में ली गई मिश्रण सामग्री का वर्क वाइज खर्च संलग्न तालिका परिशिष्ठ "ब" (पृष्ठ 1 से 5) में दर्शाया गया है।

(5) सा. नि. विभाग जिला खण्ड प्रथम, जोधपुर में मंगाये गये डामर का विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	पैकड डामर	बल्क डामर
92-93	203.32 मै. टन	1676.676 मै. टन
93-94	284.64 मै. टन	900.810 मै. टन

खण्डीय भण्डार में इस समय 164 ड्रम शेष हैं तथा किसी भी उपखण्ड में डामर के ड्रम स्टाक में नहीं हैं।

(6) जिला खण्ड प्रथम, जोधपुर द्वारा पेंचरिपेयर हेतु वितरण सामग्री ग्रिट. डामर मिक्सड विभागीय ट्रकों से संलग्न परिशिष्ठ संख्या "ब" में वर्णित सड़कों पर काम में लिया गया। यह मिक्सड सामग्री मरुधरा स्टोन्स, जोधपुर (लाल सागर प्लान्ट, जोधपुर) से लाया गया। इस सामग्री का लेबर कार्य किसी ठेकेदार द्वारा न करवा कर विभागीय माध्यम से ही करवाया गया। जिसका खर्चा रुपये 33.00 प्रति वर्ग मीटर आया।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

जिला सवाईमाधोपुर की विचाराधीन सड़कें

1090. श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(रामस्वरूप मीणा)

(1) सवाई माधोपुर जिले में पंचायत समितिवार विभिन्न योजनाओं में कौन-कौन सी सड़क निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) वर्ष 1993-94 में कौनसी सड़कों के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं एवं किन सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में कौन-कौनसी सड़क के स्वीकृत कार्य कितने समय से चल रहे हैं ? क्या ये कार्य नियमित अवधि तक पूरे नहीं हुए ? इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सभी सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन है जिनके बनाने से सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांव जुड़ जाएंगे ।

(2) वर्ष 93-94 में कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण के 18 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है । सूची संलग्न है (प्रपत्र "अ") अन्य प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय साधनों के अभाव में जारी नहीं की जा सकी है ।

(3) वर्तमान में स्वीकृत सड़कों के कार्य जो प्रगति पर है उन कार्यों के प्रारम्भ होने की तिथि एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने के कारण तथा पूर्ण होने का सम्भावित समय की सूचना प्रपत्र "ब" में संलग्न है ।

ए. डी. पी.	13
ए. डी. एफ.	9
एम. एन. पी.	12

(सूची/विवरण/तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

ग्राम बापी (दौसा) में कृषि भूमि की अवाप्ति

1091. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा सैथल मार्ग पर बाणगंगा नदी के पुल हेतु बनाये गये लिंक रोड के लिए ग्राम बापी के किसानों की भूमि को अवाप्त किया गया है ?

(2) यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी है, खातेदारों के नाम एवं खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दौसा सैथल रोड पर बाणगंगा नदी पर पुल की अप्रोच रोड के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण के लिये ग्राम बापी के किसानों की भूमि अवाप्त की गई है।

(2) बाण गंगा नदी के पुल हेतु अप्रोच रोड बनाने के लिये ग्राम बापी के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का विवरण प्रपत्र "क" एवं प्रपत्र "ख" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट---8 देखें।)

लूणकरणसर क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोडना

1092. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई जिलों में वर्ल्ड बैंक से दी गई राशि से सड़क निर्माण कराया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में उक्त राशि में जनसंख्या अनुपात से बहुत ही नगण्य राशि आवंटित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि लूणकरणसर क्षेत्र के अधिकांश पुराने व नये पंचायत मुख्यालयों को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो अब कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला बीकानेर में विश्व बैंक योजना के तहत सड़क का कोई कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं। लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कुल 50 पंचायत मुख्यालय में से 39 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुडे हुए हैं। शेष पंचायत मुख्यालयों की आबादी वर्ष 1971 की जनगणनानुसार 1000 से कम है अतः इन्हें सड़क से जोड़ने की कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सिघाना से सतनाली सड़क का निर्माण

1093. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिघाना से सतनाली वाया बुहाना की 3-4 किलो मीटर कच्ची सड़क कई वर्षों से पड़ी हुई है ? क्या सरकार इसे पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की जीण शीर्ण सड़कों की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी।

उत्तर

(1) सिघाना से सतनाली वाया बुहाना सड़क के अन्तिम 2 कि.मी. में मेटल सड़क बन चुकी है। एवं 15 मई 94 तक डामर का कार्य पूरा करना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर पेच रिपेयर का कार्य प्रगति पर है एवं मरम्मत का कार्य अप्रेल 94 तक पूरा करा दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में सड़कों की स्वीकृति

1094. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों से कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत हुई हैं व इस पर मेटल व डामरीकरण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र की कौनसी सड़कों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं व शिकायतों का निराकरण कब तक हो जावेगा।

(3) क्या जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय मार्ग सं. 8 को चौड़ा कर चार लेन करने का सुझाव केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 गत तीन वर्षों में केवल एक नई सड़क स्वीकृत हुई है। ए/आर टू सलेमाबाद वाया रोडा वास पालड़ी बबायचा। स्वीकृति के अनुसार मेटल व डामरीकरण का कार्य चार कि.मी. लम्बाई में माह जुलाई 93 में पूर्ण हो चुका है तथा ग्राम पालड़ी को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है।

(2) किसी सड़क के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

ग्राम मित्रपुरा तहसील बौंली में सड़क निर्माण

1095. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बौंली के ग्राम मित्रपुरा में बगीची से मंजीत तक वर्षा के दिनों में पानी भर जाने के कारण ग्राम जनता और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को आने जाने में भारी कठिनाई उठानी पड़ती है?

(2) क्या सरकार बगीची से मंजीत तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सा. नि. विभाग द्वारा उक्त स्थान पर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के मृत कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति

1096. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बाबू खां पुत्र श्री अब्दुल का स्वर्गवास राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पेन्टर के पद पर रहते दिनांक 31-8-1990 को हो जाने के पश्चात् अभी तक भी उनकी विधवा को पेन्शन जारी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? देरी के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। अब उक्त पेन्शन कब तक जारी करदी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री बाबू खां को दिनांक 16-12-1987 से स्वीकृत उच्च वेतन श्रृंखला के बकाया एरियर का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान भी अब कब तक उनकी विधवा को कर दिया जायेगा ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बाबू खां की पत्नी का पेंशन सम्बन्धी आवेदन पत्र 15-2-94 को प्राप्त हुआ है। श्री बाबू खां का पेंशन प्रकरण पूर्ण कर लिया गया है तथा 31-3-94 तक पेंशन जारी कर दी जायेगी।

(2) जी हां। श्री बाबू खां के वेतन श्रृंखला में स्थिरिकरण के आदेश दिनांक 20-8-93 को जारी किये जा चुके हैं। तथा एरियर राशि का भुगतान रु. 1885/- का दिनांक 25-3-94 को कर दिया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर

1097. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1 क्या जोधपुर आई. टी. आई. में मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर मैकेनिक डीजल, हैण्ड विवींग इन चार व्यवसायों में एस. सी. वी. टी. योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण चल रहा है ? क्या राज्य में अन्य स्थानों पर भी ये प्रशिक्षण चल रहे है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एस. सी. वी. टी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्रों को सरकारी नौकरी पर लिया जाता है ? क्या एप्रेन्टिशिप प्रशिक्षण में कोई छूट मिलती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रशिक्षण को एस. सी.वी.टी. से एन.सी.वी.टी. में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आई टी आई., जोधपुर में एस. सी. वी.टी. योजना के अन्तर्गत मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर, मैकेनिक डीजल, हैण्ड विवींग व्यवसायों में प्रशि-

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

क्षण चल रहा है राज्य में अन्य संस्थानों में भी एस.सी.वी.टी. योजना के अन्तर्गत उक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण चल रहा है, जो निम्नानुसार हैं :—

1. अलवर-मशीनिस्ट (1993)
2. अनूपगढ़-मैकेनिक डीजल (1991)
3. बालोतरा-मैकेनिक डीजल (1992)
4. भीलवाड़ा-हैण्ड विवींग (1992)
5. दौसा-मैकेनिक डीजल (1990)
6. डूंगरपुर-मैकेनिक डीजल (1993)
7. गुलाबपुरा-मैकेनिक डीजल (1990)
8. कोटपूतली-मैकेनिक डीजल (1990)
9. शिवगंज-मैकेनिक डीजल (1990)
10. उदयपुर-मैकेनिक डीजल (1993)

(2) एस.सी.वी.टी. प्रमाणपत्रधारी को राज्य स्तर पर सरकारी नौकरी हेतु मान्यता है तथा कई विभागों में नौकरी पर लिया जा रहा है। एप्रेन्टिशीप प्रशिक्षण भारत सरकार के तत्वाधान में दिया जाता है, जिसमें एस.सी.वी.टी. प्रशिक्षण अवधि की छूट नहीं है।

(3) जी हां, प्रावधान उपलब्ध होने पर एन. सी. वी. टी. नोमर्स के अनुसार संस्थान भवन एवं व्यवसायों के औजार, उपकरण सुसज्जित हो जाने पर भारत सरकार को संबंधन हेतु निरीक्षण के लिये आवेदन किया जाता है।

थाना अधिकारी जसवन्तगढ़ जिला नागौर का स्थानान्तरण प्रकरण

1098. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर के मौजूदा थानेदार का तबादला किया गया था ? यदि हां, तो क्यों और कब तथा किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त थानेदार का तबादला वापिस कैन्सिल भी कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों, किसके द्वारा तथा किन कारणों से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त थानेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही व जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से क्या कार्यवाही चल रही है तथा किस स्तर पर जांच हो रही है ? उसको दी गई चार्ज शीट व जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त थानेदार के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। थाना जसवन्तगढ़ के मौजूदा थानेदार श्री नवलकिशोर शर्मा, उप निरीक्षक का तबादला नहीं किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज के

(गृह मन्त्री)

समक्ष उसके विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित होने से उसे पुलिस लाईन में बुलाया गया था। जिसने दिनांक 3-2-94 को पुलिस लाईन, नागौर में आमद कराई थी।

(2) उक्त थानेदार को विधानसभा व लोकसभा सत्र व राज्य कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को मध्य नजर रखते हुये डी.आई.जी.पी. अजमेर रेंज के पूर्व अनुमोदन से पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा पुलिस लाईन नागौर से पुनः थाना जसवंतगढ रवाना किया गया। जिसमें थाना जसवन्तगढ़ पर दिनांक 2-3-94 को अपनी उपस्थिति दी हैं।

(3) जी हां। उक्त थानेदार के विरुद्ध रेंज कार्यालय अजमेर में 16 सी. सी. ए. रूल्स 1958 के अन्तर्गत विभागीय जांच दिनांक 4-2-94 से चल रही हैं। जांच वृताधिकारी मेड़ता शहर द्वारा की जा रही हैं, जो जारी हैं। श्री नवल किशोर को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 27-1-94 की प्रति संलग्न है।

(4) उक्त जांच में प्राप्त शिकायत के अलावा अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ज्ञापन की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट--9 देखें।)

निजी संस्था के मालिक द्वारा जयपुर में वायरलैस का उपयोग प्रकरण

1099. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पापूलर आर्ट पैलेस, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड़, जयपुर के मालिक श्री आर. आर. सिंघल द्वारा लांग रेंज के वायरलैस का उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस वायरलैस की रेंज कितनी है ? क्या इसके पास लाइसेन्स है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशालय दूर संचार, राजस्थान पुलिस को जानकारी होते हुये भी अभी तक उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों, यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या लाग रेंज के वायरलैस को लगाना सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत है ? यदि हां, तो इसे अब तक क्यों नहीं हटाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त फर्म को वायरलैस के उपयोग हेतु लाईसेंस जारी किया गया है। अनुज्ञापत्र के अनुसार स्वीकृत वायर लेस की रेंज निम्न प्रकार है : -

1. स्थाई (फिक्स्ड)—20 वाट्स (3 नम्बर्स)
2. व्हीकल--मोबाइल--20 वाट्स (1 नम्बर)
3. हेंड हेल्ड मोबाइल—2 वाट्स (3 नम्बर्स)

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है अतः इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सुरक्षा हेतु निर्धारित फ्रीक्वेन्सी का अनुज्ञापत्र भारत सरकार स्वीकार नहीं करती, वायरलैस का लाईसेंस भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

1100. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या गृह/भ्रष्टाचार (निरोधक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जी. एस. नरवानी के विरुद्ध भूमि आवंटन एवं रुपांतरण सम्बन्धी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायत कर्ताओं के नाम एवं शिकायत प्राप्ति की तारीख का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शिकायतों की प्राप्ति से अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इन शिकायतों में श्री नरवानी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें निलम्बित करने के लिए सरकार को लिखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री भैरूसिंह गूर्जर, पूर्व विधायक, कांग्रेस आई, निवासी 53, शांति-निकेतन कालोनी बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दि. 3-7-93 को प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण सं. 41/94 अन्तर्गत धारा 120-बी, 420, 467, 468 417 भादस एव 13 (1(डी) सपठित धारा 13(2) पी. सी. एक्ट पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है।

इसके अलावा दो और प्रकरण सं. 8/94 अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) (2) पी.सी. एक्ट 1988 व प्रकरण सं. 9/94 अन्तर्गत धारा 13 (1) डी (2) पी.सी. एक्ट व 120 भादस में पंजीबद्ध किये गये हैं जिनमें अन्वेषण चल रहा है। इन दोनों प्रकरणों में शिकायतकर्ता कोई नहीं है। ये दोनों प्रकरण ब्यूरो में सूत्र सूचनाओं का सत्यापन करके पंजीबद्ध किये हैं।

(2) प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(3) यह सही है कि उपरोक्त तीनों प्रकरणों में श्री नरवानी मुख्य अभियुक्त है। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री नरवानी के निलम्बन के लिए राज्य सरकार को नहीं लिखा गया है। मामला अभी अन्वेषणाधीन है।

सी. आई. डी. अपराध शाखा में लम्बित प्रकरण

1101. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) सी.आई.डी. अपराध शाखा के पास वर्ष 1991 से अब तक कौन-कौन से मुकदमें जांच के लिये किस तिथि से विचाराधीन हैं? वर्षवार व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस शाखा में लम्बे समय तक मुकदमों का निस्तारण नहीं होता और विचाराधीन चलते रहते हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसके शीघ्र निस्तारण के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

(3) उक्त शाखा में कोई भी मुकदमा जांच के लिए ले लिया जाता है या कोई खास किस्म के मामले ही लिए जाते हैं?

उत्तर

(1) सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान के पास 1991 से अब तक (दिनांक 18 मार्च 94 तक) से अनुसंधानाधीन अपराधों की सूची तिथि वार सलग्न प्रपत्र है।

(2) जी नहीं। प्रकरणों से संबंध में पक्ष और विपक्ष परिवादियों की ओर से बार-बार परिवाद प्राप्त होने पर परिवादों में अंकित बिन्दुओं के बारे में सत्यापन कराया जाकर निर्णय लिये जाने में समय अवश्य लगता है। फिर भी प्रकरण का निस्तारण त्वरित गति से किया जाता है।

(3) सी.आई.डी, (सी. बी.) में अनुसंधान हेतु महत्त्वपूर्ण अपराध अथवा राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मुकदमों में अनुसंधान किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कस्बा नापासर के नागरिकों के विरुद्ध शिकायतें

1102. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा नापासर में गत तीन वर्षों में नागरिको के विरूद्ध की गई शिकायतों में से कितनी शिकायतें जांच में सत्य पाई गई?

(2) असत्य शिकायतकर्त्ताओं के विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रशासन क्या प्रभावी कार्यवाही करना चाहता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में पुलिस थाना नापासर पर नागरिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों में से 21 शिकायतें जांच से असत्य पाई गई।

(2) प्राप्त असत्य शिकायतों के संबंध में 12 शिकायतों के संबंध में रिपोर्ट कर्ताओं के विरुद्ध धारा 182/211 भा.द.सं. के अन्तर्गत इस्तगासे न्यायालय में प्रस्तुत किये गये शेष 9 रिपोर्ट सिविल नेचर की पाई गई।

(गृह मंत्री)

झूठी शिकायत करने वाले रिपोर्ट कर्त्ताओं के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया पूर्व से निश्चित की हुई है।

मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा की केटल लाइन

1103. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा की केटल लाईन है ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि केटल लाईन के आसपास खाली जमीन पड़ी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह भी सही है कि केटल लाईन के आसपास की जमीन बेच देने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुयी थी और उसकी जांच की गयी थी ? यदि हां, तो यह जांच किसने की और उसमें क्या पाया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कोर के कुछ अधिकारियों ने आपस में मिलकर जमीन बेचने का षडयंत्र किया है और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा में केटल (खाटला) लाईन है जिसमें कुल 5 आवासीय क्वाटर है जिनका कर्मचारियों द्वारा आवास के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(2) जी हां। केटल (खाटला) लाईन के आसपास करीब एकबीघा जमीन खाली पड़ी है।

(3) जी हां। श्री पारसमल जैन तहसील महामंत्री भारतीय जनता पार्टी खेरवाड़ा द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवाद की जांच पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर द्वारा की गई थी। जांच से आरोप अप्रमाणित पाये गये।

(4) जी नहीं। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

आयुक्त गृह विभाग द्वारा तत्कालीन विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

1104. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि दिनांक 7-4-1992 को तत्कालीन विधायक श्री शिवजी राम मीणा ने आयुक्त एवं गृह सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र लिख कर अनुसूचित जाति के श्री मुकेश द्वारा प्रेषित परिवादों पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां तो श्री मुकेश कुमार के परिवादों पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां । जांच करवाने पर यह पाया गया कि श्री मुकेश कुमार अपराधिक एवं झगड़ालू प्रकृति का थाना सांगानेर का हिस्ट्रीशीटर है और इसके विरुद्ध सांगानेर, बजाज नगर और गांधी नगर थाने के क्रमश: 6(ब) में अपराधिक अभियोगों में सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गए, जिनमें से श्री मुकेश को दो मामलों में दोषी पाया जाकर दण्डित किया गया है तथा दो में उसे दोषमुक्त किया गया है और चार मामले अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । सम्बद्ध पत्रों की प्रतियां साथ संलग्न हैं ।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें ।)

प्रदेश में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण

1105. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस बड़े उद्योग से वायु प्रदूषण हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य के कौनसे सीमेंट उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) खेतड़ी कोपर काम्पलेक्स से प्रदूषण के संकट से किसानों को राहत देने की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा चिन्हित किये गये वृहत एवं मध्यम श्रेणी के वायु प्रदूषक उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) राज्य के वृहत एवं मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योग जिनसे वायु प्रदूषण हो रहा है, की सूची परिशिष्ट "ब" तथा "स" पर संलग्न है । इन उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रणार्थ लगवाए गए उपकरणों/संयंत्रों का विवरण तथा वायु अधिनियम के उल्लघंनकर्ताओं के विरुद्ध राज्य मंडल द्वारा नियमानुसार की गई कार्यवाही के विवरण भी परिशिष्ट "ब" तथा "स" पर अंकित किए गए हैं ।

(3) जी हां । इसके लिए खेतड़ी कॉपर काम्पलेक्स में प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्थाएँ करने हेतु बाध्य किया जा रहा है, परिणामस्वरूप उद्योग के द्रव उच्छिष्ठ के उपचारार्थ उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाया गया है और उपचारित उच्छिष्ठ के अधिकतम भाग को पुन: चक्रित किया जाता है, उद्योग को सम्पूर्ण उच्छिष्ठ के पुन: चक्रण से शून्य निस्त्राव की स्थिति प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जा रहा है ।

खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिये उद्योग द्वारा विभिन्न चरणों में दिसम्बर 1994 तक पूर्ण किया

(पर्यावरण मंत्री)

जाने वाला एक समय कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

लाखेरी वन विभाग की भूमि में अवैध खनन

1106. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी के लिए वन विभाग की भूमि से पत्थर ले जाये जाते हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वन विभाग की भूमि से किए जा रहे खनन कार्य के लिए लगाये गये खड्डों के नाप (लम्बाई-चौड़ाई या गहराई) में वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रभाव में आने की तारीख के बाद बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावी होने के समय वन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये लगाये खड्डों का नाप नहीं किया गया था, अतः तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(3) वन खण्ड अरियावली-बुड़करवर में खनन कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के आधार पर चल रहा है। वन खण्ड लाखेरी में कार्य खनन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज के एक्सटेन्शन पीरियड में चल रहा है, जिसके नवीनीकरण के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग के विचाराधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

वन्य जीव शाखा में अधिकारियों का पदस्थापन

1107. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विभाग की वन्यजीव शाखा में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारियों के कितने पद हैं और इन पर अधिकारियों को पदस्थापित करने के राज्य सरकार ने क्या नियम बनाये हुए हैं ?

(2) क्या पद स्थापित अधिकारी नियमान्तर्गत शिक्षा एव अनुभव सम्बन्धी योग्यतायें रखते हैं ? यदि नहीं, तो इनको

(श्री अरुण सिंह)

किस आधार पर पदस्थापित किया गया है ?

(3) इन पदों पर सहायक वन संरक्षण स्तर के अधिकारी कब से तथा किन नियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या इनके पदस्थापना से नियमों का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी कौन है ?

उत्तर

(1) वन विभाग की वन्यजीव शाखा में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद तथा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के दो पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई सेवा नियम प्रचलित नहीं है परन्तु अनुसधान अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेश क्रमांक एफ114[19] राज-8/82 दिनांक 23-9-83 द्वारा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तथा अनुभव निर्धारित किया गया है। कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद को भरने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) निर्धारित योग्यताधारी उपयुक्त व्यक्तियों के अनुपलब्ध होने के कारण समकक्ष वेतन श्रृंखला में कार्यरत सहायक वन संरक्षक सवर्ग के अधिकारियों को इन पदों के विरुद्ध पदस्थापित कर कार्य करवाया जाता रहा है। यह अधिकारी वन एवं वन्यजीव विषयों में प्रशिक्षित हैं।

(3) अनुसंधान अधिकारियों, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के सृजन के पश्चात् से ही सहायक वन संरक्षक संवर्ग के अधिकारियों को स्थानापन्न रूप से पदस्थापित कर कार्य करवाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के एक योग्यताधारी अधिकारी के उपलब्ध होने पर सरिस्का में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 30-11-88 से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया गया था। इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर इन्हें 30-9-93 को भार-मुक्त किया गया।

(4) जी नहीं।

वन रेन्ज विभाग धरियावद के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1108. **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन रेन्ज विभाग धरियावद के सभी प्लांटेशन की दीवारें एवं पौधे मौके पर कायम है ? यदि नहीं, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्लान्टेशन, जामूड़ियों, फोरेस्टर (नाका) मूंगाना रेन्ज धरियावद (उदयपुर) की मौके की जांच कर सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वन रेन्ज धरियावद के सभी प्लान्टेशन की फेन्सिंग एवं पौधे यथा संभव सुरक्षित हैं। अतः कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(2) प्लान्टेशन जाम्बुड़ी में लगाये गये लगभग 93% पौधे जीवित हैं एवं फेंसिंग सुरक्षित है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम गोरख्या (भीलवाड़ा) में पेड़ों की अवैध कटाई

1109. श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोरख्या तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा के वन विभाग के जंगलों से पिछले 12 माह में हजारों की तादाद में पेड़ काटे गये हैं? यदि नहीं, तो मौके पर कितने पेड़ों के काटे हुए ठूंठ खड़े हैं? यदि हां, तो ये पेड़ किसने, कब व क्यों कटवाये?

(2) क्या वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों ने मिलीभगत कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लोभ से इन पेड़ों को कटाया है?

(3) क्या पिछले 12 माह में वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों ने व जिले के अधिकारियों ने उक्त वन क्षेत्र से पेड़ काटने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो फिर ये पेड़ क्यों काटे और काटने वालों के विरुद्ध सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम गोरख्या तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के जंगलों में गत 12 माह में हजारों की तादाद में पेड़ नहीं काटे गये हैं। मौके पर काटे गये पेड़ों के केवल 29 ठूंठ पाये गये हैं जो कि आस पास के ग्रामवासियों द्वारा सिर बोझ के रूप में घरेलू उपयोग हेतु जलाऊ लकड़ी बाबत काटना पाया गया। जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा वन अधिनियम के अन्तर्गत 9 (नौ) वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) जी नहीं।

(3) पिछले बारह महीनों में चोरी छिपे पेड़ काटने वालों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

हर्ष पहाड़ (सीकर) पर खर्च

1110. अमराराम (धोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सीकर जिले के धोद विधान सभा क्षेत्र के हर्ष पहाड़ को हरा भरा बनाने की योजना

(श्री अमराराम)

पर कितना धन व्यय किया जाना प्रस्तावित है ? अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

राष्ट्रीय बंजड़ भूमि विकास परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हर्ष परियोजना में हर्ष पहाड़ एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु रुपये 212.75 लाख की योजना (वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक) केन्द्रीय परिवर्तित योजना के रूप में स्वीकृत हुई है। वर्ष 1989-90 से माह फरवरी 94 तक हर्ष परियोजना के कार्यों पर रुपये 144.908 लाख व्यय किया जा चुका है।

अधिशाषी अभियन्ता मकराना द्वारा विद्युत कनेक्शन का आवंटन

1111. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल मकराना द्वारा सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल नावां के क्षेत्र में कई ग्रामों को कृषि विद्युत कनेक्शन आवंटित करने से वंचित किया गया है ?

(2) क्या वर्ष 1991-92 में आवंटित कृषि विद्युत कनेक्शनों के मांग पत्र मार्च, 1992 में जारी किये गये थे, परन्तु सामान के अभाव में 1991-92 में आवंटित कृषि विद्युत सम्बन्ध नहीं हो पाये और वर्ष 1992-93 में सहायक अभियन्ता राज्य विद्युत मण्डल नावां को एक भी कृषि विद्युत सम्बन्ध आवंटन नहीं किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1993-94 में सहायक अभियन्ता नावां को 100 कृषि विद्युत सम्बन्धों का आवंटन किया गया और 1991-92 से मांगपत्र के बकाया 65 कृषि विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य पूर्ण करने के कारण चालू वर्ष 1993-94 में कई ग्राम कृषि कनेक्शनों से वंचित किये गये हैं ? यदि हां, तो जिन ग्रामों को इस वर्ष में कृषि विद्युत सम्बन्ध से वंचित रखा गया है उन ग्रामों को विशेष आवंटन से कब तक लाभान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1993-94 में अधिशाषी अभियन्ता, मकराना द्वारा नावां उपखण्ड को कुल 92 कृषि कनेक्शनों का ग्रामवार लक्ष्य दिया गया। इनमें से 62 का लक्ष्य वर्ष 1991-92 व 1992-93 में जारी जमा मांग पत्रों की एवज में दिया गया तथा 30 नये मांग पत्र जारी करने का लक्ष्य दिया गया, इस कारण 40 गांवों में इस वर्ष कृषि कनेक्शनों हेतु नये मांग पत्र जारी नहीं किये जा सके।

(2) वर्ष 1992 के मार्च माह में 152 मांग पत्र जारी किये गये थे तथा वर्ष 1991-92 में सामान के अभाव में पूर्ण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके। वर्ष 1992-93 में कृषि के एक मांग पत्र

(ऊर्जा मन्त्री)

भूतपूर्व सैनिक के अलावा अन्य कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और न ही लक्ष्य दिया गया था।

(3) वर्ष 1993-94 में कनेक्शनों का कृषि लक्ष्य आवंटित किया गया। इनमें 62 पूर्व वर्षों 1991-92 व 1992-93 के लम्बित जमा मांग पत्र थे। इस कारण इस वर्ष कई गांवों को कृषि कनेक्शन आवंटित नहीं किये जा सके। वंचित गांवों में कृषि कनेक्शन के विशेष आवंटन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति जायल में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

1112. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जायल में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोला गया था? यदि हां, तो किसके आदेश से खोला गया?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता जायल का उक्त कार्यालय बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किसके आदेश से व क्यों बन्द किया गया?

(3) क्या विद्युत मण्डल वापस सहायक अभियन्ता जायल का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति जायल में विद्युत विस्तार एवं कार्य की अधिकता को मद्देनजर रखते हुए उप मुख्य अभियन्ता (बी. जोन) रा.रा.वि.म., बीकानेर ने अपने आदेश संख्या 2694 दिनांक 20-11-92 के द्वारा सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण एवं निर्माण) रा.रा.वि.म., नागौर का मुख्यालय अस्थायी तौर पर जायल कर दिया था।

(2) जी हां। यह उक्त सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण एवं निर्माण) का अस्थायी मुख्यालय पुनः उप मुख्य अभियन्ता (बी.जोन) रा.रा.वि.म., बीकानेर के आदेश संख्या 3182 दिनांक 20-1-94 के द्वारा वापस नागौर कर दिया गया है।

(3) जायल में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के प्रस्ताव संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त हुए हैं जिनकी मुख्य अभियन्ता कार्यालय में वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है।

पंचायत समिति लालसोट में कृषि विद्युत कनेक्शन

1113. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति लालसोट में वर्ष 1993-94 के लक्ष्य अनुसार किसानों के कृषि कनेक्शन के मांग पत्र जारी कर

(श्री परसादी लाल मीणा)

दिये गये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में कुल कितने कृषि विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

(2) वर्ष 1993-94 में जारी किये मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद कितने समय में विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट में वर्ष 1993-94 में 338 कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य था जिसमें 238 आवेदको के मांग पत्र की राशि जमा थी। वर्ष 1993-94 में शेष 100 कनेक्शनों के लिए 130 मांग पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 130 मांग पत्र के लक्ष्यों में से 101 मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। शेष की प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त लक्ष्य के अलावा एक पोल स्कीम में 46 मांग पत्र जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इनमें से 32 मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(2) वर्ष 1993-94 में जारी किये मांग पत्रों की राशि जमा होने एवं आवेदकों द्वारा अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी।

पंचायत समिति लालसोट के गांवों का विद्युतीकरण

1114. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लालसोट में पिछले तीन वर्षों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? विद्युतीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में विद्युतीकृत गांवों में किसानों को कितने-कितने कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन जारी किये गये ? जिन किसानों को विद्युतीकृत गांवों में कृषि हेतु कनेक्शन जारी किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पं. स. लालसोट में पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित 9 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है :—

1. मोहम्मदपुरा
2. डोब
3. चैनपुरा कलां
4. टुंटियावास
5. जीतपुर
6. कंवरपुरा
7. श्रीरामपुरा
8. किराडी
9. कुपावास

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) पिछले तीन वर्षों में विद्युतीकृत ग्रामों में किसानों को 42 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। नामवार व गांववार सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

प्रश्न संख्या–1115

(स्थगित)

सहायक अभियन्ता कार्यालय बस्सी व चाकसू द्वारा कृषकों की केपेसीटर राशि

1116. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1978 से कुओं पर लगाये जाने वाले विद्युत पम्पिंग सेटों पर केपेसीटर लगाना अनिवार्य किया गया था ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत मण्डल ने अब तक कुल कितनी राशि कृषकों से वसूल की ?

(2) विद्युत सहायक अभियन्ता बस्सी व चाकसू के कार्यालय में कितने कृषकों ने अब तक कितने केपेसीटर के लिए कितनी राशि जमा कराई उसमें से कितने वर्षों से कितनी राशि केपेसीटर नहीं देने के कारण शेष पड़ी हुई है कितने कृषकों के कितनी राशि के केपेसीटर लगाये जा चुके हैं तथा शेष कृषकों के कुओं पर केपेसीटर कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। केपेसीटर लगाने हेतु कुल लगभग 1,34,50,869.00 रुपये कृषकों से वसूल किये गये।

(2) विद्युत सहायक अभियन्ता बस्सी व चाकसू के कार्यालयों में जिन कृषकों ने राशि जमा कराई है एवं शेष रहे उनका ब्योरा निम्न प्रकार से हैं:—

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कुल कृषकों की सं. जिनसे केपेसीटर की राशि जमा कराई है।	केपेसीटर लगाये उन कृषकों की संख्या	शेष रहे केपेसीटर की संख्या	कुल केपेसीटर की राशि प्राप्त की गई।
1	2	3	4	5	6
1.	चाकसू	128	—	128	34,048/-

(ऊर्जा मन्त्री)

1	2	3	4	5	6
2.	बस्सी	437	264	173	101720/-

शेष रहे केपेसीटर केन्द्रीय भण्डार से जैसे जैसे उपलब्ध होंगें उन्हें प्राप्त कर लगाने की कार्यवाही की जावेगी। अधिकारियों की शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में कृषि विद्युत कनेक्शन

1117. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार-शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार किसानों को रियायती दर पर कुओं पर बिजली कनेक्शन देती है? यदि हां, तो इसका मापदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर के कितने किसानों को कृषि कनेक्शन दे दिये गये हैं और कितनों को कनेक्शन देना शेष है? शेष को कब तक बिजली कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, किसानों को रियायती दर पर कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं। वर्ष 1993-94 की घोषित नीति के अनुसार विद्युत लाइन की लागत 7000/-रुपये प्रति पोल अनुमानित की गई है। इसमें प्रति पोल प्रति एच.पी.भार पर 6500/- रुपये प्रति पोल की दर से अनुदान देय होता है, जिसकी अधिकतम सीमा दस पोल तक है। इसके पश्चात् उपभोक्ता से पोल की पूरी कीमत वसूल की जाती है।

(2) बीकानेर वृत के अधीन विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर में मार्च, 1993 तक 140 एवं वर्ष 1993-94 के दौरान माह फरवरी, 1994 तक 6 सामान्य श्रेणी, एक अनुसूचित जाति एवं 10 कनेक्शन विलेजेज हेविंग नो कनेक्शन के अन्तर्गत कुल 17 कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में 169 कृषि आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। जिनको आगामी वर्षों में आवटित लक्ष्य एवं घोषित नीति के अनुसार कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे।

गुढ़ा गोडजी व उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) का पी. बी. सी. केबिल प्रकरण

1118. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले

(श्री शिवनाथ सिंह)

के गुढ़ागोड़जी तथा उदयपुर वाटी सहायक अभियन्ताओं के पास पी. वी. सी. केबिल नहीं है जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है तथा किसानों को स्वयं को अपने पैसे से पी.वी.सी. केबिल खरीदने पड़ते हैं।

(2) उपरोक्त कार्यालयों में सरकार पी. वी. सी. केबिल की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। झुंझुनू जिले के उपखण्ड गुढ़ागोडजी व उदयपुरवाटी क्षेत्र में उपभोक्ताओं से पी.वी.सी. केबिल की मांग नहीं की गई है। झुंझुनू जिले के उपखण्ड गुढ़ागोडजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से यदाकदा ट्रांसफार्मर पर लगी केबिल जलने पर केबिल अनुपलब्धता के कारण सुरक्षा की दृष्टि से केबिल के ऊपर पी. वी. सी. पाईप की मांग की गई है, की जानकारी मिली है।

(2) उक्त दोनों उपखण्डों में भण्डार में केबिल उपलब्धतानुसार आवंटित करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के गांवों का विद्युतीकरण

1119. **श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में पिछले 5 वर्षों में कितने नये ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नये विद्युतीकृत हुए गांवों में नियमानुसार दो कुओं के लिए काश्तकारों को कृषि कनेक्शन दे दिये गये ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। बकाया कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) माण्डल विधान सभा क्षेत्र शत-प्रतिशत विद्युतीकृत है। अतः पिछले चार वर्षों (अप्रेल 1990 से फरवरी, 1994 तक) में किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया। परन्तु निम्नांकित 3 ग्रामों का नियमितीकरण नवम्बर, 1992 में किया गया जो पूर्व से ही विद्युतीकृत है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	नियमित करने की तिथि
1.	दाता कला	19/5/102	11/92
2.	संतोकपुरा	164	11/92
3.	डडिया	79	11/92

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। इससे पूर्व विद्युतीकृत ग्रामों में जिनमें कोई कृषि कनेक्शन नहीं थे उनमें अप्रेल, 1990 से

(ऊर्जा मंत्री)

26 मार्च, 1994 तक दिये गये कृषि कनेक्शनों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सरदार शहर में 132 के. वी. जी. एस. एस. की स्वीकृति

1120. **श्री नरेन्द्र बुडानिया** (सरदार शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के सरदारशहर कस्बे के लिए 132 के. वी. जी. एस. एस. स्वीकृत है? यदि हां, तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने दिनांक 23-1-93 को सरदार शहर में 132 के. वी. जी. एस. एस. बनाने की स्वीकृति प्रदान की है तथा राजस्थान सरकार ने भी पत्र संख्या एफ 13 (II) एनर्जी/92 दिनांक 23-8-93 को इसकी विनियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुये इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये इसे पावर फाईनेन्स कारपोरेशन विश्व बैंक सहायता के लिये प्रस्तावित किया गया है। इस वित्तीय सहायता के प्राप्त होने पर इसे वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ करके वर्ष 1996-97 में पूर्ण किया जा सकेगा।

राजस्थान पथ परिवहन के बिना टिकट परिचालक

1121. **श्री राम नारायण** (नैनवां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) दिनांक 1 जनवरी 1991 से 31 दिसम्बर 1992 तक की अवधि में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने परिचालक बिना टिकट सवारियां ले जाने के आरोप में पकड़े गये हैं?

(2) उक्त परिचालकों में से कितने आरोप मुक्त तथा कितने दण्डित किये जा चुके हैं। आरोप मुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी कितनी सवारी तथा दण्डित कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी कितनी सवारी बाबत आरोप लगाए गए थे?

(3) दण्डित कर्मचारियों में से किस किस कर्मचारी द्वारा किस-किस सक्षम अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा ऐसी अपीलों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित की हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्या प्रशासन के स्वच्छता व शीघ्र न्याय

(श्री रामनारायण)

प्राप्ति हेतु अब तक इस बावत समय सीमा निर्धारित की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में परिवहन निगम के परिचालकों के विरूद्ध बिना टिकिट यात्री ले जाने के 9143 मामले पकड़े गये हैं।

(2) उक्त मामलों में पकड़े गये 72 परिचालक आरोप मुक्त किये गये हैं तथा 2661 परिचालकों को दण्डित किया गया है। आरोप मुक्त किये गये परिचालकों के विरुद्ध औसतन 1 यात्री से 6 यात्री तक बिना टिकिट ले जाने का आरोप था तथा दण्डित किये गये परिचालकों के विरूद्ध 1 से 50 यात्री एवं अधिक बिना टिकट यात्री ले जाने का आरोप था।

बिना टिकिट यात्री ले जाने के मामलों में पकड़े गये परिचालकों के विरूद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक विभागीय जांच सम्पन्न कराई जाकर प्रत्येक मामले में दोष की गुरुता एवं परिचालक के पिछले रेकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष के आधार पर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(3) दण्डित कर्मचारियों में से जिस जिस परिचालक ने जिस सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-1)

(4) जी नहीं, नियमों में अपीलों के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है, तथापि अपील प्राप्त होने पर अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आगार कार्यालय से अनुशासनिक पत्रावलियां मगांई जाकर सम्बन्धित परिचालक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है और सुनवाई के पश्चात अपीलेन्ट अधिकारी द्वारा यथा सम्भव 3 माह के अन्दर अन्दर अपील पर निर्णय पारित कर दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15-देखें)

राजस्थान परिवहन में बुलकेनाइजर का वेतनमान

1122. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान परिवहन निगम में बुलकेनाइजर के पद का वेतनमान स्टेट मोटर गेरेज के समकक्ष है ? यदि हां, तो किस वेतन श्रृंखला में ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता भी स्टेट मोटर गेरेज के समान ही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समान योग्यता करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष

Page No. 58

(58)

(श्री भीखा भाई)

1986 में उक्त पदों की विज्ञप्ति में जो योग्यता निर्धारित की थी, के पश्चात् संशोधन किया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में स्टेट मोटर गेरेज के नियमों पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद की वेतन एवं योग्यता तथा पदोन्नति पर पुनः संशोधन के बारे में समय-समय पर संघों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रतिवेदन/ज्ञापन आदि भी दिये गये थे ? यदि हां, तो किस किस ने कब-कब दिये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम में बुलकेनाइजर का पद राजस्थान स्टेट मोटर गेरेज के समकक्ष नहीं है। निगम में बुलकेनाइजर के तीन श्रेणी में एवं तीन वेतनमान के पद हैं :—

श्रेणी	वेतनमान
1. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-प्रथम	975-25-1100-30-1640-40-1720
2. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-द्वितीय	910-20-1150-25-1400-30-1520
3. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-तृतीय	800-15-950-20-1250
आई.टी.आई. उत्तीर्ण अथवा दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें वेतनमान देय है :—	910-20-1150-25-1400-30-1520

जबकि स्टेट मोटर गेरेज में बुलकेनाइजर का पद वेतनमान 910-1520 में है।

(2) जी नहीं। इसका कारण यह है कि स्टेट मोटर गेराज एवं निगम में इस पद की भर्ती हेतु निर्धारित मापदण्ड अलग-अलग है। स्टेट मोटर गेरेज में बुलकेनाइजर के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाकर हेल्पर के पद पर पाँच साल का अनुभव रखने वाले कर्मचारी को ट्रेड टेस्ट के आधार पर पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं जबकि निगम में बुलकेनाइजर की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यायें निम्न प्रकार है :—

1. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-प्रथम	25% सीधीभर्ती 75% बुलकेनाइजर ग्रेड-2 से पदोन्नति
2. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-द्वितीय	50% सीधी भर्ती 50% बुलकेनाइर ग्रेड-तृतीय से पदोन्नति
3. आर्टिजन (बुलकेनाइजर) ग्रेड-तृतीय	100% सीधी भर्ती द्वारा योग्यता :- शिक्षित 6 माह का बुलकेनाइजर के कार्य का अनुभव।

(यातायात राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। उक्त पद के वेतन एवं योग्यता तथा पदोन्नति पर पुनः संशोधन के बारे में किसी भी संघ का प्रतिवेदन/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश के पंजीकृत विक्रम व टेम्पों.

1123. श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने विक्रम व टेम्पों पंजीकृत हैं तथा कितने गैर पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शहरों में चलने वाले वाहनों में सबसे अधिक प्रदूषण इन्हीं टेम्पों व विक्रम द्वारा फैलाया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनको पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 4002 विक्रम व टेम्पों पंजीकृत हैं। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत प्रत्येक वाहन का पंजीयन होना अनिवार्य है। गैर पंजीकृत वाहन पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरुद्ध सर्दभित अधिनियम का धारा 192 तथा 207 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(2) टेम्पों व विक्रम द्वारा प्रदूषण फैलता है। ऐसे वाहनों का विभाग द्वारा प्रदूषण परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में प्रदूषण परीक्षण की यह सुविधा विभाग में केवल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों पर उपलब्ध है। वर्तमान में सरकार का इन वाहनों को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित करने का कोई विचार नहीं है किन्तु इनसे फैलने वाले प्रदूषण की गम्भीरता को देखते हुए विभाग द्वारा इसकी डिजाइन को 12 सीटर से 8 सीटर करने हेतु 26 जुलाई, 1993 को अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन किया गया है और वर्तमान में संचालित टेम्पुओं की बॉडियों को नियमों के अनुकूल परिवर्तन हेतु अधिसूचना की तिथि से 2 वर्ष का समय दिया गया है। जयपुर शहर में टेम्पों के कॉन्ट्रेक्ट कैरिज के नये अनुज्ञापत्र जारी करने और अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण पर दिनांक 31-10-92 को अधिसूचना जारी कर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

निर्वाचित क्षेत्र सागवाड़ा में संचालित बसें

1124. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) :- क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय से कितनी बसें राज्य परिवहन चला रहा है? मार्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सागवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय से कितनी बसें अन्तराज्यीय मार्ग पर चल

(श्री भीखा भाई)

रही हैं ? मार्गवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार की जानकारी के अनुसार सागवाड़ा मुख्यालय से कितनी अवैध वाहन मिनी बसें, विडियो कोच, जीप चल रही हैं तथा इनके रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सागवाड़ा से बड़ौदा, अहमदाबाद के लिए कोई परमिट स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक बसें नहीं चलाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या राज्य परिवहन निगम इन मार्गों पर बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय (सागवाड़ा) से तथा सागवाड़ा होकर विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा दैनिक 58 बस सेवाए संचालित की जा रही हैं ।

बस सेवाओं की मार्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–1)

(2) सागवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय से परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर 24 बस सेवायें संचालित की जा रही हैं । मार्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–2)

(3) सागवाड़ा मुख्यालय से अवैध रूप से चलने वाली वाहनों की निश्चित संख्या का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है. किन्तु ऐसी वाहनों की रोकथाम हेतु विभाग हर संभव प्रयासरत है । वर्ष 1993-94 में (फरवरी, 1994 तक) विभाग द्वारा ऐसी वाहनों के निम्नानुसार चालान बनाये जाकर कम्पाउण्डिग राशि वसूल की गई है :—

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	संख्या	वसूल की गई कम्पाउण्डिग राशि
1.	विडियो कोच	5	रु. 3460/-
2.	मिनी बसें	9	रु. 8000/-
3.	जीपें	13	रु. 6000/-
	योग :	27	रु. 17460/-

(यातायात राज्य मंत्री)

(4) जी हां। निगम को सागवाड़ा से बड़ौदा एवं अहमदाबाद के लिये परमिट स्वीकृत हुये हैं और इन दोनों ही मार्गों पर निगम द्वारा बस सेवायें संचालित की जा रही हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट--16 देखें)

प्रदेश में वाहनों का पंजीकरण

1125. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि परिवहन कार्यालय में समस्त नये पुराने वाहनों का पंजीकरण एवं उनका नवीनीकरण करवाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही किन नियमों के तहत की जाती है।

(2) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा क्रय किये जाने वाले नये ट्रेक्टरों का पंजीकरण आवश्यक है। यदि हां, तो जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर एवं दौसा में जनवरी, 1990 से जनवरी 1994 तक कितने कितने ट्रेक्टरों का पंजीकरण किया गया। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 में नये वाहनों का पंजीयन करवाना तथा इसी अधिनियम की धारा 47 के तहत अन्य राज्यों से स्थान परिवर्तन के लिए नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 41(7) के तहत परिवहन वाहनों से भिन्न वाहनों के नवीनीकरण का प्रावधान है।

(2) जी हां, आलोच्य अवधि में सवाई माधोपुर में 2798 तथा दौसा में 473 ट्रेक्टरों का पंजीयन किया गया है। इन वाहनों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

राजस्थान पथ परिवहन निगम के चालक व परिचालकों को भत्ता

1126. **श्री राम नारायण** (नैनवां): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक एवं परिचालक को 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी देने एवं मुख्यालय से बाहर रात्रि प्रवास पर भत्ता देने का प्रावधान है। यदि हां, तो किस किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अन्य राज्यों के राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक/परिचालक एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली भत्ता राशि में तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली भत्ता राशि में अन्तर है। यदि हां, तो कितना कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राम नारायण)

(3) क्या सरकार इन कर्मचारियों के भत्ते एवं रात्रि विश्राम की राशि को बढ़ाकर अन्य राज्यों के निगमों के बराबर करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) निगम में चालकों परिचालकों से सामान्यतया 8 घन्टे ही ड्यूटी ली जाती है इससे अधिक ड्यूटी लेने सम्बन्धी मामलों में कर्मचारियों को नियमानुसार अधिश्रम भत्ते का भुगतान किया जाता है। जहां तक मुख्यालय के बाहर रात्रि विश्राम का प्रश्न है, वर्तमान में निगम निम्न दर से रात्रि बहिर्गमन भत्ते का भुगतान कर रही है :—

1.	दिल्ली	9.00 रु. प्रति रात्रि विश्राम
2.	दिल्ली के अलावा राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर	8.00 रु. प्रति रात्रि विश्राम
3.	राज्य के अन्दर के स्थानों पर	6.00 रु. प्रति रात्रि

(2) इस प्रकार की कोई सूचना संकलित नहीं की गई है। अतः अन्तर बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव परिवहन निगम में विचाराधीन नहीं है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार जयपुर द्वारा कारापाल के साक्षात्कार

1127. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार कार्यालय जयपुर द्वारा कारापाल के पदों को भरने हेतु माह दिसम्बर, 1993 में कुछ अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया था एवं बाद में अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया गया;

(2) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण थे जिससे इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ा गया।

(3) क्या सरकार अब शेष रहे अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लेने का कोई विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन साक्षात्कारों के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त होने पर साक्षात्कार दिनांक 7-12-93 को स्थगित किये गये।

(3) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

गांव सरेरा (उदयपुर) को विभाग द्वारा विद्युतीकरण हेतु आर्थिक सहायता

1128. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री

(श्री दयाराम परमार)

यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेरवाडा तहसील क्षेत्र के गांव सरेरा को विभाग की ओर से विद्युतीकरण करने के लिए धन-राशि स्वीकृत की गयी थी। यदि हां, तो कितनी और किस स्कीम के अन्तर्गत।

(2) क्या यह भी सही है कि जनजाति विकास विभाग केवल जनजाति समुदाय के लोगों के कनेक्शन के लिए ही राशि देता है। यदि हां, तो सरेरा में कितने आदिवासी परिवारों को कनेक्शन दिए गए हैं।

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक जो कनेक्शन दिये गये हैं वे स्वर्ण लोगों के हुए हैं और विभाग ने आदिवासियों के नाम पर धन देकर धन का दुरुपयोग किया है। यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सरेरा ग्राम को विद्युतीकृत किया गया। जनजाति विकास विभाग द्वारा कोर बजट से 4.95 लाख रु. धनराशि उपलब्ध करा[illegible] गई है।

(2) जी हां। जनजाति विकास विभाग केवल जनजाति समुदाय के लोगों के कनेक्शन के लिए ही रू. देता है। सरेरा गांव में वर्ष 1992-93 में 124 आदिवासी परिवारों को कनेक्शन दिए गये हैं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है क्योंकि जनजाति विकास विभाग द्वारा आवंटित राशि चूंकि जनजाति के ग्रामों में विद्युतीकरण के लिए दी गई है, धन का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है।

जयपुर पोलिस्टेयन लि. रींगस में वर्क्स कमेटी का गठन

1129. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक विवाद कानून 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक हजार से अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले उद्योगों में वर्क्स कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे किन-किन उद्योगों में कितनी कितनी अवधि से वर्क्स कमेटी का गठन नहीं किया गया है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर पोलिस्टियन लि. रींगस में वर्क्स कमेटी का गठन किया हुआ है ? यदि नहीं, तो कब से और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर पोलिस्टियन लि. रींगस को उक्त कमेटी के गठन बाबत निर्देश श्रम विभाग को दिए गए थे। यदि हां, तो कब एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई।

(4) उक्त निर्देशों की पालना करने में

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

दोषी रहे उद्योग एवं सम्बन्धित श्रम विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत 100 या उससे अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक संस्थानों में सक्षम सरकार वर्क्स कमेटी का गठन करने का विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश जारी कर सकती है।

प्रदेश के जिन उद्योगों में वर्क्स कमेटी का गठन नहीं किया गया है उसकी सूची सलग्न है।

(2) मै. जयपुर पोलिस्टियन लि., रींगस में वर्क्स कमेटी का गठन स्थापना के वर्ष 1982 से नहीं किया गया है।

वर्क्स कमेटी का गठन नहीं होने का मुख्य कारण संस्थान में एक से अधिक श्रम संघ कार्यरत होना एवं श्रम संघों में अलग अलग गुट होना तथा कुछ श्रम संघों एवं नियोजक का वर्क्स कमेटी के गठन में रुचि नहीं लेना रहा है।

(3) जी हां। राज. उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं. : 1408/89 में दिनांक 27-7-89 को जयपुर पोलिस्टियन लि. [illegible]गस में वर्क्स कमेटी का गठन करने के [illegible]र्देश दिये थे। उच्च न्यायालय के निर्देश प्र[illegible]त होने के उपरान्त की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(4) प्रश्न सं. 3 के उत्तर में संलग्न विवरण के अनुसार श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना कर वर्क्स कमेटी का गठन कराने के प्रयास किए गए। उद्योग के अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस विषय में भविष्य में सतर्कता रखी जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा केरोसिन का वितरण

1130. **श्री हरीसिंह (महुवा)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा में सितम्बर, 1993 में प्रकाश आयल कम्पनी के विरूद्ध रोस्टर में निर्धारित मात्रा से अधिक केरोसिन सप्लाई करने का मामला दर्ज हुआ था। यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

जी हां, मैं. प्रकाश आयल कं. दौसा (कैरोसिन थोक विक्रेता) के विरुद्ध माह अप्रेल, जून व अगस्त, 93 में रोस्टर निर्धारित मात्रा से अधिक केरोसिन सप्लाई करने पर माह सितम्बर, 93 में मामला दर्ज किया गया था।

मै. प्रकाश आॅयल कम्पनी केरोसिन थोक विक्रेता दौसा को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जवाब नोटिस में अंकित रोस्टर से अधिक दिये गये तेल का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर डीलर की अमानत राशि में से 700/- रु. दिनांक 21.2.94 को जब्त सरकार कर दण्डित किया गया।

जिला नागौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1131. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : एवं **श्री चेनाराम** (डीडवाना) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से वितरित किये जाने वाले गेहूं, शक्कर, चावल एवं केरोसीन का कोटा कितना-कितना है ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को रिटेलरशिप का लाईसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है ? यदि हां, तो तहसील डेगाना में किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को यहां लाइसेंस दिया जा चुका है ? कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां इस सुविधा से अभी तक वंचित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राशन प्रणाली द्वारा गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसीन प्रति यूनिट कितनी मात्रा में वितरित किया जाता है ? क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में इनका वितरण अधिक मात्रा में किया जाता है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र एव शहरी क्षेत्र में ऐसा फर्क क्यों है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राशन प्रणाली द्वारा वितरित वस्तुओं का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना कोटा बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन एवं मांग के आधार पर जिलों को उप-आवंटन किया जाता है। नागौर जिले को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले गेहूं, शक्कर, चावल एवं केरोसीन का जितना-जितना कोटा आवंटन किया गया है एवं इस मात्रा का तहसीलों को किये गये उप-आवंटन का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। तहसील डेगाना में 24 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को रिटेलरशिप का लाईसेन्स दिया जा चुका है। उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। डेगाना तहसील में 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां और है, जिन्हें उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन न करने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है।

(3) राशन प्रणाली द्वारा गेहूं 10

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

किलो प्रति यूनिट तक, चावल 6 किलो प्रति राशनकार्ड, चीनी 425 ग्राम प्रति यूनिट एवं कैरोसीन तेल 5 से 10 लीटर तक प्रति राशनकार्ड वितरित किये जाने के विभाग के आदेश है, लेकिन केन्द्र सरकार से आवटन कम प्राप्त होने पर विभाग उपलब्धता एवं जिलों की मांग को मध्य-नजर रखते हुए राशन की वस्तुयें उपलब्ध कराता है जिससे निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन की वस्तुओं का वितरण होना स्वाभाविक है। यह सही नहीं है कि शहरी क्षेत्र में इनका वितरण अधिक मात्रा में किया जाता है।

(4) भारत सरकार द्वारा राशन प्रणाली से वितरित की जाने वाली वस्तुओं का कोटा बढ़ाने पर ही राज्यसरकार इन वस्तुओं का कोटा बढ़ाने का विचार कर सकती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

जिला रसद अधिकारी दौसा में पंजीबद्ध प्रकरण

1132. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मनोज एण्ड कम्पनी लालसोट कैरोसीन विक्रेता के विरूद्ध दिसम्बर, 1993 व जनवरी 1994 में कैरोसीन काला बाजारी के मामले जिला रसद कार्यालय दौसा में दर्ज हुए थे? यदि हां, तो अब तक इस फर्म का लाईसेंस रद्द निलम्बित कोर्ट कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस सबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि मनीष ट्रेडर्स बान्दीकुई कैरोसीन विक्रेता का कैरोसीन काला बाजारी का मामला जनवरी, 1994 में जिला रसद कार्यालय दौसा में दर्ज हुआ था? यदि हां, तो मामले में एफ. आई. आर. या कोर्ट में चालान की कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(3) क्या सूर्या सर्विस सेन्टर गाजीपुर जिला दौसा में पेट्रोल पम्प पर कैरोसिन मिलावट का मामला पकड़ा गया था, जिसमें इन्सपेक्टर द्वारा डीजल व पेट्रोल भी जब्त किया गया था? यदि हां, तो इस पम्प का अनुज्ञा पत्र निरस्त क्यों नहीं किया गया? क्या जब्त किये गये डीजल व पेट्रोल का कोई निपटारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त फर्म का लाइसेंस निलम्बित/रद्द करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मनोज एण्ड कं. लालसोट कैरोसिन विक्रेता के विरुद्ध दिसम्बर, 1993 व फरवरी, 94 में कैरीसीन वितरण में अनियमितता सम्बन्धी मामला दर्ज हुआ था। कारण बताओ

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

नोटिस जारी करने पर डीलर का कथन है कि उससे वितरण रजिस्टर में दर्ज उपभोक्तताओं को कैरोसीन वितरण किया है। इस कथन को सत्यापित करने हेतु जांच जारी है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बयान लेकर जानकारी प्राप्त की जा रही है, कि क्या उनको कैरोसिन का वितरण हुआ था। इस तरह से जांच अभी विचाराधीन होने के कारण डीलर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। यह सही है कि मैं. मनीष ट्रेडर्स कैरोसीन विक्रेता बांदीकुई के विरूद्ध माह जनवरी, 94 में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें व्यवसायी की जमा शुदा प्रतिभूति राशि 500/- रु. जब्त सरकार किये जाकर दण्डित किया गया है। प्रकरण में प्रतिभूति राशि जब्त होने के बाद एफ. आई. आर. दर्ज कराया जाना या कोर्ट में चालान पेश किया जाना उचित नहीं समझा गया।

(3) जी नहीं। सूर्या सर्विस सेन्टर गाजीपुर जिला दौसा के नाम से कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। गाजीपुर में मैं. सुमेर सर्विस सेन्टर के नाम से पेट्रोल पम्प है जिसके भौतिक सत्यापन पर 2953 ली. डीजल एवं 181 ली. पेट्रोल अधिक पाये जाने, डेनुसिटी रजिस्टर साधारण नहीं करने एवं रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने सम्बन्धित अनियमिततायें पाई जाने पर दिनांक 8.6.93 को डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना महुवा में एफ.आई.आर. सं. 74/93 दर्ज कराई गई और जब्तशुदा माल के कोन्फीसकेट करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 6.4.93 को जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना महुवा ने 16-8-93 एफ. आर. लगादी है जो न्यायालय के विचाराधीन है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6/ए के तहत प्रकरण जिला कलेक्टर के विचाराधीन है। एफ.आई.आर. दर्ज करा देने एवं माल के कोन्फीसकेट करने हेतु प्रार्थना पत्र लगा देने के उपरान्त डीलर का लाईसेन्स निरस्त करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय द्वारा एफ.आर. पर निर्णय हो जाने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जिला जोधपुर की उचित मूल्य की दुकानें

1133. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किन-किन वस्तुओं का वितरण किस-किस मात्रा में किया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में उचित मूल्य की कितनी दुकानें कहाँ-कहां पर अवस्थित हैं इनको खोलने के आधार एवं मापदण्ड क्या हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में कितने यूनिट

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है एवं पूरे राज्य के कितने युनिट है। जोधपुर जिले को राज्य से किस आधार पर हिस्सा मिलता है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रसद विभाग द्वारा जोधपुर जिले में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की दर अलग अलग है। यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं की तथा इसका आधार क्या है।

उत्तर

(1) राज्य में उचित मूल्य की दुकानें के माध्यम से जिन वस्तुओं का जितनी जितनी मात्रा में वितरण किया जाता है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जोधपुर जिले में उचित मूल्य की 897 दुकानें है। जहां-जहां पर वे अवस्थित है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। उचित मूल्य की दुकान खोलने के मापदण्ड सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सलंग्न है।

(3) जोधपुर जिले में 29, 67, 191 यूनिट है एवं पूरे राज्य में 5, 04, 91, 735 यूनिट है। जोधपुर जिले को, उचित मूल्य की दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं का आवंटन जिले की जनसंख्या, मांग व उपलब्धी के आधार पर किया जाता है।

(4) रसद विभाग जोधपुर जिले में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं में से गेहूँ एवं चावल की वितरण दरें अलग-अलग है क्योंकि भारत सरकार द्वारा नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पहचाने गये क्षेत्रों में अनुदानित दर पर खाद्यान्न वितरण की योजना चलाई जा रही है।

सामान्य सा. वि. प्र. एवं नवीकृत सा. वि. प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्न की खुदरा विक्रय दर निम्न प्रकार है—

विवरण	सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता वितरण दर	नवीकृत सार्व. वित. प्रणाली उपभोक्ता वितरण दर
गेहूं	445.00	385.00
चावल		
कामन	590.00	525.00
फाइन	670.00	610.00
सुपर फाईन	700.00	640.00

(सूची, विवरण एवं तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(69)

पुलिस अधीक्षक राजसमन्द द्वारा पुलिसकर्मी का निलम्बन

1134. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि श्री राकेश कुमार उर्फ मुकेश कुमार (पुत्र श्री अमरसिंह) कांस्टेबिल को वर्ष 1992 में भर्ती होने के पश्चात् जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने पुलिस थाना टपूकड़ा, जिला अलवर में दर्ज मुकदमे के आधार पर सेवा से बर्खास्त (सेवा मुक्त) कर दिया ? यदि हां, तो क्यों व किन-किन नियमों के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री राकेशकुमार को पुलिस थाना टपूकड़ा में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने बरी भी कर दिया, जिसकी प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को भी प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक पुनः राजकीय सेवा में क्यों नहीं लिया गया ?

(3) उक्त निर्दोष कांस्टेबिल को अब कब तक वापस सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, । श्री राकेशकुमार उर्फ मुकेशकुमार पुत्र अमर सिंह कानि. नं. 49 को चरित्र सत्यापन जांच रिपोर्ट सही पाये जाने की शर्त पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर दिनांक 29-2-92 को नियुक्त किया गया था । परन्तु पुलिस अधीक्षक, अलवर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त कानि. का आचरण गम्भीर अपराधिक प्रवृति का पाया जाने पर राज. पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 13 के अन्तर्गत दिनांक 13-4-92 को राज्य सेवा से पृथक (डिस्चार्ज) किया गया।

(2) यह सही है कि राकेशकुमार को न्यायालय द्वारा 30-11-93 को साक्ष्य के अभाव में रिहा/बरी कर दिया है व न्यायालय की निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक राजसमन्द को पेश की गई थी । न्यायालय को निर्णय व अन्य रेकार्ड परीक्षणाधीन है।

(3) परीक्षणोपरान्त, निर्णय लिया जायेगा ।

थाना अजीतगढ़ सीकर में दर्ज हत्या प्रकरण

1135 **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सूवालाल पुत्र नारायण मीणा आर./ओ. कुण्डलों की ढाणी, तहसील जुगलपुरा, तहत थाना अजीतगढ़ जिला सीकर की शराब के ठेकेदार द्वारा दिनांक 27-5-1993 को जीप नं. एच. आर. 20 बी-2096 के द्वारा हत्या कराई गई ?

(2) क्या यह सही है कि डी एस.पी. ने इस केस को सही माना है फिर भी इस केस में हत्या करने का चार्ज नहीं लगाया गया ?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(3) क्या यह सही है कि यह जीप नं. एच. ग्रार. 20 बी–2096 शराब के ठेकेदार की है ? यदि हां, तो उपरोक्त जीप किसके नाम रजिस्टर्ड है ग्रौर जब्त की गई जीप ग्रदालत द्वारा कब ग्रौर किसके सुपुर्द की गई ?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे को हत्या का न मानकर एक्सीडेन्ट का मानकर ग्रदालत में चालान पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस ग्रधिकारी की गफलत में ऐसा हुग्रा ?

(5) क्या यह भी सही है कि मृतक के भाई ने थाने में हत्यारों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। पुलिस उप ग्रधीक्षक नीम का थाना ने तफतीश से इस घटना को हत्या का न मानकर धारा 304/120 बी ता. हि. व 3 एस. सी./एस. टी. पी. ए. एक्ट का जुर्म तफतीश से प्रमाणित माना है। जिसका सत्यापन उप ग्रधीक्षक पुलिस रींगस द्वारा भी किया गया है।

(3) यह सही है कि जीप नं. एच. ग्रार. 20 बी-2096 शराब के ठेकेदार की है जो एम. एस. बदरू खां, विजयकुमार एण्ड पार्टी वाईन कन्ट्रेक्टर ग्राम पो. बुगाना जिला हिसार हरियाणा के नाम रजिस्टर्ड है। उक्त जीप दिनाक 1.6.93 को न्यायालय ए. सी. जे. एम. नीम का थाना के ग्रादेश की पालना में श्री ज्यान मोहम्मद पुत्र कयूम खां मुसलमान निवासी साण्डवा तहसील सुजानगढ़ के सुपुर्द की गई थी। ज्यान मोहम्मद ठेकेदार शराब का मैनेजर है।

(4) पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे को हत्या का न मानकर हत्या की कोटि में न ग्राने वाला ग्रपराधिक मानव वध (304 ता. हि.) माना जाकर मुल्जिमान गिरवर सिंह व ग्रोमप्रकाश के विरुद्ध चालान दिनाक 4.8.93 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इस प्रकरण में किसी ग्रधिकारी की गफलत नहीं पाई गई है।

(5) जी नहीं। श्री सुवालाल की लिखित रिपोर्ट में ग्रभियुक्तों के नाम दर्ज नहीं थे। ग्रन्वेषण के ग्राधार पर ग्रभियुक्तगण गिरवर सिंह व ग्रोमप्रकाश को नामजद कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान दिनांक 4.8.93 को पेश हो चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर ग्रध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है—

श्री किशन मोटवानी एवं तीन ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रजमेर एवं राजसमन्द जिलों में पेयजल की गम्भीर

(श्री अध्यक्ष)

समस्या से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : कल तक इसकी जानकारी मंगवा लें, बड़ी पीड़ा है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : 24 घंटे में मंगाते हैं जवाब। 24 आवर्स देते हैं। अब आज शाम तक जाएगा, यहां कल शाम तक आने की सम्भावना है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के विद्युत उप केन्द्र, करवर द्वारा बिजली की आपूर्ति सुचारू रुप से नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि बूंदी जिले के करवर उप केन्द्र पर पहले 1.0 एम.वी.ए. क्षमता का पावर ट्रान्सफार्मर था, जिसे दिसम्बर, 1993 में बदल कर 3.15 एम. वी. ए. क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया है, इससे विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। विद्युत व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने हेतु एवं नैनवा करवर क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को अधिक नियमित करने हेतु दबलाना से नैनवा 33 के.वी. क्षमता की लाइन स्वीकृत हो चुकी है और उसका कार्य प्रारम्भ इसी माह में किया जा रहा है। यह लाइन पूर्ण होने से नैनवा क्षेत्र बूंदी 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से जुड़ जाएगा।

अतः वर्तमान में कार्यरत लाखेरी से नैनवा 33 के.वी. लाइन पर नैनवा क्षेत्र का भार कम हो जाएगा और करवर क्षेत्र से जुड़े ग्राम पीपरवाला खजूरी, खजूरा, बासी केथवा, आसरदा, संग्राम गंज, कैदारिया की झोपड़ियों, बडे खण्डक, अरनेठा आदि ग्रामों में विद्युत सप्लाई अधिक नियमित व सही वोल्टेज की मिलेगी।

(2) श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दिवाड़ा, तहसील बोंली, जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 10-3-94 को दिन के 3 बजे सरसों के खलिहानों में हुए भीषण अग्निकाड के पीड़ितों को राहत प्रदान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि सहायता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 200/— व अधिकतम 1000/- प्रति परिवार भोजन एवं अस्थाई मरण हेतु दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसरण में उप खंड अधिकारी के द्वारा दिनांक 25.3.94 को प्रति परिवार एक एक हजार रू. की राशि

(श्री अध्यक्ष)

की सहायता प्रदान कर दी गयी थी तथा इसका भुगतान संबंधित पीडित परिवारों को दिनांक 26.3.94 को कर दिया गया है।

अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को यदि वे चाहेंगे तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिये विकास कार्यों, जे. आर. वाई व अकाल राहत पर लगाये जाने के लिये जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(3) श्री राजेन्द्र चौधरी एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के बिलाड़ा, शेरगढ़, फलौदी, ओसियां गोपालगढ़ तहसीलों में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों पर निर्धारित संख्या से आधे से भी कम श्रमिकों के कार्यरत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि वर्तमान में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यो पर उपरोक्त विवरण के अनुसार 16,639 श्रमिक कार्यरत हैं और इसलिये अकाल राहत कार्यों के लिये मार्च माह के लिये निर्धारित श्रमिक सीमा 15,000 के मुकाबले में 13034 श्रमिक ही कार्यरत रहे। श्रमिकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर ही नियोजित किया जा सका है। होली के त्यौहार के पश्चात् अधिक श्रमिक लगने की सम्भावना है।

जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिले में अब तक कुल 251 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिन पर लगभग 470 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। जिला प्रशासन जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति की आगामी बैठक में और प्रस्तावों पर विचार कर काफी बड़ी संख्या में और कार्य स्वीकृत करने का विचार रखता है। वर्तमान में जिले से ऐसा कोई समाचार नहीं है कि किसी व्यक्ति ने रोजगार प्राप्त करने की अभिलाषा रखी हो और उसे रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ हो।

(4) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा की ओर से थाना रींगस में एक ट्रक ड्राइवर श्री जगदीश सिंह के हत्या प्रकरण को पुलिस द्वारा जानबूझकर दबाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 25-7-93 को एक तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 156/93 दर्ज कर दौराने अनुसंधान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, बयानात गवाहान लिये गये, मौके पर खून, आलूदा-मिट्टी व सादा मिट्टी जब्त की गयी, घटना स्थल का फोटो करवाया गया। मृतक की जेब में ट्रक नं. आर. जे. वी. 5178 की तेल की पर्ची मिलने पर उक्त ट्रक को तलाश किया गया तो मृतक जगदीश उक्त ट्रक का ड्राइवर होना पाया गया, जिसके द्वितीय ड्राइवर, माधूराम से तफतीश की गयी। श्री अन्तर सिंह, मृतक के भाई द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीकर को दिनांक 15.9.93 को प्रस्तुत परिवाद पर प्रकरण की तफतीश वृत्त अधिकारी, रींगस द्वारा दिनांक

(श्री अध्यक्ष)

23-9-1993 से की गयी, इसके बाद महानिदेशक पुलिस को परिवादी अन्तरसिंह द्वारा दिनांक 22-9-93 को प्रस्तुत परिवाद पर उक्त अभियोग का अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा दिनांक 27-9-93 से किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक, सीकर ने घटना स्थल का पुनः निरीक्षण किया। गवाहान सांवरमल, खलासी कण्डक्टर, भातूराम, समुन्द्रसिंह, श्रवणसिंह व घटना स्थल के पड़ौसियों से पूछताछ की तथा अपने अनुसंधान से उक्त मामला 302 का न मानकर धारा 279, 304(1) का माना। अनुसंधान के बाद अभियोग में एफ. आर. अदम पता मुल्जिम व वाहन में एफ. आई. आर. नम्बर 81/93 से दिनांक 31-12-93 को दी गयी दिनांक जो 6-1-94 को वास्ते मंजूरी न्यायालय एम. जे. एम., रींगस में पेश की जा चुकी है।

(5) श्री शिवनाथ सिंह व तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले में भयंकर अकाल की स्थिति होने से तथा अकाल राहत कार्य पर्याप्त नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि झुन्झुनूं जिले के 833 गांवों में से 256 गांवों में 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत एवं 386 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत फसल खराब आंका गया था। कुल 642 गांवों को अभावग्रस्त दिनांक 31-1-94 की अधिसूचना द्वारा किया गया है।

1 फरवरी, 94 से राहत कार्य प्रारम्भ करने के जिला कलेक्टर को निर्देश भिजवा दिये गये थे।

जिला झुन्झुनूं के लिये माह मार्च के लिये 7000 श्रमिक सीमा निर्धारित की गयी थी। झुन्झुनूं जिले में 74 कार्य स्वीकार किये गये हैं। इन पर 744 श्रमिक कार्यरत हैं। फसल कटाई के कार्यों में लगे होने के कारण मजदूर राहत कार्यों पर अभी नहीं आ रहे हैं। फिर भी माह अप्रेल के लिये श्रमिक सीमा में बढ़ोतरी की जाकर 12,000 कर दी गई है। सभी जिला कलेक्टरों को 9-2-94 को निर्देश भेज दिये गये थे कि राहत कार्यों के लिये परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्राकृतिक आपदा कोष से राज्य सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 10 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। और इसके अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये की राशि और स्वीकृत की जा रही है। इस 28 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि में से झुन्झुनूं जिले में जून, 1994 तक एक करोड़ दस लाख सत्तर हजार रुपये का उपयोग किया जाएगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जिला बारां के

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम गोरधनपुरा के तालाब कालीमोस की दीवारों की मरम्मत नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रघुवीर सिंह सराड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के दक्षिणांचल आदिवासी जिलों में लबाना जाति के लोगों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में पेयजल की भंयकर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय चिकित्सालय बालोतरा एवं समदड़ी में कुत्ते काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन का अभाव होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम धोद, सदस्य, विधान सभा की ओर से धोद विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र लोसल में विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतभाटा के पंचायत मुख्यालय जालखेड़ा एवं धावदकलां को सम्पर्क सड़कों से जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निदेशालय संस्कृत शिक्षा मे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केसरीसिंहपुर को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर को टोडाभीम क्षेत्र में गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास शून्यकाल के लिये काफी स्लिप्स आयी हैं। मैं निवेदन करूंगा एक तो आप ज्यादा समय नहीं लें, क्योंकि आज अभी एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस होनी बाकी है। कुछ लोग और बोलना चाहते हैं, वैसे तो केवल आज प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य मन्त्री जी का ही था, लेकिन कुछ लोग रह गये हैं इसलिये आप बहुत कम समय लें। और दूसरा, इस शून्य काल में कृपया किसी पर आरोप नहीं लगाएं और यदि किसी के भी आरोप लगाये गये तो दर्ज नहीं किये जाएगे। इसलिये इस बात का आप ध्यान रखें। श्री किशन मोटवानी।

श्री रामनारायण चौधरी : झुन्झुनूं के अकाल का जो रिजेक्ट किया है उसमें हमें कुछ कहने का मौका मिलेगा, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष : पहले इनका कर ले, बाद में आप कह लें ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी वेदना के साथ बडे कष्ट के साथ इस सदन को और राज्य सरकार को सूचित करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वर्गीय अर्जुन लाल सेठी के प्रति हम ऋणी हैं, हमारा प्रदेश ऋणी है, हमारा देश ऋणी है, किन्तु आज उनकी सेवाओं को एक नगर पार्षद के बराबर कर दिया जाए, यह विडम्बना की स्थिति है । अजमेर में मदार गेट से लेकर के दरगाह शरीफ तक जो रोड है, उसका नाम अर्जुन लाल सेठी रोड नाम है, किन्तु आज नगर परिषद अजमेर ने एक विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा कर दी हैं कि स्वर्गीय मदन गोपाल गुप्ता, एक हमारे भूतपूर्व पार्षद रहे हैं, जिनका अभी दो-तीन माह पूर्व स्वर्गवास हो गया, उस रोड का नाम बदलकर मदन गोपाल गुप्ता रोड रखा जाने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है । अब आप इस चीज का अन्दाजा लगायें, मदन गोपाल गुप्ता अच्छे पार्षद हो सकते हैं, अच्छे समाज सेवी हो सकते हैं किन्तु उनका कद अर्जुनलाल सेठी के बराबर कतई नहीं हो सकता । इसलिये मैं इस स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपापूर्वक जो प्रस्ताव आया है नहीं आया है तो मंगवा लें, आया है तो उसको निरस्त करें और आज ही इस पर कार्यवाही करें । मैं समझता हूं अब सरकार सक्षम है इस बात को कहने के लिये कि अर्जुनलाल सेठी और मदनलाल गोपाल गुप्ता की तुलना नहीं की जा सकती । इसलिये मैं इस विडम्बनापूर्ण स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा ।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां सभी आदिवासी लोग रहते हैं और उनके पास खेती करने के लिये जमीन भी बहुत कम मात्रा में रहती है, दो-तीन बीघा जमीन हर परिवार के पास रहती है । वहां फसलें सारी सूख गयी हैं । सभी मजदूर आसपास के जिलों में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्यप्रदेश जाते हैं और गये साल चित्तौड़ में भी मजदूरी के लिये आदिवासी अपने बाल बच्चों को लेकर भटक रहे थे । उनके साथ एक वारदात हुई कि वहां की पुलिस के द्वारा अत्याचार हुआ और उनके हाथों वे मारे गये । ऐसी स्थिति में, माननीय अकाल राहत मन्त्री, महोदय, वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में पांच हजार मजदूरों की जो सीलिंग है उसको बढ़ाकर कम से कम 25 हजार किया जाए क्योंकि वहां पांच तहसील और आठ पंचायत समिति हैं । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि एक पंचायत हैड क्वार्टर पर कम से कम एक अकाल राहत

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

का कार्य खोला जाए ताकि उस पंचायत क्षेत्र के लोग तो कम से कम पूरे काम पर लग सकें।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन है कि पूर्व में विधान सभा क्षेत्र घाटोल में एप्रोच रोड चालू किये गये थे वे सारे बंद कर दिये गये हैं, इस अकाल की स्थिति में वे एप्रोच रोड फिर से चालू कर दिये जाएं ताकि वहां को जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव सुधार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अति आवश्यक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट जिसमें काफी चुनाव सुधार सुझाये गये हैं, वह केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है। माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस विषय में काफी सराहनीय कदम उठाये हैं और जन चेतना इस मामले में आयी है।

अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हैदराबाद में इस बात पर अपनी पीठ थपथपाई....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। लिखिये मत, नोट मत कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष: मैं यह अलाउ नहीं करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कीजिये विवाद न हो इसीलिये रोक रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : यह शून्यकाल का नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, मैं बड़े संयम से मेरी बात आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में कहा कि देश में राजस्थान और दिल्ली ऐसे प्रान्त है जहां परिचय पत्र दिये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जगह जगह टेण्डर जारी किये हैं। जिला स्तर पर यह कार्यवाही हुई, राज्य स्तर पर यह कार्यवाही हुई। टेण्डर मंगा लिये गये, पैसा खर्च हो गया, गरीब जनता टूट गयी और अचानक इसके पहले मुख्य मन्त्री जी ने भी अपनी पीठ थपथपा ली। इस प्रकार की एक भावना व्यक्त की गयी कि पूरे देश में सिर्फ राजस्थान और दिल्ली में हो रहा है। चार-पांच दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जगह एक आदेश पारित किया कि हम उसको विथड्रा करते हैं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह थोथी घोषणाएं कब तक करते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये। श्री बारीवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बार बार यह प्रश्न आता है हमको भी कहना पड़ेगा।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार के लाखों रुपये आपने खर्च कर दिये और अचानक विथड्रा कर लिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की हैं, कांग्रेस पार्टी गोस्वामी कमेटी को लागू नही कर रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव सुधार से भाग रही है उसका क्या होगा ?

श्री जगदीप धनखड़ : पूरे देश के अन्दर मुख्य मन्त्री जी ने डबडबा बजा दिया कि परिचय पत्र जारी कर रहे हैं और बिलकुल नहीं कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती नहीं की और न कोई कर रही है । कांग्रेस पार्टी ने तो वह काम किया है जो आपकी पार्टी कभी कर नहीं सकेगी । जो आजादी हमें कांग्रेस पार्टी ने दिलाई ... (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव सुधार का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी हैं, गोस्वामी समिति की रिपोर्ट न मानने वाली कांग्रेस पार्टी है । चुनाव सुधार न करने का सारा दोष कांग्रेस पार्टी पर है । ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री शांति कुमार धारीवाल ।

श्री जगदीप धनखड़ : थोथी घोषणाएं क्यों की हैदराबाद मे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम तो लागू कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भाग रही है ।

श्री जगदीप धनखड़ : यहां लागू कर रहे हैं, मुख्य सचिव ने आदेश पारित कर दिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हुए थकते नहीं हैं कि राजस्थान अग्रणी है, पर कार्य नहीं करते ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत सरकार पैसे देने से घबरा रही है 70% पैसे भारत सरकार को देने चाहिये थे भारत सरकार नहीं दे रही है । हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं । सारा का सारा दोष कांग्रेस पार्टी पर है । ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज इस शून्यकाल का दुरुपयोग मत कीजिये । श्री धारीवालजी।

एक माननीय सदस्य : इनको मन्त्री बना दो, अध्यक्ष महोदय, फिर चुप हो जाएंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो आपकी + + + यहां बैठा-बैठा ही ।

श्री जगदीप धनखड़ : हमारी क्या + + + आप कल जो आपका भाषण था न वह हमारी छाती पर नहीं इनकी छाती पर था । आप इनको भ्रष्ट बता रहे थे, इनको इनएफीशिएन्ट बता रहे थे, आप इनको नयी चेतना दे रहे थे हमको नहीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह समझने की भूल है । जरा समझ कर पढ़ो, आप पर ही आयेगा सारा का सारा ।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्री जी आपके पूरे भाषण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद देखिये क्या कार्यवाही होती है ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी

श्री घनश्याम तिवाडी : मुख्य मन्त्रीजी तो अध्ययन कर चुके, आप अध्ययन करो, समझने की आपको ज्यादा जरूरत है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : जब तक मुख्य मन्त्री जी आपके बारे में फैसला नहीं करें कृपया आप सावधानी से बोला करें यहां पर।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान कोटा खुला विश्वविद्यालय में जो अनियमिततताएं दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बी.एस.सी. पास कोर्स का पाठ्यक्रम एकेडेमिक कौन्सिल ने मंजूर नहीं किया लेकिन पुस्तकें छपा दी गयीं। इसी तरीके से बी.एड. के एक्जामिनेशन में 70 परसेंट मार्क्स दिये जाते हैं रिटिन के और 30 परसेंट मार्क्स दिये जाते हैं इन्टरनल असेसमेंट के, इन्टरनल असेसमेंट के 30 परसेंट मार्क्स तो दिये नहीं और सीधे परिणाम घोषित कर दिये।

1988 में खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तब से लेकर आज 1994 तक एक भी डिग्री किसी भी स्टूडेंट को उस विश्वविद्यालय के द्वारा वितरित नहीं की गयी। ऐसी पचासों अनियमिततताएं हैं। चूंकि आप कोटा से पधारते हैं, और आप इसके मिनिस्टर हैं और आपकी नाक के नीचे इस तरह की अनियमितताएं हों और आप उस पर ध्यान नहीं दें तो मेहरबानी करके इस बात को सुधारें। यह खुला विश्वविद्यालय करोड़ों रुपये की ग्रांट से चलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुणसिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र डीग में दूषित पानी से कम से कम 150 भैंसे मर गयी हैं। पोखर या गांव के तालाब खाली हो गये हैं और दूषित पानी से कम से कम 150 भैंसे परमदरा और टाकोली में मरी पायी गयीं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव से बात करें और डीग एस्केप से पानी छुड़वाएं। अभी तो भैंसे मर रही हैं फिर इंसान भी मरने लगेंगे। हमारे जल महल खाली हैं, पोखर खाली हैं, आपसे अनुरोध है, मुख्य मन्त्रीजी, इसमें शीघ्र ही कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1970 से 85 तक अनुसूचित जाति के लोग और पिछड़ी जाति के लोग जो कुम्हार जाति के थे वे सवाईमाधोपुर में ईंट भट्टे लगाते थे। उन ईंट भट्टों को यह कह कर के बंद कर दिया गया कि ये बाघ परियोजना के निकट हैं जबकि वे 15 किलोमीटर दूर थे। यह भी उन पर आरोप लगाया कि ये बस्तियों से एक किलो-

(श्री हरिनारायण बैरवा)

मीटर की परिधि में आते हैं और लाखों ईंट जब्त कर ली सरकार ने। आज वे बेघर हो गये हैं लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर सवर्ण जाति के लोग भटटे लगा रहे हैं जो कि बाघ परियोजना परिधि के अन्दर हैं और अनुसूचित जाति की बस्तियों से सिर्फ 50 या 100 मीटर की दूरी पर हैं। यह ऐसा कानूनी भेद क्यों है ? कृपया ध्यान दें और जिला कलक्टर को यह आदेश दें कि यह अवैध भट्टे जो चल रहे हैं उनको तुरन्त बन्द करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लुणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम चरण में इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण और बांधों में पानी की कमी होने के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिला लेकिन जितना पानी था उस पानी की भी अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक तौर पर वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पायी। इससे मेरे क्षेत्र खाजूवाला में जो टेल पर नहरें हैं खाजूवाला के जी.डी., के.वाई.डी, बी.डी. कैनाल्स, इन कैनाल्स के काश्तकारों की फसलें तबाह हो गयी हैं। फरवरी माह में गिरदावरी हुई उस वक्त तो यह फसलें खड़ी थीं लेकिन उसके बाद में फसलें बरबाद हो गयीं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी से कि उन फसलों का इस वक्त आंकलन करवाएं कि कितना खराब हुआ। प्रत्येक चक के किसान प्रतिनिधि, पटवारी और ए.ई.ओ., संबन्धित से आंकलन करवा कर जो खराब हुआ है उस खराबे का हर्जाना या माफ करना था और उनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करें।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ फसलें वहां हुई हैं उन फसलों का किसानों को पूरा लाभ मिले, उनकी पूरी कीमत मिले इसके लिए सरकारी खरीद के केन्द्र वहाँ स्थापित किये जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी फसल में बिजाई का ठीक ढंग से व्यवस्था हो। हमारे उस इलाके में नरमा और कपास बहुत बड़ी तादाद में, पंजाब से भी अच्छी मात्रा का, गुणवत्ता का पैदा होता है, इसके लिए सरकार अभी से व्यवस्था करवाएं तो ठीक रहेगा। नहर मंत्रीजी बैठे हैं। थोड़ा जवाब दिलाने की कोशिश करें।

श्री देवीसिंह भाटी (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : माननीय सदस्य को भी जानकारी है कि अभी बांधों में पानी के भराव की जो क्षमता है उससे बहुत कम पानी है। इस साल बरसात बहुत कम हुई है। पिछले समय किसानों की जबरदस्त इस बारे में मांग रही कि एक बार हमारी बिजाई करवा दें, बिजाई करवा करवा दी तो अब कहते हैं कि कणकें कौरी

(श्री देवीसिंह भाटी)

खड़ी है तो पानी और दो। हमने वहां बिजाई करवा दी।

इस समय मैं आपके माध्यम से निवेदन काश्तकारों को करना चाहता हूं कि कम पानी की फसल बीजें जिससे कि कम से कम बरसात का मौसम आ जाएगा तब तक हमारी आगे वाली फसल बीजी जा सकेगी। कपास में कम लगेगा, नरमे में पानी ज्यादा लगेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्री रामनारायण चौधरी : खाद्य मंत्री महोदय से आप बीज केन्द्रों के बारे में जवाब दिलवाएं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्रों में बजाज नगर और ब्रह्मपुरी थानान्तर्गत दो घटनाएं दहेज के सिलसिले में हत्या या आत्म हत्या बाबत उल्लेखित हैं। इससे पहले भी समय-समय पर इस तरह की घटनाओं का उल्लेख होता रहा है और ऐसी घटनाएं घटती रहीं जिनका उल्लेख नहीं भी होता है। मैं उस पूरे डिटेल में न जाकर कि कहां क्या हुआ, सभी ने उसको पढ़ा है, निवेदन करना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से, मैंने पूर्व में भी लिख कर दिया था कि इस तरह की घटनाओं के घटने में जो अपराधी हैं, जो टार्चर करते हैं जिससे आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं, जो मिल कर हत्या करते हैं वे कैसे छूट जाते हैं, किन कानूनी कमी-खामियों के कारण छूट जाते हैं, उस कानून का कैसे संशोधन या एडीशन, अल्ट्रेशन हो सकता है, एक तो इसको तत्काल दिखलाएं।

दूसरा एक निवेदन किया था कि आप इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं। पुलिस का जो तत्काल इसी काम के लिए कार्य करे। और स्पेशल कोर्ट्स भी जो हाथों हाथ उनके निपटारे के लिए कार्यवाही करें। इस तरह की व्यवस्थाएं इसके बारे में कुछ कराएं। वरना इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जिनके जरिये ये घटनाएं की जाती हैं वे किसी न किसी कानूनी कमी के कारण से बच निकलते हैं और निरपराध बच्चियां और निरपराध महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर होकर या हत्या की जाकर खतम होती जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली मन्त्री का सांचोर तहसील के अन्दर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1990 के अन्दर टूटी हुई 11 के.वी. की लाइन अभी ठीक नहीं हुई पिछले चार साल से। यह आज मेरा प्रश्न था और प्रश्न में भी यही जवाब आया है कि तकनीकी कारणों की वजह से यह लाइन ठीक नहीं हो सकी।

माननीय अध्यक्ष जी, 1990 की बाढ़

(श्री हीरालाल विश्नोई)

में कम से कम 21 गांव क्षतिग्रस्त हुए थे और 21 गांवों में अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। हर साल कृषकों को जो दो कनेक्शन दिये जाते हैं वे पिछले पांच साल से वंचित रह गये। कनेक्शनों की हजारों अप्लीकेशन्स पड़ी हैं और वे लोग वंचित रह गये तो क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या सरकारी कर्मचारी इसमें काम करना नहीं चाहते हैं? कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं तो 1990 से 92 तक सांचौर में भारतीय जनता पार्टी का एम.एल.ए. था, उनके होते हुए एक पैसे भर का वहां काम नहीं हुआ। सरकार किसानों के हित की बात करती है। लेकिन बाढ़ में जो एनीकट क्षतिग्रस्त हुए थे वे भी अभी तक ठीक नहीं हुए। बिजली-पानी की जो भी समस्या है उस समस्या की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया पिछले चार सालों से। सरकार, हमेशा कहती रहती है हम किसानों के हित की बात करते हैं, तो क्या यह किसानों की हित की बात हुई? मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरे को जवाब दिलाएं कि पिछले तीन साल से क्या बिजली का वहां काम हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री): माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है सचमुच सही है, पिछले चार साल में यह काम नहीं हुआ। यह अच्छा नहीं हुआ। आपका प्रश्न जब आया था तब मैंने बोर्ड के अधिकारियों को इन्सट्रक्शन्स दिये हैं कि यथाशीघ्र वह काम पूरा होना चाहिए और ये बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही एक जुबेर खानजी का आया था वे भी सन्तुष्ट हैं। काम शुरु हो गया है और मैंने यह कह दिया है कि काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो जाए।

श्री हीरालाल विश्नोई: तो प्रायोरिटी के अन्दर जो दो कनेक्शन किसानों को मिलते हैं वे लगातार पांच साल से इस गांव में मिलेंगे क्या? जो वंचित रह गये वे भी मिलेंगे। क्या प्रायोरिटी के ऊपर?

श्री अध्यक्ष: अब आप बाद में पूछ लेना। श्री भवरसिंह।

श्री भवरसिंह चौधरी (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आम बात जो इस पूरे सत्र में चली बिजली, पानी और अकाल, इसमें से एक बिजली के संबंध में निवेदन करता हूं। हमारा कर्त्तव्य है कि ऊर्जा को उपयोग लेने में ऐसी सतर्कता बरती जाए कि उसका दुरुपयोग न हो। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा गलियों, मोहल्लों और आम सड़कों पर जो बिजलियां दी जाती हैं इसमें हेलोजन लैम्प लगते हैं, बड़े-बड़े पावर के बल्ब लगते हैं और दिन भर जलते रहते हैं। इससे ऊर्जा का दुरुपयोग होता है और वह काम भी नहीं आती। आज तक किसी भी अधिकारी के द्वारा जिसकी जिम्मेदारी है, उस बिजली को बन्द करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त चांदनी रातों में यहां बिजली न जला कर

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

यह बिजली गांवों में कुओं पर दी जाए, उद्योग में दी जाए तो उचित रहेगा, यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस का इतना जुल्म बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब से कैलाशजी मेघवाल मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जनता के किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा शिकार तो मैं खुद ही हुआ हूँ। मान्यवर, मेरी जीप आज से करीब सात रोज पहले शाम को बाहर खड़ी थी तो पुलिस वालों ने कहा कि जरा हमको वहां उतार दो। ड्राइवर आर. ए. सी. के तीन जवानों को उतारने गया तो वापस आते हुए उसकी थोड़ी-सी टक्कर हो गयी जिस पर रामगंज थाने के थानेदार ने बुरी तरह से मेरे ड्राइवर को पीटा-मारा और जीप को लेकर के थाने में बन्द कर दिया। जब रात को मैं यहां से गया तो जीप यहां मिली नहीं, मैंने इधर-उधर पता लगाया और मैं यहां से विश्नोईजी की गाड़ी में अपने घर पहुंचा। वहां से मैंने कोशिश की, रातभर जागता रहा। आधी रात को मुझे मालुम हुआ कि रामगंज थाने में मेरी जीप बन्द पड़ी है। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा जुल्म हो गया कि जिसकी वजह से यह बंद पड़ी है? थानेदार साहब ने कहा कि बहुत शराब पिये हुए था इसलिये मैंने उसको पकड़ लिया?

हकीकत में, मैंने कहा, शराब पिये हुए था तो कहीं टक्कर हो जाती, उसका एक्सीडेण्ट होना चाहिये था, इतने शराब पिये हुए को फिर आपने कैसे पकड़ा? उन्होंने कहा, वह आप सुबह बात करना, अभी मैं बात नहीं करता। सवेरे मैंने कैलाशजी से यह टेलीफोन पर कहा और इन्होंने उसको कहा, जीप घर पर आ गयी। वह गरीब न कोई शराब पिये हुए था न कोई बात थी। दो-चार थप्पड मारे, घूंसा मारा जिससे उसकी आंख लाल अलग हो गयी। उसके बाद मैंने सोचा, भैरोंसिहजी चीफ मिनिस्टर हैं, छोटी बात को कहने से क्या मतलब, मैंने उस बात को वहीं खतम किया। आज फिर अभी वह घर जा रहा था और पकड़ करके रेलवे थाने के थानेदार ने जीप बंद कर दी। मैंने उनसे कहा कि भाई, गड़बड़ क्या है?....(व्यवधान).... तो उन्होंने कहा कि, साहब, हमको यह शक हुआ कि यह लाइसेंस ही गलत है। मैंने कहा, लाइसेंस कैसे गलत हो सकता है, बाकायदा मेरा नाम भी उसमें लिखा हुआ है। आपने कहा कि, साहब, उसमें आगे एम. एल.ए. तो लिखा हुआ नहीं था। मैंने कहा, भाई, एम.एल.ए तो बाद में बना हूँ जीप पहले खरीदी है, अब इसको आपने ख्वाहमख्वाह ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि, साहब, रोंग-पार्किंग था इसलिए हमने तो पकड़ा है। मैंने कहा, छोड़ो रोंग-पार्किंग, कौनसा रोंग-पार्किंग था, क्यों +++ को तंग कर रहे हो, तो फिर अभी उन्होंने उसको वापस छोड़ा है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इस प्रकार से छोटी-छोटी बातों के लिये आपके सब-इन्स्पेक्टर अगर मेरे जैसे सीनियर एम.एल.ए. की जीपों को भी इस तरह से पकड़ करके उसके ड्राइवर को तंग करते हैं तो आपका अन्याय तो असेम्बली सत्र के बाद में बेहद बढ़ जाएगा और इस प्रकार की घटनाएँ अनाप-शनाप शुरु हो जाएँगी। आप जरा हिदायत दीजिये उनको कि कम से कम इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिये।....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : हमारा क्या होगा जब इतने बड़ों के साथ ऐसा हो गया ? ....(व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस किस हद तक निडर हो गयी है, खेतसिंह जी जिनका पुलिस से विशेष सम्बन्ध रहा है, इनके बड़े भाई साहब वर्षों तक आई. जी. रहे, सब इनको जानते हैं उसके बाद में एक मामूली बात के लिये—शराब पीया हुआ था तो उसकी जांच करवा देते, मुकदमा कर देते उस पर, मारपीट करना उचित नहीं। कुछ दिन पहले जब डिबेट में हिस्सा लिया तो मैंने कहा था कि पुलिस से, इस सभा से 40 साल से मेरा सम्बन्ध है और हमेशा मैं पुलिस का समर्थक रहा हूँ लेकिन मैंने कहा था कि इस बुढ़ापे के अन्दर मेरी मान्यताएँ बदल रहीं हैं क्योंकि वास्तव में इनका अन्याय बहुत बढ़ रहा है। एक तरफ तो जनतंत्रवाद दिया अपने देश को जिसमें नागरिक को इतना ऊँचा स्थान दिया और उस ऊँचे स्थान के नागरिक के साथ इस तरह से यह बरताव करें और वह भी वरिष्ठ लोगों के साथ भी ऐसा बरताव करें।

खैर, कानून के सामने सब बराबर है लेकिन भारत की स्थिति कुछ और है। इंग्लैण्ड में सब बराबर है तो बराबर हैं लेकिन यहां अगर किसी को सबक सिखाना होता है तो बड़ों को पकड़ करके फिर छोटों पर अन्याय करते हैं। यह नहीं है कि वे कानून में सब बराबर मान करके इनको कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक में डर बैठाने के लिये कि हम उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं तो आप तो चीज ही क्या हो। इसलिये मेरे ख्याल से........

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्रीजी, घोषणा करें सदन में कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप ?

पूनमचन्द विश्नोई : हां, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यों तो... (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खेतसिंहजी के साथ जो ज्यादती की गयी है और लगातार की जा रही है....

श्री कैलाश मेघवाल : चौधरी साहब, म्हारो स्पष्टीकरण दे दूं मैं ? म्हारो स्पष्टीकरण सुन लेओ....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप : आप तो घोषणा करो जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो, माननीय

(श्री रामस्वरूप)

सदस्य के साथ ऐसा किया है ।... (व्यवधान) !

श्री रामनारायण चौधरी : They should be taken to task.

श्री रामस्वरूप : क्या स्पष्टीकरण करना ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंहजी ने मुझको सवेरे टेलीफोन किया था। वे मेरे से चर्चा कर लेते, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि भाई, मुझे दुःख हुआ कि मेरा ड्राइवर कहीं आपके थाने में रामगंज में बंद है सो उसके दो-तीन डांट तो लगाना ही. ठीक, भी देना जो आयन्दा मेरे तकलीफ नहीं पड़े और जीप एक सिपाही के साथ मेरे घर पहुंचा देना और मुकदमा किसी तरह का कोई नहीं हो, यह भी ध्यान रख लेना। इस आदेश का अक्षरशः पालन किया लेकिन आपके ड्राइवर को पीटने भी नहीं दिया। आपने तो कहा भी था मुझे कि उसके दो-तीन तो लगवा ही देना, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा और मेरे सिपाही के साथ आपका ड्राइवर भिजवा दूंगा और गाड़ी भी भिजवा दूंगा। आप गुस्से में थे और आपने कहा था मुझे। आप इस चर्चा को बढ़ाओ मत....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे यह कहा था कि उसने शराब पी हुई हो, इस तरह से वह पकड़ा गया हो तो उसको जरूर मारो, यह मैंने कहा था।

श्री कैलाश मेघवाल : मारने के लिए तो मैंने मना किया। मैंने कहा, नहीं, मारना नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और हकीकत यह थी कि वह कोई शराब पीया हुआ नहीं था, ख्वाहमख्वाह पकड़ कर ले गये उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन से कानून में कहा कि शराब पीया होगा तो मारो ?....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो मैंने कहा अगर उसने गड़बड़ की है, शराब पीया हुआ है तो। एक इन्सानियत के नाते कही थी।

श्री कैलाश मेघवाल : यह चर्चा किस कारण से उठायी, वह तो वे जानें। (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पीता है, उसको पीना छुड़ा दो।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। हो गया, हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल : और दूसरी घटना के बारे में अगर कोई ज्यादती हुई है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री कैलाश मेघवाल : कि अगर पुलिस के द्वारा ज्यादती होती है तो मैं उसको निश्चित चैक करूंगा और माननीय विधायकों के सम्मान के अनुरूप ही विधायकों के साथ पुलिस का व्यवहार रहेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, शेखावतों के राज में राठौड़ पिटते ही रहते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी अलवर जिले के गोविन्दगढ़ कस्बे में गये थे और सोने का ताज भी पहन कर आये थे, मेवों के सम्मेलन में भाषण देकर आये थे, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट वहां घोषणा करके आये थे कि 15 दिन में मेवात क्षेत्र के हर गांव में स्कूल, और यह भी घोषणा की जनता की मांग पर कि यहां राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने अनेकों बार इस सदन में यह बात उठायी है। माननीय मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं तब तो कह देते हैं कि करेंगे और जब घोषणाएं होती हैं सदन में तो राजसमंद हो जाता है, अजमेर हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो आपके मापदण्ड हैं—उपयुक्त भवन होना चाहिये, 30 किलोमीटर की परिधि में कोई दूसरा राजकीय महाविद्यालय नहीं होना चाहिये, 20 किलोमीटर की परिधि में चार सीनियर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिये और क्षेत्र का भौगोलिक आधार उपयुक्त होना चाहिये, सारी स्थिति है। भवन है, 36 बीघा जमीन है, 50 लड़कों का हॉस्टल भी है। रिपोर्ट की जांच हो चुकी है और फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके घोषणा के बाद अगर वहां महाविद्यालय नहीं खोला जाता है तो उससे बड़ी दुःख की बात हमारे लिये हो नहीं सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई रास्ता बतादें, कि यहां के अलावा हम कहां यह मांग उठाए। कॉलेज वहां नहीं है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शिक्षा नहीं होने की वजह से ही वहां तरह-तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं। यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आपने क्लीयर कहा कि राजनीति इसमें बीच में नहीं आएगी। मेरा आपसे जनता की ओर से करबद्ध निवेदन है कि आप इसकी घोषणा करिये, इसको करवाइये ताकि आपके शब्द लोग मानें। आपको अच्छी तरह याद है, चार-पांच गांवों में आप गये

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

थे, आपको कमिटमेण्ट लोगों ने दिया था कि हम तो आपको जबान दे रहे हैं और आपकी जबान से नहीं हटेंगे। आज तक वे नहीं हटे चाहे कितने ही लोग उनके पास गये हों। आप भी अपनी जबान से मत हटिये और वहां महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, बहुत जरूरी सूचना है, अध्क्षय महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रघुवीरसिंह : कुछ अखबारों में....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये-बैठिये। अब आप बैठिये न।

श्री रघुवीरसिंह : इन्फोर्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, बैठिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : नहीं सूचना दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।... (व्यवधान)... मेरे पास कोई चिट नहीं है इनकी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : नहीं, यह इम्पोर्टेण्ट सूचना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मेरे पास चिट भेजिये पहले, क्या सूचना है?

श्री रघुवीरसिंह : यह सदन के सभी माननीय सदस्यों की.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरे पास चिट भेजिये। आप बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया था झुन्झुनू जिले के इकाल के बारे में। आपके पास जो राज्य सरकार की तरफ से जानकारी आयी है, मान्यवर, कुछ सही है। और कुछ गलत है। वास्तविकता यह है, मान्यवर, कि कुछ इलाके के अन्दर डबल क्राप एरिया है लेकिन शेष इलाका एक फसली है। मेरा विधान सभा क्षेत्र मण्डावा और पंचायत समिति अलसीसर माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके गांव-गांव को, चप्पे-चप्पे को जानते हैं, जितना यह अपनी कांस्टीट्युएंसी को नहीं जानते उससे ज्यादा वे मेरे क्षेत्र को जानते हैं, वह खारे पानी का इलाका है और चूरू से मिलता जुलता है। उसके अन्दर 70 से सौ पर्सेन्ट तक का खराबा है। वहां, आपके पास सूचना आयी है कि काम खोल दिये, काम नहीं खोले। मान्यवर, काम एक पांइट पर खोला वहां 50 आदमी लगाये और फिर वहां से 10 किलोमीटर तक कोई काम नहीं हमने सुझाव दिया था जिला कलेक्टर को कि आप वे काम खोलिये जिसकी वजह से लोगों को काम मिल सके। अब एक पांइट पर खोला वहां 50 आदमी आ गये, 50 से ज्यादा लेते नहीं हैं और पास पास में काम खोलते नहीं हैं तो हर गांव के अन्दर पापुलेशन माइग्रेट हो नहीं सकती लेबर सब शाम को अपने घर जाना चाहते हैं। हमने सुझाव दिया था कि वे काम खोलिये जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके। हमने कहा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

विलेज रोड्स खोलिये आप। विलेज रोड्स नहीं खोल कर, मान्यवर, स्कूलों की बाउण्ड्री वाल्स बना रहे हैं। बाउण्ड्री वाल्स में मेटीरियल ज्यादा लगता है और उसमें लेबर कम्पोनेंट कम होता है और विलेज रोड्स विलेज टू विलेज बनेंगे, जो पंच-वर्षीय योजना का हिस्सा भी है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और काम होगा। तो, मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन है।

दूसरा, हमने यह किया था कि पीने के पानी के लिये आगे के लिये काम आने वाले कुण्ड बनाइये कुण्ड पानी की टंकी जिससे इस अकाल के वक्त में मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और अगले वर्ष पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। दोनों कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं देकर या तो स्कूल के बरण्डे बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं या स्कूलों की बाउण्ड्री बना रहे हैं। इसमें होता क्या है, मान्यवर, कि गांव के अन्दर पंचायत समितियों के प्रशासक, ग्राम सेवक और बी. डी. ओ. में कोल्यूजन है और वह वे काम लेकर आते हैं जो उनके मार्फत होते हैं और जिनमें झटाझट पैसे आराम से मिल जाएं। अकाल के काम के अन्दर भी, मान्यवर, दृष्टिकोण यह नहीं है कि किस प्रकार से जरूरतमंद लोगों को काम दिया जाए, कैसे लोगों को भूख से बचाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर कि आप सरकार को यह कहें। अलसीसर झुन्झुनू और सूरजगढ का काफी हिस्सा एक फसली इलाके हैं, वहां डबल क्रांप नहीं है। आदमी मिल रहे हैं लेकिन 50 से ज्यादा आदमी लगा नहीं रहे हैं और परिचय पत्र की पाबन्दी आज भी।

(12.42)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

वहां पर, मान्यवर, लागू है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पीने के पानी के कुण्ड बनाये जाएं, विलेज रोड एक गांव से दूसरे गांव तक बनायी जाए ताकि लोगों को मजदूरी मिल सके और ऐसे काम खोले जाएं जिनसे लोगों को अधिक से अधिक मजदूरी मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल सहरिया, 295।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : XXX

श्री सभापति : माननीय श्री सहरिया। 11 बजे से पूर्व भिजवाते हैं सूचना तब जाकर नम्बर आता है, अभी नहीं।

श्री रघुवीरसिंह : XXX

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। कल कर दीजिएगा, आज नहीं हो सकता। माननीय श्री सहरिया, पढ़िये आप।

श्री रघुवीरसिंह : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : आप बिराजिये, आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री रघुवीरसिंह : XXX

श्री सभापति : यदि जीवन का सवाल है तो आपने 11 बजे से पहले भिजवाया होता। अब आप बिराजें। माननीय श्री हीरालाल सहरिया। आपको चिट भिजवानी चाहिये थी पहले। (व्यवधान) कृपया रामनारायण जी, बिराजें आप। (व्यवधान) अब आप बिराजिये। (व्यवधान) ?

माननीय रामनारायण जी, बोल रहे हैं, कृपया सब बिराज जाइये। आपके वरिष्ट नेता बोल रहे हैं, बिराज जाइये। (व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान) आप सब बोल रहे हैं, सुन तो कोई नहीं रहा। आप अपनी बात कहना चाहते हैं, एक एक करके कहें तो सुन सकते हैं, सब के सब बोलेंगे तो बात नहीं सुनी जाएगी। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह : XXX

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल सहरिया। (व्यवधान) आप बिराजिये न। गृह मन्त्री जी बोल रहे हैं तो सुन लीजिये गृह मन्त्री जी को। आप बैठिये तो सही।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक कुबेरसिंह जी के साथ जो घटना हुई, उसी रोज क्योंकि मैं सारे राजस्थान के आंकडे पूछ लेता हूं शाम को, मुझे मालूम पड गयी थी कि उनके साथ मार-पीट हुई है 25-3-94 को मैं आपको सारी सूचना दे देता हूं।

25-3-94 को धीमा पलासिया खेड़ा, पुलिस थाना झाड़ौल जिला उदयपुर में रात्रि 11 बजे कुबेरसिंह जी, विधायक, कांग्रेस (आई) अपने भाई के साथ मोटर साइकिल पर जा रहे थे। खेड़ा में उन्होंने पानी पीने के लिये मोटर-साइकिल रोकी। एक घर में पानी पीने के लिये उसका भाई गया और गृह स्वामी को उसको पानी पिलाने के लिये कहा। वहां खटीक समाज की हो रही एक गोठ में हो-हल्ला मच रहा था, वहाँ पर माननीय विधायक और उनके भाई पहुंचे। इस गोठ में कुछ व्यक्ति भाग लेकर आये थे, उन्होंने बिना कुछ पूछताछ किये ही श्री कुबेरसिंह, विधायक व उसके भाई के साथ मारपीट की।

इस घटना की सूचना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा थाना झाड़ौल पर दी गयी, इस पर पुलिस श्री कुबेरसिंह जी के घर गयी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिस पर अभियोग 33/94 के अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 348, 307 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना झाडोल दर्ज किया गया। थाना अधिकारी झाड़ोल ने गांव पलासिया खेड़ा के घटना स्थल से घटना से सम्बन्धित 14 व्यक्ति मिल गये उन्हें 151 जाब्ता फौजदारी में तो उसी समय गिरफ्तार किया और अपराध पंजीबद्ध होने पर उनको

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुख्य अपराध में भी गिरफ्तार कर लिया गया। वे आज जुडीशियल कस्टडी में हैं, और कार्यवाही अन्वेषणाधीन है। जो घटना हुई उस पर अफसोस है, लेकिन उनके साथ जो घटना हुई उस पर पुलिस ने बड़ी सतर्कता से जिस दृष्टि से कार्यवाही हो सकती थी, प्रीवेंटिव सैक्शन्स में भी, मेन सैक्शन्स में भी कार्यवाही कर दी है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल सहरिया।

ग्राम गोरधनपुरा (कालीसोत प्रोजेक्ट) तालाब की दीवार की मरम्मत

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया व संचालन नियम 295 के तहत गोरधनपुरा (कालीसोत प्रोजेक्ट) तालाब की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूँ। मान्यवर, उपरोक्त विषय में लेख है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बांरा के ग्राम गोरधनपुरा तालाब (काली सोत प्रोजेक्ट) की दीवार तीन चैन तक (पोला) जीर्ण शीर्ण हो गयी है तथा घाटी परानिया के बंगाली परिवार इस तालाब के नीचे बसे हुए हैं। इसी तालाब के पानी से इनके खेतों में मुश्किल से एक पानी लग पाता है जैसी की इस तालाब की स्थिति है। अंदेशा है कि यदि वर्षा से पूर्व इस तालाब की दीवार की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया तो यह तालाब क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा जान-माल का नुकसान होने का हमेशा भय बना रहेगा। अतः श्रीमान् सिंचाई मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त तालाब की दीवार की मरम्मत का कार्य वर्षा से पूर्व करवाने का श्रम कराएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बच सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ यह विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह सराड़ा।

लबाना जाति के लोगों को आरक्षण लाभ

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत लबाना जाति के लोगों द्वारा 'नायक' शब्द लगाकर गलत प्रमाण-पत्रों से अनुसूचित जाति के कोटे के नाजायज आरक्षण का लाभ उठाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही एवं चित्तौड़गढ़ आदिवासी बहुल जिले हैं। यहां निवास करने वाली अनुसूचित जातियों में चमार, मेघवाल, बहगर, मोची, मेहतर, बांसड़, रेगर, जटिया, खटीक प्रमुख हैं।

इस क्षेत्र में रहने वाली लबाना जाति के लोग जो वास्तव में बंजारा हैं, 'नायक' शब्द का प्रयोग कर पटवारी, सरपंच, ग्राम सचिव एवं तहसीलदारों की मिलीभगत से भारी मात्रा में फर्जी प्रमाण-पत्रों द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित कोटे के आरक्षण का सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति

(श्री रघुवीरसिंह)

उठाने, उद्योग धन्धों में ऋण एवं अनुदान उठाने वगैरह हर क्षेत्र में लाभ उठा रहे हैं।

लबाना जाति के लोगों के द्वारा जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से साधन सम्पन्न हैं, इन आदिवासी बहुल जिलों में पल रहे सदियों से शोषित एवं अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का हनन पिछले आठ-दस वर्षों से लगातार किया जा रहा है। लबाना जाति के लोगों का रेवेन्यू रिकार्ड में भी जाति का उल्लेख "लबाना" ही है। डूंगरपुर जिले में ही लबाना जाति के करीब 80 लोगों ने अनुसूचित जाति के कोटे से नौकरियां हड़प ली हैं एवं उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही व चित्तौड़गढ आदि जिलों में भी लबाना जाति के कई लोग आरक्षण के कोटे से नौकरियां कर रहे हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदनहै कि लबाना जाति के लोगों द्वारा गलत प्रमाण-पत्रों से नौकरी व अन्य लाम उठाने व सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 420 व एट्रोसिटी एक्ट (3) के तहत कार्यवाही की जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाए एवं गलत तरीके से हड़पे गये पदों को अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों से भरकर अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय व उनका हक दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण सिंह।

राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में पेयजल समस्या

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत भीम व देवगढ़ तहसील, जिला राजसमन्द की भयंकर पेयजल समस्या के निवारण हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं।

महोदय, राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में पिछले कुछ समय से विकट पेयजल समस्या बनी हुई है। इन तहसीलों के अधिकांश हैण्डपम्प काफी समय से खराब पडे हैं परन्तु उन्हें सुधारने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये। जिले की पिछली दो अकाल राहत मीटिंगों में भी इस विषय पर मैंने अधिकारियों से उस दिशा में ठोस कार्य करने हेतु बार-बार कहा था। हैण्डपम्प ठीक करने का अभियान भी मात्र औपचारिकता ही सिद्ध हुआ। हैण्डपम्प ठीक करने हेतु जो दल गया उसमें न तो जलदाय विभाग के ट्रेण्ड मिस्त्री थे और न ही उनके पास पाइप तथा औजार थे। यह टीम भी सिर्फ सड़क के पास के गांवों तक ही गयी तथा दूरदराज के गांवों तक नहीं गयी।

महोदय, देवगढ़ नगर की पेयजल समस्या तो पूर्ण रूपेण अस्त-व्यस्त हो चुकी है। देवगढ़ मेवाड़ का एक प्रमुख नगर है, इसकी आबादी करीब 20 हजार है। इसकी पेयजल व्यवस्था को सुधारने हेतु 1989 में 16 लाख की स्कीम मंजूर की गयी थी। परन्तु उस राशि का भी दुरुपयोग किया गया तथा निम्न स्तर की पाइप

(श्री लक्ष्मण सिंह)

लाइन बिछायी गयी। परिणामस्वरूप उक्त पाइप लाइन का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि सोर्स से पानी छोड़ने पर पाइप लाइन में रिसाव हो जाता है। ओवरहैड टैंक भी पूरा नहीं भरा जा सकता क्योंकि उसका वेस स्ट्रक्चर कमजोर है। देवगढ़ की पेयजल समस्या से पांच-छः दिनों पूर्व जन आक्रोश पैदा हो गया है। सात आठ दिनों तक पेयजल न मिलने से व पेय-जल तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण जनता भड़क उठी थी तथा कानून व्यवस्था भी बिगड़ गयी थी। सम्भवतः देवगढ़ को आसीन्द (भीलवाड़ा) से मिलने वाली विद्युत व्यवस्था में अवरोध होने से पेय जल व्यवस्था बिगड़ी थी।

मैं देवगढ़ नगर तथा भीम व देवगढ़ की पेयजल समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तथा आशा करता हूं कि इस व्यवस्था में शीघ्रातिशीघ्र सुधार होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम चौधरी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : +++

श्री सभापति : आप बिराजिये, 295 चल रहा है इस समय।

श्री रामनारायण : +++

श्री सभापति : आप बिराजिये पहले, 295 चल रहा है।

श्री रामनारायण : +++

श्री सभापति : कृपया अनुशासन रखिये। यह तरीका नहीं है। विराज जाइये आप।

श्री राम नारायण : +++

श्री सभापति : माननीय श्री राम-नारायण जी वर्मा, आप बिराज जाइये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से अनुशासन भंग नहीं कीजिए आप।

श्री रामनारायण : +++

(12.55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सब एक्सपंज कर दो। रामनारायण जी जो भी बोले सब एक्सपंज कर दीजिये।

श्री अमराराम चौधरी।

राजकीय चिकित्सालय बालोतरा एवं समदड़ी में कुत्ते द्वारा काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन का अभाव

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मान्यवर, निवेदन है कि बाड़मेर जिले में

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

पागल कुत्तों की दिनों-दिन वृद्धि हो रही हैं, कई छोटे बच्चों को इन पागल कुत्तों ने गत दिनों में काटा है, लेकिन राजकीय चिकित्सालय, बालोतरा और समदड़ी में पागल कुत्तों के काटने पर जो इंजेक्शन दिये जाते हैं, उपलब्ध नहीं हैं। जिससे आम जनता में भारी असन्तोष है। गरीब, मजदूर व अकाल पीड़ित कृषक तो अपने बच्चों का इलाज करवा ही नहीं सकते हैं। गरीब कृषकों को अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने गहने बेचकर एक इंजेक्शन को दो सौ बीस रुपयों में बाजार से खरीदना पड़ता है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि चिकित्सा मंत्रीजी को अतिशीघ्र ही उक्त अस्पतालों में पागल कुत्तों के काटने पर इलाज हेतु इंजेक्शन्स की व्यवस्था करने का आदेश फरमाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

लोसल, विधान सभा क्षेत्र धोद में विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत बिजली मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र लोसल में राजस्थान बिजली बोर्ड द्वारा सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह करीब 25,000 की आबादी वाला कस्बा है जिसमें बिजली के हजारों उपभोक्ता रहते हैं, लेकिन सहायक अभियन्ता का कार्यालय सीकर में अवस्थित है जो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे छोटे-छोटे कार्यों हेतु सीमा पार आना पड़ता है। बिजली के बिलों में गलती जारी होने पर सही करवाने के लिये सीकर आना पड़ता है तथा फाइल जमा करवाने तथा अन्य छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी सीकर आना पड़ता है, जो जनता पर असहनीय भार है।

सीकर स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय बोर्ड के लिये आर्थिक दृष्टि से भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी सही नहीं है। इस कार्यालय का कार्यभार भी इतना अधिक है कि सही तरीके से प्रशासनिक देखभाल नहीं हो रही है तथा जनता को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नगरपालिका क्षेत्र होने के बावजूद भी बिजली के लम्बे-लम्बे समय तक गायब रहने से लघु उद्योगों एवं क्षेत्र में स्थित उच्च माध्यमिक एवं अन्य माध्यमिक छात्र एवं छात्रा विद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई में गहरा व्यवधान पड़ता है। अगर वहां सहायक अभियन्ता कार्यालय होगा और सहायक अभियन्ता रहेंगे तो प्रशासनिक दृष्टि से भी एवं बिजली की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों के लिये भी जनता को 45 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा।

आज तक लोसल के साथ भेदभाव

(श्री अमराराम)

होता रहा है और मैं समझता हूं कि बिजली के उपभोक्ता इतनी संख्या में होने पर भी सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं होने वाला लोसल कस्बा ही एक मात्र कस्बा है।

अतः सरकार से मैं मांग करूंगा कि अविलम्ब लोसल कस्बे में बिजली बोर्ड का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

रावतभाटा के बड़ोदिया जालखेड़ा एवं धावदकलां का सम्पर्क सडकों से जुड़ाव

श्री चुन्नीलाल धाकड (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान रावतभाटा-धावदकलां रोड को बड़ोदिया पंचायत मुख्यालय से जालखेड़ा पंचायत मुख्यालय-धावदकलां तक बचे रोड को बनाकर पूर्ण कराने बाबत ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

महोदय, गांव बड़ोदिया की आबादी 1245 है, सैकण्डरी स्कूल है, पशु-चिकित्सालय, पंचायत मुख्यालय आदि महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान कार्यरत हैं। बड़ोदिया से जालखेड़ा पंचायत मुख्यालय, जिसकी आबादी 810 है, जिसके आगे धावदकलां कस्बा, जिसकी आबादी 1042 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, पंचायत मुख्यालय है, फिर भी सम्पर्क सड़क से जुड़ा नहीं होने से इन पंचायतों-जालखेड़ा एवं धावदकलां के गांव बरसात में अलग-थलग पड़ जाते हैं। भारी कीचड़ के कारण कोई वाहन आ-जा नहीं सकते, बच्चे की आगे पढ़ाई करने से वंचित हैं, बीमारी की हालत में रोगी को चिकित्सा से वंचित रहना पड़ता है। यह कुंडाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है और आधुनिक सभी प्रकार की सुविधाओं से कटा हुआ है।

आजादी के 47 साल बीत जाने के बाद भी सम्पर्क सड़क के अभाव में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारी संवेदनशील सरकार से आशा रखते हैं कि अब उनकी अनदेखी नहीं होगी, देखभाल अवश्य होगी। अतः मेरा अनुरोध है सरकार से कि सम्पर्क सड़क बड़ोदिया से धावदकलां तक को शीघ्र बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाय। धन्यवाद।

(1.00)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

संस्कृत निदेशालय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख करने की अनुमति चाह रहा हूं। मान्यवर, दिनांक 30 मई, 1993 को शिक्षा विभाग के संस्कृत निदेशालय में

(श्री परसादीलाल मीणा)

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद के लिए विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र मांगे गये थे। कुछ आवेदनकर्ताओं को जो सैकण्डरी योग्यता शिक्षा शास्त्री थे उन्हें प्रवेशिका पास नहीं होने के कारण तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई। 11 आवेदनकर्त्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच में 2626/93 याचिका संख्या दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 जून, 1993 को स्थगन आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्त्ताओं को अस्थायी नियुक्ति देने के आदेश पारित किये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी याचिकाकर्त्ताओं के साक्षात्कार ले लिये गये परन्तु 11 में से केवल 5 याचिकाकर्त्ताओं को नियुक्ति दे दी गयी, बाकी याचिकाकर्त्ताओं को अस्थायी नियुक्ति नहीं दी गयी जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 को सभी याचिकाओं के सामूहिक निर्णय देते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया गया है कि "This exercise must be undertaken and completed within a period of two months of the Submission of certified copy of this order. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के बाद भी शेष ऐसे आवेदनकर्त्ताओं को आज तक भी नियुक्ति नहीं दी गयी। 11 याचिकाकर्त्ताओं में से 4-5 को अस्थायी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी गयी परन्तु बाकी 5-6 याचिकाकर्त्ताओं को नियुक्ति नहीं देकर दोहरा अन्यापूर्ण कार्य संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा किया गया है।

स्थगन आदेश दिनांक 23 जून, 1993 की पालना अपूर्ण की गयी, क्योंकि सभी 11 याचिकाकर्त्ताओं को सामान्य रुप से अस्थायी नियुक्ति देनी थी जो नहीं दी गयी। दिनांक 15 दिसम्बर, 93 के निर्णय बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं देना अन्याय है। राज्य सरकार डी.बी. उच्च न्यायालय में अपील करने जा सकती है परन्तु स्थगन आदेश दिनांक 27 मई, 1993 के अनुसार 11 याचिकाकर्त्ताओं को नियुक्ति नहीं देकर अनियमितता की गयी है। दिनांक 23 मई, 1993 को मुरारी लाल शर्मा व अन्य का साक्षात्कार लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं दिया जाना भेदभावपर्ण व भ्रष्टाचार का उदाहरण है।

अतः सरकार माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करवा कर शेष याचिकाकर्त्ताओं को अस्थायी नियुक्ति दिलवाने के आदेश जारी करवाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा

केसरीसिंहपुर मन्डी को तहसील का दर्जा

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत केसरीसिंहपुर को तहसील बनाने के संबंध में लेख है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में गंगानगर जिले के दो जिले गंगानगर एवं हनुमानगढ़ बनाने की घोषणा की है उसके लिए तो धन्यवाद। साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केसरीसिंहपुर मण्डी जहां नगरपालिका एव कृषि उपज मण्डी समिति कार्यरत हैं और इस क्षेत्र के अन्तर्गत 16 ग्राम पंचायतें तथा शहर के दस वार्ड आते हैं, इस प्रकार इस क्षेत्र की आबादी लगभग सवा लाख हो जाती है। यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इस बात को देखते हुए केसरीसिंहपुर मण्डी को तहसील का दर्जा प्रदान करवाने की व्यवस्था करेंगे तो इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली करीब सवा लाख जनता को सीधा फायदा मिलेगा और जो इस क्षेत्र का भार अन्य तहसीलों पर पड़ता है वह कम हो जाएगा। अतः केसरीसिंहपुर मण्डी को तहसील बना कर इस क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

सवाई माधोपुर में पेयजल समस्या

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर में पानी की समस्या को हल करने के बारे में निवेदन कर रहा हूं। मान्यवर, निवेदन है कि जिला सवाईमाधोपुर हमेशा अकाल की चपेट में रहता आया है, जहां पर किसान एक मात्र वर्षा के पानी पर निर्भर रहता है। इसके कारण विगत वर्षों से इस जिले में पानी की कमी आ गयी है। इसके कारण तालाब भी नहीं भरे और जिले में पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। जो नल योजनाएं पूर्व में चालू रही हैं उनके अन्तर्गत पानी की कमी आ गयी। एक दिन में केवल पीने के लिए पानी दिया जाता है और इसका उपाय नहीं सोचा गया तो पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा हो जाएगी।

इसी जिले में मेरा क्षेत्र टोडाभीम है, वहां पर माड एरिया है जिसमें कुए एव ट्यूब वैल नहीं हैं और गुढाचन्द्रजी योजना से पानी पीने को दिया जाता है जो अपर्याप्त है। सरकार ने नल योजनाओं की टंकियां बड़े कस्बे एवं गांवों में बना तो दी हैं जिनमें आज तक पानी नहीं गया। कुछ ग्रामों के नाम मैं बता रहा हूं जैसे, कूंजेला, खलुजा, खेरली, केमरी, शहर, बागोर, तेसगाम, सजावड, चिरावड़ा आदि ग्रामों की टंकियां आज तक नहीं भरीं। इसी प्रकार टोडाभीम में टुडावली खोहरा, मिसूरा, कंजोली, नानोली, नगरपालिका टोडाभीम व अन्य ग्रामों की टंकियां बना दी गई है पर आज तक उनमें पानी नहीं दिया गया है। सरकार ने पिछले वर्ष ग्राम भनकपुरा, बजेड़ा, टुडावली, मातासूडा, बैरोज, गोरडा, सिमावा, साकरबाड़ा की स्कीमों

(श्री रामस्वरूप)

को मंजूरी दे दी और नलकूप भी बनवा दिये हैं। लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं पर इनमें आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुए एवं इन योजनाओं को चालू नहीं किया और गुढ़ाखेडा की स्कीम में तो कनेक्शन होने के बावजूद भी चालू नहीं किया। अतः आने वाली गर्मियों के मौसम में पानी की भयंकर समस्या पैदा हो जाएगी और लोग प्यासे मरेंगे। अतः बनी हुई टंकियों को पानी से भरें। जो योजना स्वीकृत हो गई, बोरिंग हो गया, मीठा पानी निकल आया पर कनेक्शन के अभाव में उनको आज तक चालू नहीं किया गया। महोदय, उनको चालू कराएं और मेरे अन्य ग्राम झाडिसा भैंसा, शेखपुरा, निसूरा, कंजाली, मोपर, भादरपुर, रानोली, किरवाड़ा, अध्यापुर, भोटवाड़ा, उरदेन, केमरी की ढाणी आदि ग्रामों की योजना बनाकर उन्हें ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के खराब हैण्डपम्प जिनका जल स्तर नीचे चला गया, उनके स्थान पर नये हैंडपम्प लगवाएं और जो खराब पडे हुए हैं उनको ठीक करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति

शोकाभिव्यक्ति

श्री मोहनलाल सारस्वत, भूतपूर्व सदस्य के निधन पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहनलाल जी सारस्वत के निधन का समाचार सुन कर व्यक्तिशः मुझे बहुत ही दुःख हुआ है। वे इस सदन के सदस्य थे और मेरे बहुत ही निकट के मित्र रहे हैं।

श्री मोहनलालजी सारस्वत सामाजिक क्षेत्रों में बहुत अधिक रूचि लेते थे। वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में जन सहयोग लेकर जनता की किस प्रकार से सेवा हो सके, उसमें अग्रणी के रूप में कार्य करते थे। राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान का एक प्रकार से यथाशक्ति प्रतिनिधित्व किया है। वे राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़े हुए थे। मिलनसार और हंसमुख इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ जाए, यह हमारे सबके लिये दुःख का विषय है।

मैं, इसलिये मेरी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से श्री सारस्वत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोहनलाल जी सारस्वत का असामयिक निधन होने से सदन को बहुत ही शोक है और जैसा कि नेता महोदय ने कहा है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि सारस्वत साहब ने विधान सभा के रूप में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और सामाजिक, शैक्षिक और अन्य विषयों पर रुचि लेकर रतनगढ़ क्षेत्र के अन्दर जितना भी उनसे संभव हो सका कार्य किया और इसी के फलस्वरूप रतनगढ़ क्षेत्र के अन्दर वे काफी लोकप्रिय थे। सामाजिक कार्यों में भी अच्छी रुचि उन्होंने रखी और वे इस मायने में भी समाज के अन्दर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

उनके निधन से निश्चित तौर से सदन को और सभी माननीय सदस्यों को अफसोस है। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर यह शक्ति दे कि जिससे यह वेदना वे झेल सकें और उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मोहनलालजी सारस्वत, जो तृतीय विधान सभा में सदन के सदस्य थे, के असामयिक निधन से उनके परिवार को जो दुःख हुआ है इस सम्बन्ध में सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव में शामिल होते हुए मैं प्रकृति से आशा करूंगा कि दुःख संतप्त परिवार को उनका दुःख झेलने की शक्ति प्रदान करें। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मोहनलाल जी सारस्वत, भूतपूर्व सदस्य, का निधन हुआ, हम सबको इस बात का दुःख है कि एक सदस्य हमारे बीच से उठ गया। उन्होंने अपने विधायक में अपने क्षेत्र के व राजस्थान के हित में काम किया होगा, मेरा उनसे परिचय नहीं था लेकिन वे सन् 1962 में एक समाजवादी दल से जीतकर आये थे। उन्होंने इस सदन के अन्दर जो भी काम किया है वह जनहित में किया है। मोहनलाल जी आज हमारे बीच से उठ गये हैं, मैं उनके शोक संतप्त परिवार को उनका दुःख सहने की शक्ति भगवान दे और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, यही कामना करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, श्री मोहनलाल जी सारस्वत हमारे बीच में नहीं रहे, हम सबको दुःख है। वे एक राजनेता ही नहीं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज में समाज के उपयोगी जो कार्य हैं, हमेशा उनकी दिलचस्पी उसमें रहती थी। इस प्रकार के एक कर्मठ नेता के उठने से सदन को तो पीड़ा है ही लेकिन पूरे समाज को पीड़ा है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं की श्री सारस्वत साहब की आत्मा को भगवान शांति दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोहनलाल सारस्वत के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भी शरीक करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री मोहनलाल सारस्वत

(श्री अध्यक्ष)

का जन्म श्री गंगानगर जिले के नोहर कस्बे में 16 मार्च, 1919 को हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की उपाधि ग्रहण की।

श्री सारस्वत तीसरी राजस्थान विधान सभा (1962–67) के लिये रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिये सदैव जागरूक रहे। आप वर्ष 1963-64 में विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे।

आप वर्ष 1942 से 57 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान आपने तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं मन्त्री पद के दायित्व का भी निर्वहन किया। आप 23 मार्च, 1953 से 28 मई, 1955 तथा 26 नवम्बर, 1956 से 31 अगस्त, 1958 तक रतनगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे।

समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये आप निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप भारतीय हरिजन सेवक संघ के मन्त्री तथा भारत सेवक समाज, रतनगढ़ के अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा प्रसार में आपकी विशेष अभिरूचि थी। आप रतनगढ़ माध्यमिक शाला वार्ड नम्बर एक के संचालक भी रहे।

श्री मोहनलाल सारस्वत का निधन 25 मार्च, 1994 को हो गया।

मैं दिवंगत श्री सारस्वत को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कुछ क्षणों के लिये खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि दें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम डबोक जिला उदयपुर स्थित सीमेण्ट फैक्ट्री से राज्य सरकार को राजस्व हानि

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत अधिकारियों की मिलीभगत से 17 करोड़ की राजस्व हानि के सम्बन्ध में जो कि जे.के. सीमेण्ट द्वारा किया गया है, ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड ने उदयपुर जिले में स्थित सीमेन्ट फैक्टरी और उससे सम्बन्धित परिसम्पत्तियों का मैसर्स जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के हक में हस्तांतरण कर दिया है। इस मामले में निम्न आठ दस्तावेज उपपंजीयक, मावली, बल्लभनगर एवं उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं:-

(श्री अनंग कुमार जैन)

क्र. सं.	कलक्टर के यहां दर्ज प्रकरण सं.	दस्तावेज की प्रकृति	हस्तांतरित सम्पत्ति का विवरण	दस्तावेजों में अंकित कीमत	पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की तिथि	उपपंजीयक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	405/93	विक्रय पत्र	2 बीघा भूमि ग्राम मुवाणा	2,05,000	3-12-93	उदयपुर,
2.	505/93	विक्रय पत्र	रेस्ट हाउस, उदयपुर	23,84,715	3-12-93	उदयपुर
3.	501/93	विक्रय पत्र	10 बीघा भूमि ग्राम दरोली	1,25,000	3-12-93	बल्लभनगर
4.	503/93	लीज हस्तान्तरण	213.330 हैक्टेयर भूमि ग्राम मण्डोरिया	16,59,612	3-12-93	बल्लभनगर
5.	500/93	लीज हस्तान्तरण	704.944 हैक्टेयर भूमि ग्राम मण्डोरिया	65,63,745	3-12-93	बल्लभनगर

(श्री अनंग कुमार जैन)

1	2	3	4	5	6	7
6.	502/93	विक्रय पत्र	14 बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम धनोली	84,49,340	1-12-93	मावली
7.	499/93	विक्रय पत्र	400 एकड़ भूमि पर स्थित फैक्ट्री भवन आदि ।	8,89,28,000	1-12-93	मावली
8.		लीज हस्तांतरण का कलक्टर उदयपुर द्वारा पृष्ठांकन	400 एकड़ भूमि ग्राम नाहर मगरा	कोई प्रतिफल नहीं खोला गया	कलक्टर उदयपुर से डाक द्वारा दिनांक 1-12-93 को प्राप्त ।	मावली

(13.20)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

(श्री अनंग कुमार जैन)

उपरोक्त सूची के क्रम सं. एक पर अंकित दस्तावेज उप पंजीयक, उदयपुर के समक्ष दिनांक 3-12-93 को 2,05,000 रुपये की मालियत पर प्रस्तुत हुआ। नियमानुसार आवश्यक जांच कर दस्तावेज की मालियत 7,93,000 रुपये तय की गयी एवं बढ़ी हुई मालियत पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क प्राप्त कर दस्तावेज पंजीबद्ध कर दिनांक 23-12-93 को लौटाया गया।

उपरोक्त सूची में क्रम संख्या दो पर अंकित दस्तावेज जो उदयपुर स्थित कम्पनी के रेस्ट हाउस से सम्बन्धित है 23,84,715 रुपये की मालियत पर दिनांक 3-12-93 को उप पंजीयक, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस दस्तावेज की नियमानुसार 27 लाख 73 हजार रुपये की मालियत बनती थी जिसके अनुसार देय अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस जमा कराकर दस्तावेज दिनांक 23-12-93 को पंजीबद्ध कर लौटा दिया गया।

क्रम संख्या तीन पर अंकित दस्तावेज बल्लभनगर तहसील क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण उप पंजीयक, बल्लभगर के समक्ष पेश हुआ। इस दस्तावेज की मालियत 1,25,000 रुपये बताई गई थी परन्तु बाद जांच व मौका निरीक्षण मालियत 2,30,000 रुपया तय की गई व वांछित स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन फीस जमा होने पर पंजीबद्ध किया गया व दिनांक 29-12-93 को लौटा दिया गया।

क्रम संख्या 4 व 5 पर अंकित दोनों दस्तावेजों में माइनिंग लीज का हस्तांतरण होने के कारण मुद्रांक अधिनियम की धारा 26 "ए" के तहत कार्यवाही हेतु उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर को उप पंजीयक द्वारा भिजवा दिये गये थे जो वहां पर विचाराधीन हैं।

क्रम संख्या 6, 7 एवं 8 पर अंकित दस्तावेज उप पंजीयक, मावली के समक्ष प्रस्तुत होने पर उप पंजीयक ने इन तीनों दस्तावेजों में निहित तकनीकी एवं कानूनी बिन्दुओं के सन्दर्भ में मार्गदर्शन हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को दिनांक 13-12-93 को रेफरेन्स किया। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन दस्तावेजों के पंजीयन में मुद्रांक कर की किसी प्रकार की करापवंचना नहीं हो, निम्न बिन्दुओं पर जांच करने के लिये दिनांक 15-12-93 को अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

उसमें जो बिन्दु तय करने थे वे बिन्दु भी उन्होंने तय किये।

1. क्या कन्वेंन्स दस्तावेज में मुद्रांक कर योग्य समस्त सम्पत्तियों को शामिल किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो उनका विवरण एवं सही मालियत क्या है?

2. क्या निष्पादक एवं उनके वैल्यूअर द्वारा किया गया व कन्वेन्स डीड में वर्णित सम्पत्तियों का मूल्यांकन सही है? यदि नहीं तो सही मूल्यांकन क्या है?

(श्री अनंग कुमार जैन)

3. लीज डीड के हस्तांतरण दस्तावेज से हस्तान्तरित की जा रही भूमि पर जो विकास कार्य किये गये हैं उनका पूर्ण विवरण अंकित है अथवा नहीं एवं उनकी लागत सही मूल्यांकित की गयी है या नहीं? अवर्णित सम्पत्ति एवं सम्पूर्ण विकास कार्यों की सही लागत क्या है ?.

इस समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि इन दस्तावेजों में अनेक कर योग्य सम्पत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। अत: जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड से अतिरिक्त सूचनाएं मांगी गयीं ताकि समिति निष्कर्ष पर पहुंच सके। मैसर्स जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड ने उनसे चाही गयी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिये दिनांक 31-3-94 तक का समय मांगा हुआ है और दिनांक 22-3-94 को उन्होंने कुछ सूचना प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार समिति द्वारा जांच जारी है और उप पंजीयक, मावली को प्रस्तुत तीनों दस्तावेज जो कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण हैं, अभी पंजीकृत नहीं हुए हैं।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उक्त दस्तावेजों के सम्बन्धित उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होने के पूर्व उपरोक्त सूची में अंकित प्रथम 7 दस्तावेज मुद्रांक अधिनियम की धारा 31 के तहत एडजूडीकेशन हेतु दिनांक 10-9-93 को जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुए थे जो उनके द्वारा दिनांक 15-9-93 को उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर को स्थानान्तरित कर दिये गये। परन्तु बाद में इन्हें वापिस लेने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर द्वारा 3-11-93 को कार्यवाही ड्राप कर दी गयी। इसी बीच मैसर्स जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड ने दिनांक 22-9-93 को राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों को यह मानते हुए की प्लान्ट एण्ड मशीनरी पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं बनती है, शीघ्र दस्तावेजों को एडजूडीकेट करने के लिये निर्देश जारी करने का निवेदन किया। परन्तु राज्य सरकार ने कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर द्वारा की जा रही अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि इस मामले में स्टाम्प ड्यूटी के करापवंचन को रोकने के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग पूरी तरह सजग है और यथोचित कार्यवाही की जा रही है। अभी तक जो कार्यवाही हुई है उसके आधार पर यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकार को इस मामले में 17 करोड़ रुपये का स्टाम्प चोरी का घाटा हुआ है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पैरा दो में जे. के. समूह द्वारा फैक्ट्री क्रय किये जाने के उपरान्त सभी मजदूरों को निकाल दिये जाने तथा श्रमिकों को नौकरी से हटाने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिये जाने एवं श्रमिकों द्वारा धरना देने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस

(श्री अनंग कुमार जैन)

सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर से की गयी। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उदयपुर सीमेण्ट वर्क्स, डबोक, तहसील मावली के बेचान के फलस्वरूप किसी श्रमिक को संस्थान की सेवा से पृथक नहीं किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार फैक्ट्री का बेचान होने के समय श्रमिकों की सख्या 439 तथा स्टाफ की सख्या 130 थी एवं वर्तमान में भी श्रमिकों एवं स्टाफ की संख्या यथावत है। संस्थान द्वारा बेचान के फलस्वरूप श्रमिकों को कार्य से नहीं निकाला गया है।

संस्थान के कुछ श्रमिकों को प्रबन्धक द्वारा वर्ष 1992-93 में सेवा से पृथक किया गया था जिनका विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर की इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पं. 1(1) 1828/श्र. नि./92, दिनांक 12 फरवरी, 1993 को 27 श्रमिकों के सम्बन्ध में न्याय निर्णयार्थ प्रेषित किया गया था जो विचाराधीन है। उदयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्थान के बाहर औसतन 10-15 व्यक्ति प्रतिदिन धरना दे रहे हैं।

संस्थान के बेचान होने के बाद किसी भी श्रमिक को कार्य से निकालने अथवा उनको मुआवजा नहीं देने का कोई विवाद अथवा वाद श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री सभापति : माननीय चपलोत साहब

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में बजाज सीमेण्ट फैक्ट्री है और जे. के समूह ने उसको लेने का तय किया। यह अगस्त, सितम्बर और जुलाई, 93 की बात है। माननीय सभापति महोदय, सीमेण्ट फैक्ट्री की लागत और उनकी जो लीजेज हैं यदि उसका सारा हिसाब लगाया जाए तो कम से कम साढ़े छह सौ करोड़ रुपये होता है। डेप्रिसियेशन वैल्यु भी कर ली जाए 28-30 साल की तो भी पांच सौ करोड़ से कम उसकी लागत नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, जनता ने जब बात उठायी, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे द्वारा भी बात उठायी गयी, जनता और कई पत्रकारों द्वारा भी यह बात उठायी गयी। काफी लोग जन आन्दोलन कर चुके, तब जाकर जिलाधीशजी ने और अजमेर के पंजीयक जो हैं उन्होंने इस मामले में दखलन्दाजी की।

माननीय सभापति महोदय, जो रजिस्ट्रियां की गयी हैं उनकी कीमत बहुत कम दे कर के उनको रजिस्टर कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में भुवाणा बिलकुल ग्राम रोड पर, नेशनल हाई-वे पर है। वहां पर दो बीघा जमीन की कीमत इन्होंने केवल दो लाख रुपये की मानी। जब जनता ने इस पर बात उठायी तो फिर पंजीयक विभाग ने सात लाख रुपया बतायी है। माननीय सभापति महोदय, यह भी कम है। कम से कम सात लाख रुपये बीघे का वहां का भाव है. 14 लाख रुपये इस हिसाब से होती है।

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

माननीय सभापति महोदय, एक रैस्ट हाउस है उदयपुर में और यह रैस्ट हाउस फतेहपुरा में है । फतेहपुरा में जमीन की कास्ट आज की तारीख में छेह सौ-सात सौ रुपये फीट है । 9735 फीट का एक प्लाट, वह कंस्ट्रक्टेड प्लाट है दो मजिला पूरा, उसकी कीमत उन्होंने केवल 23 लाख और बाद में 27 लाख बतायी है जबकि आज यदि प्लाट की कीमत पांच सौ रुपये भी मान ली जाय तो उसमें कम से कम 35 लाख का प्लाट हो जाता है । माननीय सभापति महोदय, अच्छा कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्शन है उसका, और मार्बल वगैराह सब लगा हुआ है, तो उसकी कास्ट यदि गिनी जाए तो चार सौ रुपये फीट से कम नहीं पड़ेगी । माननीय सभापति महोदय, इसमें भी स्टाम्प की वंचना की गयी है, स्टाम्प चोरी की गई है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ दरोली गांव है । दरोली गांव बिल्कुल रोड़ पर है और डबोक हवाई अड्डे से दो किलोमीटर पर है । वहां दस बीघा जमीन की इन्होंने केवल एक लाख पच्चीस हजार कीमत बतायी है जबकि वहां एक लाख रुपये बीघे से कम का कोई सवाल ही नहीं उठता है । उसके बाद जब आब्जेक्शन लोगों ने उठाया तो दो लाख तीस हजार रुपये उसकी कास्ट बतायी ।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें टैक्स और स्टाम्प की जिस तरीके से चोरी की गयी है वह बेमिसाल है । इसके साथ-साथ लीज दो सौ तेरह हैक्टेयर भूमि की, जो बल्लभनगर तहसील में मंडोरिया में है और जो बिल्कुल ही मावली से एड जोनिंग है उसमें 16 लाख 59 हजार रुपये की बतायी जबकि कम से कम पचास हजार रुपये बीघे का भाव वहां है, तो वह भी बहुत कम बैठता है, माननीय सभापति महोदय 704 हैक्टेयर भूमि मंडोरिया में और है और उसकी कीमत उन्होंने केवल 65 लाख रुपये बतायी है जब कि करोड़ों में इसकी कीमत आनी चाहिये । इसके साथ ही साथ 14 बीघा भूमि मंडोली गाव में हैं जो मावली विधान सभा क्षेत्र में आता है । उसमें पूरा का पूरा कन्सट्रक्टेड एरिया है और बहुत अच्छी पाश कालोनी उनके रहने के लिए बनी हुई है, उसका केवल मात्र 84 लाख रुपये बताया है कन्सट्रक्शन सहित । जमीन की कीमत ही वहां इतनी है और यह तो आबादी की जमीन है, माननीय सभापति महोदय, इसको भी बहुत कम बताया है । जो कीमत कम से कम 8-10 करोड़ की है उसको केवल 84 लाख रुपये में बताया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ 400 एकड़ भूमि पर जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया । फैक्ट्री में पूरी की पूरी कालोनी में कम से कम 200 क्वार्टस होंगे, उन क्वार्टस का नाम जरूर बताया है लेकिन साथ ही उसकी कास्ट भी आनी चाहिये ? 100 रुपये या 200 रुपये पर स्क्वायर फीट की

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कास्ट है, क्या कास्ट है ?, इसकी कोई कास्ट नहीं बतायी गयी। केवल यह बताया गया है कि 8 करोड़ 89 लाख है जबकि इसकी कास्ट आज की तारीख में कम से कम 150 करोड़ रुपये होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ एक और जमीन है नाहरमगरा में जो भी मावली विधान सभा क्षेत्र में ही है और वह है 400 एकड़। इसका कोई प्रतिफल नहीं बताया और रजिस्ट्री के लिए भेज दिया। माननीय सभापति महोदय, यह जो घपला किया गया है इसके साथ ही साथ एक और बात निवेदन करना चाहूंगा कि एक रोप वे लगा रखा है। रोप वे इसलिये लगा रखा कि सीमेन्ट के लिए जो पत्थर आता है मंडोली से, तो मंडोली का पत्थर उस रोप वे से चढ़कर आ जाता है। यह 6 किलोमीटर तक रोप लाइन है और वह सीमेन्ट फैक्ट्री में आता है। थोड़ा कम खर्च पड़ता है और इसके लिये ट्रकों का साधन नहीं लगाना पड़ता है, रोप वे के सहारे सहारे आ जाता है। उस रोप के जहां खम्भे लगाये गये है, पिलर्स लगाये गये हैं 6 किलोमीटर में, उसका उन्होंने किसी प्रकार का सरकार को भुगतान नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू बोर्ड में वे हार गये। रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि यह रोप वे गलत लगाया गया है और उनको इसको लगाने का अधिकार नहीं है। कमी का इसमें फैसला हो गया और इसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ वहां की जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि 4-4 जगह बिल्डिंग हैं-घंडोली में अलग, नाहरमगरा में अलग और जहां माइन्स हैं घरोली की वहां बिल्डिंग अलग हैं, उनका किसी प्रकार का इसमें इन्होंने हवाला नहीं दिया है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ 40 बीघा जमीन पर इनका नाजायज कब्जा है। उस नाजायज कब्जे को भी बेच दिया, उसको भी किसी ने छुआ तक नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ पहले इनके चुंगी लगती थी, पंचायत चुंगी वसूल करती थी। पूर्व में जब 70 हजार रु. महीने की चुंगी उनकी बैठती थी तो उन्होंने लम्पसम फैसला कर लिया 65 हजार रुपये साल का। वह हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ, उसके बाद आज तक चुंगी नहीं दी गयी है।

इसके साथ ही साथ, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक्सपेंशन किया कम से कम 100-150 का करोड़ उस एक्सपेन्शन का इसमें कोई हवाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय अभी रजिस्ट्री बाकी है, रजिस्टर्ड डीड उन्होंने पेश कर दी लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। उसके बावजूद जे. के. के नाम पर

(श्री शांतिलाल चपलोत)

यह सारी की सारी प्रापर्टी ट्रांसफर हो गयी। ट्रांसफर ही नहीं हुई बल्कि एक्साइज, सेल्स टैक्स सब जे. के. के नाम होने लग गये हैं। माननीय सभापति महोदय, बिजली के कनेक्शन भी ट्रान्सफर हो गये। माननीय सभापति महोदय, एक काश्तकार यदि अपनी कोई प्रापर्टी ट्रान्सफर करता है, उसके फिक्सचर्स ट्रांसफर जब करता है तो जब तक रजिस्टर्ड डीड नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार से भी यह ट्रांसफर वेलिडिटी नहीं रखता है। उसके बावजूद भी सारे के सारे काम इनके उसी हिसाब से हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई उच्च स्तरीय समिति बनाकर इसको देखें कि वाकई में कितने रुपये की सम्पत्ति है। केवल मात्र 10 करोड़ की सम्पत्ति इन्होंने बताई, आज जो डाकूमेन्ट्स इन्होंने पेश किये हैं वे केवल 10 करोड के बताये हैं जिनमें 1 करोड़ 96 लाख रुपये की इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी दी है जब कि केवल अचल सम्पत्ति को भी देखा जाए तो 200 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इसमें मशीनरी वगैरह देखी जाए तो कुल मिलाकर 450-500 करोड़ की हो जाती है डेप्रीसियेशन वेल्यू सहित। 200 करोड़ पर कम से कम 10 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी लगती है जो कि पिछले दिनों में हमने कम की थी उसके बावजूद 20 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी होती है। अगर यह मान भी लिया जाए कि कुछ चुका दी है तो 17-18 करोड़ का इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में वे उचित व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री गरासिया

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व साथी ने सारा विवरण डिटेल के अन्दर बताया है लेकिन वास्तव में यह मेरे क्षेत्र में भी पड़ता है। मुवांडा और फतेहपुर की प्रापर्टी जो बेचान हुई है वास्तव में इसमें बहुत ही घोटाला हुआ है। मुवांडा का जो 2 बीघा का प्लाट है वह नेशनल हाई वे पर है और कार्मशियल जमीन है, कार्मशियल जमीन का इतने कम में बेचान होना सरासर यह दिखाता है कि अधिकारियों की मिली भगत है इसमें। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए। जो 7-10 लाख रुपये पर बीघा की जमीन है उसे केवल 2 लाख की बताना अपने आप में घोटाला साबित करता है। साथ ही साथ पचमड़ी का जो रेस्ट हाउस है 9000 स्क्वायर फीट, जैसा माननीय सदस्य ने बताया और 500-600 स्क्वायर फीट है उसमें भी बहुत घोटाला है।

श्री सभापति : 900 स्क्वायर फीट बताया उन्होंने।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : 9735 स्क्वायर फीट है यह जमीन और जो कास्ट बताई है वह कास्ट वास्तव में बहुत ही कम है और सरकार की ड्यूटी की चोरी हुई है। मैं चाहूंगा कि

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो और इसका पुनःनिरीक्षण किया जाए किसी सक्षम कमेटी द्वारा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोदी जी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, जो उदयपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री थी उसको जे. के. समूह को बेचे जाने पर स्टाम्प ड्यूटी की बात यहां की जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कोई इन्डस्ट्री बिकती है या कोई दूसरे हैंड्स में जाती है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती बजाज समूह द्वारा जो सीमेंट फैक्ट्री चलायी जा रही थी, टैक्नीकल रीजन्स से उन्होंने उसका एक्सपेन्शन किया लेकिन टैक्नीकल रीजन्स से वह अनावायेल हो गयी। अगर आज वह सीमेन्ट प्लांट नया लगाया जाता तो 165 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपये से ज्यादा लगते....

श्री सभापति : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है....

श्री विष्णु मोदी : मैंने पढ़ लिया।

श्री सभापति : स्टाम्प ड्यूटी का ही प्रश्न है।

श्री विष्णु मोदी : तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब इन्डस्ट्रीजदूसरे हाथों में जाती है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी इनवाल्व नहीं होती है। स्टाम्प ड्यूटी इसलिए नहीं होती कि लीज जब ट्रांसफर होती है तो उसका कोई असेसमेन्ट या वैल्युएशन नहीं होता है। आज हमारी स्टेट में इन्डस्ट्रियल कल्चर वैसे ही मौजूद नहीं है जो वायेवल यूनिट्स सिक हो रही हैं अगर वे दूसरे सक्षम समूह द्वारा चलायी जा रही हैं तो उसमें इस तरह के रोड़े अटकाना मैं समझता हू कि कोई वाजिब बात नहीं है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, जो सारा स्थानान्तरण हुआ है यह कुल 8 दस्तावेजों के माध्यम से हुआ है जिसमें मैंने अभी निवेदन किया कि 1, 2 और 3 नवम्बर के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 4, 5, 6, 7 और 8 वे हैं जिसमें कि ज्यादा बड़ी मालियत का मामला बनता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें 400 बीघा, 700 बीघा जमीन है, कोई 14 बीघा जमीन है तो इसके बारे में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं करके जो इन्सपेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन है उन्होने स्वयं एक समिति बनायी है।

माननीय सभापति महोदय, अतिरिक्त महा निरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक की) अध्यक्षता में। उसके 5 मेम्बर्स हैं—अतिरिक्त महा निरीक्षक तो उसके अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ लेखाधिकारी (पंजीयन एवं मुद्रांक

(श्री अनंग कुमार जैन)

उसके सदस्य हैं, सहायक विधि परामर्श (पंजीयक एवं मुद्रांक) उसके सदस्य हैं, अधिशासी अभियन्ता, पी. डब्ल्यू. डी. उदयपुर उसके सदस्य हैं और उप-पंजीयक, मावली उसके सदस्य-सचिव हैं। इन 5 सदस्यों की एक कमेटी बनायी गयी है और वह कमेटी इस प्रकरण की जांच कर रही है। वे सारे बिन्दु जो माननीय सदस्य ने यहां उठाये, उस कमेटी ने तय किये हैं कि इन बिन्दुओं पर जांच की जायेगी। वे बिन्दु मैं आपके सामने एक बार पुनः निवेदन कर देता हूं।

1. क्या कनवेंस दस्तावेजों में मुद्रांक कर-योग्य समस्त सम्पत्तियों को शामिल किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो उनका सही विवरण एवं सही मालियत क्या है ?

2. क्या निष्पादक एवं उनके वैल्युअर द्वारा किया गया व कन्वेंस डीड में वर्णित सम्पत्तियों का मूल्यांकन सही है ? यदि नहीं, तो सही मूल्यांकन क्या है ?

3. लीज डीड के हस्तांतरण दस्तावेज से हस्तान्तरित की जा रही भूमि पर जो विकास कार्य किये गये हैं उनका पूर्ण विवरण अंकित है अथवा नहीं ? एवं उनकी लागत सही मूल्यकित की गयी है या नहीं? अवर्णित सम्पत्ति एवं सम्पूर्ण विकास कार्यों की सही लागत क्या है ?

माननीय सदस्य द्वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं वे सारे इस समिति ने जो बिन्दु तय किये हैं उसके अन्दर आ गये हैं। उन तमाम बिन्दुओं की जांच वह समिति कर रही है। समिति ने सारी प्रापर्टीज को स्वयं जाकर मौका देखा है। गवर्नमैण्ट की तरफ से जो रेट फिक्स है, जो शिड्यूल बनायी हुई है, किस जगह की भूमि के लिए कितनी रेट डिसाइड की हुई है, उस एरिया में किस प्रकार की रेट में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इन सब बिन्दुओं पर वह समिति विचार कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पांच प्रापर्टीज हैं जिनका हस्तान्तरण अभी हुआ ही नहीं है। उनके तो विक्रय पत्र अभी विचाराधीन हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी सम्पूर्ण जांच होने के बाद जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस बनेगी वह पूरी इस जे. के. उद्योग समूह से ली जाएगी। कोई इसमें रियायत नहीं की जाएगी और किसी प्रकार की कर वंचना नहीं होगी। सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से सजग है। निश्चित रूप से जो सही मलियत और वैल्युएशन होगा उसके आधार पर राज्य सरकार उनसे रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करेगी।

श्री सभापति : विष्णु जी मोदी ने बात कही, उसका तो कोई है क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, माननीय मोदी जी ने फैक्ट्री स्थानान्तरण फीस के बारे में बताया लेकिन जो रूल्स बने हुए हैं, जनरल एक्ट्स बने हुए हैं उनके अनुसार जब हस्तान्तरण होता है तो

(श्री अनंगकुमार जैन)

जो रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी चार्जेबल होती है वह तो निश्चित रूप से चार्ज होती है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री गोपीचन्द जी गुर्जर।

श्री शान्तिलाल चपलोत : एक ही प्रश्न।

श्री सभापति : बिराजिये, शांतिलाल जी, सारी बात आ गयी।

भरतपुर जिले में आतंककारी गतिविधियों पर रोक

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय सभापति जी, मैं नियम 131 के अन्तर्गत भरतपुर जिले में आतंककारी गतिविधियों पर रोक लगाने व आम जनता को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक द्वारा भरतपुर जिले में घटित कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है।

जुरहरा थाना भरतपुर के मेव समाज के लोगों द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त होते ही अभियोग संख्या 132/93 दिनांक 5-12-1993 को धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर नामजद 10 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनकी सूचना के अनुसार रु.35,000 का लूटा गया माल बरामद कर लिया गया है। अभियोग का अनुसन्धान शीघ्र ही वृत्त अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जाकर चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।

जुरहरा थानान्तर्गत ही कुछ व्यक्तियों के घायल होने व बुद्धाराम की हत्या की सूचना पर दिनांक 23-12-1993 को रात्रि के समय पुलिस को सूचना मिलते ही मुकदमा संख्या 135/93 धारा 395, 396, 397 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और उनकी निगरानी में अन्वेषण कराया जा रहा है जो कि संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सीमावर्ती राज्य हरियाणा व यूपी के बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 18-3-1994 को अभियोग में गिरफ्तार श्री नरेश उर्फ नरशी, निवासी बुलन्दशहर व श्री श्यामवीर, निवासी हरियाणा को शिनाख्त करवाया गया है। उनकी पूछताछ के आधार पर रशीद, वीरेन्द्र सिंह, ओमवीर सिंह जो कि अन्य अभियोग में गिरफ्तार थे, उन्हें अभियोग में पूछताछ के रूप में लाया जाकर माल बरामदगी की कोशिश की जा रही है। पुलिस दलों का गठन किया जाकर अन्य अभियुक्तों की तलाश करवायी जा रही है। यह सही नहीं है कि पुलिस की उपस्थिति में डकैती डलती रही और डकैत डकैती डालकर भाग गये।

थाना सीकरी में दिनांक 18-11-93 को श्री गंगासहाय द्वारा रात्रि के समय

Page No. 110

(110)

(श्री कैलाश मेघवाल)

उपस्थित होकर दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 133/1993 धारा 379, 511 ताजिराते हिन्द के अन्तर्गत पंजीकृत कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। घटना के समय ग्रामवासियों द्वारा मुंशा को पकड़ कर मारपीट करने के कारण उसके चोटें आयी और उसे तुरन्त अस्पताल भेजकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। दिनांक 19-11-1993 को प्रातःकाल उसकी अस्पताल में मृत्यु हुई। उस पर अभियोग संख्या 134/1993 धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस सम्बन्ध में मृतक के पिता द्वारा भी न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त होने पर भी अन्वेषण किया जा रहा है।

भूरजी सैनी की हत्या के सम्बन्ध में मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर थाना सीकरी में अभियोग संख्या 7/94 दिनांक 14-1-1994 धारा 302, 301 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया है। अन्वेषण द्वारा मृतक के लम्बे समय से श्रीमती जनता पत्नी शीशराम के साथ अवैध सम्बन्ध होना तथा श्रीमती जनता द्वारा मृतक को कुएं में धकेलना प्रकाश में आया, जिसके आधार दिनांक 1-2-1994 को श्रीमती जनता व उसके पति को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के आदेश से न्यायालय अभिरक्षा में भेजा गया है। अब यह अपराध अभी अन्वेषणाधीन है।

जहां तक सीकरी थाना पर भीड़ द्वारा पथराव व पुलिस फायरिंग में पुलिस की गोली से लल्लू धोबी की मृत्यु का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में पूर्व में ही सदन में चर्चा हो चुकी है तथा इस सम्पूर्ण घटना की जांच अतिरिक्त जिलाधीश, भरतपुर से करवायी जा रही है। घटना से सम्बन्धित समस्त अभियोगों का वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुसन्धान शीघ्रातिशीघ्र करवाया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि घटित अपराधों के आधार पर भरतपुर और सम्पूर्ण राज्य में सही अन्वेषण किये जाएंगे और अपराधों के सम्बन्ध में तत्काल समुचित कार्यवाही कर दोषी को दण्डित कराने की चेष्टा रहेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

सभापति महोदय, आज सामूहिक रूप से सहायक लोक अभियोजक, राजस्थान द्वितीय द्वारा अवकाश लिया गया है। अपनी मांगों के समर्थन में 21 लोगों ने धरना दे रखा है। उनकी मांग है कि उनको केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाए, उनकी अपने गृह जिले में पोस्टिंग की जाए और साथ ही उनको वर्दी अलाउंस दिया जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय गोपीचन्द जी

एक माननीय सदस्य : यूनियन वाले नीचे खड़े हैं।

श्री सभापति : सरकार से मिला दें उनको ।

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार को डाइरेक्शन दें ।

श्री सभापति : सरकार किसी को मिलने से मना नहीं करती । सुन भी रही है ।

श्री गोपीचन्द : सभापति महोदय, जुरहरा थाना के अन्दर मण्डारा गांव में जो एक सैनी परिवार की लूट हुई, वह चार लाख रुपये के करीब लूट हुई । दस मुलिजमों को गिरफ्तार किया गया और मात्र 35 हजार रुपये की उनसे रिकवरी की गयी । वहां के वृत्त अधिकारी ने 10 दिन उनको अपने पास रखा और सांठगांठ करके मामूली-सी उनमें बरामदगी दिखाकर उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया । उसके बाद दूसरी जो घटना जुरहरा के अन्दर घटी, वैश्य परिवार के घर पर डकैती डली । वैश्य परिवार ने फोन से सूचना दी आदमी जाकर पुलिस को थाने पर सूचना देकर आया । 15 मिनट तक पुलिस की जीप परिवार के दरवाजे पर हार्न बजाती रही । डकैत डकैती डालते रहे और पुलिस के सामने से बड़े आराम से निकल कर गये वहां से । किसी ने न पीछा करने की आवश्यकता महसूस की न गोली चलाने की आवश्यकता महसूस की ।

उसके बाद सीकरी प्रकरण पर आता हूं, जिसमें सबसे पहले मुंशी पेव के लड़के को रात को चोरी करते हुए पकड़ा । उसके साथ तीन साथी और थे । मरने से पहले उस चोर ने तीनों साथियों के पुलिस को नाम बताये । आज तक उन तीन बदमाशों को पकड़ने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की पुलिस ने । वह चोर अस्पताल में जाकर मर गया । पुलिस ने लापरवाही बरती, इलाज उसका कराया नहीं । उसके खून निकलता रहा, वह हास्पिटल में जाकर मर गया । मरने के बाद उस परिवार के लोग भूरजी सैनी और गंगासहाय सैनी के परिवार के लोगों को बराबर धमकियां देते रहे । उसके बाद कितने ही इंजनों की और समानों की चोरी होती रही । ट्यूबवैल के ऊपर धरने देते रहे, कहते रहे मौखिक रूप से थानेदार से, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की । आखिर एक दिन ऐसा आया कि भूरजी सैनी का अपहरण करके ले गये और मारकर कुएं में डाल दिया । पुलिस ने 15 दिन तक किसी को नहीं पकड़ा । 15 दिन के बाद सीकरी में जब गोलीकाण्ड हो गया तो घटनाक्रम का रूप ही बदलकर रख दिया । 15 दिन पहले तक कोई उसका प्रेम सम्बन्ध नहीं था जनता देवी से, 15 दिन बाद जनता देवी से सम्बन्ध बना दिया ।

जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भूरजी सैनी के पेट में और आमाशय में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मारने के बाद कुएं में डाला गया है । उसकी गर्दन पर, पीठ पर और गुदा पर चोट के निशानात हैं और जो लेन-देन की कहानी

(श्री गोपीचन्द)

गढ़ी, बिल्कुल काल्पनिक घटना गढ़ी। क्या कोई पत्नी किसी से अवैध सम्बन्ध होने पर अपने पति के सामने उस व्यक्ति को बुलाऐगी? क्या 16 और 17 साल की कोई लड़की 40 साल के जवान को कुएं में धक्का देकर गिरा सकती है? और कुएं के अन्दर धक्का देकर डालने के बाद क्या स्थिति है। उसके अन्दर मात्र 8 फीट पानी है, उसमें डूबकर आदमी मर नहीं सकता। 15-20 फीट गहरा कुआं है जिसमें तीन बार नीचे उतर सकता है और चढ़ सकता है व्यक्ति और कह रहे हैं कि धक्का देकर के मार दिया उसको कुएं के अन्दर। मोटी राशि उसमें ली गयी। जब मेडिकल रिपोर्ट इस बात को कह रही है कि चोट से मरा नहीं है, मारने के बाद कुएं में डाला गया है फिर भी साजिश करके उस बेगुनाह दम्पति प्रजापति परिवार के तीन सदस्यों को मुलजिम बनाकर के हवालात के अन्दर दे दिया और असली मुल्जिमों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

यह घटना घटी थी 27.1.94 को, उस समय मैं पहुंचा था, घटनाक्रम घटने के बाद सारे जिला प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 302 का मुकदमा दर्ज करने के लिए हम व्यवस्था के खिलाफ तैयार हैं। लेकिन उसके बाद हम उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए चले गये। इतने में सीनियर अधिकारी जयपुर से वहां पर पहुंच गये और 302 का मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। वे व्यक्तिशः बात करने पर तो स्वीकार करते हैं कि प्रशासन की गलती है, जनता की गलती है लेकिन सार्वजनिक तौर से नहीं। न तो सरकार यह करना चाहती है, कि पुलिस का मनोबल गिर जाएगा। किसी अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो बड़े अधिकारी इस बात को कहते हैं कि मेरी पुलिस का मनोबल गिर जाएगा लेकिन उस बेगुनाह जनता का कोई मनोबल नहीं है? वह गरीब, निरीह लल्लू धोबी जो अपने मां-बाप की आंखों का आपरेशन कराने के लिए जा रहा था, बाजार में दुकान पर काम करने के लिए, उसकी पीठ पर सीधे हिट चलाकर के गोली मारी। फोटो हैं आज भी मेरे पास मकानों के अन्दर हिट कर गोली बाहर निकली। इतना शर्मनाक काण्ड हुआ और उस पर पर्दा! मैं दावे के साथ में कहता हूं, या तो वे पुलिस अधिकारी इस्तीफा दे दें या यदि जनता देवी ने कुएं में डालकर के मारा होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं सदन के अन्दर। या तो उच्च अधिकारियों को बर्खास्त कर दो या गोपी को सदस्यता से बर्खास्त कर दो। मैं सदन मे ही इस्तीफा दे दूंगा यदि जनता देवी ने धक्का देकर के लल्लू धोबी को मारा होगा तो।

मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से कह देना चाहता हूं कि बाप से बेटे की जांच करायी जाएगी तो लीपापोती की जाएगी। आई.जी. से जांच कराओगे, किसी पुलिस

(श्री गोपीचन्द)

अधीक्षक की तो वह निश्चित रूप से उसके बचाव का काम करेगा। सदन में से एक दल बनाया जाए और मूरजी हत्याकाण्ड और लल्लू धोबी हत्याकाण्ड की जांच सदन का दल जाकर करे। सदन का दल इस बात को साबित कर दे कि जनता देवी से अवैध सम्बन्ध थे और जनता देवी ने उसको कुए में धक्का देकर मारा, गोपी सदन से इस्तीफा दे देगा।

श्री समापति : श्री मोतीलालजी।

(अनुपस्थित)

श्री कमल

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी शहादत आती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी जो भी शहादत एकत्र करती है उस बारे में मैं इस प्रांगण में किसी तरह की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, न कानूनन इस बात का मुझे अधिकार है क्योंकि गिरफ्तारी हुई है जनता देवी और उसके पति की और उनको जुडीशियल कस्टडी में भेजा गया है। मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, जुडीशियल कस्टडी के लिए जब मुलजिम को पेश किया जाता है तो ज्युडीशियल मजिस्ट्रेड जुडीशियली खपना माइंड एप्लाई करता है कि गोया यह केस जमानत देने का है या रिलीज करनेका है या जुडीशियल कस्टडी में भेजने का है। इसलिए इस बारे में बिना कोई टिप्पणी करते हुए, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस से जुडीशियल कस्टडी हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद, माननीय सभापति महोदय, ट्रायल होती है, ट्रायल के बाद सजा होती है, अपीलें होती हैं, इस बारे में इतना ही निवेदन कर सकता हूं माननीय सदस्य को कि जो संकेत उन्होंने दिये हैं, यहां पर, उन संकेतों के आधार पर अगर कोई लाइन मुलजिमान को पकड़ने की बनती है तो मैं इन्वेस्टिगेटिंग एन्जेसी को उस बारे में निर्देश दे दूंगा।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, यहां पर प्रथम दिन ही जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत घटनाओं के आधार पर मामला उठाया था एक मसला उसमें यह मूरजी हत्याकाण्ड था, सीकरी हत्याकाण्ड था। विस्तार से चर्चा होकर सरकार द्वारा उस समय की सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए घनश्याम दत्ता, जिसका नाम लिया गया है, उसका तो पहले ही स्थानान्तरण किया जा चुका था और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दिये गये हैं, वह जांच चल रही है। मैं चाहूंगा माननीय सदस्य उस जांच में सहयोग करें और अपने साक्ष्य वहां प्रस्तुत करें। अगर वे साक्ष्य नहीं लेते हैं या उनका सहयोग नहीं लेते हैं, माननीय सभापति महोदय, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सहयोग लिया जाएगा, उनकी दी गयी जानकारी उस जांच रिपोर्ट में ली जाएगी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरी, एक घटना मंशा वाली है। माननीय सभापति महोदय, जो रिकार्ड मेरे पास उपलब्ध है उस रिकार्ड के अनुसार चोरी करने की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट बनी है वह केवल मंशा के खिलाफ ही दी है कम्प्लेनेंट ने और यह कहा है कि मंशा मेरे यहां चोरी करने आया था। मंशा का नाम ही उसने लिखा है। उसके बाद जब जाग हो गयी और लोग आ गये तो उन्होंने मंशा के साथ इतना बल प्रयोग किया, उसको ठोका कि उसकी मृत्यु हो गयी। जो कम्प्लेनेंट है उसने एक का नाम लिखा है। माननीय विधायक जिस बात के लिये कह रहे हैं वह कहां तक सत्य है, मैं तफ्तीश में देखूंगा लेकिन चूंकि कम्प्लेनेंट की तरफ से तो एक ही नाम था तो उस केस में तो एफ. आर. हो गयी। जो एक्यूज्ड उस समय था मंशा, उसको लोगों ने मार डाला, यह कानून हाथ में लेने का उनको अधिकार नहीं था, उस केस की तफ्तीश चल रही है और दूसरे केस में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यह बड़ा मुश्किल काम भी है इसलिये तत्परता से सारा अन्वेषण हो, उनको न्याय मिले और अपराधी गिरफ्तार होकर उसको दंडित किया जा सके, इस बारे में माननीय सदस्य द्वारा दी गयी जानकारी मैं अपने एस.पी. को विशेष रूप से भिजवा दूंगा कि वे अपनी निगरानी में इस सारे अन्वेषण को कराएं तत्परता से कराएं।

श्री गोपीचन्द : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय गोपीचन्द जी। माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं इसमें?

श्री गोपीचन्द : मैं यह चाहता हूं कि एक तो जनता देवी के द्वारा उसको कुएं में डालकर मारा गया बताया गया यह बिल्कुल असत्य है....

श्री सभापति : उसकी जांच चल रही है।

श्री गोपीचन्द : इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, वह गोली काण्ड की जांच हो रही है और जो ए. डी. एम. है वहां से हो रही है। इस जांच के विषय में भी आज तो यह कह रहे हैं और वह हो भी रही है पर पिछली बार जब चर्चा चली थी तो माननीय गृह मंत्री जी को तो यह भी पता नहीं था कि वहां कोई मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, जांच चल रही है इन्होंने तो सदन में इस चीज से बिल्कुल हां नहीं की थी। मैंने व्यक्तिगत बात की थी तब भी माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा था कि मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न मैंने घोषणा की है न मैं चर्चा करूंगा। जबकि यह जांच थी। उनको तो यह ही पता नहीं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। 15 दिन तक उस आदमी के बारे में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया जबकि हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री जी उस समय गये थे और उस समय चर्चा करके आये थे। एक भी आदमी को 15 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। 27-1-94 की घटना होने के बाद उसको बिल्कुल ऐसे बदल दिया कि जो दम्पति को गिरफ्तार किया

(श्री गोपीचन्द)

है, वह 5 तारीख को अपने घर से पीहर चली गयी है और 6 तारीख को यह घटना घटी है और उसके बाद में अपने घर आ गयी, घर से गिरफ्तार किया है, पुलिस ने पूछताछ के लिये बुलाया है और उनको गिरफ्तार दिखाया है। एक को तो दिल्ली से गिरफ्तार दिखाया है और एक को नौ-गांवा के पास से गिरफ्तार दिखाया है। यानि कितना काल्पनिक तरीके से घटनाक्रम रचा है। एक कहानी और गढ़कर दी है कि पैसे का लेनदेन था, उसका तकाजा करने के लिये गया था। जबकि वह प्रजापति परिवार इतना गरीब और निरीह है। एक 16-17 साल की बच्ची 40 साल के व्यक्ति को इस तरह से धक्का दे सकती है? अपने पति के सामने जिस तरह से इसमें घटनाक्रम दिखाया है, इस चीज की जांच की जाए। यह व्यक्ति, जो भूरजी को मारा गया कुंएं में डालकर के, यह जनता देवी ने नहीं मारा है, अपराधियों ने मारने के बाद में डाला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है कि मारने के बाद डाला गया। वह कुआं आज भी कहीं गया नहीं है, आज भी उसमें पानी है। 7-8 फीट पानी के अन्दर भला कोई आदमी डूबकर मर सकता है? पथरीला पुराना कुआं है और जंगल के अन्दर हैं, आवाज देकर किसी को बुलाया जा सकता था, किसी के गले नहीं उतरी। पूरे इलाके में इस चीज की चर्चा है कि सारे घटनाक्रम को बदल दिया। इस घटनाक्रम को समाप्त करो। इसमें कुएं में तैरती हुई लाश, यह धोती बांधकर के मैं आज इस स्थिति में हूं, जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे में गिरूंगा। यह धोती बांध कर के गया था दुलंगी, यह तहमद बांध रखा हैं इसनें। पीठ पर निशान है, इसकी गुदा पर निशान है फोटो के अन्दर इस बात का निशान है और फिर भी कह रहे हैं कि पानी में डूबकर मरा है। इसकी आंखों को देखो, पूरी तरह से खोले हुआ है। कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिलता कि यह कुएं में डूबकर के मरा है। इस चीज को तो कम से कम साफ करो। असली अपराधी को गिरफ्तार कराने की बात करो। आप घनश्याम दत्ता के माध्यम से उन चोरों को पकड़वाने की बात करोगे या उस पुलिस के माध्यम से जिसने इस घटनाक्रम को गढ़कर रखा है? एक स्टोरी बनाकर दे दी फिल्म के तरीके से, नाटक के तरीके से कि इनके प्रेम सम्बन्ध थे और पति और पत्नी मिलकर चल गये, जंगल में बुला लिया। कभी भी कोई पत्नी किसी से अवैध सम्बन्ध होने के बाद में पति के सामने अपने किसी प्रेमी को बुलाने की बात सोच नहीं सकती और वह अबला तो बिलकुल अनपढ़ बच्ची है जिसकी उम्र 16 और 17 वर्ष की है, जेल के अन्दर पड़ी है।

आज प्रतिनिधिमण्डल उससे मिलने के लिये गया तो वह बतला रही थी कि मैं तो जानती भी नहीं थी अच्छी तरीके से, पहचानती भी नहीं।

(14.00)

2 साल उसकी शादी को हुए हैं और अवैध सम्बन्ध भी उसके हो गये? 2 साल के अन्दर इतनी कारीगर और चालाक भी हो गयी कि कुएं में धक्का देकर किसी आदमी को मार दे? इसकी वास्तविकता की जांच

(श्री गोपीचन्द)

होनी चाहिये । असली मुल्जिमों को पकड़ना चाहिये चाहे कोई भी व्यक्ति हो । मैं किसी समाज के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन यह दावे के साथ में कह रहा हूं कि जनता देवी ने उसको कुएं में धक्का देकर नहीं मारा, अपराधियों ने उसको धक्का देकर मारा है ।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों की यहां से प्रतिलिपि लेकर एस. पी. साहब को भिजवा दूंगा ।

श्री सभापति : और जांच भी निश्चित तौर से....(व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द : एस. पी. साहब ने तो उसको साबित किया है....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र गहलोत : सभापति महोदय वह घटना जान-बूझकर छिपायी जा रही है... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय एक बात यहां डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है....(व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द : मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आयी है ... (व्यवधान).... जिन्दा आदमी यदि डूबता तो उसके शरीर में पानी होता परन्तु उसके शरीर में पानी नहीं था । ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये, गृहमंत्री जी बोल रहे हैं उनके बोलने के बाद में बोलिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : यहां पर उसका छिद्रान्वेषण किया जाए क्या, यह फैसला किया जाए ।

श्री सभापति : क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह सदन में स्पष्ट है मामले आएंगे और मैं चाहता हूं कि सदन इस बात का फैसला कर ले कि भाई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस हमारे राजस्थान की है, अगर वह गलती करती है, कोई गलत फैरी भी करती है तो उसका भी तौर-तरीका है लेकिन क्या विधान सभा में उस शहादत के बारे में छिद्रान्वेषण करना जरूरी है, उसके आधार पर मत देना आवश्यक है क्या । मैं कोई मत व्यक्त नहीं करूंगा, मैंने कहा है कि जो सुझाव दिये हैं ... (व्यवधान)...

श्री किशन मोटवानी : अगर मिस-डाइरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो राइट डाइरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने कहा है, वह मैंने मत व्यक्त किया है कि जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं मैं यहां से उनको लेकर एस. पी. साहब को भेजूंगा कि इस तरह का भी सोच है, एक लाइन है उस पर जांच की जाए । (व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द : जो एस. पी. इस

(श्री गोपीचन्द)

कहानी को बनाकर दे रहा है. जिस काल्पनिक कहानी को एस. पी. ने स्वयं ने बनाया है उसको भेज रहे हैं आप ।....(व्यवधान)....

श्री रमाकान्त शर्मा : आप सी.आई.डी. से जांच करवाइये, दूसरे जो आपके पास हैं उनसे जांच करवाइये । ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री रमाकान्तजी बोल रहे हैं ।

श्री रमाकान्त शर्मा : सी. आई. डी. की जांच करवाइये, उनसे इन्वेस्टिगेट करवाइये आप...(व्यवधान)....

श्री मोतीलाल (रूपवास) : सभापति महोदय, जिस दिन का यह काण्ड है कुए का उस समय में और हमारे पचायत मंत्री जी श्री नाथूसिह जी मौजूद थे इस काण्ड को देखने के लिये । यह 14 जनवरी की बात है । हमने स्वयं उसकी पीठ में भाले के घाव देखे हैं, आंखें उसकी निकाली हुई हैं और यह कहा जा रहा है पुलिस के केस को दबाने के लिये कि वह हत्या कुए में डाल कर की गयी है ।

श्री सभापति : यह तो आ गया लेकिन अब आप चाहते क्या है ? इन्होंने कहा है कि मैं एस.पी. को भेज दूगां ।

श्री गोपीचन्द : सही ढ़ग से जांच की जाए ।....(व्यवधान)....

श्री मोतीलाल : सही ढंग से जांच की जाए । उस वक्त मीणाजी थे वहां....(व्यवधान)....

श्री सभापति : श्री मोटवानी जी बोल रहे हैं ।

श्री मोतीलाल : एडिशनल एस. पी. थे, कलेक्टर थे वहां, तीनों को हमने वार्निंग दी है,....(व्यवधान)....

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी जी ।... (व्यवधान)....

श्री किशन मोटवानी : माननीय सभापति जी "हां" पक्ष के लोग तो सरकार की रेजिग्नेशन चाहते हैं ? हम नहीं चाहते किन्तु राइट डाइरेक्शन आफ इन्वेस्टिगेशन जरूर चाहते हैं । रेजिग्नेशन मत दीजिये, हम मना कर रहे हैं, किन्तु उनका राइट डाइरेक्शन आफ इन्वेस्टिगेशन जरूर हो ।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी महुआ ।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री और ये स्वयं मौके पर थे, उन्होंने देखा तो यह तो बहुत ही गम्भीर बात हो गयी । फिर उसके बाद भी इस तरह से दूसरा रूप देना ।

श्री सभापति : गृह मंत्री जी ने कहा

(श्री सभापति)

है कि मैं एस. पी. साहब को सारी बात भेज रहा हूं....(व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि जो यहां पर विवेचना हो रही है उसकी प्रतिलिपि मैं पोस्ट आफिस की तरह एक्ट करके....

श्री सभापति : डाइरेक्शन देकर भेजेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : पुलिस अधिकारी को भेज दूंगा। ऐसा मत कीजिये। आपके राज में जितना ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कैलाशजी।

श्री कैलाश मेघवाल : तो केवल बोलने के लिये बोलते हैं आप? ह्यूमन राइट्स का अगर कोई वायोलेशन हुआ हैं तो मैं यहां बैठा हूं कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिये।...(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : कार्रवाई तो आप कर रहे हैं पर वायोलेशन लगातार होता जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : स्वीपिंग चार्ज तो नहीं होना चाहिये कम से कम माननीय जगदीप धनखड़ की तरफ से।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं कि अखबार में कोई खबर छप जाती थी तो उस खबर की कटिंग हैड आफ दी डिपार्टमैण्ट के पास पहुंचती थी और उस पर एक्शन होता था पर बड़ी तकलीफ है, सभापति महोदय, कि अखबार की कटिंग की बात तो दूर यहां तो सदन का दिन प्रतिदिन अवमूल्यन होता चला जा रहा है। माननीय सदस्य जो मुद्दे यहां उठाते हैं उनको इतनी संवेदनहीनता के साथ में आया-गया कर दिया जाता है। प्रशासन उन पर कोई ध्यान नहीं दे, मंत्री महोदय कोई ध्यान नहीं दें। माननीय सदस्य बार-बार आपसे एक ही मांग कर रहे हैं कि एस. पी. से क्या होगा, आप एक निश्चित डाइरेक्शन देकर, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो तीन आफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करें, आप क्यों नहीं उसमें निर्धारित कर देते हैं? क्या परेशानी है? राजस्थान सरकार के मंत्री वहां मौजूद थे, आलूदा निशानों को उन्होंने देखा है और आपके सहयोगी हैं वे, वे तो असत्य बोल ही नहीं रहे हैं आप उनको बुलाकर उनसे सम्पर्क कर लें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर नहीं हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किन को? आप उनसे कुछ तो करवाइये, साहब।

श्री सभापति : मैं क्या करवा सकता हूं?...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, इसका कोई अर्थ तो कुछ निकलेगा नहीं।

श्री सभापति : मैं क्या करवाऊं ? आप कह रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार इतनी संवेदनहीन हो जाए तो यह तो दर्दनाक बात है।

श्री मोतीलाल : सभापति जी, मैं एक बात कहता हूं, इसकी सत्यता की जांच यदि पुलिस अधिकारी करेंगे तो उन्होंने ही तो कहानी यह गढ़ी है। आप सदन के सदस्यों का, प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ओर के विधायकों का दल बनाकर वहां भेज दें, भरतपुर जिले के बाहर के विधायकों का दल बनाकर भेज दें और वह जांच कर ले इस बात की कि क्या घटनाक्रम है। मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ ले, फोटो देख ले, कुएं को जाकर देख ले और जेल के अन्दर जो बैठे हुए हैं उन दम्पतियों से बात कर ले कि वास्तव में यह घटनाक्रम हुआ है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापतिजी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर माननीय सदस्यों की भावना है तो मैं इस प्रकरण की सी. आई. डी. के एस. पी. से जांच कराने को तत्पर हूं, आज ही आदेश दे दिये जाएंगे।

श्री सभापति : यह ठीक बात है। चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल : श्री श्यामप्रतापसिंह राठौड़ के माध्यम से करवा लें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री मोतीलालजी, विराजें।

श्री मोतीलाल : सभापति महोदय, मेरे पास दो मुद्दे और हैं। मेरे सब डिवीजन बयाना के वैर के अन्दर डीवाई. एस. पी. गौड़ साहब ने.... (व्यवधान)....
वैर में ग्यारह साल के बच्चों को उठाया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है आप विराजिये। श्री मोतीलालजी, विराजिये, चर्चा समाप्त हो गयी है।

श्री खेतसिंह जी राठौड़, सदस्य, विधान सभा नियम 131 के अन्तर्गत अवैध शराब का मामला उठाएंगे।

शेरगढ़ जिला जोधपुर में अवैध शराब की बिक्री

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय आबकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (आबकारी राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, जोधपुर-बिलाड़ा-शेरगढ़-बावड़ी-मथानिया समूह का ठेका वर्ष 1993-94 व 1994-95 की अवधि के लिये (1-4-1993 से 31-3-1995) श्री सुनील कुमार पुत्र जगदीश लाल तलवार, श्री पुखराज पुत्र मोहनलाल, श्री मादर खां पुत्र अनु खां, श्री मुरलीधर पुत्र रोचीराम, श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्यामलाल, श्री रामकिशन पुत्र लालचन्द, श्रीमती वर्षा देवी पत्नी छगन नगवानी, श्रीमती मीना देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार, श्री केलाराम पुत्र राधाकिशन, श्री हेतराम पुत्र दुल्लाराम, श्रीमती कमला पत्नी चांद खां, श्री अनिल खां पुत्र बदरूदीन, श्रीमती कामनी पत्नी मगनबिहारी, श्रीमती अयोध्या देवी पत्नी हीरालाल श्री सराजुदीन पुत्र मांगीलाल को दिया गया है। इस समूह में जोधपुर जिले की जोधपुर, बिलाड़ा, शेरगढ़, बावड़ी एवं मथानिया क्षेत्र में लगने वाली देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कुल 74 मुख्य दुकानें एवं 79 उप दुकानें स्वीकृत है। इनमें मुख्य दुकानों के स्थान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है जो संलग्न हैं।

देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की खुदरा मुख्य एवं उप दुकानें सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। शेरगढ़ क्षेत्र में जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर ने निम्न दुकानें स्वीकृत कर रखी हैं :—

1.	देशी मदिरा दुकान	शेरगढ़
2.	देशी मदिरा उप दुकान	बालेसर
3.	,,	बेलवा
4,	,,	सेतरावा
5.	,,	ढेचु
6.	,,	आगोलाई
7.	देशी मदिरा उप दुकान	चामू
8.	,,	खिरजाखीस
9.	,,	कलाउकांटा
10.	,,	ठाडिया
11.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान	शेरगढ़
12.	,,	बालेसर

इस क्षेत्र में इन स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त शराब के ठेकेदार द्वारा अन्य कोई दुकान नहीं चलायी जा रही है।

क्षेत्र में मदिरा व्यवसायी (ठेकेदार) अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मदिरा कारोबार करने वाले के विरूद्ध विभाग समय-समय पर आबकारी धावे आयोजित करता है एवं ऐसे लोगों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनके नियमानुसार न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाते हैं।

इस क्षेत्र में अवैध तौर पर मदिरा की बिक्री न हो उस पर नियंत्रण रखने हेतु अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोधपुर एवं जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर तथा

(श्री अनंग कुमार जैन)

आबकारी अधिकारी निरोधक दल को समय समय पर निर्देश दिये गये हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि आबकारी सरकार का एक बहुत बड़ा वित्त का सोर्स है जिससे इनकी आमदनी होती है, और उस आमदनी से काफी विकास के और अन्य कामों में भी पैसा लगाया जाता है लेकिन इस बात को सोचना आवश्यक हो गया है कि जो दुकानें लाइसेंस शुदा हैं वे तो अभी जैसे मन्त्रीजी ने पढ़कर सुनाया, 12 हैं मगर हकीकत में हर गांव के अन्दर 3-3, 4-4 दुकानें खुली हुई हैं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि शेरगढ़ का ही सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान के अन्दर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरे राजस्थान के अन्दर आप शेरगढ़ तक ही सीमित न रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय चतुर्वेदी जी अपने दिल पर हाथ लगाकर बता दें कि कोटा में जितनी लाइसेंसशुदा दुकानें हैं और उनसे कितनी ज्यादा दुकानें आपके यहां चल रही हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा तो सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पाली के अन्दर सैंक्शंड दुकानें हैं उनसे कितनी ही ज्यादा दुकानें आपके स्वयं के क्षेत्र हैं।

श्री सभापति : आप तो इनसे भांग की दुकानों के बारे में पूछ लीजिये. शराब की दुकानों के बारे में नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप लाइटली मत लीजिये, इस बात को आप यूं मतो सोचिये। मैं यह मानता हूं कि आपको आबकारी मे बहुत बड़ी आय होती है, एक बहुत बड़ा सोर्स है लेकिन इस सोर्स के साथ साथ यदि आपने समाज को बर्बाद करने का ही तय कर लिया है, आज मेरे शेरगढ़ के अन्दर मैं आपसे कह सकता हूं, हर गांव में शाम को 7-8 बजे के बाद में चौपाल में बैठना मुश्किल हो गया है लोगों का। जो जवान लड़के हैं, जो मामूली पढ़े-लिखे हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं, देशी शराब की बोतलें ठेकेदार ने तरीका यह ढूंढ रखा है कि जो लाइसेंसशुदा दुकानें हैं उनके अन्दर ये बोतलें ले जाकर रख देते हैं। बाद में वे जीपों के अन्दर 25-25 कट्टे भरकर गांव के अन्दर खुदरा व्यापारियों को दे देते हैं और वे फिर उनको बेचते हैं आगे से आगे। एक-एक बोतल फ्री मिल जाती है, 25 बोतम के पीछे एक बोतल फ्री और शाम को उसी बोतल से बैठकर वे और उनके दोस्त वहां शराब पीते हैं और बेहद हंगामा होता है। छोटी-मोटी वारदातें होना शुरू हो गयी हैं और थोड़े दिनों में यह मामला

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और बढ़ेगा । मैं आपसे निश्चित कहता हूं कई जगह कत्ल होंगे ।

मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, आप मेहरबानी करके शराब के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा स्टैप लीजिये । जैसा मैं निवेदन करूं, आप उन पर सरप्राइज चैकिंग करवाइये, उनके ऊपर फ्लांइग स्क्वाड भेजिये, कुछ वायरलैस सैट लगाकर इनको गिरफ्तार कीजिये, पकड़िये, उनके खिलाफ केमेज बनाइये ताकि जो अवैध दुकानें हैं वे बन्द हों ।

मैंने ठेकेदारों से बातचीत की तो वे कहते हैं, हमने तो बहुत बड़ा काम किया है और आप हमारी शिकायतें करते हो । मैंने कहा, आपने हमारा क्या काम किया ? उन्होंने कहा कि जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता था, वह इससे बन्द हो गया है, इसलिए हमने ये दुकानें जगह-जगह खोली हैं । यह तो कोई रीजन नहीं हुआ कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता था उससे....

श्री रोहिताश्व कुमार : यह तो ठेकेदारो ने ही कहा है, सरकार नहीं कहा है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, सरकार ने नहीं कहा हैं । मेरा सरकार से और आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके आप इसको गम्भीरता से लो, +++ । आपके क्षेत्र में भी यही का यही हाल होगा और आज राजस्थान में हर जगह यही हाल है । ये ठेकेदार क्या करते हैं कि ठेके से डबल कमाई की कोशिश करते हैं और डबल कमाई वे तभी कमा सकते हैं कि वे इस प्रकार की दुकानें चलाएं, जिससे उनकी आमदनी बढ़े ।

उनको इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि इससे समाज पर कितना बुरा असर पड़ेगा, कितने लोग बरबाद होंगे । शराब एक ऐसी चीज है जो एक दफा मुंह लगी तो छूटती नहीं । मुख्य मंत्रीजी आप मेहरबानी करके इसके लिए आवश्यक कार्यवाही किजीये । इसके लिए आप....

श्री रोहिताश्व कुमार : आपको कैसे जानकारी है इस बात की ?

श्री सभापति : श्री मोहन लाल मोदी । वे ही पूछ रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मोदीजी ने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा था, उस पर भी आपने जवाब में यही कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को भेजकर जांच करा लेंगे, जांच करवाने से कुछ नहीं होगा

श्री सभापति : उनको यह पता नहीं हैं कि मुंह लगने के बाद छूटती नहीं है ।। खेतसिंह जी, उन्हें यह नहीं पता कि मुंह लगने के बाद छूटती नहीं है ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह उनको मालूम नहीं होगा । यह मैं कब कहता हूं कि उनको मालूम है ? यह जरूरी नहीं कि हरेक को मालूम हो लेकिन जिसके मुंह लग गयी और शराब क्या चीज है, ये जर्दा और पान बहार, ये कौनसी छूटती हैं ? अध्यक्ष महोदय नहीं छोड़ पाये, मुख्य मंत्री जी नहीं छोड़ पाये । जो भी चीज नशे की होती हैं....

श्री सभापति : फिर आप कैसे छोड़ पाते हैं ? मुख्य मन्त्री जी और अध्यक्ष महोदय नहीं छोड़ पाये हैं तो आप कैसे छोड़ पाते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड : मैं नहीं, मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि जवान लड़कों के ऊपर इसका बुरा असर हो रहा है इसलिये भावी पीढ़ी को सुधारने के लिये इसको आवश्यक समझिये । ये सेक्शंड दुकाने हैं वे तो चलवाइये लेकिन जितनी भी दूसरी दुकानें हैं उनको बन्द करने के लिये आप आवश्यक कार्यवाही कीजिये, मेरा तो आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री मोदीजी ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : सभापति महोदय, यह सिर्फ जोधपुर का ही प्रश्न नहीं है, सारे राजस्थान का प्रश्न है और खास तौर से मेरे यहां तो लोग बहुत दुःखी हैं । मैं इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी से भी मिला हूं दो दफा । ये मुख्य मन्त्री रहे जब नहीं मिला, अब की बार सिर्फ इस मामले में उनके घर जाकर मिला और इन्होंने आश्वासन दिया कि तीन दिन बाद आप इसको देख लेना । तीन दिन बाद मैंने देखा, मैंने पहले तो 51 की शिकायत की थी अब मैं विश्वास के साथ कहता हूं मुख्य मन्त्रीजी आपको मैं किसी तरह की कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं कि अभी वहां 100 दुकानें चल रही है, घर-घर में शराब बिक रही है ।

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इतना आतंक फैल गया है वहाँ पर, ऐसा आतंकवाद इस तरह से फैल रहा है वहां पर कि जंचे जिसको मार दिया, जचे जिसको पीट दिया और पुलिस उनकी मुठ्ठी में, आबकारी विभाग उनके कब्जे में । मैं आपसे निवेदन करता करूं, एक गरीब आदमी को जीप से मार दिया । आपके डीवाई, एस.पी. यह कहते हैं कि यह मर्डर किया गया लेकिन उसका एक्सीडेंट में चालान हुआ, इस तरह की कार्यवाही हो रही हैं । इस देश को बचाने के लिये यह तो आपको जरूर करना पड़ेगा । जितनी दुकानें आपने दे रखी हैं, वहां भी यदि गांव वालों की शिकायत है, पूरा गाँव जहां जाकर कहता है तो वहां पर उनको बन्द करना चाहिए । लेकिन गांव के लोग आकर शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ असत्य मुकदमे बना देते हैं । पुलिस असत्य मुकदमे बना दे, औरतों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना दे कि पुलिस का सामना किया।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत ।

श्री मोहनलाल मोदी : इस तरह की कार्यवाही हो, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कि आप इसको तुरन्त बन्द कराने की कार्यवाही कीजिये कि अवैध दुकानें नहीं चलें। मैं आपको....

श्री सभापति : बिराजिये, आपका प्रश्न आ गया अवैध शराब के बारे में। श्री राजेन्द्र गहलोत। बिराजिये, मोदीजी।

श्री मोहन लाल मोदी : एक मिनट, मुख्य मंत्रीजी के पास तो नीचे से जवाब आ गया, आबकारी विभाग ने लिखकर भेज दिया कि कोई दुकान अवैध नहीं चल रही है जबकि उनकी ही मिलीभगत से चल रही है। पुलिस की मिलीभगत से, आबकारी विभाग की मिलीभगत से वे दुकानें चलती हैं और वे ही आपको जबाब भेज दें, उससे आप सन्तुष्ट हो जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर पूरी तरह से ध्यान देकर....

श्री सभापति : बिराजिये, मोदी जी। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री मोहनलाल मोदी : इन अवैध दुकानों को बन्द करवाइये और इससे जो गुण्डागर्दी की कार्यवाही हो रही है उस पर रोक लगाएं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सभापति महोदय शराब की जो दुकानें हैं, वे मन्दिर, अस्पताल और स्कूल के पास हैं जिसके कारण बहुत सी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। जैसे हमारे पावटा क्षेत्र के अन्दर, जोधपुर में....

श्री सभापति : एक-एक क्षेत्र की चर्चा नहीं है इस समय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अस्पताल भी सामने है और स्कूल भी सामने है, उसके पास दुकाने है जिसके कारण वहां हर समय झगड़ा होता है। दूसरा, शास्त्री नगर के अन्दर चौराहे के सामने दुकान है और शास्त्री जी की मूर्ति के नीचे बैठकर शाम को लोग शराब पीते हैं सामने की दुकान से लेकर, जिसके कारण वहां आने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है।

मेरा यह निवेदन है, जहां अस्पताल हो जहां स्कूल हो, जहां मन्दिर हो या कोई सार्वजनिक स्थान हो या कोई बाग-बगीचा हो, वहां यदि शराब की दुकान है जो कि नियमानुसार नहीं होनी चाहिये, उसके बाद भी चल रही है, उस पर कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस शहर में निश्चित नम्बर की दुकानें सेंक्शंड हैं, क्या एक दुकान के पेटे सब-शॉप्स खोलने का अधिकार है? अगर ऐसी सब-शॉप्स खुली हुई हैं तो क्या सरकार बन्द करेगी और उन पर कार्यवाही करेगी? सीधा-सा सवाल है।

श्री सभापति : माननीय शान्ति लाल खोइवाल।

श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, हाउस में अवैध दुकानों के संचालन होने के बारे में आम तौर पर चर्चा होती रहती है और सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार का हमेशा प्रत्युत्तर यही रहता है कि अवैध दुकानों का संचालन नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि कोई सरकार इस तरह से अवैध रूप से संचालनरत दुकानों पर नियंत्रण नहीं कर पायी है। ऐसी स्थिति में मेरा एक छोटा सा सुझाव है मान्यवर, राजस्थान में लगभग 10,000 अवैध सब-काउन्टर्स शराब की दुकानों के चल रहे हैं तो क्यों नहीं उन अवैध सब-काउन्टर्स पर प्रति सब-काउन्टर 2,000 रुपये की फीस इम्पोज कर दी जाए और इसको रेगुलेट करके सरकार की इन्कम बढ़ा दें। अन्यथा यह रुकने वाला नहीं है।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी चौधरी।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान खेतसिंह जी और मेरे द्वारा पेश इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ आकर्षित करता हूं। कृपया इसके महत्व को महसूस कीजिये, माननीय खेतसिंह जी ने दुःखी होकर यह प्रस्ताव पेश किया है कि इलाके के अन्दर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। उनके यहां क्या हो रहा है वह तो वे जानें, लेकिन मेरे मण्डावा क्षेत्र में भी मेरा रहना मुश्किल हो रहा है। मेरे अलसीसर गांव में, जो किसी जमाने में शराब का अड्डा था और उस गांव में आज 5,000 की जनसंख्या है, सर्वसम्मति से गांव के ठाकुरों ने, राजपूतों ने, जाटों ने, हरिजनों ने, ब्राह्मण-बनियों ने, तमाम लोगों ने मिलकर हस्ताक्षर करके दे दिया कि यहां पर शराब नहीं बिकेगी। उसके बाद भी ठेकेदार जबरदस्ती वहां पर स्कूल के पास, अस्पताल के सामने लठैतों के सहारे से दुकान चला रहे हैं जबकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। आप वहां का अन्दाजा लगा सकते हैं। जब इन्होंने दुःखी होकर के प्रस्ताव पेश किया तो कोई ऐसी व्यवस्था करिये। मुख्य मंत्री जी, आपने बहुत बड़ा काम किया था, जब आप पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, आपने सारे राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी की थी और एक ऐसा जबरदस्त काम था वह कि भुलाया नहीं जा सकता। आज जो अवैध शराब है इसमें मैं यह मानता हूं कि हर आदमी को तकलीफ है लेकिन आप इसमें ऐसा रास्ता निकालिये कि अवैध शराब की बिक्री नहीं हो। पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड लगे या और कुछ लगे वह आप अपने अधिकारियों पर छोड़िये कि वे किस प्रकार से उसको बन्द कर सकते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि इसको बन्द करिये इससे भावी पीढ़ी बिगड़ रही है। राजस्थान के आज का आम-अवाम ही नहीं भावी पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। जो बेरोजगार लड़के हैं, वे शराब पी रहे हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

शराब में धुत होकर घूमते हैं। कई गांवों में तो शाम के बाद जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गयी है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति जी, पिछले कुछ वर्षों से अवैध शराब के मामले में एक क्वालिटेटिव परिवर्तन आया है। पहले जो लोग करते थे अब वे लोग नहीं कर रहे हैं और आबकारी विभाग और शराब के ठेकेदार इन्होंने मिलकर अपने आप एक कार्यवाही चालू की और पूरे अवैध शराब के व्यापार पर कब्जा कर लिया। इस परिवर्तन का क्या नतीजा हुआ कि जो शराब के ठेकेदार हैं वे आबकारी विभाग की मिलीभगत से पूरी तरह अवैध शराब का व्यापार करने लग गये। यह पूरे राज्य में ऐसी बात हो गयी है कि इसकी गाज किसके ऊपर पड़ती है महिलाओं पर बच्चों पर या गरीब जनता पर?

आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्टूडेंट्स में, यंग पर्सन्स में यह बात बढ़ती जा रही है जो बहुत बड़ी चिंता की बात है और सामाजिक व्यवस्था इससे डगमगा रही है। इस प्रकार का कोई आंदोलन चालू करें, इस प्रकार का कोई कैम्पेन चालू करें। यह एक बार मुंह को लग जाती है, मुझे तो अनुभव नहीं है पर खेतसिंहजी की बात पर मुझे पूरा विश्वास है और मुख्य मंत्रीजी को अक्सर खेतसिंह जी को टोकते हैं, उन्होंने आज इस बात पर टोका भी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : टोका है। ...(व्यवधान)... बाहर ले गये।

श्री जगदीप धनखड़ : बाहर की बात अलग है।

श्री सभापति : जो खेतसिंहजी ने बात कही, मुख्य मंत्री जी उससे सहमत नहीं हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि स्कूल्स में, कॉलेजेज में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, कोई कैम्पेन सुनियोजित तरीके से चले।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज सदन में शराब पर चर्चा चल रही है....

श्री सभापति : चर्चा नहीं ध्यानाकर्षण है। प्रश्न पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा यह सीधा प्रश्न है अवैध शराब के बारे में। अवैध शराब की बिक्री क्यों होती है? मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम, गंगापुर, करौली यहां इंस्पेक्टर आपने लगा रखे हैं पर इंस्पेक्टरों की जगह खाली पड़ी है और उसके कारण से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इसकी किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है । दूसरा, मेरा निवेदन है कि अवैध शराब के लिये हमारे यहाँ जगह-जगह पोस्टर लगा रखे हैं । मेहंदीपुर बालाजी के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही वहां दूसरे जिले में घुसते हैं सारे ड्राइवर लोग, बस वाले, यू. पी. में जाने वाले सारे लोगों की या ड्राइवर्स की सीटों के नीचे आप उठाकर देख लें, अगर आपको अवैध शराब की बोतल नहीं मिल जाए तो इस बात की मेरी गारंटी है । मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है वह इंस्पेक्टर की कमी के कारण हो रही है । इसलिये इंस्पेक्टर लगाये जाएं और बालाजी मोड़ पर जो अवैध शराब बिकती है उसको भी रोका जाए ।

श्री सभापति : श्री शान्ति कुमार धारीवाल ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): सभापति महोदय, शराब के विषय पर सरकार का ध्यान खेतसिहजी ने आकर्षित किया इसलिये यह वैसे ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है । दूसरी बात यह है कि सरकार की रेवेन्यू सबसे ज्यादा इससे ही इकट्ठी हो रही है । लेकिन इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है, सरकार को पैसा चाहिये । इस बात का प्रचार तो गालिब ने भी किया है । गालिब ने एक शेर में कहा है, "जाहिद वो जगह बता दे जहां खुदा न हो ।" और मस्जिद में बैठने की बात कही है उसने ।

श्री सभापति : इसलिये भयमुक्त हो रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी तरीके से अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंशराय बच्चन ने यह कहा है, "मंदिर-मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला ।" यह प्रचार है लेकिन जिन लोगों ने भी इस बात को कहा है उन्होंने अच्छे सेंस में कहा है, उन्होंने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया, इस बात को प्रसारित नहीं किया कि अवैध धंधे को प्रोत्साहन दिया जाए अभी गहलोत साहब ने कहा कि मंदिर के सामने शराब की दुकान, कालेज के सामने शराब की दुकान, ऐसे मौहल्ले हैं जो प्रतिष्ठित मौहल्ले कहलाते हैं वहां पर अवैध शराब की दुकानें हैं । मौहल्ले वाले जाते हैं, जिला प्रशासन को दरख्वास्त देते हैं कि इसको हटवा दो लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती । क्या सरकार इस बात के लिये संभागीय आयुक्त को जिम्मेदार बनाएगी दरख्वास्त आने पर वह फौरन उसकी जांच कराए और दो रोज के अन्दर उस अवैध दुकान को बंद करवाने की कार्यवाही करे ।

श्री सभापति : बैठिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सवाल और है । जैसा अभी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, जहां-जहां भी जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हैं और इनका पूरा कार्यालय हैं, सरकार शायद इनको उतनी तनख्वाह नहीं देत।

(श्री शांतीकुमार धारीवाल)

जितनी कि वहां के शराब के व्यापारी, शराब के ठेकेदारों से उनको मिलती है। इसलिये उनकी लायल्टी सरकार के प्रति न होकर उन शराब के ठेकेदारों के प्रति होती है। उनका काम सिर्फ यह होता है कि अगर शराब के ठेकेदार ने टेलीफोन करके उनसे कह दिया कि फलानी जगह अवैध शराब का धंधा हो रहा है तो वे सब काम छोड़कर दफ्तर के ताला लगाकर उसके साथ जीप में बैठकर चले जाते हैं। मारपीट होती है, हजारों केसेज इस तरीके से रजिस्टर हुये हैं इन शराब के ठेकेदारों के खिलाफ लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कई जगह अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं। वे दुकानें अवैध शराब की तो नहीं हैं लेकिन दुकानें अवैध होने की आपने चिन्ता व्यक्त की। शराब के जो ठेकेदार हैं वैध शराब उनकी है, लेकिन वे उसको कई जगह जहां उनकी दुकान स्वीकृत नहीं है वहां जाकर बेचते हैं, इस प्रकार की दुकानें उन्होंने खोल रखी हैं। इस मामले में पहले भी सदन में चर्चा हुई थी, मैंने आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया था कि जब कभी ऐसी शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी उसकी जांच करते हैं और जो निरोधक दल बने हुए हैं वे भी उसकी जांच-पड़ताल करते हैं। यदि शिकायत सही पायी जाती हैं तो उनके उपर कैसेज भी बनाये जाते है और उनको दण्डित किया जाता है। कई बार आपसी झगड़ों के कारण शिकायत गलत पायी जाती है तो जांच करके उसका निस्तारण किया जाता है। फिर भी मैं आज सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं, चूंकि यह गंभीर मसला है और अधिकांश सदस्यों ने इस पर चिन्ता जतायी है। एक ही क्षेत्र में नहीं, यह सवाल शेरगढ़ में ही नहीं है और भी कई क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने चिंता जतायी है तो सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी। यह प्रयास निश्चित रूप से सरकार की ओर से हमेशा रहा है और रहेगा कि अगर कोई अवैध शराब की दुकानें गांवों के अन्दर चल रही हैं तो इनके ऊपर सरकार कड़ा नियन्त्रण रखेगी और संबंधित सक्षम अधिकारियों से जांच कराकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : हमेशा एक ही जवाब आता है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है लेकिन मंदिरों के पास, स्कूलों के पास, राशन की दुकानों के पास, दवाई की दुकनों के पास भी अवैध दुकानें बंद नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, सदन के माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों ने अवैध रूप से चलायी जा रही दुकानों के संबंध में चिन्ता प्रकट की है। इस सदन में कई बार इस संबंध में चर्चा हुई है और सरकार की तरफ से यह सही है कि यही उत्तर दिया जाता है कि सरकार यथासंभव उन सारी शिकायतों का निराकरण करने की कोशिश करेगी।

श्री किशन मोटवानी : जवाब तो यही आता है कि ऐसी दुकानें नहीं हैं। मुझे जवाब मिला है, मेरे पास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने भी ऐसा ही जवाब दिया होगा। जवाब आप दें या मैं दूं जवाब तो यही आएगा। जवाब में कोई अन्तर नहीं है लेकिन आप जो समस्या बता रहे हैं वह वास्तव में है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब एक तरफ तो आप समस्या बताते हैं और दूसरी तरफ आपका कहना है कि आबकारी विभाग के सारे अधिकारी इन ठेकेदारों से मिले हुए हैं। उसी के साथ आप यह कहते हैं कि पुलिस भी उनसे मिली हुई है। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ये दोनों विभाग मिल जाएं और मिलकर यदि इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाएं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय बनता है। अब इसका निराकरण कैसे किया जाय ? आप किसी पुलिस अफसर से जांच कराएं तो आपको संदेह होता है कि यह पुलिस अधिकारी मिल गया। आबकारी अधिकारी से जांच कराएं तो संदेह होता है कि आबकारी अधिकारी मिल गया। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर के सामने दुकान चल रही है, हॉस्पिटल के सामने दुकान चल रही है या और ऐसे स्थान पर जहां दुकान नहीं चलनी चाहिये, उस प्रकार की दुकान चल रही है तो मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, जनता उनके साथ है, जनता को लेकर कभी कलक्टर के पास गये हैं, कभी कमिश्नर से जाकर कहा है, कभी जाकर उनको मौके पर लाये हैं ? मैं समझता हूं सारे विधायक अपने-अपने क्षेत्र में एक अवैध धन्धे की दुकान को रूकवा दें तो उसका निश्चित रुप से असर पड़ेगा।

मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कोई भी विधायक यदि इस सम्बन्ध में कलक्टर को शिकायत करेगा, एक्साइज कमिश्नर को शिकायत करेगा या पुलिस कमिश्नर से शिकायत करेगा इतनी हिम्मत रखेगा कि वह जाकर मौके पर यह बता दें कि दुकान खुली हुई है, वहां कोई कार्यवाही नहीं हो तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठेकेदार ही काम नहीं कर रहे, ठेकेदार ही दुकान नहीं चला रहे हैं। आज इस शराब की विक्री के अन्दर लोगों को व्यथा मिलने लग गया। गांव गांव में कोई पांच बोतल ले गया, कोई दस-

130

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोतल ले गया, कोई पन्द्रह बोतल ले गया और दुकान के बजाय वह अपने घरों से इस प्रकार की शराब की बोतल बेचता है और उसका कमीशन लेता है। उसका एक इलाज है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिले, सजा दिलाने में जनता आगे आये। जिन पर आपको विश्वास नहीं है, आज आप अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, उन अधिकारियों के कारण और जनता के सहयोग के कारण हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य यहां बोले हैं या जिनको भी इस प्रकार की जानकारी है, वे एक-दो एक्जेम्पलरी केसेज ले लें-पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सबको पकड़वा देंगे, यह छोड़ दीजिये लेकिन एक-दो जगह जहां खुले-धड़ल्ले से इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है, एक्साइज आफिसर में विश्वास हो तो उससे बात कर लीजिये, पुलिस अफसर में विश्वास हो तो उससे बात कर लीजिये, दोनों में विश्वास नहीं हो तो और उस जिले का कोई अधिकारी हो उस अधिकारी को सूचना देकर उस अधिकारी के माध्यम से आप काम करवा लें। एक-एक क्षेत्र में यदि एक-एक भी एक्जेम्पलरी काम हो गया तो यह अवैध धन्धा इस प्रकार से रूक सकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य, यहां भाषण का तो उनका अधिकार है लेकिन उस भाषण के द्वारा जनता को राहत मिले इस प्रयास में भी वे सरकार का सहयोग करेंगे। माननीय खेतसिंहजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रसंग उठाया।

श्री किशन मोटवानी : आज बहुत सीरियस हैं, श्रीमन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आज ये सीरियस क्यों हो रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन सुबह से मैं देख रहा हूं कि ये बहुत सीरियस हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके ड्राइवर की पिटाई हो गयी इसलिये सीरियस हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो धन्धे रोज होते हैं, उससे तो नहीं होंगे सीरियस। लेकिन आपको यह विश्वास देता हूं कि उस सारे क्षेत्र में अगर आप जहां भी चाहें आप किसी को मत बताइये, मुझे बता दीजिये, मिनिस्टर साहब को बता दीजिये, होम मिनिस्टर को बता दीजिये, मैं स्वयं वहां पर अधिकारियों को भेजकर पकड़वाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पकड़े जाते नहीं हैं, जो स्थान बताये जाते हैं वहां एक बोतल नहीं मिलती। भगवान जाने कहां छिपाते हैं और किस जगह वे उपलब्ध करवाते हैं, इसका पता नहीं लगता।

श्री अमराराम (धोद) : अधिकारी पहले ही बता देगें, आज उठा लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अधिकारी तो ये ही होंगे, इन अधिकारियों के भरोसे ही काम करना पड़ेगा। अब सारे अधिकारियों को भ्रष्ट मान लें, सारों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बेईमान मान लें उससे तो काम चलेगा नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : एक सैकण्ड, मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्जाम्पल यहां बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सीकर के कलक्टर ने तीन डी ओ. लिख दिये, आप माफ करें तो, तीन डी. ओ. लिख दिये कि सीकर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड के सामने और मन्दिर के बिल्कुल नीचे गेट के सामने शराब की दुकान है, उसको बंद किया जाए। तीन डी. ओ. लैटर कलक्टर के लिखने के बाद भी वह दुकान नहीं हटायी जा रही है।

श्री समापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसको देख लूंगा। कलक्टर ने डी. ओ. लिखा और उसकी पालना नहीं हुई, वह मैं निश्चित रूप से देखूंगा। लेकिन मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सब मिलकर इस बीमारी का समाधान कर सकते हैं, उन अधिकारियों के भरोसे बैठे रहे तो उससे नहीं चलेगा।

श्री समापति : धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उद्योग मंत्री सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : समापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री समापति : बिराजिये, माननीय मोदी जी। नहीं, नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : एक मिनट, मैं सिर्फ एक मिनट कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके सरकारी कर्मचारी वहां पर हैं....

श्री समापति : नहीं, बिल्कुल नहीं। मै अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : अगर आपके दूसरे सरकारी कर्मचारी इस बात को मंजूर करते हैं....

श्री समापति : बिराजिये। इनका अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उद्योग मंत्री) : समापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सभापति : श्री रिछपालसिंह मिर्धा ।

थांकला (नागौर) सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने बाबत

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : सभापति महोदय, मैं थांकला तहसील डेगाना जिला नागौर में सैकण्डरी पाठशाला को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थिपित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री हबीबुर्रहमान

(अनुपस्थित)

श्री महावीरप्रसाद जी

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन में संशोधन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिश सदन द्वारा स्वीकृत किये जाने पर राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को सदन में दिनांक 30 मार्च, 1994 को विचारार्थ लेकर पारण किया जाना है तथा राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 31 मार्च, 1994 को विचारार्थ लेकर पारण किया जाना है लेकिन उपरोक्त दोनों विधेयक अभी सदन में पुरःस्थापित नहीं हुए हैं अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त दोनों विधेयकों पर सदन में उक्त तिथियों को विचार नहीं किया जाकर दिनांक 31 मार्च, 1994 को राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को सदन में विचारार्थ लेकर उसका पारण किया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री रामनारायण चौधरी : हार-जीत का सवाल ही कहां खड़ा किया ?

श्री सभापति : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक । माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पादन) पर कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक,

(श्री अनंग कुमार जैन)

1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सभापति : श्री अनंगकुमार जैन, प्रभारी मंत्री राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर.स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : विधायी कार्य। विनियोग विधेयक पर चर्चा आगे प्रारम्भ होगी। अब माननीय विपक्ष के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मेरी चर्चा अधूरी रही थी कल, श्रीमन्।

श्री सभापति : ताम्बीजी, कल आपका खत्म हो गया था।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां हो गया खत्म।

श्री सभापति : बिराजिए। आसन से खत्म....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था दे दी आसन ने।

श्री सभापति : आपका कल समाप्त हो गया था ।

श्री रतनलाल ताम्बी : रिकार्ड देख लें आप ।

श्री सभापति : आप बिराजिये नहीं, मैं पूछना चाहता हू कि माननीय मदेरणा साहब, विपक्ष के नेता ही बोलेंगे या अन्य सदस्य भी बोलेंगे ? समय तो हैं नहीं, पौने तीन बज रहे हैं ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : पांच बजे तक हो जाएगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, कल का रिकार्ड दिखवा लें ।

श्री सभापति : बिराजिये । माननीय श्री शान्तिकुमार धारीवाल । विनियोग विधेयक पर बोल रहे हैं ? नहीं बोल रहे हैं....

श्री रततलाल ताम्बी : मैं बोल रहा हूं यदि आप इजाजत दें तो ।

श्री सभापति : आपका भाषण कल समाप्त हो गया था ।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां हुआ ? आप देख लें ।

श्री सभापति : मैंने देख लिया है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं देखा है ।

श्री सभापति : मैंने व्यवस्था दे दी, आपका समाप्त हो चुका, माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं हुआ है श्रीमन, + + + है ।

श्री सभापति : जो है सो है, आप बिराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो लोकतंत्र में + + + हो रहा है, श्रीमन् ।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा नाम है....

श्री सभापति : आपका भी है । उल्टी नहीं ऊपर से माननीय मदेरणा साहब का है....

श्री रतनलाल ताम्बी : वे तैयार नहीं हैं ।

श्री सभापति : आप तैयार नहीं हैं क्या ?

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 5), विधेयक 1994

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक पर आपके माध्यम से सरकार का

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई बातें यहां पर सामने आयी हैं।

राजस्थान की सरकार द्वारा और खास कर हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा भारत सरकार से वक्त-वक्त पर यह मांग की गयी और मांग ही नहीं की गयी बल्कि एक वक्त में तो मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्रियों के साथ मिलकर मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार के खिलाफ जेहाद छेड़ा। जेहाद यह छेड़ा कि राज्य सरकार . (व्यवधान) ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी : कल का आप रेकार्ड देखिये। कल तो बात करते-करते टाइम हो गया। कहां समाप्त हुआ ? घोषित नहीं किया गया।

श्री नारायण सिंह : समाप्त नहीं हुआ।

श्री सभापति : मैंने कहा, आप बिराजें। मैंने देख लिया, आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां देख लिया ? सभापतिजी, मैंने तो देखा नहीं।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार धारीवालजी बोल रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : वे तो बोल रहे होंगे, अब तो आप दिखवा कर बात कीजिये।

एक माननीय सदस्य : बाद में ले लेना।

श्री रतनलाल ताम्बी : कैसे ले लें बाद में ? समाप्त नहीं हुआ मेरा।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने स्टार्ट किया और टाइम पूरा हो गया, इसके बाद समाप्त कब हो गया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त हो गया, बिराजें आप। व्यवस्था हो चुकी है, बैठें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : कब हो गयी ?

श्री सभापति : मैंने कर दी न अभी। आपको....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, व्यवस्था नहीं हुई, आप दुबारा देख लें।

श्री सभापति : व्यवस्था मैं दे रहा हूं वही व्यवस्था है, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप रिकार्ड वाली बात को....(व्यवधान)....

श्री सभापति : रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं, ताम्बीजी, बिराजें, आप। धारीवालजी बोल रहे हैं। बात पहले ही समाप्त हो गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो + + + हो गया बता, दिया समाप्त हुआ।

श्री सभापति: + + + हटा दिया जाए।

श्री नारायणसिंह : प्रजातंत्र चालू हो गया + + + हटा दो।

श्री सभापति : हटा दिया मैंने + + + को। ....(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल : हमारे मुख्य मंत्री जी ने राज्यों को अधिक आर्थिक स्वायत्तता दी जाए, इस बात का जेहाद कई आसपास के राज्यों के मुख्य मंत्रियों को साथ में लेकर के छेड़ा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बगैर सोचे-समझे इस तरीके की बात उठाना कम से कम राजस्थान प्रदेश के लिये कितनी नुकसानदायक बात होगी। हमें यह देखना होगा कि भारत सरकार जो केन्द्रीय राजस्व में यहाँ से पैसा इक्ट्ठा करती है पैसा जो वसूल करती है, सन् 1985 से लेकर के 1988 तक 1116 करोड़ रुपया राजस्थान वासियों से केन्द्रीय मद में केन्द्रीय सरकार ने वसूल किया और इन तीन सालों में केन्द्रीय मद के पेटे राजस्थान को कम से कम 2500 करोड़ रुपया दिया गया, अगर यह स्वायत्तता की बात लागू कर दी जाए तो राजस्थान दाने-दाने पर मोहताज हो जाएगा। समर्थ राज्य चाहे वह महाराष्ट्र ले लें, पंजाब, हरियाणा बैंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान से कई गुना ज्यादा केन्द्रीय मद में पैसा देते हैं और राजस्थान का हिस्सा 1/4 भी नहीं हो पाता उनसे, तो ऐसी मांग वक्त वक्त पर उठाना राजस्थान के लिए कितना अहितकारी है।

श्री टीकमचन्द कान्त : राजस्थान दाने दाने को मोहताज हो .. (व्यवधान)....

श्री सभापति : आज इनको टोकें नहीं, पहले तैयार होकर के नहीं आये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : केन्द्रीय मद मे जो राशि राजस्थान सरकार को वक्त-वक्त पर मिली अगर आप उसका टोटल आंकलन करें तो यह बात साबित होती है कि जितना कन्ट्रीब्युशन राजस्थान का रहता है, उससे कम से कम भी चार गुना उस मद में राजस्थान को पैसा मिलता आया है। दसवें वित्त आयोग ने नॉन प्लान एक्सपेंडीचर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नॉन प्लान एक्सपेंडीचर आप कम करिये और प्रशासन का खर्च कम कीजिये। आपने इस बात की तो वाहवाही ले ली कि प्लान में हमने तीन गुना, चार गुना पैसा ले लिया लेकिन आपके कामों के मूल्यांकन के अनुसार वह पैसा आपको नहीं दिया गया। यह केन्द्रीय सरकार की दरियादिली थी कि उन्होंने आपके प्लान को बढ़ा दिया और उसके लिये ज्यादा बजट एलोकेशन किया। आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किये कि जिसकी वजह से आपको ज्यादा पैसा मिलता? अगर आप प्रशासन का खर्च कम करते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडीचर कम करते तो इससे भी ज्यादा पैसा आपको केन्द्रीय सरकार द्वारा, प्लानिंग कमीशन द्वारा मिल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सकता था। दसवें वित्त आयोग ने साफ-साफ लिखा है इस बात को की इन दो बातों के कारण से राजस्थान की सरकार को पैसा कम दिया जाएगा। मेरा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट कब आयी है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दसवें वित्त आयोग में आप खुद मौजूद रहे हैं और वहां पर आपने अपना केस पूरा प्लीड किया। के. सी. पंत यहां पर आये और आकर के आपने दो-तीन रोज उनके साथ डिस्कशन किया। इन दोनों बातों को उन्होंने आपसे एक ही बार नहीं कम से कम 10 बार कहा कि नॉन प्लान एक्सपेंडीचर्स कम कीजिये, प्रशासन पर खर्च कम कीजिये। लेकिन उसके बारे में बजट में कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं हैं। आपने खुद अपने भाषण में कहा कि कितना पैसा 8 हजार कारों पर खर्च होता है और कितना पैसा टेलीफोन पर खर्च होता है लेकिन पूरे बजट की स्पीच में मुख्य मंत्रीजी ने एक रास्ता ऐसा नहीं बताया जिससे कि खर्चा कम किया जाए। मेरा आपसे अर्ज करना यह है कि निश्चित रूप से आपन ने यह उदाहरण दिया कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है और उसने 300-350 करोड़ का अपने बजट में घाटा दिखाया है तो राजस्थान ने दिखा दिया तो क्या बुरा किया ? ये तर्क चलने काबिल नहीं हैं। इन तरीकों से हम उस बात को अच्छी तरह से साबित नहीं कर सकते कि जो घाटा हमने दिखाया वह बाजिब दिखाया है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आज अकाल की स्थिति है और राजस्थान में जितना पानी उपलब्ध है उसका दो प्रतिशत हम ऊपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं कोटा सम्भाग से आता हूं, कोटा सम्भाग में कम से कम 23-24 नदियां ऐसी हैं जो 12 महीने बहती हैं। आपने चम्बल पर डैम बनाया, चम्बल पर डैम बनाने के बाद में जब 1977 में आप मुख्य मंत्री बने तो आपने आंख मींच ली और 22 डैम गांधी सागर के अप स्ट्रीम में बनने दिये। उसके कारण यह हुआ कि ...(व्यवधान)....वह उसी का आपने रिपेमेंट किया कि मध्य प्रदेश वालों ने आपको राज्य सभा में भेजा था, इसलिए तो आपने राजस्थान को छोड़ कर मध्यप्रदेश की वकालत शुरू कर दी। सन् 1978 में सर्वे करा लिया गया था इस बात का, राजस्थान सरकार ने सर्वे कराया जिस वक्त आप मुख्य मंत्री थे। आपकी जानकारी में यह बात आ गयी थी कि छोटे-मोटे 22 डैम वहां पर बांध दिये गये हैं। इन बांधों से जो साढ़े पांच मिलियन एकड़ फीट की पूरी क्षमता थी उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ ? एक मिलियन एकड़ तीन लाख एकड़ जमीन की इरिगेशन होती है सभापति महोदय, और इस हिसाब से कम से कम 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और हो सकती थी उस चम्बल के पानी से, लेकिन हम उससे वंचित रह गये उसका परिणाम आज यह हुआ कि कम से कम 50 हजार एकड़ जमीन चम्बल बेसिन

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

की आज भी ऐसी है जहां पर तीन पानी को छोड़ करके एक पानी भी नहीं लगा और लोगों की फसलें जल गयी। और तो और, जिस मध्य प्रदेश को ओब्लाइज करने के लिये, जिस मध्यप्रदेश को रिपेमेण्ट करने के लिये आपने वहां पर आंख मींच कर 22 डैम्स बनने दिये, आज वही मध्य-प्रदेश केन्द्रीय बोर्ड के सामने जाकर के राजस्थान की शिकायत करता है कि 3300 क्यूसेक्स पानी हमें मिलना चाहिये था, उसकी बजाय हमें सिर्फ 800 क्यूसेक्स पानी दिया जा रहा है। यह सब कुछ कैसे हुआ, आप यह देखिये तो....(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप इधर-उधर हो रहे हैं।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : अभी तो चालू किया है।

श्री सभापति : आप तो इधर-उधर कर रहे हो कागजों को।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : कागज तो देखूंगा, बिना कागज....

श्री सभापति : सदन में शून्य नहीं रहता माननीय सदस्य। बोल नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं? श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : अनेक सिंचाई की योजनाएं आज राज्य सरकार ने बनाकर रख रखी हैं। शिवचरण माथुर जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जितनी भी नदियां हाड़ौती सम्भाग में बहती थीं, चाहे वह पार्वती हो, पर्वण हो, लासी हो, उड़ेसी हो, मेफ हो सब पर कुछ न कुछ योजनाएं बनाकर के रखीं। लेकिन इन योजनाओं के बाबत कुछ नहीं किया गया। वह क्यों नहीं किया गया, इसलिये नहीं किया गया कि जो भी सरकार आयी उसने हमेशा हाड़ौती सम्भाग को एक गड्ढे के तौर पर मानकर कि चम्बल आपको दे दी, चम्बल से आपके यहां सिंचाई हो रही है वही काफी है, राजस्थान के अन्य भागों में अपना ध्यान केन्द्रित किया। वहां की योजनाएं लम्बित पड़ी रहीं जिन योजनाओं से सिंचाई के साधन बढ़ते और पैदावार बढ़ती। जो अकाल की स्थिति मध्यप्रदेश में है वही स्थिति आजकल हाड़ौती के कई हिस्सों में देखने को मिलती है। मैं हिण्डौली से विधायक बन कर आता हूं। हिण्डौली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि मुश्किल से किसी काश्तकार के पास 30 या 40 बीघा भूमि से ज्यादा होगी, जितने भी काश्तकार हैं वे सभी लघु या सीमान्त काश्तकार हैं। उन काश्तकारों को उन नदियों से आराम से पानी दिया जा सकता था, सिंचाई योजनाएं बनाकर लेकिन वह नहीं हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि 203 गांवों में से लगभग 197 गांव आज अकाल की चपेट में हैं। लाखों घनफुट पानी व्यर्थ बह रहा है। कालीसिंध पर कोई योजना नहीं, पार्वती पर कोई योजना नहीं, पर्वण पर कोई योजना नहीं, ये वे नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं। झालावाड़ जिले का तो यह हाल है कि बहुत बड़े-बड़े डैम वहां पर उपलब्ध हैं लेकिन दो प्रतिशत

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

पानी का उपयोग हो रहा है। तो जब आपका प्लानिंग ही टोटल डिफैक्टिव हो तो आप अकाल से लड़ने की कैसी ताकत रखते हैं ? नीतिविहीन सरकार, कोई नीति नहीं है इस सरकार की और चाहे औद्योगीकरण की बात होगी तो कह दिया जाएगा कि औद्यिगिक नीति बनने वाली है, पर्यटन की बात होगी तो पर्यटन नीति बनने वाली है, यातायात की, आबकारी की नीति बनने वाली है। राजकीय उपक्रमों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मनमोहनसिंह जी ने चार हजार करोड़ के पब्लिक अण्डरटेकिंग के शेयर बेचने का फैसला किया, यह फैसला अपने आप में एक कीर्तिमान फैसला था। आपके 22 राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं लेकिन उनको घाटे से उबारने के लिये किसी प्रकार की योजना बनाने की बात करें तो मुख्य मंत्री जी घोषणा कर देते हैं कि नीति बनने वाली है। ये सब नीतियां पता नहीं कब तक बनेंगी ?

मैं 13 नीतियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ऊर्जा संरक्षण की, जल संरक्षण की नीति, शिक्षा की नीति, परिवार कल्याण की नीति, ग्रामीण ऋण प्रणाली को सुधारने की नीति और एन. आर. आइज को किस तरीके से प्रभावित किया जाए उसके बारे में नीति, आपने जब-जब भी कहीं भाषण दिया, चाहे वह चार महीने पहले दिया हो, तीन महीने पहले दिया हो लेकिन एक महीने की मियाद आपने हर जगह दी कि एक महीने के अन्दर इसकी नीति बनकर तैयार हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह सरकार नीतिविहीन सरकार है। घोषणा करती है घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति आप मजबूत करना चाहते हैं तो कृपया गम्भीर होकर इस पर पूरा ध्यान दीजिये। उद्योग नीति के बारे में दो आदमियों की कमेटी बनायी कि चीफ सैकेटरी और इन्डस्ट्रीज सैकेटरी मिलकर उद्योग नीति बनाएंगे लेकिन उनकी बैठक उद्योग नीति के बारे में एक बार भी नहीं हुई।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। श्री राजपाल सिंह शेखावत। आज संक्षेप में पक्ष-प्रतिपक्ष के दोनों नेता बोलेंगे।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): सभापति महोदय, बजट के बारे में चर्चाएं चलीं, एप्रोप्रिएशन बिल पर भी कल और आज चर्चा चली और चर्चा में कभी मन मोहन सिंह जी का हवाला दिया गया, कभी लिबरलाइजेशन का हवाला दिया गया। बजट पर बहस के दौरान 15 बिलियन डालर तक फारेन रिजर्व को लबालब भरने के लिये मनमोहन सिंह जी को बधाइयां दी गयीं। राजस्थान के राजकोषीय घाटे को कोसा गया, राजस्थान के राजस्व घाटे को कोसा गया, राजस्थान

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

के बजट घाटे को कोसा गया लेकिन पोलिटिकल प्लेजर से हर चीज गबन नहीं होती है। इकानामिक कन्सीडरेशन पोलिटिकल प्लेजर से गबर्न नहीं होती। अभी धारीवाल साहब फरमा रहे थे कि राजस्थान को अपने आर्थिक हकों की मांग करनी चाहिये। राजस्थान ने अपने आर्थिक हकों की मांग की तो राजस्थान दाने दाने के लिये मोहताज हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर की एक परिकल्पना है जिस कल्पना के तहत हमने फाइनेंस कमीशन का कांस्टीट्यूशन में प्रोवीजन किया है। स्टेट और सेन्टर के बीच रिश्ते और उसके बाद फाइनेन्शियल रिसोर्सेज के एलोकेशंस की और डिवोल्यूशन की जो चर्चा की गयी है उसकी मूल भावना को मैं समझता हूं, मुझ से सीनियर और पार्लियामेंट में रहने के बावजूद भी वे उस भावना को समझ नहीं पाये। भैरोंसिंह शेखावत जी की सरकार आने के बाद, जिस तरह का फिस्कल मेनेजमेंट यहां किया गया है उस फिस्कल मेनेजमेंट के साथ में राजस्थान के हकों की बात भी करेंगे हम राजस्थान के हको को लेकर भी रहेंगे। राजस्थान के अन्दर गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हुए उसकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय औसत से ऊपर लाने की कोशिश की जो हमारी कल्पना और जो हमारा दर्शन है जिसको लेकर के हमने यह बजट बनाया है उसको साकार करके छोड़ेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

सभापति महोदय, मनमोहन सिंह जी की बात की गयी, लिबरलाइजेशन की बात की गयी। मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं इस बारे में कि मनमोहन सिंह जी लिबरलाइजेशन के बड़े पोषक हैं और बड़े लिबरल रहे हैं हर मामले में, यहां तक कि 1993-94 में जो बजट एस्टीमेट था उसमें उन्होंने राजस्व घाटे की कल्पना की थी 17,630 करोड़ की जो 1993-94 के अन्दर वास्तव में बदलकर 34,000 करोड़ रुपये हो गया। इतने लिबरल रहे कि 17 हजार करोड़ रुपये के घाटे को 34 हजार करोड़ रुपये में बदल दिया। इसी प्रकार राजकोषीय घाटे की जो चर्चा कर रहे थे मैं उनको बताना चाहता हूं, इस मामले में भी मनमोहन सिंह जी लिबरलाइजेशन में पीछे नहीं रहे। 37 हजार करोड़ रुपये का उन्होंने राजकोषीय घाटा आंका था जो वास्तव में जाकर 58 हजार करोड़ पर टिका। बजट घाटे की चर्चा करने वालों को बताना चाहता हूं कि 4314 करोड़ का बजट घाटा उन्होंने एस्टीमेट किया था वह 9 हजार करोड़ पर पहुचा। अब इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और इस प्रकार की स्थिति के अन्दर उन्होंने आज तक आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के सामने जिस तरह से + + + हैं वह आप देख रहे हैं।

गैट के अन्दर अब लोग गैट का जूरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर गरीब लोग हैं, हिन्दुस्तान में पापुलेशन ज्यादा है जबकि लेबर चीप है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर लेबर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

चीप हैं इसलिये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, यह अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस है। ह्यूमन राइट्स की बात उठायी जा रही है। ये धीरे-धीरे उंगली पकड़ते पकडते हाथ पकड़ना चाहते हैं। हिन्दुस्तान की सम्प्रभुता और आजादी जो 1947 के अन्दर हिन्दुस्तान के अवाम् ने लड़कर पैदा की, उस अवाम् की आजादी की आर्थिक सम्पदा को कांग्रेस ने गिरवी रख दिया है, यह मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की देन है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चाहे आयात शुल्क की बात हो चाहे सीमा शुल्क की बात हो, जिस तरह की छूट दी गयी है विलायती ब्रांडों की हिन्दुस्तान के बाजार के अन्दर भरमार करके हिन्दुस्तान को लूटने की, वह कांग्रेस के राज में ही दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कल्पना इस प्रकार की नहीं हो सकती।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : आपके द्वारा कांग्रेस के लिए हर बार यह बात की जाती है कि भारत की सम्प्रभुता गिरवी रख दी। भारत की सम्प्रभुता चालीस साल से गिरवी रखने का आरोप लगाने वालों से यह पूछना चाहता हूं कि कितने टुकड़े हो गये इस सम्प्रभुता के और कितनी बार कहां-कहां गिरवी रख दी हमने ?

एक माननीय सदस्य : टुकड़े तो आप खुद ही गिन लें कितने हो गये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। जिन लोगों ने बजट की सेंक्टिटी को तोड़ा, हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स को नेस्तानाबूद करने में पीछे नहीं रहे जो लोग, वे सम्प्रभुता की मूल भावना को समझ पाऐंगे इसमें भी सन्देह होने लगता है। लेकिन हिन्दुस्तान की सम्प्रभुता गिरवी रखने की आप कितनी भी कोशिश कर लें हिन्दुस्तान के अवाम् में ताकत है, हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनैतिक ताकत है जो हिन्दुस्तान की सम्प्रभुता को गिरवी रखने की आपकी कोशिश का करारा जवाब देगी और हिन्दुस्तान की सम्प्रभुता को गिरवी नहीं रखने दिया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक्साइज पर कमी करके राज्यों को मिलने वाली रकम में कमी की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1.5 बिलियन डालर से बढ़कर के तीन अरब डालर के इन्वेस्टमेंट की बात भी कही गई है। मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हाराव जी को पिछले दरवाजे से काम करने की आदत पड़ी हुई है। रुपये की कन्वर्टीबिलिटी के नाम पर रुपये का अवमूल्यन किया पिछले दरवाजे से और आज कर्ज के जाल में हिन्दुस्तान फंस गया है आज हिन्दुस्तान को अपने कर्जों की सर्विस चुकाने के लिए उतना ही लम्बा कर्जा और लेना पड़ रहा है। कर्जे को कम करने की कोशिश के नाम पर लिबरलाइजेशन के नाम पर, इक्विटी पार्टीसिपेशन के नाम

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

पर, मल्टी नेशनल्स के हिन्दुस्तान में पूंजी निवेश के नाम पर पिछले दरवाजे से हिन्दुस्तान के ऊपर कर्जा लादा जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कर्जा लिया जाए, चाहे इक्विटी पार्टीसियेशन कराया जाए चीज वहीं रहेगी। कर्ज में तो एक खास बात है कि आपकी लाइबिलिटी फिक्स रहती है, आपको पता है कि इतना कर्जा लिया, इतने ब्याज की अदायगी करनी है लेकिन जिन मल्टी नेशनल्स को आप हिन्दुस्तान में आमन्त्रित कर रहे हैं, जिस प्रकार की आप खुली छूट दे रहे हैं, जिस प्रकार से फेरा के लॉ को आपने डाइल्यूट किया है, एम आर.टी. पी. को आपने डाइल्यूट किया है क्या स्थिति बनने वाली है ? हिन्दुस्तान के अन्दर मल्टी-नेशनल कम्पनीज पूंजी निवेश करेंगी और इक्विटी के रूप में हिन्दुस्तान की जो आर्थिक सम्पत्ति है उसके ऊपर उनका अधिकार होगा। कर्जे के नाम पर कर्जे को कम किया जाएगा लेकिन कर्जे के नाम पर कर्ज को कम करने के बवाजूद हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर कर्ज को लगातार लादा जायेगा। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की सम्प्रभुता को गिरवी रखने की जो मैंने चर्चा की है, हिन्दुस्तान में एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही भारी पड़ी थी।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं हिन्दुस्तान के पूरे स्टॉक मार्केट के अन्दर 115 अरब डालर का इन्वेस्टमेंट है और मल्टी-नेशनल्स की कई कम्पनीज हैं फिदिल्टी लिमिटेड नाम की मल्टी नेशनल कम्पनी के पास तीन सौ अरब डालर से ऊपर का सरप्लस रिजर्व पड़ा है। जिस मल्टी नेशनल कम्पनी के पास तीन सौ अरब डालर से ऊपर का रिजर्व पड़ा हो वह 115 अरब डालर के पूरे इण्डियन मार्केट को कैप्चर करने में कितना वक्त लेगी, यह कहने की बात नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर आकर के इस तरह से मोनोपोलिस्टिक एनवायर्नमेंट क्रीएट किया जायेगा उसके बाद हिन्दुस्तान का आदमी, हिन्दुस्तान का कोई भी ग्रुप, कोई भी इण्डस्ट्रियल ग्रुप आज के दस साल बाद में हिन्दुस्तानी के हाथ में नहीं रहेगा।

मैं पूछना चाहता हूं धारीवाल साहब से, टोबेको का क्या हश्र हुआ ? टाटा जैसा आदमी अपनी टोबेको को हिन्दुस्तान लीबर के हाथ में जाने से बचा नहीं पाया : पेप्सी वाले आज लिम्का के गले में फंस गये हैं, आज लिम्का आपकी नहीं रह गयी है, आपके हाथ से चली गयी है। आज के दस साल बाद हिन्दुस्तान का कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना हिन्दुस्तानी के हाथ में नहीं होगा। हिन्दुस्तानी के हाथ में होगा को केवल हमारे पास रिटेल काउन्टर्स होंगे, हम या तो कन्जूमर होंगे या हमारे पास रिटेल काउन्टर होंगे।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद जिसने भी प्लाण्ड इकानामी एनबिसेज की,

(15.00)

जो हिन्दुस्तान स्ववालम्बन की बात करता था, जो राजनैतिक क्षेत्र में नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, हिन्दुस्तान मिकस्ड ईकानामी को इसलिये लाया कि दोनों तरफ के फायदे लेकर। वह हिन्दुस्तान को स्वावलम्बी देश बना सके। लेकिन 40 साल की कोशिश के बाद आज कांग्रेस वाले न तो यह तय कर पाये कि इस देश की दिशा कौनसी होनी चाहिये। चालीस साल तक हमने प्लान डवलपमेंट का नाम लिया, प्लान डवलपमेंट किया, प्राइवेट्राइजेशन को कम किया, पब्लिक एन्टरप्राइजेज में बढ़ोतरी की और आज आप लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? आज आपको पचास साल के बाद याद आ रहा है कि यह तरीका ठीक नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, एक परिन्दे को भी घर बनाना होता है तो परिन्दा भी तय करता है कि पीपल के पेड़ पर बनाएगा, बबूल के पेड़ पर बनाएगा या नीम के पेड़ पर बनाऐगा। यह हो नहीं सकता कि परिन्दा पहले तो बबूल के पेड़ पर अपना घरौन्दा बनाने लगे, और 15 मिनट बाद में उसको ध्यान आये कि यह मकान ठीक नही, पीपल के पेड़ से उठकर वह बरगद के पेड़ की ओर जाने लगे। इस तरह की स्थिति में कोई नीड़ बनने वाला नहीं है, इस तरह की स्थिति में तो विनाश ही होने वाला है। इस विनाश को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पर आज बहुत बड़ी आ गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के ऊपर जो चुनौती आयी हुई है हिन्दुस्तान देश जो प्राकृतिक आपदाओं का देश है उस पर आर्थिक आपदा भी आने वाली है और आर्थिक आपदा से लड़ने के लिये हिन्दुस्तान की जनता को तैयार करना पड़ेगा। यह गैट, आइ. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक तीनों एक ही चीज है। मेरे से बड़े वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने बार-बार यहां चर्चा की कि डंकल के प्रस्तावों को ढंग से पढ़िये। अब मैं कह रहा हूं कि डंकल के प्रस्तावों को भी ढंग से पढ़िये और साथ में आई.एम.एफ. की जो रिकमण्डेशन्स हैं, आई.एम.एफ. के जो वाल्यूम्स हैं उनको भी देख लीजिये। वर्ल्ड बैंक को भी देख लीजिये। तीनों की सिमिलेरिटीज कौनसी हैं? तीनों का जन्म एक ही साल हुआ, 1944 में हुआ। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना, आई. एम. एफ. बना और उसी सम्मेलन में यह तय हुआ कि गैट जैसी कोई संस्था बनायी जाए।

मैं बताना चाहता हूं, 1944 के आस-पास अमेरिका एक मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस मंदी के दौर में अमेरिका को तीन सौ अरब डालर से भी

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

बड़ी की चोट लगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इकानामिक एडवाइजर्स की कमेटी ने बताया कि अगर आपने इस मंदी से उबरने की कोई कोशिश नहीं की, इसका कोई बाजार नहीं ढूंढा तो बहुत जल्दी एक और मंदी आने वाली है। यह तो तीन सौ अरब डालर की मंदी थी आने वाली मदी तो आठ सौ अरब डालर की है आप नेस्तनाबूद हो जायेंगे। बेहतर तरीका है कोई नया मार्केट एक्सप्लोर कीजिये। अब मार्केट एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है? यूरोपियन देशों की और देशों की क्रय शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, यह अमेरिका के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। आपने देखा होगा कि लीजिंग फाइनेन्स कम्पनीज क्या करती हैं? आपको कर्ज देती हैं, कर्ज इसलिये देती हैं, कि आपको मेरा फ्रिज खरीदना है, कर्ज ले लीजिये दो हजार रुपये आज दे दीजिये, आठ हजार रुपये बाद में दे दीजिये। यानि आपके पर्सपेक्टिव एक्सपेंडीचर पर कन्ट्रोल कर रही हैं, आपके पर्सपेक्टिव एक्सपेंडीचर को कन्ट्रोल करके आपको खरीदने के लिये बाध्य करने के लिये आपको कर्ज दिया। इसी प्रकार की थ्योरी पर चलते हुए आई. एम. एफ. का जन्म हुआ, वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ कि आप को हम रियायतें देंगे, आपको हम फायदे देंगे, आपको हम आर्थिक सहायता देंगे। एक ऐसी आर्थिक सहायता देंगे जिस आर्थिक सहायता के बूते पर आप अपने पैसे को जोड़कर मेरी वाली चीजों को खरीदने की क्षमता पैदा कर पाओ और इस ट्रैप के अन्दर हिन्दुस्तान फंस गया है। आप देख रहे हैं कि चालीस साल में हमको इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसा दिया गया, आइ. एम. एफ. ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, विदेशी सहायता मिली। हमने अपना इन्फास्ट्रक्चर डवलप करने की कोशिश की और काफी हद तक हमने अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप भी किया। और इन्फास्ट्रक्चर जब हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर इकानामिक एक्टिविटि के फैक्टर के रूप में काम आने लगेगा उस वक्त मल्टी-नेशनल कम्पनीज ने आप पर शिकंजा डाला और यहां आ गयीं। यानि उस इन्फास्ट्रक्चर का उपयोग आज वे करेंगे। वह इन्फ्रास्ट्रक्चर जो उन्हीं के पैसे की देन है, फर्क इतना-सा है कि राजपाल सिंह फैक्टरी लगाना चाहता है, मैंने किसी और को कह दिया. मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा करो पैसे मेरे से ले आओ, लैण्ड खरीद लो, प्लान सैंक्शन करवा लो, उसको क्रिटिकल ले आओ, जब क्रिटिकल ले आओगे तो मैं अपना एम. डी. भेज दूंगा या मैं आ जाऊंगा। इस तरह की कल्पना के साथ में भारत को पैसा दिया गया। जब हिन्दुस्तान की इकानामी आज वायबल इकानामी बनने लगी उस कण्डीशन के अन्दर हिन्दुस्तान के गले को दबा कर और हिन्दुस्तान में कांग्रेस शासन को दबा कर अपना शिकजा कसा। कांग्रेस शासन ने जिस प्रकार की शैली को विकसित किया उस शैली के अन्दर वे आइ. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के +++ बन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

गये। आज वे गैट के घेरे से, वर्ल्ड बैंक के घेरे से, आइ. एम. एफ. के घेरे से निकलने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि राजकोष के घाटे की चिंता की गयी। मैं कहता हूं कि सही बात है। यह राजस्थान की ही बात नहीं है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, यह फिस्कल प्रोफ्लीगेसी और ईमबेलेन्स की जो स्थिति है यह राजस्थान में अकेले नहीं है यह हिन्दुस्तान के लिये नई चीज नहीं है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्लान्ड ईकानामी का जो कन्सेप्ट हम लेकर आये उस प्लान्ड इकाकी नामी के कन्सेप्ट के साथ में ये घाटे आये हैं। आज प्लान-नॉन प्लान बड़ी चर्चा करते हैं, नॉन प्लान को बेकार मानते हैं, प्लान को बड़ा अच्छा मानते हैं। ये नाम तो हमने आयात किये हैं। अमेरिका में तो कोई प्लान नॉन-प्लान नहीं है, कनाडा में तो कोई प्लान नॉन प्लान नहीं है, ब्रिटेन में तो कोई प्लान नॉन-प्लान नहीं है। इटली में नहीं है, फ्रांस में नहीं है क्या वहां विकास नहीं हुआ? वहां भी विकास हुआ है। जो प्लाण्ड इकानामी आप लेकर के आये उसमें कुछ नॉन-प्लान कल्चर भी आपको एडॉप्ट करना पड़ा। नॉन प्लान का खर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्लान का खर्चा है और जितना साइज प्लान का बढ़ेगा उतना साइज नॉन-प्लान का बढ़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यानि जो आपने डवलपमेंट किया है उस डवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी कास्ट आपको पे करनी पड़ेगी। वह डवलपमेंट आपके काम आता रहे, विकास को जिस मंशा के साथ में आपने विकसित किया है वह विकास अवाम के काम आता रहे इस बात के लिये नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर तो बढ़ेगा ही। और नान प्लान रेवेन्यू-एक्सपेंडीचर तो एक कुमुलेटिव लाइबिलिटी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, कि जहां चर्चा राजस्थान के सन्दर्भ में की गयी है, राजकोषीय घाटे के सन्दर्भ में की गयी है, और भी सन्दर्भ में की गयी है और कहा गया है कि राजस्थान का आर्थिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजस्थान का आर्थिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं इस बारे में कोई दावा नहीं करना चाहता पर राजस्थान का आर्थिक स्वास्थ्य दिल्ली के आर्थिक स्वास्थ्य से बहुत ठीक है। मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का राजस्व घाटा आपके जी. डी. पी. का 1.54 प्रतिशत है जबकि यही दिल्ली के अन्दर 3.64 प्रतिशत है। इसी तरह बजटरी घाटा 0.66 प्रतिशत है अपने जी. डी. पी. का और 0.67 प्रतिशत है दिल्ली का। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा जो है, माननीय सभापति महोदय, वह 5.76 प्रतिशत है जो दिल्ली में 6.10 प्रतिशत है। मैं यह कह कर बचना नहीं चाहता कि कांग्रेस की स्थिति को बता कर मैं बचना चाहूं लेकिन राजस्थान की आर्थिक स्थिति के जो पैरा-

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मीटर्स आपने बताये हैं उन पैरामीटर्स में राजस्थान को टास्क पर रखा जाए तो राजस्थान की स्थिति बहुत सुखद है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि चाहे मामला राजकोषीय घाटे का हो चाहे राजस्व घाटे का हो चाहे बजटरी घाटे का हो, यह आपस में जुड़ी हुई चीज है और राजस्थान जैसा प्रदेश जो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जिसके रिसोर्स बहुत लिमिटेड हों उसके राजकोषीय घाटे को और राजस्व घाटे को कन्ट्रोल करने के प्रयास राजस्थान सरकार को करने चाहिये प्रयास करने में राजस्थान सरकार कुछ काम कर सकती है लेकिन राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के असन्तुलन को खत्म करने के लीवर सारे राज्य सरकार के पास नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि संविधान के तहत जो राजस्थान स्टेट को राजस्व के जोडाइरेक्ट सोर्सेज मिले हैं वे सोर्सेज एडीक्वेट नहीं हैं और राजस्थान का खुद का रिसोर्स भी छोटा है अब ऐसी स्थिति के अन्दर आपको राजस्व घाटे को कण्ट्रोल करने का मतलब क्या है ? बजटरी घाटे को कण्ट्रोल करने की स्थिति क्या है ? क्या राजकोषीय घाटा सम्भव नहीं होगा ? तो स्थिति क्या बनती है ? डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस की चर्चा इसीलिये आयी कि जो राज्य अविकसित हैं, कम विकसित हैं उनको विकसित होने की स्थिति तक पहुंचाने के लिये सेण्ट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, जो ड्यूटी है उसको पूरा कैसे किया जाए। जब उन्हीं हकों पर जो अतिक्रमण हुए और उन अतिक्रमणों के विरोध करने की बात कहते हैं तो आप कहते हो कि केन्द्र को कमजोर कर रहे हैं। केन्द्र को कमजोर नहीं कर रहे। हिन्दुस्तान में केन्द्र का कंसेप्ट जो आया है वह पहले आया है और राज्यों का कंसेप्ट बाद में आया है। अमेरिका, में तो केन्द्र पहले था नहीं, पहले राज्य था। न केन्द्र को कमजोर करने की बात है न राज्य को मजबूत करने की बात है, यह देश को मजबूत करने की स्थिति है। अब देश की मजबूती तब तक नहीं हो सकती जब तक राज्य मजबूत नहीं हो। राज्य की जनता में भी जब तक असमानता रहेगी, जब तक रीजनल इंबेलेंसेज रहेंगे तब तक माननीय सभापति महोदय, इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस राष्ट्र का विकास यदि आपको करना है तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की मांग हम कर रहे हैं, हमारे अधिकारों की वापस बहाली के बारे में, जनता कितनी सजग है और राजस्थान सरकार और माननीय शेखावत साहब ने जिन मंचों पर इसको उठाया है उनकी चर्चा अगर हम एक बार के लिये छोड़ भी दें तो भी माननीय सभापति महोदय, राजस्व घाटे को कम करने की बात और राजकोषीय घाटे को कम करने की बात का तरीका यह नहीं हो सकता। वह तरीका यह हो सकता है, माननीय महोदय, सभापति

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि या तो आप केपिटल आउटले को कम करें, एक ऑप्शन तो आपका यह है।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

दूसरा आप्शन है कि आप केपिटल आउट ले को कम न करें, अपनी बोरोइंग्स को कम करें। और बोरोइंग्स को भी कम नहीं करना चाहते आप तो फिर तीसरा तरीका है कि आप टैक्स इंपोज करें। अब कौनसी स्थिति ठीक है? बोरोइंग्स आप कम करेंगे तो राजस्थान के बीच से और राज्यों के बीच में जो गेप है, आपको पता है, नॉन प्लान रेवेन्यू-एक्सपेंडीचर कुमुलेटिव लाइबिलिटी है, उसमें मोटे तौर पर कोई रद्दोबदल करने की गुजांइश नहीं है, इसके अन्दर बोरोईंग्स हम घटाएगे तो इसका सीधा असर हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर पड़ेगा। वह हम कर नहीं सकते और राजस्थान का जीडीपी मानसून पर फलक्चुएट करता है, मानसून ठीक तो प्रति व्यक्ति आय ठीक, मानसून खराब तो प्रति व्यक्ति आय गिर गयी जीडीपी गिर गया इतना फलेक्चुलिटिंग जीडीपी का स्टेट है, जिसके रिसोर्स बेस बहुत बड़ा नहीं है जिसकी टैक्स रिकवरी आज भी और राज्यों से बहुत अच्छी है अगर स्टेट इस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां पर टैक्स की रिकवरी और बढ़ नहीं सकती, टैक्स का बेस और बढ़ नहीं सकता है। तो या तो यह है कि विकास को अवरूद्ध कर दिया जाए या यह है कि बोरोइंग्स ली जाए लेकिन बोरोइंग्स की डेंड सर्विस की आपमें क्षमता हो और उनका एसेट्स क्रियेशन में इस्तेमाल हो। यही रास्ता है यही राजस्थान सरकार ने किया है, और विकास की गति तेज हो पाये इस तेज हो पाने के लिये अपने अधिकारों की बहाली की बात भी करेगी।

माननीय सभापति महोदय मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जिन आर्थिक अधिकारों के बहाली की चर्चा हम कर रहे हैं जिन राज्यों के आर्थिक अतिक्रमित अधिकारों को वापस दिलाने की चर्चा हम कर रहें है। उससे राज्य भी मजबूत होगा, केन्द्र भी मजबूत होगा और आर्थिक असन्तुलन भी कम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, एक चीज जरूर है और इस बजट में चर्चा की गयी है पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के बारे में। पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के बारे में, सही बात है, चार हजार करोड़ रुपये के शेयर आप बेच दें, वह समझ में मेरे नहीं आता। घर का माल बेचकर उसको इन्कम में शामिल करने की कला तो कांग्रेस ही कर सकती है। मेरे ख्याल से मैं तो एक मोर कंजरवेटिव फैमेली का आदमी हूं और घर के सामान को बेच कर इन्कम में इन्कूलड करने की बात समझ में मेरे यहां नहीं आती।

श्री चन्दनमल बैद : सोना आपने ही बेचा था, सोना बेचने आप ही गये थे हम नहीं गये थे।

श्री राजपालसिंह शेखावत : आप बताए ढाई साल, तीन साल के राज में …

श्री चन्दनमल बैद : घर का सामान बेचने की बात आप कर रहे हैं, सोना बेचने, जिसकी सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे, वही गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोना हमने गिरवी रखा था और आपने बेचा है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, हम तो वापस लाये हैं, आपको गलतफहमी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको गलत-फहमी है ।

श्री चन्दनमल बैद : हां, आपको गलत-फहमी है । हम वापस लाये हैं उसको ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने सोना गिरवी रखा था और आपकी सरकार ने बेचा है ।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, बेचा नहीं, वापस लाये हैं उसको, आप अपने आप को करैक्ट कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर लिया करैक्ट ।

श्री चन्दनमल बैद : आप अपने आपको करैक्ट कीजिये । आपने गिरवी रखा हम वापस लाये उसको.... (व्यवधान)....आप अपने नेता से पूछो ।

एक माननीय सदस्य : वे दे ही नहीं रहे अभी तक आपको ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत—नेता से पूछा हुआ है, आप अपने आपको करैक्ट कर लो, करैक्ट करने की आपकी आदत है, स्वभाव भी है, बहुत अच्छा है ।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, अच्छा है लेकिन आपकी तरह ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राजपालसिंह जी, समाप्त करें ।

श्री चन्दनमल बैद : अर्द्ध-सत्य बोलने की आदत नहीं है मेरे में । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, रिजर्व बैंक में अभी तीन सौ टन सोना है, यह सही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है न कि भारत सरकार ने जब चन्द्रशेखरजी प्रधान मन्त्री थे तो कन्फिस्केटेड गोल्ड गिरवी रखा था और आपकी सरकार ने रिजर्व बैंक में जो सोना था उसको बेचा है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कह रहा हूं उसके बाद में तीन सौ टन सोना अभी रिजर्व बैंक में जमा है, तीन सौ टन ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : होगा तो.... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : आप तो 15 और 20 की बात कर रहे हो यहां पर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे पता नहीं कितना है ।

श्री सभापति : आपको इसकी जान-कारी नहीं है, तीन सौ टन वाली, बाकी तो है ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, इण्डिया बाण्ड के नाम पर काले धन का बिजनस हिन्दुस्तान में लाकर, विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर विदेशी पूंजी को हिन्दुस्तान में लाकर फॉरेन रिजर्व को अगर लबालब दिखाना चाहते हैं तो उसके बारे में तो कोई चर्चा

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : हां, माननीय नेता बोलेंगे ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार प्लान-साइज को हमने बढ़ाया, जिस तरह बजट का वोल्यूम बढ़ा है उससे पहली बार जनता में यह भावना बढ़ी है, यह आकांक्षा प्रबल हुई है, जन-आकांक्षा पहली बार चेती है कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के राज के अन्दर ही राजस्थान ऊपर आ सकता है और गरीब के साथ न्याय हो सकता है । लेकिन इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूंगा आर.एस.ई.बी. जैसे आर्गेना-इजेशन, इस बजट में चर्चा की गयी है कि कई पी.एस.यूज. को अपनी प्राइस फिक्सेशन के बारे में ऑटोनोमी दी जाएगी, अगर यह बात बजट की किताब तक सीमित रह गयी तो राज्य के हितों के साथ में न्याय नहीं होगा । मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि Lunch cannot be free. अब मैं भी लब्ध मानता हूं इस बात को कि किसी का फ्री नहीं हो सकता ।

मैं सभापति महोदय के घर पर आज खाना खाने चला जाऊंगा तो राजपालसिंह के लिए लंच फ्री हो जाएगा लेकिन घनश्यामजी तिवाड़ी साहब के लिये लंच फ्री नहीं होगा, Somebody will have to Pay for it. आपके हिन्दुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को, गरीब किसान को एक-एक चम्मच कर के दूध पिलाया बड़ा करने के लिये, जरूरी है, यह सिक्योरिटी होनी चाहिये । इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, गर्व है हमें इस बात का, लेकिन एक सेक्शन जो इससे ऊपर उठ गया है उसको अब यह रेस्पोंसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि विकास का जो फल उसने चखा है उस फल के चखने का वह टक्स दे । इस बारे में मैं पूरी गम्भीरता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत में नहीं बल्कि आप लोगों के छोटे लड़के के रूप में, छोटे भाई के, बराबर के भाई के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर कई चीजें ऐसी होनी चाहिये कि राज्य के अन्दर पार्टी के हित से ऊपर राज हित क्या है । यह राज हित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है । अब हिन्दुस्तान... (व्यवधान)...

श्री चन्दनमल बैद : यह अकल बहुत देरी से आयी है ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मेरे से आप बड़े हैं. माननीय मुख्य मंत्री साहब और आप, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इतना-सा आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि....

(150)

श्री चन्दनमल बैद : यह शिक्षा इनको दीजिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : मैं शिक्षा किसी को देने के लिये यहां खड़ा नहीं हुआ, मैं आप लोगों से यह गुजारिश करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि कुछ वक्त के लिये आप इलेक्ट्रोरल पौलिटिकल कंसीरेशंस को भूल जाइये । इलेक्टोरल पोलिडटिकल कंसीडरेशन में कौन सी चीज आपके फायदे में जाती है, कौन सी चीज आपके खिलाफ में जाती है, इस बात का सवाल नहीं है, इस बात का सवाल है कि कौनसी चीज राज्य के हित में जाती है और कौनसी चीज राज्य के विपरीत जाती है । यह महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चीज को अगर हम पूरा कर देंगे तो मैं सोचता हूं अपने काम के साथ न्याय करेंगे, जनता के साथ न्याय करेंगे । राजनीतिज्ञ जब स्टेट्समैन बनता है तो जिस तरह के उसमें करेक्टर होने चाहिये उस करेक्टर.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : वे भी आ जाऐगे आपमें -

श्री राजपालसिंह शेखावत :माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आर.एस.ई.बी. के बारे में जितना घाटा हमने देखा है, और न केवल आर.एस.ई.बी , बल्कि और पी.एस.यूज. के बारे में जितना घाटा देखा है उस घाटे के बारे में जरा एक बार आप नजर फैर कर देख लीजिये आपको राजस्थान कीफिलहाल की स्थिति का फिस्कल डे फिसिट के साथ-साथ में बजट डेफिसिट भी समझ में आ जाएगा, राजस्व घाटा भी समझ में आ जाएगा । लेकिन सवाल इस बात का है कि इस डिसीजन को लेने की हम सब लोगों के अन्दर पॉलिटिकल विल है क्या ? इसमें हम लोगों को पहले पन्ने में यह कहा गया कि It is a development dialogue. मैं मानता हूं कि जनता के बीच में और सरकार के बीच में कई सालों से एक संवादहीनता की सी स्थिति बनी हुई है, सरकार जनता से सीधे डायलोग नहीं करना चाहती । सरकार की समस्या क्या है यह जनता के सामने सीधा रखना पड़ेगा और जनता की समस्या क्या है, यह सुनना पढ़ेगा, जनता को यह बताना पढ़ेगा कि राजस्थान इस प्रकार से चल नहीं सकता, राजस्थान को इस प्रकार के चलने की कोशिश से राजस्थान का हित नहीं होने वाला है ।

से इस मंच से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि राजस्थान के पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे आर,एस.ई.बी. के पांच पैसे बढ़ाने का मामला हो या इस प्रकार के किसी और आर्गेनाइजेशन की सब्सिडी को कट करने का मामला हो, या अपने आपको सैल्फ रिलायन्ट बनाने का मामला हो, इन सब मुद्दों के ऊपर राजस्थान के आर्थिक हितों के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, राज्यों के हितों पर जो कुठाराघात हुआ हैं इसको रोकने के सवाल में पार्टीज से ऊपर उठकर राज्य हित में, वृहत्तर राष्ट्रीय सन्दर्भ के अन्दर देखते हुए इसका समर्थन

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

करें तो मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, हम अपना काम पूरा कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़जी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कागज मत देखिये मुझे बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप सिर्फ उधर ही सुनेंगे इधर नहीं सुनेंगे तो राज्य का अहित होगा।

श्री सभापति : आप बोलिये, माननीय सदस्य। आप आसन को सुनाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने भाई राजपाल के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। पता नहीं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वैसा ही भाषण होना चहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर ये आपके प्लानिंग कमीशन का भाषण पूरा सुनते हैं और इनकी मैमोरी बहुत ठीक है, मेरी इतनी नहीं है, इस प्रकार की स्टेटिस्टिक्स मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, वे आपको लगातार देते रहेंगे। आपका जो भी भाषण प्लानिंग कमीशन में होता है हुबहू उसकी कॉपी राजपालजी यहां कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोशिश करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : कब तक इन आंकड़ों के अन्दर आप राजस्थान की जनता को फंसा कर रखेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंकड़े मत बोलिये लेकिन कोशिश यह करिये कि आपका भाषण अच्छा हो।

श्री चन्दनमल बैद : उनकी तरह से ये भी आपको उपदेश दें?

श्री जगदीप धनखड़ : मेरी कोशिश यह रहेगी कि मेरा भाषण कुछ कंटेण्ट वाला हो क्योंकि पिछले भाषण में आपको कोई कंटेण्ट नजर नहीं आया। माननीय सभापतिजी, पूरे विश्व में एक बात है कि हिन्दुस्तान की इकॉनामी बैक ऑन दी रेल्स आ रही है, पूरे विश्व में डॉक्टर मनमोहनसिंह की बढ़ाई हो रही है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेन्ज रिजर्व थे थर्टीन टाइम्स हो गये है, वन बिलियन यू. एस. डालर से 13 बिलियन यू.एस. डालर हो गये हैं, जो कर्जा हम को देना था 1·4 यू.एस. बिलियन डालर्स का, समय से पहले दिया और डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा इस बार हम कर्जा नहीं लेंगे, जो भौतिक रूप से चन्द्रशेखर जी सरकार ने सोना गिरवी रखा था वह यह सरकार कांग्रेस सरकार दिल्ली में रह कर वापस लायी और इण्टरनेशनल प्रेस्टीज को रेस्टोर

(श्री जगदीप धनखड़)

किया। डावोस में प्रधानमंत्री जी का क्या स्वागत हुआ, मुख्य मंत्रीजी को अच्छी तरह से पता है, डाक्टर मनमोहन सिंह को इण्टरनेशनलीं एक्लेम किया गया, मैं, तो कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आज के युग के चाणक्य हैं। उन्होंने आपके लिये एक स्थिति तैयार कर दी, आपके लिये उन्होंने जाजम बिछा दी, आपके लिये कुआं खोद दिया, पानी की व्यवस्था कर दी पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप राजस्थान की जनता का हित नहीं करना चाहते। आप उस कुएं के अन्दर राजस्थान की जनता को डुबोना चाहते हैं, उससे राजस्थान की जनता को पानी नहीं देना चाहते। यह मैं इसलिये कह रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि आपने जान बूझकर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है। जब आप इस बार मुख्य मंत्री बने, सबसे पहले प्रेस क्लब में आपने एक बात की कि लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन के मामले में मैं कोलमेन एसोसिऐट्स, आस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूं। हमने कहा, भाई किस हिसाब से बात कर रहे हैं? पर तो, राज्य का कुछ विकास तो हो रहा है, करते जाइये। फिर आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बात कहलवायी, आपने बजट भाषण में इस बात को कहा।

मैं आपसे पूछता हूं, मुख्य मंत्री जी, कोलमेन एसोसिएट्स, आस्ट्रेलिया का क्या हुआ? क्यों 25 तारीख को हमें इस सदन में बताया गया एक प्रश्न के जवाब के माध्यम से कि वहां पर कोलमेन एसोसिएट्स की बजाय आपकी पार्टी के राज्य सभा के सदस्य की कम्पनी को आपने उतार दिया? माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की जनता के हितों के साथ आप कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? राजस्थान की जनता को आपको बताना पड़ेगा कि वे कौनसे कारण थे जिनकी वजह से आप कोलमेन एसोसिऐट्स, आस्ट्रेलिया से सम्पर्क स्थापित किया, उनसे विचार-विमर्श किया, पत्रकारों के समक्ष यह कहा कि हम उनसे बात को आगे बढ़ाएगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहलवाया, बजट में कहा और अचानक बिना सदन को बताए हुए उनको बैक डोर से कर दिया? बात तो करते हैं बैक डोर से। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने अपने बजट भाषण में कहलवाया कि आप एन.टी.पी.सी. से....

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : एक बात आपकी ही कह रहा हूं मैं, धनखड़ साहब, आपने बजट पर भाषण दिया और कहा कि वर्ल्ड टेण्डर इन्वाइट करने चाहिये। यह हो गया, आपको पता भी है या नहीं? लिग्नाइट पर एडवर्टाइजमेंट आफ वर्ल्ड टेण्डर की जो आपने बात कही वहीं हुई या नहीं?

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, माननीय सदस्य, आपने उस प्रश्न का जवाब

(श्री जगदीप धनखड़)

ध्यान से नहीं पढ़ा था। क्या उस ग्लोबल टेण्डर के रेसपोन्स में हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड आयी है? मुख्य मंत्रीजी एक बैक-डोर नहीं कर रखा, कई बैक-डोर कर रखे हैं। नारे लगाने के अन्दर, स्लोगन्स के अन्दर मुख्य मंत्रीजी बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मुख्य मंत्री जी, आपने हमें नहीं कहा यहां पर सदन में कि 250 मेगावट एन.टी.पी.सी. से आप लेंगे? और मैं कहता हूं दावे के साथ, आपने एक मेगावाट भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पंजाब से आप जो बिजली ले रहे है, महंगी ले रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपकी मार्फत सदन को बता रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। हमें यहां पर कहा गया कि 250 मेगावाट एनर्जी हम लेंगे एन.टी. पी. सी. से, माननीय मुख्य मंत्रीजी अब भी नहीं बता पा रहे हैं, बीच-बीच में खड़े होकर इनकी इन्टरवीन करने की आदत है, कि क्यों नहीं एक मेगावाट भी आपने आज तक लिया। क्या राजस्थान की जनता को आपके एक्शन की वजह से 6 करोड़ रुपये महीने का नुकसान नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लिया, मुख्य मंत्रीजी, मैं बताता हूं।

आपको शोक नही है महंगी बिजली खरीदने का मैं मानता हूं, आप भी राजस्थान की जनता की मदद करना चाहते हैं मैं मानता हूं आपने बड़े अच्छे भाव से कहा कि 250 मेगावाट हम एन. टी. पी. सी. से लेंगे, आपने उनको सराहा, मैं मानता हूं हर आपने क्यों नहीं ली? सस्ती बिजली थी, रिवोल्विंग एल.सी. आप नहीं खोल पाये, क्यों? क्योंकि आप एक इस प्रकार के जाल में फंस गये जहां गरीब जनता को तो आप कहते हैं, आपके आंसू पोछूंगा, आपको 30 जिले 30 काम दूंगा पर जहां तक बेसिक इन्फास्ट्रक्चर पैदा करने की बात है उसके अन्दर राजस्थान के सब मुख्य मंत्रियों में आप आखिरी लाइन में है। पावर जनरेशन का मामला ले लीजिये मुझे पता है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप आसानी से किसी की बात को मानते नहीं हैं।

मैं कह चुका हूं यहां पर, आप मास्टर मैजीशियन है, अच्छी भली कोई यदि कंटेंट वाली बात कहेगा आप उसको ऐसा उछाल देंगे, +++ का पता ही नही चलेगा, कहां गायब हो गया। मैंने कई मित्रों से बात की कि भाई, राजस्थान के हित की हम कोई बात बोलते हैं, न तो मुख्य मंत्री जी रेस्पोण्ड करते हैं, इनका भाषण भी खत्म हो जाता है और नांन सीरियस तरीके से बात को कनक्लूड कर देते हैं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक सेंटर फार मानिटरिंग इण्डियन इकोनोमी है, आपका विशेष ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूं, एक निष्पक्ष संस्था है उसने कहा है कि देश में पूंजी निवेश 1 लाख 50 हजार करोड़ होगा पर आपकी बदौलत राजस्थान को आपने 11 वें स्थान पर ला दिया है। जहां गुजरात में 40 हजार करोड़ का पूंजी निवेश होगा, राजस्थान में 10 करोड़ भी होगा ? ऐसा क्यों नहीं होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ? यह इसलिये नहीं होगा क्योंकि आप पावर जनरेशन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उससे राजस्थान की जनता को आप आने वाले कई वर्षों के लिये अंधकार में डुबो रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्रेनाइट माइन्स एक्सप्लोइटेशन के मामले में 10 प्रोजेक्ट्स हैं, सब के सब क्यों अटके हुए हैं ? माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित कीजिये अपना कि आपने सीमेंट जनरेशन के लिये जो काम कर रखा है कि सीमेंट मेन्यूफैक्चर होगा, दो कम्पनियों से आपने कर रखा है, प्रोस्पेक्टिंग सिचुएशन से आगे वह बात क्यों नहीं बढ़ रही है ? इसलिये नहीं बढ़ रही है कि उनको सब पता है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री पहले तो मीठी गोली देता था अब फीकी गोली देने लग गया और आने वाले समय में गोली देंगे ही नहीं तो बेचारे कहां जाएंगे ? अच्छा, एक दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी आपने बहुत दफा इस बात को कहा है कि आप गरीब पर ध्यान देना चाहते हैं, आपके खुद के भाषण में 1990-91 में आपने राजस्थान के आर्थिक विकास के ऊपर श्वेत-पत्र जारी किया उसमें आपने दुग्ध विकास के बारे में एक बात कही।

मैं आपके उस पत्र से पढ़ रहा हूं, यह बताने के लिये कि राजस्थान के पशुपालक के लिये, राजस्थान के किसान के लिये, राजस्थान के गरीब के लिये आपके मन में कोई जगह नहीं है। उस श्वेत-पत्र में आपने कहा, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9.3 प्रतिशत अराण्ड 10 पर्सेंट मानिये, दुग्ध उत्पादन करता है, यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति दिन 110 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का एक तिहाई या लगभग 33 लाख लीटर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शेष बचता है जो विपणन के लिये उपलब्ध है।

अब मुझे बताइये, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको कितनी बार लोगों ने कहा कि आप किस उपभोक्ता के हित को देख रहे हैं ? आपने निर्यात पर अंकुश क्यों लगाया? जब राजस्थान में मिल्क सरप्लस है तो महज आर. सी डी. एफ. को एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला देने के लिये कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, कीन कम्पीटीशन नहीं हो, आपने इस प्रकार की कार्यवाही की। आपने एक परसेन्ट टेक्स लगाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप पता लगा लीजिये जहां कहीं कम्पीटीशन है पशुपालक को ज्यादा मिला है, बीकानेर में कम्पटीशन है 4 रुपये से ज्यादा मिला है पाली-जैतारण

(श्री जगदीप धनखड़)

में नहीं है, वहां 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर मिलता है। भरतपुर में कम्पीटीशन बहुत कौन है, आर.सी.डी.एफ. के काण्टर पर कोई जाता ही नहीं है।

जब पूरे देश में राजस्थान का एक स्थान है मिल्क प्रोडक्शन के अन्दर तो क्यों आप इस प्रकार की नीति रखते हैं, उस पशुपालक को उस किसान को परेशान करते हैं? पूरे देश में आपका अकेला प्रान्त है जहां पर यह टैक्स है और कहीं नहीं है। आपका अकेला प्रान्त है, मान्यवर, जो दिल्ली के अन्दर उपभोक्ता के हित को सुरक्षित करने के लिये राजस्थान के पशुपालक को कठिनाई में डालता है। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा कि आप इसको एडवर्सियल मानिये, हम यह कंस्ट्रक्टिव अपोजीशन की भावना से कह रहे हैं। हमने बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया इन मौलिक मुद्दों पर, लेकिन समस्या क्या है, माननीय मुख्य मंत्री जी, कि आप इस प्रकार की कला में पारंगत हो गये।

मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतिहास के उस कौन से महापुरुष को याद करूं जिसकी तुलना आपसे कर दी जाए, नापने के अन्दर तो आप जितना उदारवादी कोई है ही नहीं, कर्ण हैं आप और फाड़ने के लिये इतिहास में आपने एक ऐसा नाम अर्जित किया है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको एक बात और कह दूं, थोड़ा-सा आप को बदलिये।

श्री सभापति : अब इस समय कैसे संभव होगा ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां, यह तो मुश्किल है।

श्री सभापति : आप अपने मूल पाइंट पर आ जाइये, समय कम है।

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान के विद्युत स्कैण्डल्स के बारे में कल का दिन है, इसलिये मैं आज उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता पर आज मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी कहना चाहता था कि तीसरा टर्न किसी के लिये भी हो, जैसे थर्ड मेरिज के अन्दर कोई लस्टर नहीं होता है सभापति जी, तीसरा टर्न राज्य के लिये हितकारी साबित नहीं हो रहा है। हम सब ने कहा यहां पर कि, माननीय मुख्य मंत्रीजी, हिस्टोरिक अपरचुनिटी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इन्टरनेशनल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप नुक्ताचीनी में मत पड़िये, आप राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास कीजिये जिससे राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां याद रखें। पर आपने क्या किया ? दिल्ली की सरकार ने सौ दिन के ऊपर सौ विज्ञापन निकाले होंगे, आपका एक नहीं निकला दो चार दिन पहले निकला है, क्यों ? आप सौ दिन में क्या कहते ? आप सौ दिन में यह कहते कि मैंने 8 घण्टे बिजली देने का वादा किया है और मैं किसानों को दे नहीं पाया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, किसान के

(श्री जगदीप धनखड़)

लिये आपकी नीति क्या है, मैं बताता हूं। आप ट्रेडर सरकार हैं, आप ट्रेडर के इन्ट्रेस्ट की वांच करने की साइकोलोजी रखते हैं। किसान के बारे में देखिये, किसी भी भावना से ऊर्जा मंत्री जी ने कहा होगा, आपको बड़ा कष्ट हो रहा था, वरना आप भी कुछ नहीं चाहते। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) पर ऊर्जा मंत्रीजी की बात आपको अच्छी नहीं लगी। 25 हजार कुओं का कनेक्शन मात्र 75 हजार से 80 हजार गांवों और ढाणियों में देंगे, नतीजा क्या निकलेगा ?

माननीय मुख्य मंत्री जी, तीन और चार गांव-ढाणियों के ऊपर आप एक बिजली का कनेक्शन देंगे, दो लाख से ज्यादा कनेक्शन की पेंडेंसी है उसको आप 10 साल तक ले जाएगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी बदौलत आज के दिन जो आदमी बिजली के कुएं का कनेक्शन चाहेगा उसका बेटा कनेक्शन का फायदा नहीं लेगा उसका पोता लेगा, यह आपने कर दिया है। ऐसा क्यों किया ? माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको बताता हूं, आपने इस प्रकार की सत्ता को अपने हाथों में सेन्ट्रलाइज कर लिया है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, धनखड़ साहब, समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति जी, आप भी इस बात से पीड़ित हैं, मुझे पता हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता को अपने हाथों में इतना सेन्ट्रलाइज कर लिया है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, हम इधर बैठने वाले जानते हैं, अधिकारी उनकी बात को नहीं मानते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप दिल पर हाथ रखिये, मुझे पता है आपका दिल मजबूत है चाहे बाईपास हुई हो।

श्री चन्दनमल बैद : 'दिल है ही नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, यह बात मैं कहना नहीं चाहता।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आज आप राजस्थान की जनता के समक्ष इस सदन के मार्फत संकल्प लीजिये, आप स्टेटीशियन का काम नहीं करेंगे, आप हमें प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन्टर-स्टेट रिलेशन्स, सरकारिया कमेटी रिपोर्ट इनके बारे में आश्चर्यचकित नहीं करेंगे। मैं आपको कह सकता हूं, इधर जो अधिकांश लोग बैठते हैं वे इन डाकूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है कि अनुभवी लोग....

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : इस प्रकार की बात करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, कल का दिन इस विधान सभा के लिये इस प्रकार का दिन था जिसमें चोमू से आने वाले सदस्य ने एक बात कही, उन्होंने कहा ऐसे कानून की व्यवस्था जरूरी है जिससे

(श्री जगदीप धनखड़)

जनता को कर्जे में डुबा नहीं दें। आखिर कल माननीय मुख्य मंत्रीजी, पता लगे, राजस्थान की जनता को आपने कर्जे में डुबो दिया और सदन को इसकी जानकारी नहीं है या केन्द्र सरकार ने पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया और संसद को जानकारी नहीं है। आपने एक बात कही, भारत के संविधान में संशोधन हो, मुझे बड़ा झटका लगा कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भारत के संविधान को क्यों नहीं पढ़ा? मुझे पता है आपकी भारत के संविधान में आस्था नहीं है वरना आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अवमानना के आदेश नहीं होते पर, माननीय मुख्य मंत्री जी, इस प्रकार का प्रावधान भारत के संविधान में है और आप पर भी अंकुश है, आप राजस्थान की जनता को गिरवी नहीं रख सकते वरना अचम्भा नहीं होता कि आप ऐसा कर देते क्योंकि हमें तो बहुत लेट पता चलता।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : अन्तिम बात मैं कह रहा हूं क्योंकि ...

श्री सभापति : समाप्त करें, और भी सदस्य बोलेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : कल आप यहां पर नहीं थे। कुछ समय पहले गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था। पूरे देश को एक बहुत बढ़िया जानकारी मिली....

श्री सभापति : मैं भाषण समाप्त करता हूं, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो वहां पर लगी, बड़ा अच्छा संकेत हुआ....

श्री सभापति : श्री रमाकान्त जी।

श्री जगदीप धनखड़ : चौमूं से आने वाले सदस्य ने कल कहा कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त हुआ, भाषण समाप्त हुआ। श्री रमाकान्त जी शर्मा।

श्री जगदीप धनखड़ : मायावती ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे तो कांग्रेस महात्मा गांधी की असली +++ हो गयी। नाथूराम गोडसे को क्लीन चिट देने वाला काम सिर्फ आपकी पार्टी का सदस्य कर सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत हमारी है, जो स्थिति है....

श्री सभापति : विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उसका इस प्रकार का डिस्टार्शन, मान्यवर, सिर्फ आपकी पार्टी कर सकती है। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं चौमूं से आने वाले सदस्य

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

का सम्मान करता हूं पर मुझे पहली बार महसूस हुआ+++

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमें महात्मा गांधी के बारे में, कांग्रेसियों को महात्मा गांधी के बारे में आप से....

एक माननीय सदस्य : और वो भी नहीं समझते (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : अन्त में माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से एक बात कहूंगा ...

श्री चन्दनमल बैद : और चौमूं के सदस्य से।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, अब भी समय है, इस सदन में बडा टेलेंट है....

श्री सभापति : बहुत बार कह चुके आप, अब बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे पता है आप पर निर्दलीयों का अंकुश है।

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ। माननीय श्री रमाकान्त जी शर्मा। अंकित न हो। यह तो बात नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ :XXX

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रमाकांत जी शर्मा।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति जी, पहले तो मैं धनखड़ साहब से यह कहना चाहूंगा, एक टाइम था जब राजस्थान बिजली के अन्दर सरप्लस हुआ करता था, उस समय कुओं के लिए कभी दस हजार कनेक्शन से आगे सोचा नहीं और छह हजार से ज्यादा लगवाये नहीं। आज पच्चीस हजार की बात, जिस समय राजस्थान में बिजली नहीं है, उस समय हो रही है और फिर कहते हैं पच्चीस हजार बहुत कम है। बात करते हैं कर्ज की। अभी तो बताया राजपालसिंहजी ने कि कर्जा भारत सरकार ने जो ले रखा है, वह नहीं दे पा सकेंगे। हमने तो कर्जा हमारे अनुरूप लिया है और वह कर्जा सारा का सारा उत्पादक खर्चों में लग रहा है।

माननीय सभापति जी, जब भी कभी बजट पर चर्चा होती है या जब कभी भी आर्थिक विश्लेषण या समीक्षा होती है तो एक बात सामने उठकर आनी चाहिये इस देश के लिए कि आखिरकार हम गरीब क्यों हैं, हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। हमारा वह देश जिसको वेद-विज्ञान विरासत में मिला हो, जो सोने की चिड़िया रहा हो, जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी सुन्दर हो, जिस के नाम से पूर्व और पश्चिम माना जाता है कि ये पश्चिम के देश हैं ये पूर्व के देश हैं, जो मध्य दुनिया के

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकांत शर्मा)

अन्दर रहा हो, जिसके तीन तरफ समुद्र हो और ऊपर की तरफ हिमालय पहाड़ जैसी चीज हो, जिसकी प्राकृतिक सम्पदा इतनी ज्यादा हो—समस्त विश्व में इतनी प्राकृतिक, सम्पदा नहीं है जितनी हमारे पास है, जिसकी जलवायु इतनी अच्छी हो कि जहां पर तीन फसल हो सकती हैं, यदि किसान को पानी और बिजली मिल जाए तो, जिसका पास के देशों पर चाहे वो इधर के देश हों-थाइलैण्ड, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चाहे उधर की तरफ अरब के देश हों, चाहे बर्मा हो, चाहे लंका हो, इन सब देशों पर हमारा एक प्रकार से हजारों सालों से वर्चस्व रहा हो, फिर उसके बावजूद हम इतने गरीब क्यों हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनसंख्या।

श्री रमाकांत शर्मा : सभापति जी, 48 साल के अन्दर एक ऐसी स्थिति में हम आज पहुंचे हुए हैं जहां खेत के अन्दर किसान का पानी नहीं है पानी मांगता है, किसी तरह का उसको न कुंओं में पानी है न सरफेस वाटर मिल रहा है, उसको बिजली नहीं है यह एकुमुलेटेड इफेक्ट है 48 साल का हमारा। जो उपज पैदा करता है उसको मण्डी में ले जाने के लिए सड़क नहीं है। गांव के अन्दर छोटे-छोटे चार वर्ष के, पांच वर्ष के बच्चों के लिए तीन-तीन किलोमीटर तक स्कूल नहीं है और बेसिक चीज पीने का पानी नहीं है, इस स्थिति के अन्दर हम आ गये हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति से कैसे निकलें ? इस स्थिति से हम अपने आपको कुछ परिवर्तित स्थिति में ला पाएं उससे पहले हम एक बहुत भारी जंजाल में फंस गये हैं और वह है एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश। हम अन्तर्राष्ट्रीय साजिश के अन्दर बुरी तरीके से फंस गये हैं क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया जैसा पहले था वैसा हमको आज भी दिखाई देता है क्योंकि देश के अन्दर दो बातें बहुत ज्यादा हैं। इसके अन्दर सब प्रकार का रॉ-मैटीरियल है और इस देश के अन्दर इतना बड़ा भारी मार्केट है जो किसी दूसरे देश के अन्दर नहीं है। दो चीजों का जहां पर समावेश हो उस चीज पर दुनिया भर की निगाह पड़ना वाजिब है। एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश इस प्रकार की है जिसके अन्दर आई. एम. एफ. हमारे को, वर्ल्ड बैंक हमारे को आंख दिखाता है, ब्लैकमेल करता है, यूरोपियन इकोनोमिक मार्केट हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अमरीका हमको ब्लैकमेल कर रहा है और गॉट हमको ब्लैकमेल कर रहा है।

अब आप देखिये, सभापति जी, गॉट के सामने जापान ने कह दिया, बात मत कीजिये, हम आपको 1995 के अन्दर जवाब देंगे कि हम आपके इस सब्जेक्ट पर दस्तख्त करते हैं कि नहीं करते हैं, स्पष्ट कह दिया। जो जापान हर प्रकार से अमरीका का सब-सर्वेण्ट है एक तरीके से, जो अमरीका के सामने बोल नहीं सकता, डिफेन्स के नाम पर जिसके पास एक सिपाही नहीं है उस जापान ने कह दिया कि 1995 में बात करेंगे।

160

(श्री रमाकांत शर्मा)

मलेशिया जैसा देश, उसने कह दिया गॉट के अन्दर कि ये ये बातें रिजर्वेशन हैं और आपने किस तरीके से रिजर्वेशन कर लिया ? अमरीका को कह दिया कि आप दस वर्ष तक जो सिले हुए कपड़े लेंगे वे एक प्रकार से कोटा सिस्टम से लेंगे, आपने स्पष्ट बात कैसे रख दी। और हमने एकदम उनके सामने ऐसे+++ और इस स्थिति में हम पहुंच गये कि अब यह बहुत स्पष्ट है कि हमने अपनी जो सोवरीनटी है उसको सारा का सारा समर्पित कर दिया। यह स्थिति और इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि हम एक अन्तर्राष्ट्रीय चगुल में, एक साजिश में फंस गये हैं।

माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष से पर्यावरण जैसे एक तमाशा गया रहा। इस पर्यावरण के कारण से हमारे उद्योगों के अन्दर जो गति थी वह एकदम समाप्त हो गयी है, हमारी ग्रोथ रेट उद्योगों के अन्दर आठ परसेन्ट से अबव पहुंच चुकी थी, आज वह ग्रोथ रेट चार परसेन्ट के आस-पास नहीं पहुच पा रही है। हमारी जो खनिज सम्पदा है उसका दोहन कर पा रहे थे, पर्यावरण के नाम से खनिज सम्पदा का दोहन जहां का जहां रुकना था, रुक गया। हम सिंचाई के बांधों के अन्दर भी इस पर्यावरण के चक्कर में फंस गये। पर्यावरण वाले कहते हैं कि आप सरदार सरोवर नहीं बांध सकते, टिहरी बांध नहीं बांध सकते, आप यह बांध नहीं बांध सकते। छोटे-छोटे बांधों के अन्दर हर तरीके से आई.एम.एफ. और ये लोग देखने लग गये तो अब तो नयी चीज और आ गयी है अन्तर्राष्ट्रीय साजिश के अन्दर।

बात औरों ने भी कही है पर मैं भी अपनी तरफ से कह देना चाहता हूं। ह्यूमन राइट्स का नाम लेना शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट्स के अन्दर, कहीं पर बात हुई कि आपका लेबर बहुत चीफ लेबर है लेकिन उसी चीप लेबर के नाम पर लिबरलाइजेशन के नाम पर सारी की सारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं यहां पर आकर के उद्योग लगाना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं। उनको और क्या चीज दिखाई दे रही है हिन्दुस्तान के अन्दर? हिन्दुस्तान के अन्दर उद्योग में है क्या? यहां का लेबर सस्ता है और जिसका स्वयं शोषण कर रहे हैं। उसके नाम से आज अमरीका कहता है कि यहां पर चीफ लेबर लेकर के सामान बनाते हैं इनके सामान को हमको खरीदना नहीं चाहिये। यह कितनी बड़ा कंट्राडिक्शन है यहां पर यह सब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिये हो रहा है कि हम अपने घर के अन्दर, अपनी जमीन पर सख्त तरीके से, मजबूत तरीके से नहीं खड़े हुए हैं।

माननीय सभापति जी, भारत सरकार इस वक्त जितनी डिमोरलाइज्ड हालत के

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अन्दर है आज से पहले कभी भारत सरकार इस प्रकार की डिमोरलाइज्ड कंडीशन के अन्दर नहीं रही। मैं उन सारी की सारी बातों के अन्दर नहीं जाना चाहता क्योंकि कई बातें यहां पर रिपीट हो जाएंगी परन्तु मैं अपने घर की बात, राजस्थान की बात करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पिछले चालीस सालों के अन्दर यदि सबसे पहले किसी बात को लेकर हत्या हुई है तो एफीशिएंसी की हुई है। एफीशिएंसी की तरफ हमने यदि ध्यान नहीं दिया तो जो मैंने तकलीफें बतायी हैं, उन सारी की सारी तकलीफों से हम उबर नहीं सकेंगे, हम किसान को ऊपर नहीं ला सकेंगे, हम गांवों को ऊपर बढ़ा नहीं सकेंगे।

आज इतना अच्छा बजट बनाया वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने, चारों तरफ दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। ऐसा बढ़िया बजट बना नहीं। वाह-वाह नहीं, आप समझते नहीं इस बात को। आप तो अभी बात कर रहे थे, आपको पता ही नहीं है प्लानिंग कैसे होता है, आपको पता नहीं है जो फाइनेन्स कमीशन है, उसका प्लान से कोई ताल्लुक नहीं होता। फाइनेंस कमीशन का ताल्लुक किसी दूसरे मामले से होता है और प्लान का मामला कोई दूसरा है। प्लान, भारत सरकार स्टेट्स का नहीं बनाती है, स्टेट के प्लान स्टेट्स बनाते हैं।

खैर, तो मैं यह निवेदन कर रहा था, इतना अच्छा बजट बनाया है पर जब उस बजट के इम्प्लीमेन्टेशन की जब बात आती है तो हमारे सैक्रेटेरिएट के अन्दर 40 वर्षों से जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के अन्दर वे पल रहे हैं, वे काम करते नहीं। सुपरिटेण्डेण्ट काम करता नहीं, उसका असिस्टेण्ट सेक्रेटरी काम करता नहीं। क्यों नहीं करता वह काम ?

एक बात तो इसमें यह है मैं, एक बहुत ही पांइटेड बात बता रहा हूं, कि उसके सामने जो बड़े-बड़े अफसर बैठे हुए हैं, आज नौ ऐसे सैक्रेटरी हैं, जिनके पास 15 मिनट काम नहीं है। जब एक सैक्रेटरी के पास पन्द्रह मिनट का काम नहीं है तो उसके पास जब डिप्टी सैक्रेटरी जाएगा, वह देखेगा, चुपचाप बैठे हुए हैं आनन्द से तो डिप्टी सैक्रेटरी काम क्यों करेगा ? फिर असिस्टेंड सैक्रेटरी काम क्यों करेगा ? सुपरिटेण्डेण्ट काम क्यों करेगा ? एल.डी.सी., यू.डी.सी, काम क्यों करेगा ? कभी-कभी हम इस प्रकार के सैक्रेटरी का पद इसलिये निर्माण कर देते हैं कि किसी को वर्क पर लगाने का है। एक प्रशासनिक सुधार सैक्रेटरी, बीस वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, बीस वर्ष के अन्दर आदमी लगाये गये एक के बाद में एक। आज एक उदाहरण राजस्थान सरकार नहीं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दे सकती इस बीस वर्ष के अन्दर कि प्रशासनिक सुधार के सैक्रेटरी ने कौन-सा प्रशासनिक सुधार किया।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आप भी तो तीस वर्ष रहे हैं, आपने क्या कर दिया ?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने जो किया है आपके दिल में मौजूद है। जिस वक्त मैं सवाई माधोपुर कलक्टर था.... (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : वह जो दिल में मौजूद है इसलिये उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय आप कांग्रेस से एफिलिएटेड थे।

श्री सभापति : ये अनुभव की बात बता रहे हैं, आप सुनें। माननीय सदस्य, अनुभव की बातें हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : प्रशासनिक सुधार का जो सैक्रेटरी है उसके पास में कोई काम नहीं। अब आप दूसरा देखिये, राजकीय उपक्रम विभाग के सैक्रेटरी हैं उनके पास में कोई काम नहीं है। मैं सब की लिस्ट नहीं देना चाहता पर सरसरी तौर से आपको बता देना चाहता हूं कि विकास आयुक्त जैसा इतना बड़ा पद है उसके पास 15 मिनट का काम नहीं। उच्च शिक्षा में काम नहीं, विज्ञान एवं औद्योगिक में कोई काम नहीं, विशिष्ट सचिव यू.एन.एफ.पी.ए. के पास तीन वर्ष से कोई काम नहीं हैं सिंचित क्षेत्र के पास 15 का मिनट भी काम नहीं है। तो यह सारी की सारी स्थिति है।

वर्क में लगाने की बात हो तो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। उदयपुर के अन्दर, मेवाड़ राज्य के अन्दर पहले भाई-बेटों का दबाव हुआ करता था कि इनको तो नौकरी देनी है, काम तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने एक महकमा खोल रखा था जिसका नाम था तनख्वाह-दास, उस महकमे में उसे लगा दिया करते थे और तनख्वाह मिल जाया करती थी। यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं तो अपन तनख्वाहदास महकमा खोल लें और तनख्वाहदास महकमे के अन्दर उनका अपाइंटमेण्ट कर दिया करें। कम से कम एक वातावरण से जो इनएफीशिएंसी का हमारे यहां पर फैला हुआ है उस वातावरण से तो हम बाहर निकल जाएंगे। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था, एक शीप एण्ड वूल के डाइरेक्टर की पोस्ट क्रीएट हुई। उस वक्त हुई जब राजस्थान के अन्दर यह विचार किया गया था कि हमको उनका व्यापार करना चाहिये। आज उस उन

(श्री रमाकांत शर्मा)

व्यापार का शोषण हो रहा है। ऊन का व्यापार तो कर नहीं सके और पोस्ट यों की यों मौजूद है। अब भेड़ के उपचार के अन्दर, गाय के उपचार के अन्दर, ऊंट के उपचार के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। जब अपने पास एनिमल हस्बेंडरी का डिपार्टमेण्ट है तो क्यों भेड़ का डिपार्टमेण्ट अलग से खोल रखा है? ऊन के लिए को-आपरेटिव फैडरेशन है तो उसको को-आपरेटिव डिपार्टमेण्ट को दीजिये, वह ज्यादा अच्छी तरह से उन के बारे में, भेड़ों के बारे में चर्चा कर सकेगा। इन चीजों की हमें आवश्यकता है।

1980 के अन्दर एक आई.जी. हुआ करता था, माननीय सभापति महोदय, आज 9 आई.जी. हैं, 4 एडीशनल डी.जी. हैं और एक डी.जी. हैं। अब जनता को पता नहीं कि 9 आई.जी. क्या करते हैं, किसी को पता नहीं है कि कौन-सा काम कौन से आई.जी के पास है, किस के पास किसको जाना चाहिये कोई पता नहीं है। जहां एक डी.आई.जी. या एक ए.आई.जी. काम किया करता था पांच वर्ष पहले वहां तीन-तीन आई.जी.लगे हुए हैं। यदि इस तरीके से हम सिर्फ तनख्वाहदास महकमे के लोगों को पैदा करेंगे तो जो काम का वातावरण है वह काम का वातावरण नहीं रहेगा और नतीजा यह रहेगा कि डाउन दी लाइन काम करने वाले आदमी इस प्रकार के इनएफीशिएंसी के वातावरण को देखेंगे। तो जो यह इतना अच्छा बजट बना है उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा और जो हमारी अपेक्षाएं हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा विकास करें, वह नहीं कर सकेंगे।

अन्त में एक बात कह कर, माननीय सभापतिजी, समाप्त करना चाहूंगा, वह है शहरों की बढ़ोतरी, जैसे जयपुर शहर आज 20 लाख पापुलेशन का हो गया। शहर क्यों बढ़ रहे हैं, गांव क्यों उजड़ रहे हैं? मेरे क्षेत्र के अन्दर तीन गांव जहां इतनी बढ़िया मण्डी थी, किसी जमाने के अन्दर उसका नाम था सारे के सारे उत्तर भारत में, वे गांव आज उजड़ गये। ये जो बढ़ रहे हैं उसके अन्दर हमको नया उद्योग, नया व्यावसाय नया सरकारी दफ्तर खोलना चाहिये। यह मैं बारबार विधान सभा के अन्दर पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इनको जब तक हम गांवों के अन्दर खोलने की बात नहीं सोचेंगे, इनको गांवों के अन्दर लगाने की बात नहीं सोचेंगे तब तक असन्तुलन बढ़ते ही रहेगा। मुझे तो कल देखकर ताज्जुब हुआ कि जयपुर के अन्दर वन प्रशिक्षण केन्द्र है। उस वन प्रशिक्षण केन्द्र को तो कम से कम किसी न किसी वन के अन्दर भिजवाते। वह आज यहां पर ओ.टी.एस. के बगल में बैठा हुआ है जहां पर करोड़ों रुपये की जमीन है, जहां पर हम और कोई अच्छे काम कर सकते हैं। प्लान के बारे में मैं और कहना चाहता था मगर ज्यादा समय नहीं है। माननीय सभापतिजी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। पांच-पांच

(श्री सभापति)

मिनट में दो माननीय सदस्य बोल सकेंगे उसके बाद ठीक चार बजे माननीय मदेरणा साहब बोलना शुरू करेंगे। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, बजट को पास करने के आखिरी चरण में हम हैं। मैं बजट के सम्बन्ध में विशेष नहीं कह कर 2-3 बातों की ओर जो कि बजट पेश करते वक्त होनी चाहिए, संकेत करना चाहता हूं। बजट पेश हुआ, बजट की काफी प्रशंसा हुई, लेकिन इस वाद-विवाद के अन्दर जो 10-12 रोज का समय निकला, लोगों को शंकाएं होने लगीं कि बजट पेश करते वक्त जो हमको खुशी थी अब शायद वह खुशी इतनी नहीं रह जायेगी। बजट के अन्दर अलग अलग प्रावधान रखे गये और खास बात यह रखी गयी कि इसमें टैक्स हमने कम लगाये। सभापतिजी, मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि जिस बजट में टैक्स नहीं लगाते हों वह बजट अच्छा ही हो और जिस बजट में टैक्स लगाया जाए वह बजट खराब हो।

मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जिन लोगों के पास सम्पत्ति बढ़ी है, 40-45 साल के विकास कार्यों के कारण जिन लोगों के पास साधन बढ़े हैं उनका धर्म है, कर्तव्य है कि वे समाज के लिये कुछ दें और जो शासनकर्त्ता है उसका भी यह अधिकार है कि उन लोगों से कुछ ले। इसलिये इस बजट में कोई कर नहीं लगाये गये, मैं इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता। कर लगाने चाहिए थे और कर लगा कर समाज का वर्ग जो आज उपेक्षित है, उत्पीड़ित है और आज जिसके पास साधनों की कमी है वहां उसको खर्च करना चाहिये था। आज अगर हम राजस्थान की बात देखें तो बहुत-से गांव ऐसे हैं जो अकाल से पीड़ित हैं, पानी की समस्या उनके सामने है, सडकें बनी नहीं हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम को यदि हम टैक्स लगाकर बढ़ावा दें तो अच्छा होगा।

दूसरी बात, घाटे का बजट है। मेरी मान्यता यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को कुछ नहीं करना पड़ेगा और जिस प्रकार की सरकार की नीति अब तक रही है, साल के आखिर में 340 करोड़ का घाटा 680 करोड़ के घाटे में बदल जायेगा। लेकिन क्योंकि आप स्कूलें खोलेंगे नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में विकास कार्य जो आप कह रहे हैं नहीं खोल रहे हैं। 250 करोड़ का आपने फेमिन में करने की बात कही उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा इसलिए यह तो स्वतः ही आपका घाटा नहीं होगा। सरकार की तरफ हमारी जनता आस लगाये बैठी है, उनकी आकांक्षाओं को देखते हुये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कुछ काम जो समाज के लिये आवश्यक करने चाहिये।

मैं शिक्षा के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा ? स्कूलें खोलने की बात आपने कही, शिक्षा के संबंध में एक

(श्री शिवनाथसिंह)

नीति निर्धारित करनी चाहिये। आज यह बात कही जा रही है कि दो हजार तक हम सबको शिक्षा देंगे, लेकिन आज की गति से हम सब को शिक्षा नहीं दे पाएंगे और यह सम्भव भी नहीं है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं लेकिन नीति इस प्रकार की बनाएं जिसके आधार पर हम नये अशिक्षित आदमी पैदा नहीं होने दें।

माननीय सभापतिजी, सम्पूर्ण साक्षरता का एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को दोष नहीं देना चाहता, यह एक नेशनल प्रोग्राम है, इन्टर-नेशनल प्रोग्राम और हमारी सरकार का प्रोग्राम है लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां अनउपयोगी खर्चे होते हो उनकी तरफ राज्य सरकार को केन्द्र को सुझाव देना चाहिये। आप मुझे रिएक्शनरी कह सकते हैं लेकिन साक्षरता के अभियान में जो खर्चा हो रहा है वह अनउपयोगी खर्चा हो रहा है, धन की बरबादी हो रही है इस को आप रोकिये। मेरा सुझाव इसमें यह हो सकता है कि जो लड़के 14 साल तक की उम्र के हों उन सबको साक्षर के लिये इस धन में से कुछ उपाय आप कर सकें तो कर दीजिये। आज 35 साल के युवक को 60 साल के वृद्ध को शिक्षित करना चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे इसमें कोई लोजिक दिखाई नहीं देता ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

35 साल का युवक साक्षर होने के लिये आएगा तो उसको क्या मिलेगा? साक्षर करने के बाद उसने क, ख, ग सीख भी लिया तो उसको क्या मिलने वाला है? इस अभियान की जो आपकी योजना है उसमें कई खामियां हैं। पढ़ने वाले को पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाने वाले को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपका जो सरकारी तंत्र है वह उसमें इतना कमीशन खाएगा करोड़ों रुपये खाएगा और एक-दूसरे अधिकारी को बदलने की चेष्टा की जाएगी कि इसके मार्फत खरीद हो रही है, इसको बदल दो मुझे मिल जाएगा।

मैं, सभापति जी, सीकर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं, आपको भी शायद ज्ञान होगा। पिछले साल ऊंटों पर नगाड़े बांधे गये, गांवों में ढोल बजाये गये, मास्टरों की छुट्टियां बन्द की गयीं और गांव में लोगों को यह कहा गया कि हम सबको साक्षर करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, अजमेर जिले के लिये हमें गर्व है, राजस्थान में उसका एक स्थान है और आदिवासी इलाका हमारे सम्पूर्ण भारत में प्रथम आया है।

सभापति महोदय, मैं चेलेन्ज करता हूं सीकर जिले में आप चले जाइये। अजमेर की मैं नहीं कह सकता, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां की दरख्वास्तें सब अंगूठे से आती हैं। सीकर जिले में इस अभियान के मार्फत यदि दो परसेन्ट भी आदमी साक्षर हुए हों तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि आपका यह अभियान सफल हो सकता है।

(श्री शिवनाथसिंह)

मुख्य मंत्रीजी को दोष नहीं देता यह केन्द्र सरकार की नीति है लेकिन मुख्य मंत्रीजी का यह दायित्व बनता है कि वे केन्द्र सरकार का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करें और इस खर्चे को कहीं न कहीं सदुपयोग में लगाए, नयी शालाए खोलें, नये स्कूल खोलें। यदि कमिटेड आपका एक्सपेन्डीचर होता है तो मैं कहता हूं कि दो घण्टे के लिए, चार घण्टे के लिये इस प्रकार की व्यवस्था हो कि नयी हमारी जो जनरेशन आ रही है वह तो साक्षर हो। 35 से 65 साल वाला कोई भी व्यक्ति आपके यहां पढ़ने नहीं जाएगा और उससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : आखरी सुझाव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सफेद हाथी कई हैं, मैं उनसे छुट्टी लेना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के जंगलों में चरने के लिये भेजना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, सबसे बड़ा सफेद हाथी है तो यह विद्युत मंडल या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसमें काम के बजाय अपव्यय होता है।

श्री सभापति : उसको छुट्टी करने पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं छुट्टी नहीं करा रहा हूं, मैं उसकी दुरूस्ती करा रहा हूं, उस पर धूल डाल रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पर आप नियंत्रण कीजिये। आप उसको आटोनोमी दे रहे हैं और किसान के लिये फंदा और डाल रहे हैं कि वह अपने हिसाब से अपनी रेट बढ़ाए। रेट बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर्विसेज में तो आप सुधार कीजिये। आपकी सर्विस लाइन में गड़बड़ है, आपके लाइनमैन गड़बड़ हैं, आपके ए.ई.एन., जे.ई.एन. और एक्सईएन अफसर निकम्मे हो रहे हैं, इसलिये इस सफेद हाथी से हम जैसे काश्तकारों को चरने से बचाइये और इस पर थोड़ा नियंत्रण कीजिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री नरपत सिंह जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि यह घाटे का बजट है इसलिये यह बजट अच्छा नहीं है। यहां माननीय चन्दनमल जी बैद विराजमान हैं, काफी वर्षों तक वित्त मंत्री भी रहे हैं, क्या नफे का बजट देने से स्टेट की डवलपमैण्ट की स्थिति ज्यादा अच्छी सामने आती, या प्लानिंग कमीशन से ज्यादा पैसा मिल जाता? प्रश्न इस बात का है कि एस. डी. पी. का कम्पोनेंट क्या है और कितना टैक्स स्ट्रक्चर और स्टेट की इकोनोमी बीयर कर सकती है? इस एस.डी.पी. का 50 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और उसका करीब 50 प्रतिशत सेल्फ कंजम्पशन है, वह मार्केट में आता ही नहीं इसलिये टोटल एस.डी.पी. का अगर टैक्स स्ट्रक्चर में अपन देखें तो हिन्दुस्तान में हाइएस्ट अपना रहेगा अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को माइनस करके रखें। इसलिये टैक्स स्ट्रक्चर नहीं चलाया गया।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

टैक्स स्ट्रक्चर को अगर नहीं चलाएंगे तो घाटा भी होगा लेकिन उस घाटे की पूर्ति अगर हम, जयपुर का एक उदाहरण देकर बात बताता हूं, लूप होल्ज जितने भी हैं उनको प्लग करके पूरा कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिये। कंसट्रक्टिवली सोचें तो सही कि जयपुर नगरपालिका की 1989 में या 1990 में एक महीने की आक्ट्राय की कितनी आमदनी थी? 25 लाख रुपये। 1991 में वही आमदनी वही चुंगी नाके ढाई करोड़ रुपये प्रतिमाह की आमदनी देने लगे हैं। वह कोई टैक्स स्ट्रक्चर या आक्ट्राय की रेट बढ़ाकर नहीं लेकिन चोरियां जहां होती थीं उसको रोका, ईमानदार अधिकारियों को लगाया और जो वर्षों से एक जगह पर बैठे थे उनको बदला। पूरे स्टेट की इकोनोमी पर 307 करोड़ जो अभी आप फरमा रहे हैं, सबने चिन्ता जाहिर की है, सबको चिन्ता होनी स्वाभाविक है, लेकिन सही ढंग से अधिकारी सही स्थान पर लगाये जाएंगे तो ये चोरियां रुकेंगी और घाटे की पूर्ति भी इसी प्रकार से होगी।

सेण्ट्रल कंट्रीब्यूशन को माननीय सदस्यों ने सेण्ट्रल गवर्नमेंट की दरियादिली बताया। स्टेट लिस्ट, सेण्ट्रल लिस्ट और कान्करेंट लिस्ट में देख लें, सन् 1952 में क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। हमारे स्टेट रिसोर्सेज जो स्वयं सेण्ट्रल ने अपने हाथ में लिये हैं, वह हमारे को देती है वह हमारा अधिकार है, उनकी दरियादिली पर हम डिपेण्ड नहीं करते। प्रश्न इस बात का है कि उसको आप किस कंसेप्ट में लेना चाहते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप कम से कम इस पर विचार करें कि सन् 1952 या 60 में जो हमारी स्थिति थी, वह सोर्स आफ रेवेन्यू क्या थे और सेण्ट्रल से आज हमको मिल रहा है तो वह हमारा राइट है या नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं कारपोरेट टैक्स के बारे में। कारपोरेट टैक्स, जो कारपोरेशन इनकम टैक्स देते है उस समय सिर्फ 50 करोड़ था, आज की तारीख में वह साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है। हमारा अगर उसके अन्दर हिस्सा हम डिमाण्ड नहीं करेंगे तो किसके साथ डिमाण्ड करेंगे? उस कारपोरेट टैक्स को अलग रखा गया, स्टेट का शेयर था उससे महरूम रखा गया।

सभापति महोदय, भूमि एवं भवन कर के बारे में राज्य सरकार ने इस बार छूट दी और वह सीमा दो लाख रुपये तक की आज राजस्थान में कौनसी ऐसी सम्पत्ति है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू दो लाख रुपये से कम है? मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वन टाइम टैक्स लगाए यह तो अच्छी बात है लेकिन उसके अन्दर एक एनोमोली है कि टैक्स लाइबिलिटी में केलकुलेशन फेयर मार्केट वैल्यू का उस दिन होगा जिस दिन वह पहली बार टैक्सेबल होगा। जो भवन पहले बना हुआ था सन् 1972, 73 या 1974 में, जो टैक्सेबल लिमिट से कम था और आज उसने एक कमरा ज्यादा बना लिया वह टैक्सेबल स्ट्रक्चर के अन्दर आ गया। मेरे ख्याल से इस एनोमोली को दूर करने से काफी गृह

(श्री नरपतसिंह राजवी)

स्वामियों को लाभ होगा, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) वह आप निवेदन कर देना। मैं तो जो मेरी समझ में आ रहा है वह कर रहा हूं।

दूसरी बात, फोरेस्ट मैनुअल की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर माननीय सदस्यों ने शायद ध्यान नहीं दिया। फोरेस्ट मैनुअल सैण्ट्रल एक्ट है और उसका लास्ट एडिशन 1941 में प्रिण्ट हुआ। फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट किस तरह से खर्चा करेगा यह उसके अन्दर अंकित किया गया है। उन्होंने दो मेजर हैड रखे हैं, एक तो वर्क्स एडवांस और दूसरा फोरेस्ट एडवांस। वर्क्स एडवांस में वही खर्चे बुक किये जायेंगे जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशल सैक्शन पहले से जारी की गयी है। पहले से जारी स्वीकृति नहीं हो तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए इसलिए वर्क्स एडवांस में उन्होंने बुक करना बन्द किया और बिना स्वीकृति के खर्चा करना शुरू कर दिया। अफसोस की बात तो यह है कि 1974 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने माइनर हैड को ही अपने बजट से गायब कर दिया। आज सैण्ट्रल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको बाई-पास करके और उनको ओवरलुक करके सिर्फ फोरेस्ट एडवांस के हैड में बुक कर रहे हैं। फोरेस्ट एडवांस एक पैटी एडवांस के तरीके का है, जैसे अन्य कार्यालयों में इंप्रेस्ट अमाउण्ड होती है। इस पर आप लोगों को गौर करना चाहिये और मैं चाहूंगा कि वित्त विभाग इसका अध्ययन करे।

एक ओर मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय चैक सिस्टम अलाउ किया था फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट को तब ट्रेजरी, सब ट्रेजरीज नहीं थीं। अब सब जगह सब ट्रेजरीज हैं, ऐसी कौनसी स्थिति है जिसमें सिर्फ चैक के माध्यम से तनख्वाह दी जा सकती है। तनख्वाह अधिकारी उतनी ही लेगा जितनी के लिए वह अधिकृत है। ट्रेजरी के माध्यम से वन विभाग के जितने भी बिल्स हैं वे अगर पास किये जाएं तो यह जितना भी सस्पैंस हैड में आपका अमाउण्ट बढ़ रहा है वह अन्त में घटेगा। आज ड्राइवरों के अग्रेस्ट में तीन-तीन लाख रुपये पैंडिंग पड़े हैं बीस-बीस साल से, उस चीज को चैक करने का एकमात्र यही माध्यम रहेगा अतः स्लिप सिस्टम को बन्द करके ट्रेजरी के माध्यम से उसको पास कराया जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नरपतसिंह राजवी : समाप्त ? फिर या तो मैं बोलता ही नहीं आप अनुमति नहीं देते तो। यहां मैं अपनी बात नहीं कहूं तो फिर एप्रोप्रिऐशन पर बोलने का लाभ नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : शीघ्र समाप्त करें।

श्री नरपतसिंह राजवी : हां, जल्दी

(श्री नरपतसिंह राजवी)

करेंगे, यह बात हुई। माननीय धनखड़ जी यहां पर बिराजमान थे, बोल रहे थे काफी, स्टेट के बारे में चिन्तित भी थे। रेंट कण्ट्रोल एक्ट के बारे में उन्होंने नहीं कहा, मैं उम्मीद करता था कि वे कहेंगे, वे किरायेदार भी रहे हैं और अब मकान मालिक भी हैं। रेंट कण्ट्रोल एक्ट को अमैण्ड करके अगर सूटेबल किया जाए तो यहां की जितनी भी नगरपालिकाएं हैं वे इकानामिकली सैल्फ सफिशिएट हो जाएंगी। रेंट कण्ट्रोल एक्ट बहुत पुराना बना हुआ है। दिल्ली, बम्बई में भी चेंज हो चुका है। रिसोर्सेज को डवलप करने के लिए क्या यह नहीं सोच सकते थे कि पांच बत्ती पर 5 रुपये में कोई दुकान किराये पर मिल सकती है और उसके ऊपर गृह कर भी लगेगा तो सिर्फ उसका सवा छः परसेंट लगेगा ? स्टेट को सर्विसेज तो पूरी देनी हैं लेकिन स्टेट उस सर्विसेज को उन्हीं रिसोर्सेज से डवलप अगर करेगी तो राज्य सरकार की ग्राण्ट पर डिपेण्ड करते-करते हालत खराब हो जायेंगी।

इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट और सेटलमेंट के बारे में भी चर्चा हुई।

(16.00)

मैं अभी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़कर, जीतकर आया हूं। शायद पिछले वर्षों में वहां पर सेटलमैण्ट हुए हैं। जिन लोगों के नाम से वर्षों से, पीढ़ियों से खाते में खातेदारी अंकित थी सेटलमैण्ट होने के बाद में इनको डिसेटल कर दिया गया है। क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों पर रेसपॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की मानसिकता रखती है ? रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज अगर चेंज होंगे तो किसी के अधिकार से, किसी के आदेश से होंगे और बिना अधिकार, बिना आदेश से अगर हुआ है तो उसके अन्दर जिसने भी चेन्ज किया है, चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह अमीन हो, चाहे वह तहसीलदार हो उसे रेस्पॉसिबल करिये। अब वहां पर आदिवासी एसडीओ कोर्ट का चक्कर लगाता रहे और दस वर्षों तक उसका फैसला नहीं हो, यह थोड़ी-सी चिन्ताजनक बात है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पीएचइडी. में रेगिस्तानी क्षेत्र में तो उन्होंने कर दिया कि रीजनल स्कीम्स सैंक्शन कर देंगे और 26-26 किलोमीटर तक पाइप लाइन गयी हैं और पानी उन गांवों में मुहैया हुआ है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रीजनल स्कीम्स का अभी तक सिस्टम लागू नहीं किया है। चित्तौड़ जिले में पानी बहुत गहरा चला गया, ट्यूबवैल्स काफी खुद गये, ट्यूबवैल्स के माध्यम से अगर रीजनल स्कीम लागू कर दी जाए तो मेरे ख्याल से हैण्ड पम्प की बजाय वह ज्यादा उपयोगी होगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

स्मगलिंग के बारे में भी सदन में चर्चा हुई। मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तो बात

(श्री नरपतसिंह राजवी)

नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चित्तौड़ जिला श्रोपियम स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना हुआ है और उसमें ढोढक जो ठेका होता है उसके अन्दर मेरे को कुछ एनोमेलिज लगीं। एक ठेकेदार वहां से उठाकर, रवाना होगा स्टोर से और उस एक गाड़ी के परमिट से वह कम से कम पांच गाड़ियां और पास कर देगा। क्या सरकार एक छोटी-सी व्यवस्था नहीं कर सकती ? जो ओरिजिनल डाक्यूमेण्ट स्टोर से उसको इश्यू होता है कि इतना क्विंटल या इतना बोरी उसे निकाला गया, रवाना किया गया उसी पर उसी दिन एक समय फिक्स कर दें और हाथ के हाथ जितनी भी चुंगी उसमें से क्रॉस वह करेगा उसके अन्दर इन्द्राज मूल दस्तावेज पर हो तब तो वह दुबारा उसके माध्यम से नहीं ले जा सकेगा वरना एक परमिट से पांच-पांच गाड़ियां वह निकालता है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता।

मध्यप्रदेश से लगती हुई सीमा में कई जगह आज चैक पोस्ट नहीं हैं, पहले वहां पर थीं क्यों हटायीं उसको तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां-जहां चुंगी नाकों की और आवश्यकता है, चाहे पुलिस नाका लगे चाहे एक्साइज डिपार्टमेण्ट का लगे, चाहे सैल्स टैक्स डिपार्टमेण्ट का लगे उनको रिआर्गेनाइज करके लगाना चाहिये।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान आरएसईबी. की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। संक्षेप में इतना ही कहूंगा....

श्री सभापति : आरएसईबी. पर कल-परसों बहस हो गयी है।

श्री नरपतसिंह राजवी : अगर यह बात हो गयी है बहस में तो आप मंगवाकर देख लें, मैं वह चर्चा रिपीट नहीं करूंगा। जितनी भी आजकल कुओं की प्रायोरिटी फिक्स होती है वह पंचायत समिति स्तर पर होती है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता इस चीज से सहमत होंगे कि जो गांव आज से बीस वर्ष पहले इलेक्ट्रिफाई हो गये उन गांवों में तो आज भी कोई न कोई कुआं इलेक्ट्रिफाई हो जाएगा, चाहे टार्गेट 24 हजार कुओं का हो चाहे पूर्व में दस हजार कुओं का टार्गेट रहा हो। मैं टार्गेट के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गांव पहले इलैक्ट्रिफाई नहीं हुए और आज जो इलैक्ट्रिफाई हो रहे हैं उनमें अगले आने वाले 15 वर्षों में भी दुबारा कुए का कनेक्शन किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। विलेजवाइज या ग्राम पंचायत वाइज अगर उसकी प्रायोरिटी निर्धारित हो तब तो नये वालों को भी इक्वेट करने का एक मौका मिल जाएगा, इस पर भी सदन जरूर विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब खत्म कर रहा हूं, श्रीमान।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, आईजीएनपी. के बारे में विशेष

(श्री नरपतसिंह राजवी)

कहने की आवश्यकता नहीं। अन्तरराज्यीय स्तर पर पंजाब से जितना पानी मिलता है, हैड वर्क्स पर जितना भी अपना मॉनिटरिंग है वह उस स्तर का नहीं है, आज वहां के किसान, वहां की जनता जो डिमाण्ड करती है वह इलेक्ट्रोनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया जाए। आठ-दस हजार से ज्यादा उसका खर्चा नहीं है लेकिन हैड पर पंजाब जितना पानी दे रहा है और आप जितना रिसीव कर रहे हैं उसकी पब्लिक को भी जानकारी रहे, सदन को भी जानकारी पूरी रहे और वहां के किसानों को भी पूरी जानकारी रहे, इसकी व्यवस्था अगर माननीय मंत्रीजी करें तो मैं आभारी रहूंगा। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान विनियोग संख्या-पांच विधेयक सदन के सम्मुख विचारणीय है और इस विनियोग के द्वारा इस सदन से इस प्रकार का आथोराइजेशन माना गया है कि राज्य के कंसोलिडेटेड मांगा गया है कि राज्य के कंसोलिडेटेड कुछ परपजेज के लिये, कुछ प्रयोजनों के लिये 8859 करोड़ 94 लाख और 33 हजार रुपये खर्च करना चाहती हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिये वह चुकारा करना चाहती है।

मैं ऐसा समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि मुख्य मंत्रीजी जब सत्ता में 4 मार्च, 1990 को आये थे और उन्होंने मोडिफाइड बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था उस वक्त भी मैंने इनसे एक बात कही थी और चार मार्च को सत्ता में आने के बाद से जब पहला सत्र हुआ तो आपने सदन को यह जानकारी दी और राजस्थान की जनता को जानकारी दी कि यह खजाना मुझे खाली मिला है।

सभापति महोदय जब ये एप्रोप्रिएशन बिल लाये तो एप्रोप्रिएशन बिल की राशि पांच हजार करोड़ और कुछ थी और यह 8,860 के आसपास था जिसमें पांच लाख और कुछ हजार रुपये कम हैं, मैं एप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। यह अपने आप में मैं समझता हूं राजस्थान बनने के बाद में, आज राजस्थान दिवस है, सबसे बड़ी धनराशि है और अपने आप में एक कीर्तिमान है।

सभापति महोदय, सदन में बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कहीं और मुख्य मंत्रीजी को इस बात का गर्व है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ की जो बनी वह सातवीं पंचवर्षीय योजना से 280 फीसदी ज्यादा है। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है लेकिन, सभापति महोदय, आज इस सदन में अभी चर्चा हो रही थी, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने भारत की सोवरीनटी के सम्बन्ध में, गैट के सम्बन्ध में और सोने की खरीद और

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके मोर्गेज रखने के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहीं। मैं उन विषयों पर कुछ नहीं कहकर सीधे बजट पर आता हूं।

बजट किसी भी राज्य का, उस राज्य की जनता की आंकाक्षाओं को शासन पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा मापदण्ड है। बजट इस बात की ओर संकेत देता है कि हम आर्थिक विकास की गति को तेज कर सके हैं या नहीं कर सके हैं। आज के बढ़ते हुए इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड में इकोनोमी पर जोरदार पड़ रहा है। इस कारण यह कभी आंकड़ों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके हो। पहली पंचवर्षीय योजना, सभापति महोदय केवल 64 करोड़ 57 लाख की थी और यह योजना 8860 करोड़ की है लेकिन जब बजट यहां प्रस्तुत किया गया तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह बजट मैं शिक्षा को समर्पित कर रहा हूं और लेकिन मैंने शिक्षा के हैड के नीचे देखा तो जनरल एजुकेशन में प्लान के अन्दर केवल 130 करोड़ रुपये और सेण्ट्रल स्पासर्ड स्कीम के ऊपर 39 करोड़ और 19 लाख रुपये कुल मिलाकर 160 करोड़ और 12 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं 8860 करोड़ में से। यह पूरा का पूरा बजट शिक्षा को समर्पित हो रहा है?

मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां कंसोलिडेटेड फण्ड से, टोटल बजट जो आज प्रस्तुत है उसमें धनराशि जो यह विनियोजन करना चाहते हैं यह तो अपने आप में एक कीर्तिमान है लेकिन, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक दूसरा कीर्तिमान भी स्थापित किया है। जब से ये सत्ता में आये हैं लगातार 1990 से राज्य के ऊपर और जनता के ऊपर कर्ज का भार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और 1994-95 के अन्त तक यह 11,468 करोड़ 33 लाख हो जाएगा जो राजस्थान के घरेलू उत्पाद का 49·2 परसेंट होगा।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि कर्ज का कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। डबलपिंग इकोनोमी के अन्दर बोरोइंग करनी पड़ती है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन बोरोइंग इतनी होनी चाहिये कि हम उसका रीपेमेंट कर सकें। अगर बोरोइंग का रीपेमेन्ट करने की हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम उस राज्य को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं; इनसोलवेन्सी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप यह देखेंगे तो, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि कर्ज का ही कीर्तिमान नहीं है लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है वह 2229 करोड़ और 26 लाख रुपये है, यह भी अपने आप में, मुख्य मंत्री जी, आपने कीर्तिमान स्थापित किया है इस प्रकार का कोई फिस्कल डेफिसिट आज तक नहीं रहा। राजकीय कोष के घाटे की बात यहां पर कर रहे थे लेकिन मैं समझता हूं कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फिगर्स दी वे सही नहीं हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

भारत सरकार का जो परसेंटेज रहा है यू.डी.पी. का वह केवल 6 फीसदी है और राजस्थान सरकार का जो फीसदी रहा है घरेलू उत्पाद का, क्योंकि इस साल के आंकड़े तो अभी हमारे पास नहीं आये हैं 23302 करोड़ का जो घरेलू उत्पाद है राजस्थान का उसका परसेंट 9,57 है। आप वे आंकड़े कहां से ले आये मुझे पता नहीं है लेकिन फिस्कल डेफिसिट राजस्थान में फोर टाइम्स हाई है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 58 हजार करोड़ नहीं वह 54 हजार करोड़ है, उससे आप परसेन्टेज निकालिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने उस दिन 58 हजार करोड़ का आंकड़ा दिया था उस समय भी मैंने कहा था कि यह 54 हजार करोड़ है 58 हजार करोड़ नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट 882 करोड़ 70 लाख का है, यह भी मैं समझता हूं कि सर्वाधिक है और एक कीर्तिमान है। 1987-88 में 356 करोड़ का निश्चित तौर पर रेवेन्यू डेफिसिट रहा था, उस रेवेन्यू डेफिसिट के मुकाबले में 482 करोड़ और 77 लाख का रेवेन्यू डेफिसिट रहना और वह भी तब, सभापति महोदय, जब कि कैपिटल अकाउण्ट के अन्दर 276.46 करोड़ वहां से ट्रान्सफर करके रेवेन्यू का घाटा आंशिक रूप में पूरा किया है। कुल मिलाकर जो घाटा है वह 340.65 करोड़ का है और यह, मुख्य मंत्री जी, कीर्तिमान है क्योंकि 340 करोड़ का राजस्थान बनने के बाद में समग्र घाटा नहीं रहा है।

अभी यहां पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां पर आटोनामी पर एन्क्रोचमेन्ट किया जा रहा है और इस तरह से हम चाहते हैं कि कारपोरेट टैक्स के अन्दर जो इन्कम टैक्स है उसमें आटोमेटीकली शेयर इन टैक्स का डिवोल्यूशन हो जाये और बहुत-सी बातें यहां पर कही गयीं। मैं स्टेट और सेण्टर रिलेशन्स के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान दिवस के ऊपर यह मांग की है कि सरकारिया कमीशन की तरह दूसरा एक और कमीशन बैठना चाहिये जो सेण्टर और स्टेट रिलेशन के सबंध में रिकमण्डेशन कर सके। जहां तक राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा प्लान फण्डिंग के लिये पैसा मिला इसमें दो राय नहीं हो सकती और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य भी यही चाहेंगे कि विकास की गति को तेज करने के लिए बेसिक इन्फास्ट्रक्चर हो जिसमें कि राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह कहना कि केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ में कोई सौतेला व्यवहार कर रही है और केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ प्लान फन्डिंग के अन्दर दूसरे राज्यों के बनिस्पत कम धनराशि दे रही है यह सत्यता से दूर है और इसलिये मैं आकड़े पढ़ना बहुत आवश्यक समझता हूं। 1990-91 के अन्दर आपको शेयर इन टैक्सेज मिला है 758.87 करोड़ और ग्रान्ट-इन-एड मिली है 852.46 करोड़; 1991-92 के अन्दर आपको शेयर

(श्री परसराम मदेरणा)

इन टैक्सेज मिला है 896.24 करोड़ और ग्रान्ट-इन-एड मिली हैं 952 करोड़; 1992-93 के अन्दर आपको शेयर इन टैक्सेज मिला है 1073.40 करोड़ और ग्रान्ट-इन-एड मिली है 1078.73 करोड़; 1993-94 के अन्दर आपको शेयर इन टैक्सेज मिला है 1154 14 करोड़ और ग्रान्ट-इन-एड मिली है 1226.31 करोड़ और 1994-95 के अन्दर जो एस्टीमेटेड है उसमें शेयर इन टैक्सेज आपको मिलेगा 1269.11 करोड़ और ग्रान्ट-इन-एड मिलेगी 1430.68 करोड़।

सभापति महोदय, इन 5 वर्षों के अन्दर जब से ये मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे और वित्त मंत्री बने हैं, तब से भारत सरकार से 10674.95 करोड़ की टोटल सेण्ट्रल असिस्टेन्स मिली है, और मैं समझता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड तो शायद हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी राज्य को नहीं मिली है। वह इसलिये मिली है कि राजस्थान आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ है। आल इन्डिया सोशन इकॉनामिक डवलपमेण्ट के जो इण्डीकेटर्स हैं उसमें राजस्थान काफी पीछे है।

श्री सभापति : आप कह रहे हैं कि मिली है और ये कहते है कि लाया हूं, यह फर्क चल रहा है।

श्री चन्दनमल वैद : फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आने में इनका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है, यह तो श्री शिवचरण जी माथुर और श्री हरिदेव जी जोशी का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, आपका भी कन्ट्रीब्यूशन है और श्री शिवचरण जी माथुर का भी है और हरिदेव जोशी जी का भी है। प्लानिंग कमीशन राज्य सरकार से बात की और उसके बाद में मेरे से बात की तो उन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स में यह कहा था जो आज भी प्रेस में लिखा हुआ है, कि सरकार ने कई दिनों तक जो भी अपना रिप्रजेन्टेशन किया है वह विपक्ष के नेता ने 45 मिनट में किया है और यह कर्जा मैं माफ करके जा रहा हूं।

श्री खेतसिंह : कहां कहां है? कहां लिखा हुआ है? कहां टेप हुआ है? वह तो सुना दो।

श्री परसराम मदेरणा : 9 वें फाइनेन्स कमीशन की जो रिकमण्डेशन है वह 1 अप्रेल, 1990 से लागू हो गयी है और उसके पहले कमीशन था 1979-80 में या कब बैठा होगा, 1989 में मिला होगा या 1988 में मिला होगा, मेरी समझ में आप 1989 में मिले होंगे। अब पौन घण्टे के अन्दर अपनी गवर्नमेण्ट ने जो मेमोरन्डम प्रस्तुत किया मुख्य मंत्री जी, मुझे माफ करना आज वह 11,500 करोड़ का आपकी योजना का जो आकार है इसके लिये अगर अगर किसी को भी श्रेय जाने की बात है तो कांग्रेस सरकार को है जिन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

मेमोरेण्डम पेश किया और उसमें राजस्थान की स्थिति को एक्सरे की तरह साफ रख दिया और इसलिए फाइनेंस कमीशन ने यह सोचा कि राजस्थान जैसी स्टेट इकोनोमिक एक्टीविटीज को बूस्ट-अप करने के लिए ज्यादा ग्राण्ट-इन-एड दी जानी चाहिये। आप श्रेय लेना चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी, आपको बहुत श्रेय देने वाला हूं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक बात बता दीजिये कि अभी फाइनेंस कमीशन के सामने जो राजस्थान सरकार ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है या अपना केस प्रस्तुत किया है उसमें क्या किसी प्रकार की कमी रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : बहुत बड़ी खामी है, कमी बताऊंगा आपको। मोस्ट फाल्टी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो उसका परपज ही खराब कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो मैमोरेण्डम पेश किया है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। आपने अपने केस को टैंथ फाइनेंस कमीशन के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, मैं एक बात जानना चाहता हूं.....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके पास कोई अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार : इसका मतलब बनाया तो इन्होंने ही है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें एक चैप्टर पूरा का पूरा ग्राण्ट-इन-एड का है। जब आप राजस्थान के मुख्य मंत्री थे 1978-79 के अन्दर, जिस वक्त सैवंथ फाइनेंस कमीशन यहां आया हुआ था उस वक्त आपने ग्राण्ट-इन-एड के बारे में यह साफ तौर पर कहा है कि हम बैगिंग बाउल्स की तरह वहां नहीं जाना चाहते है, हम सिर्फ टैक्सेज में शेयर चाहते हैं ताकि उसका राजस्थान को लाभ मिल सके। उसका परिणाम यह हुआ कि 1980-81 के अन्दर जहां आपको, अभी मैं आंकड़े बता रहा हूं, 852 करोड़ मिलने हैं वहां राजस्थान को 60 या 65 करोड़ की ग्राण्ट-इन-एड मिली है, जहां अकाल पड़ते रहते हैं।

इस वक्त आपने सब कारण दिये हैं कि ग्राण्ट-इन-एड बहुत जरूरी है रेवेन्यू डैफिसिट को मीट आउट करने के लिये जरूरी है, कैपिटल अकाउन्ट के अन्दर ज्यादा पैसा होने से इन्वेस्टमैन्ट ज्यादा करने के लिए भी यह जरूरी है। फैमिन को मीट आउट करने के लिये आपने यह बात भी कही है कि कैलेमिटी रिलीफ फन्ड को इन्क्रीज किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है लेकिन मैं निवेदन यह निश्चित तौर पर करना चाहता हूं कि सैवंथ फाइनेंस कमीशन के सामने, जिस वक्त राजस्थान के आप मुख्य मंत्री थे, या तो आपको आपके फाइनेंशल एडवाइजर्स ने गलत सलाह दी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : या आप घमन्ड में थे।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर तेज-तर्रार भाषा में कहना और बात है लेकिन अपने केस को फिस्कल मैटर्स के अन्दर किसी भी कमीशन के सामने पेश करके उसको कन्विंस करना एक दूसरी बात है। या उस वक्त अनाड़ी थे और अब आप बुद्धिमान हो गये हैं। लेकिन आपने उस वक्त जो स्टैन्ड लिया उस स्टैण्ड से राजस्थान को 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान हुआ और राजस्थान के विकास को आपने एक जबर-दस्त धक्का दिया।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान तो स्थापित कर दिया, जिस वक्त आप राजस्थान के मुख्य मंत्री बने आपने मुख्य मंत्री बनते ही यहां पर मोडि-फाइड स्पीच दी है। उस वक्त राजस्थान की जो स्थिति थी विकास के मामले में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले, और मेजर स्टेट्स के डवलपमेंट को देखते हुए राजस्थान की जो रैंकिंग थी उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने "राजस्थान इस वर्ष" के जरिये इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। उसके बाद उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य, मैं देख रहा हूं, पिछले 6-7 दिन से बराबर इस बात की जोर-जोर से डींग हांक रहे हैं कि हम लम्बी छलांग भर रहे हैं। किसी भी योजना के आकार से लम्बी छलांग नहीं भरी जाएगी, आपको देखना यह पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी बढ़ी है, स्टेट का ग्रास प्रोडक्शन कितना इन्क्रीज हुआ है, स्टेट के अन्दर बेसिक इन्फास्ट्रक्चर कितना डवलप हुआ है, स्टेट के अन्दर इन्वैस्टमैण्ट की वजह से बराबर कितने लोगों को रोजगार मिला है, स्टेट के अन्दर साक्षरता में हम लोएस्ट एब पर हैं उसमें हम किस तरह से लम्बी छलांग भर सकते हैं।

स्टेट के अन्दर पीने के पानी के सम्बन्ध में, जो पानी ही जीवन है, फाइनेंस कमीशन के सामने 7500 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होने के बाद हम पोटेबल पानी राज-स्थान के किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में दे सकेंगे। केवल ग्रामीण क्षेत्र में। आप जब सत्ता में यहां पर आये हैं तो, मुख्य मंत्रीजी, आपको पांच साल हो गये हैं। दो साल तो रोलिंग प्लान था और प्लान के तीसरे साल में दो दिन बाद, आज तीस हैं, परसों हम एण्टर हो रहे हैं। इस धनराशि के एप्रोप्रिएट करने का विधेयक आज सदन में प्रस्तुत है। आपने 27 जून, 1990 को कहा था :

"Rajasthan ranks 13th in the matter of provision for link road for the villages, 12th in the matter of provision for hospital facility per sq. km., 12th in the matter of providing drinking water in the villages, 8th in the matter of per-capita development expenditure and 9th in the matter of per-capita energy consumption. In respect of consumption of fertilizer, we rank 13th while in the education sector, we are at the 14th position,

(177)

(श्री परसराम मदेरणा)

"On the whole, in terms of index of basic infrastructure facilities, Rajasthan ranks 13th amongst the 14 major states."

मुख्य मन्त्री जी, पिछले पांच साल में, जब यहां पर आप आये हैं, योजना के तो केवल दो साल ही व्यतीत हुए हैं लेकिन उससे पहले रोलिंग योजना के दो साल थे। उन चार वर्षों में, जो चार वर्ष कल समाप्त होने वाले हैं, आपने योजना व्यय किया है 5233 करोड़ 43 लाख का और अगले साल आप खर्च करने जा रहे हैं 2450 करोड़ रुपये। कुल मिलाकर पांच साल में आप व्यय करेंगे 7683 करोड़ और 43 लाख रुपये। इतना बड़ा प्लान फण्डिंग होने के बाद आप बताने की कृपा करेंगे, इस योजना का बहुत बड़ा आकार बनाने में आपका श्रेय रहा है, आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, कि यह जो आपकी रैंकिंग है बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर, उसमें क्या इम्प्रूवमैण्ट हुआ है ? मैं समझता हूं सदन को आप इसकी जानकारी देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नीचे गये होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका केवल बजट का घाटा ही आल टाइम हाई नहीं है लेकिन विकास व्यय के अन्दर भी काफी प्रतिशत का डिफरेंस होता जा रहा है। इसी तरह से जनरल सर्विसेज पर जो आपका खर्चा है वह भी लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सामान्य सेवाओं पर जहां 1990-91 के अन्दर 33.8 प्रतिशत व्यय था, अब यह व्यय बढ़कर 42.06 प्रतिशत हो गया है। मतलब 1990-91 में जहां 1151 करोड़ थे, मुख्य मन्त्री जी, वहां अब जनरल सर्विसेज के ऊपर 2273 करोड़ रुपये हो गये हैं। अगर आपने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो विकास की गति को निश्चित तौर पर यह अवरूद्ध करेगा। नान प्लान एक्सपेण्डीचर के ऊपर भी यहां माननीय सदस्य कह रहे थे कि डवलपिंग इकोनोमी के अन्दर नान प्लान एक्सपेण्डीचर तो होगा। मैं यह नहीं कहता। नान प्लान एक्सपेण्डीचर अपने आप में आवश्यक भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनरल सर्विसेज में कौनसे आइटम आते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जनरल सर्विसेज के अन्दर बहुत- से आइटम आते हैं। करीब सात या आठ आइटम हैं, वह आप देखना चाहें तो बजट के पेज नम्बर 14 पर है, आप देख लीजिये। बजट स्टडी के पेज नम्बर 14 पर देख लीजिये, वे आइटम लिखे हुए हैं। मैं देख रहा हूं, आपको एक मिनट का समय देता हूं, आप 14 नम्बर का पेज देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जनरल सर्विसेज से यह इम्प्रेशन देना चाहें कि यहां पर एस्टैब्लिशमैण्ट कास्ट बढ़ रही है तो यह सही नहीं है। जनरल सर्विसेज में जो पब्लिक को सर्विसेज दी जाती हैं उनकी कास्ट तो बढ़ेगी, उनको कम नहीं किया जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, जनरल सर्विसेज के साथ ही साथ नान प्लान एक्सपेंण्डीचर भी आपका बढ़ रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बढ़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जब आप सत्ता में आये तो टोटल बजट का 50.3 परसेंट था ...(व्यवधान) ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : 1991-92 के अन्दर यह 48.6 परसेंट, थोड़ा-सा नीचे गया। उसके बाद में 1992-93 में तो एकदम इसने जिम्प किया 56.67 परसेंट और 1993-94 में इस साल के अन्दर हो गया है नान प्लान एक्सपेंण्डीचर 57.17 परसेंट और अगले साल का जो आपका एस्टिमेटेड है उसमें नान प्लान एक्सपेंडीचर होगा 5035 करोड़ 62 लाख जो आपके टोटल बजट का 60.1 परसेण्ट होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इण्ट्रेस्ट मनी कितना है? इण्ट्रेस्ट ऑन लोन कितना है इसके अन्दर, इसका भी आप ध्यान कर लें। (व्यवधान)....

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इण्ट्रेस्ट जो अपन देते हैं सेण्टर को और दूसरे लोन्स हैं वे भी इसके अन्दर इन्क्लूडेड हैं इसलिये बढ़ गया है, यह मैं निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति : आप समझे, माननीय सदस्य?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सदन का ज्ञानवर्द्धन किया मैं उनका बहुत आभारी हूं लेकिन आप, माननीय सदस्य, सुनें कि 1990-91 से लेकर लगातार आपका इण्ट्रेस्ट राज्य के ऊपर एक्रू हो रहा है और जो अपने आप में बहुत बड़ा भार है वह लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो 1990 में जहां 438.64 करोड़ था यह बढ़कर 1991 में 541 करोड़ 67 लाख हो गया है, 1992 में 614 करोड़ 74 लाख हो गया है, 1993 में 742 करोड़ 87 लाख और 1994 के अन्दर जो कल समाप्त होने वाला है 881 करोड़ 17 लाख.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनिये, माननीय सदस्य, बिराजें, व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसराम मदेरणा : और अगले साल का जो इण्ट्रेस्ट बनेगा वह 1059 करोड़ 80 लाख बनने वाला है....(व्यवधान) लोन तो करीब-करीब 49 परसेंट जीडीपी. से आ गया है और यह फिस्कल मैनेजमेण्ट का जो है....

श्री सुन्दर लाल : चार बुद्धिजीवी तो म्हाने मिलगा, पांचवां थाने मिलगा । इन पांचवों को दिल्ली भिजवावो ।

श्री सभापति : कृपया पांचों बुद्धिजीवियों की सूची प्रस्तुत करें,.... (व्यवधान).... यह समझने की बात है, जो बुद्धिजीवी नहीं है वे इस बात को समझ लें कि कौन-कौन बुद्धिजीवी हैं । नाम बताये जाएंगे तो वे भी बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आ जाएंगे जो नाम नहीं समझ रहे हैं। माननीय सदस्य, सुनें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, इण्ट्रेस्ट में और कर्ज की बात कर रहा था, निश्चित तौर पर मुख्य मंत्री जी एक बात कहेंगे कि हम कर्ज से असेट्स क्रीएट करते हैं । मैंने यह जानकारी करने की कोशिश की है कि राजस्थान के जो अभी तक असेट्स क्रीएट हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है । मुख्य मंत्रीजी, जब 3 तारीख को मैं कर्ज की बात पर कह रहा था-कर्ज राजस्थान का, उस वक्त एग्जेक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं थे लेकिन मैंने यह बात कही थी कि साढ़े 10 हजार के आसपास राजस्थान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया है ।

मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब के बाद में जो भाषण दिया उसमें कहा कि यह हमारी क्रेडिबिलिटी है । यह क्रेडिट वर्दीनेस है जो आपने प्राप्त की है, मुख्य मंत्री जी, लेकिन असेट्स अब तक आपके जो बने हुए हैं, कुछ ऐसे परमाण्नेण्ट असेन्ट्स हैं जिनका आप डिस्पोजल कर ही नहीं सकते । तो आज अगर दस हजार या साढ़े दस हजार करोड़ के ये असेट्स हैं तो 11 हजार कुछ का कर्जा है और तेज रफ्तार से यह बढ़ता हुआ चला जा रहा है । गवर्नर एड्रेस में भी यह बात कही गयी है कि पांच हजार की योजनाएं हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं, बजट के भाषण में भी इन्होंने बहुत-सी योजनाएं अभी भारत सरकार के पास में बोरोइंग के लिये भेज रखी हैं ।

मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों को आपने भेज रखी हैं और उसकी वजह से आपके कर्ज का बोझ अभी जो ग्यारह हजार और कुछ करोड़ है उसमें कितना और बढ़ जायेगा ? यह मैं निवेदन कर रहा था कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी भी आपकी असेट्स के मुकाबले में बहुत कमजोर है, बहुत वीक है । जितना आपके ऊपर कर्जा है उतनी हो आपके पास में असेट्स हैं और इस पर ब्याज और ड्यू हो रहा है । एक हजार और 59 करोड़ का ब्याज प्रति वर्ष अदा करना पड़ेगा इस पर ।

श्री सभापति : असेट्स ।

श्री परसराम मदेरणा : असेट्स तो

(श्री परसराम मदेरणा)

काफी हैं, कुछ मूल्यवान असेंट्स भी हैं सभापति महोदय। 8 सिविल लाइन है, असैट राजभवन भी असेंट है, उसके साथ में आपका वित्त भवन भी असेंट है, राजस्थान का सचिवालय भी असेंट है, राजस्थान नहर भी आपकी असेंट है।

श्री सभापति : कुल कितने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : और उसके साथ में सहकार भवन और कर भवन भी आपके असेंट्स हैं लेकिन असेंट्स का मतलब यह नहीं है, कुछ खर्चा तो इस तरह का हो जाता है और कुछ असेंट्स ऐसे होते हैं जो परमानेण्टली किसी भी सरकार को चलाने के लिए यह आवश्यक हैं। और क्रेडिट वर्दीनेस किसी व्यक्ति की नहीं होती चाहे कोई मुख्य मंत्री आये कोई जाये, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, क्रेडिबिलिटी होती है स्टेट की और स्टेट की क्रेडिबिलिटी होती है उसकी असेंट्स हैं। असेंट्स जब डिवेंडल होते चले जा रहे हैं और असेंट्स और बोरोइंग अगर बराबर हैं तो यह फिस्कल मैनेजमेंट का मैं समझता हूं कि मिसमैनेजमेण्ट है और इसमें भी मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की सरकार का यह कीर्तिमान है। मैं यहां पर बहुत सी नये कीर्तिमान की, मुख्य मंत्रीजी को इस बात का ....(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : एप्रिशियेट हो रहे हैं इस साइड को भी आप देख लें। एप्रीशियेट हो रहा है या डेप्रिशियेट हो रहा है ? ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सुन्दर लाल : मेरी प्रार्थना का ध्यान रखो, उनको भिजवावो।

श्री सभापति : बिराजिये, सुन्दर लालजी। बुद्धिजीवियों में इस पक्ष का बहुमत है इसका नहीं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उधर एक मात्र वही है, सारा वे ही नेतृत्व कर रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, विकास का कोई भी काम हाथ में लिया जाए विकास के अन्दर पास्ट, प्रजेंट और फ्यूचर तीनों के संदर्भ में हमको आगे लक्ष्य और दूरगामी योजना बनानी पड़ती है। राजस्थान की अपनी समस्याएं थीं, हिस्टोरिकल रीजन्स थे, जियो फिजिकल उसका दूसरा कारण था और अभी डेप्रिशियेशन-एप्रिसियेशन को बात कर रहे थे।

उस दिन सदन में जब मैं इन्दिरा गांधी केनाल की बात कर रहा था तो यह यहां पर जोर-जोर से बोल रहे थे गृह मंत्रीजी कि 66 करोड़ में बनने वाली थी, उस पर कर्जा क्यों ज्यादा हो गया ? यह आपने नहीं सोचा कि उसकी वैल्य एप्रोशिएट हुई है या नहीं हुई है, प्रति

Page No. 181

(181)

(श्री परसराम मदेरणा)

वर्ष प्रोडक्शन कितने करोड़ का हो रहा है। उस दिन मैं पूछ रहा था चेयरमैन मिस्टर कपूर से, वे कह रहे थे कि एक वर्ष के अन्दर राजस्थान केनाल से जो काश्तकारों को आमदनी हो रही है वह 650-700 करोड़ के आस-पास हो रही है। और स्टेज दो अभी तक डवलप नहीं हुआ है।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि कई दफा बहुत छोटी और नगण्य बात को बहुत मैग्निफाई करके और इन्फ्लेट करके सदन में रखते हैं। मुख्य मन्त्रीजी एक दिन जोर से भाषण दे रहे थे कि हमने दो जिलों को साक्षर कर दिया, डूंगरपुर को नार्दर्न इण्डिया में आदिवासियों का जिला....

श्री शिवनाथ सिंह : पूरे हिन्दुस्तान में।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे हिन्दुस्तान में और अजमेर को नार्दर्न इण्डिया के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा। मुख्य मंत्रीजी, साक्षरता के संबंध में एक बहुत बड़ा अभियान मानव इतिहास में चलाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा असाक्षर लोग, इललिट्रेट लोग हिन्दुस्तान में हैं। मैं इसमें नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं पर इसके लिये सभी को लगने की जरूरत है और बहुत जोर से डिवोटेड और कमिटेड तरीके से लगने की जरूरत है। साक्षरता को इस तरह से लेग बिहाइण्ड कर रहे हैं यूं ही नहीं हो जाता है। केवल आंकड़ों के जरिए ट्वन्टी पाइंट प्रोग्राम में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, 2 जिलों के अन्दर सब साक्षर हो गये। यह बिलकुल भूल-भलैया है, गलत बात है। वहां न तो कोई साक्षर हुए हैं, थोड़े बहुत लोग इण्स्ट्रेस्ट लेने वाले, पर्टीकुलर ऐज ग्रुप में निश्चित तौर पर लिखने लग गऐ होंगे। केवल हस्ताक्षर कोई कर दे उससे साक्षर नहीं हो जाते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : वह भी नहीं हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और इसलिए यह कार्यक्रम लिया जाए, मैं समझता हूं... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : अजमेर में कम से कम दो साक्षर लोग बाहर से इम्पोर्ट हुए हैं वह पर्सेण्टेज तो बढ़ गया है, बाकी तो दूसरे जिलों के मुकाबले आधा पर्सेण्ट साक्षरता बढ़ी हो।

श्री जगदीप धनखड़ : पता नहीं डाक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये आपको इम्पोर्टेड माल समझते हैं इसलिये बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, यहां पर यह भी बात कही गई कि जो अनएम्प्लाइड लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। प्राइम

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनिस्टर की अभी गारण्टी योजना भी आयी है और प्राइम मिनिस्टर की एजुकेटेड अन-एम्प्लाइड लोगों के लिये शहरों के अन्दर रोजगार देने की योजना भी है जिसमें एक लाख रुपये का कर्जा है । आपके लिये जो टार्गेट फिक्स किया गया था । उसमें 1410 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का था ताकि वे सक्षम हो जायं ।

मैं आज की तो नहीं कह सकता लेकिन एक सप्ताह पहले कुछ-सात कैसेज प्रोसेस हो रहे थे और ये टार्गेट ज्यों के त्यों थे, आपके प्रगति विवरण भेजने वाले कोई आपको मैनीपुलेट कर दें तो और बात है । इसको देखने की जरूरत है, बिलकुल यह प्रोग्राम भी यहां पर फ्लाफ हुआ है अरबन एरियाज के अन्दर एजुकेटेड यूथ को रोजगार देने का ।

मुख्य मन्त्री जी, आपने टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफार्म बनाने की बात की कि उसमें जहां कहीं विसंगतियां थीं उनको दूर करके उसे तर्कसंगत और युक्तिसंगत बनाया गया है, खास तौर से मोटा अनाज खाने वाले जो लोग हैं और जहां हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं उनमें बिक्री कर में कमी की है । रेगिस्तानी इलाके में मोठ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है मोठ का, मोठ के सिवाय बाजरी ऊगाते ही नहीं है । बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइये, पूरा का पूरा मोठ होगा वहां पर बाजरी नहीं होगी.... (व्यवधान) ... मैं समझता हूं अगर बीज में आजाए तो अच्छी बात है, वह नहीं आया है बीज में. .

श्री सभापति : बीज में नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, बिलकुल जो चार पर्सेण्ट से आठ पर्सेण्ट करने वालों की कैटेगिरी में है इसलिए एक तो यह और एक ग्वार में भी यह बीज में नहीं आया है । ग्वार तो वहां भी है जहां बाजरी भी नहीं होगी, मोठ भी नहीं होगा, क्योंकि, और तो जानते हैं या नहीं जानते हैं लेकिन इस बार शिव से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम है, आपके थोड़ा बहुत ग्वार हुआ है, कुछ खेतों में ग्वार जरूर हो गया है । गरीब आदमियों के सस्टेनेंस के लिये एक प्रकार का फाडर कहिये या सीड कहिये लेकिन उससे उनको आमदनी होती है, निश्चित तौर पर इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । मेरी समझ में बिक्री कर तो पास हो गया । सदन ने बिक्री कर तो पास कर दिया कि अभी तक उसमें अमैण्डमैण्ट कोई आने वाला है ?

श्री सभापति : बिल ही पेश नहीं हुआ ।

श्री परसराम मदेरणा : बिल अभी आएगा, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूंगा, अभी यहा पर बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य यह कर रहे थे कि राजस्थान का टैक्स स्ट्रक्चर है वह बिलकुल जैनिथ चला गया और इस टैक्स स्टैक्चर में उसके बेस को बढ़ाने की गुंजाइश कम है । मैं फिस्कल मैनेज-

(श्री परसराम मदेरणा)

मैण्ट का एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा, जो मेमोरेण्डम सरकार ने पेश किया है उसमें 1980-81 से लेकर 1990-91 के 10 वर्षों के अन्दर टैक्स रेवेन्यू का, टैक्सेज लेवीड बाई दी स्टेट्स जो एवरेज आया है, सैन्ट्रल एवरेज आया है 436,87, आल स्टेट्स का आया है 455.33 और राजस्थान का कम्परेटिव डेटा में है 528·38, मीन्स आल इण्डिया एवरेज से, आल स्टेट्स के एवरेज से राजस्थान के अपने टैक्स रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा यहां पर ग्रोथ हुई है और इसी का परिणाम है कि हमको आज सैन्ट्रल असिस्टेंस सबसे ज्यादा मिल रही है।

मुख्य मन्त्रीजी, आप यह बताने की कृपा करेंगे, आपने इतना भारी पांच हजार करोड़ रुपये का योजना व्यय कर दिया, अन्त्योदय की बहुत बड़ी फौज गरीबी की रेखा से नीचे है, आपने इस बात का कोई इवेल्युएशन करवाया है कि कितने लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हो गये है, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं या उनका आमदनी से जीवन स्तर सुधर गया है और उनको अब किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरुरत नहीं है ? आप इस बात का इवेल्यूएशन करवाइये।

क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त राजस्थान में सबसे ज्यादा अन-एम्प्लायमेण्ट हैं और राजस्थान के पास्ट रेकरेंट फैमिन को देखते हुए सैन्ट्रल रिलीफ दी गई, कैलेमिटी रिलीफ फण्ड से। उसमें आपके पास में 31 मार्च को 340 करोड़ 18 लाख रुपये थे लेकिन आपने बजट में जो प्रावधान किया है वह केवल 54 करोड़ का किया है। जितने भी रिलीफ के काम खुले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में उनमें आप देख लीजिये, मैं कल रात को पूछ रहा था टेलीफोन करके किसी काम पर दस मजदूर लगे हुए हैं, किसी पर पन्द्रह लगे हुए हैं, किसी पर बीस लगे हुए हैं और लाखों आदमी यहां से पलायन कर गये हैं, ढाई सौ रुपये क्विंटल के अन्दर आज चारा बिक रहा है। न तो पशुधन की सुरक्षा होने वाली है और न लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि आपने जो बढ़ोत्तरी केवल कर्ज और उसमें नहीं की है लेकिन आपकी बढ़ोतरी विकास के दूसरे क्षेत्रों में बराबर होती हुई चली जा रही है। सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, उसमें आपकी बहुत बड़ी पोर्टहोलस बढ़ोतरी हो रही है। अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिजली की सप्लाई के अन्दर टेंपिग नहीं हुई है लेकिन वोलटेज के अन्दर कमी में बढ़ोतरी हो रही है।

स्टेट एन्टरप्राइजेज के बारे में अभी हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, एक अखबार में भी आया था कि 40 स्टेट एन्टरप्राइजेज ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं और उनका टोटल लॉस 700 करोड़ रुपये है। उसी तरह से जयपुर सबसे महंगा शहर है, यहां आवश्यक

(श्री परसराम मदेरणा)

वस्तुओं के भावों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। रोड एक्सीडेन्ट का कल भी मैटर आया और अपन रोज अखबारों में पढ़ते हैं, इसमें भी बराबर बढ़ोतरी हो रही है और बेरोजगारों की संख्या में भी और अकाल के क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पशुधन की मोर्टेलिटी के अन्दर भी बढ़ोतरी हो रही है और पुलिस थानों के परिसर में जघन्य अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है, केरोसीन भभकने से गरीब लोगों के जलकर मरने में भी बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ ही निरक्षरता में भी बराबर बढ़ोतरी हो रही है।

मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके 2300 स्कूल खोलने के बाद में और कुछ अनौपचारिक सेण्टर खोलने के बाद में कि हमने प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले तो आपने यह बात कही कि आपको ये नहीं खोलने चाहिये थे। एक व्यवहारिक पहलू था उसका कि लोग अनपढ़ न रहें, इण्डियन रिपब्लिक के अंदर 6 से 11 साल के एज ग्रुप के अन्दर कोई भी बच्चा इललिटटेट न रह जाए। इस तरह से कम से कम 600 रुपये के टीचर लगाये उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर-दूर ढाणियों मे रहते हैं। आज भी बहुत-सी ऐसी जगह हैं जहां पर 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर से बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये जाते हैं। लेकिन 2300 स्कूल आपने खोलकर शिक्षा को बजट समर्पित किया है, मैं समझता हू राजस्थान की जनसंख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बेहद।

श्री परसराम मदेरणा : आल इण्डिया एवरेज थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे क्योंकि इस सदन में आने के बाद में उनको मालूम हो गया, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो बिल्कुल रिडडेंट हैं, बेकार लोग बैठे हुये हैं, कामचोर वहां बैठे हुए हैं। आपको इस ज्ञान की प्राप्ति इस सदन में आने के बाद में हुई है, आप उधर बैठ रहे थे तब यह ज्ञान प्राप्ति नहीं थी इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं..

श्री चन्दनमल बैद : पहले खुद भी इस दौड़ में शामिल थे।

श्री रमाकान्त शर्मा : मुझे तो पहले भी जानकारी थी, अब भी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो 5,000 स्कूल आपने खोले थे उनके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया था वरना और कोई बात नहीं, बजट में प्रावधान होता तो कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : बजट में प्रावधान था। जनसंख्या में बढ़ोतरी का आल इण्डिया एवरेज शायद मेरी समझ में 23 प्रतिशत है या 21 प्रतिशत है और राजस्थान का एवरेज आता है 28 दशमलव कुछ पर्सेण्ट (व्यवधान) नहीं, टोटल इन्क्रीज है एक....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सदन की सहमति से कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, 28 प्रतिशत की बात मैं पढ़ रहा था कि हिन्दुस्तान की आबादी 90 करोड़ के ऊपर हो गयी है और राजस्थान की आबादी भी प्रतिवर्ष 12 लाख बढ़ रही है।

श्री सभापति : इसमें सरकार का थोड़े ही हाथ है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, सरकार की नहीं कह रहा हूं, आप बढ़ोतरी में नहीं लगे हुए हैं, यह बात ठीक है। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि 12 लाख की बढ़ोतरी प्रति वर्ष जनसंख्या में हो रही है, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद 12 लाख बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे। पहले वाले स्कूलों में कुछ बच्चे एब्जार्ब हो जाएंगे लेकिन मैं नहीं समझता कि 2300 स्कूलों से जो अभी बैकलाग है उससे पर्टिकुलर 6 से 11 के सभी बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा मिनिमम 2-3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उपलब्ध करा सकेंगे, मुझे बहुत डाउट है। आपने 2300 स्कूल या कुछ केन्द्र वगैरह या कुछ टीचर्स को लेकर बजट को शिक्षा को समर्पित कर दिया। यह इतनी प्राब्लम नहीं है, प्राब्लम माइरेड है, प्राब्लम बहुत बड़ी है और 2000 ए.डी. तक को छोड़ दीजिये, मुझे ऐसा दिख रहा है कि राजस्थान में जो साक्षरता का प्रतिशत है और जिस गति से हम जा रहे हैं, 2020 तक भी हम सबको साक्षर नहीं बना सकेंगे। इसलिये इस ओर और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। यह ह्यूमन हिस्ट्री में मैं समझता हूं बहुत बडे अभियान की आवश्यकता है, हम सभी पार्टी के लोग इस साक्षरता के अभियान के अन्दर राज्य सरकार की मदद करने को बिलकुल तैयार हैं। आप कहेंगे तो आप ज्यादा व्यस्त हैं, एक-आध किसी इललिटरेट को पढ़ाने के काम की जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर भी लेने को तैयार हूं लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और इसको उसी तरफ ले जाना चाहता हूं। केवल यह कह देना कि हमने पूरा का पूरा बजट शिक्षा को समर्पित कर दिया, उससे सब साक्षर हो जाएंगे, पर्याप्त नहीं है। ऐसे साक्षर तो मेरी धर्मपत्नी भी है, मुख्य मंत्रीजी, वह सिर्फ अपना

(श्री परसराम मदेरणा)

नाम लिख सकती है और उसके आगे आपका नाम भी दे दूं या मेरा नाम रख दूं और पूछे कि यह क्या है तो वह नहीं पढ़ सकती, केवल अपना नाम लिख सकती है। उसके लिए वह ड्राइंग है, आप ड्राइंग करके साक्षर बनाना चाहते है, वह तो आपको बनाना भी नहीं चाहिये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम से कम एक काम तो करो, अपनी धर्मपत्नी को तो पढ़ा दो। मेरी भी स्थिति यही है।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, एक एज के बाद में आदमी का माइंड इतना रिजिड हो जाता है कि उसको पढ़ाओ तो वह आगे भूल जाता है। एक सरपंच पढ़ने के लिए गया, उसने कोशिश की, वह बी. बी.सी. सुनता था, बड़ा होशियार आदमी था, भाषण देता था जैसे कोई ग्रेजुएट हो लेकिन पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते इतना कन्फ्यूज्ड हो गया कि अखबार सामने आया तो मु मु मु मुख्य मंत्री यू करता है। ऐसे तो वह बड़े जोर से भाषण देता है लेकिन स्टीरियोटाईप माइंड बन जाता है एक एज के बाद में। मैंने कोशिश की थी उनको पढ़ाने की लेकिन वे पढ़ नहीं सकी पहले तो कुछ पढ़ी थीं। मैं यह कह रहा था कि....

श्री सभापति : इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को सफलता मिल गयी।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में आप साक्षर किसको मानते हैं ? आपका क्या स्टैण्डर्ड है साक्षरता का ?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपका क्या हाल है यह तो बताओ ?

श्री खेतसिंह राठौड : आपकी मेम साहब का क्या हाल है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मेम-साहिब से बहुत अच्छी है।

श्री खेतसिंह राठौड : अच्छी की बात नहीं कह रहा हूं, पढी है कि नहीं, कितनी पढी है ? ... (व्यवधान)....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यहां पर ब्यूटी कांटेस्ट की बात थोड़े ही है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए सभापति महोदय, आकार की बढोतरी के साथ में ऐसा मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जिस तरह से फिस्कल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मेरी राय में अभी जो कुछ हो रहा है, यह राज्य के बजट में, राज्य के साधनों का उनको उपयोग में लाने का, उनको नियोजित करने का जो राज्य सरकार का दृष्टिकोण और रवैया है वह दिशाहीन है और फिस्कल मिसमैनेजमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में और कारगर कदम उठाएंगे और विकास की दिशा को गति से आगे बढाने में हम सामाजिक और आर्थिक तौर से 14 बड़े राज्यों में और आल इण्डिया औसत में पिछड़े हुए थे, इस सम्बन्ध में प्रगति साढे

(श्री परसराम मदेरणा)

पांच हजार करोड़ रुपये का विनियोजन करने के बाद में की गयी है, इसकी सदन को जानकारी देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदन के नेता।

(17.00)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) समापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि मांग के विषय में और विनियोग विधेयक पर इस बजट के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये। मैं प्रतिपक्ष के नेता का तो बहुत ही आभारी हूं, मेरी जानकारी के अनुसार शायद पहली बार वे बजट के ऊपर बोले हैं लेकिन आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा।

श्री परसराम मदेरणा : 1990 के बजट पर मैं बोला हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो उल्टी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने प्रयास बहुत अच्छा किया।

श्री जगदीप धनखड़ : प्रयास का क्या मतलब ? आप तो ऐसे कह रहे हैं ... (व्यवधान) .. जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, जिस भावना से आप कह रहे हैं You are trying to belittle to the Leader of opposition.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनको बिलिटिल नहीं कर रहा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप जिस भावना से कह रहे हैं, आप मन को टटोलिये, आपको पता लगेगा कि जिस भावना से आप कह रहे हैं वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : यह कोई सेटाइरिकल चीज थोड़े ही है। प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आप सम्मान की भावना रखने में भी कमी करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस +++ से क्या पांइट स्कोर करना चाहते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : वह मैं आपको नहीं बताऊंगा।

श्री रोहिताश्व : बुजुर्गों की भावना आपकी समझ के बाहर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना-सा निवेदन कर रहा हूं कि बजट के भाषण का प्रयास करना मामूली बात नहीं है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझना चाहिये कि बजट पर बोलने के लिये बहुत बुद्धि की और बहुत मेहनत की आवश्यकता है और मैं तो इनकी प्रशंसा कर रहा हू कि बजट के ऊपर बोले हैं, बजट की सारी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। इसमें आपको आपत्ति किस बात की हुई, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री जगदीप धनखड़ : आपका स्टाइल आपकी भावना का यहां सब हैं उनको पता है कि जिस टेनर में आपने बात कही है, जिस भावना से आपने कही है, आप क्या करते हैं स्कर्ट करने के अंदर मास्टर बन गये हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें माननीय सदस्य, हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, आप अपनी इस भावना को बदलिये। हमने जितनी बातें उठायी हैं हमें पता है आखिर में आप एक का भी जवाब नहीं देंगे।

श्री सभापति : धनखड़ साहब, आप बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को इस बात की नाराजगी है कि बजट पर जिस समय बोले तो मैंने इनकी प्रशंसा तो बहुत की थी लेकिन यह कहा था कि इनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं है। शायद इस कारण से आप अप्रसन्न हैं लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने उस समय जो आपकी आलोचना की वह आपके हित में की थी। आज आपका भाषण उसके मुकाबले में अच्छा हुआ है।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने संभवत: 1990-91 के आंकड़े देकर बताया कि राजस्थान विकास के मापदण्डों के आधार इस देश में किस स्थान पर है। यह सही है कि बजट भाषण में वे आंकड़े दिये गये हैं लेकिन इस बात की इच्छा उनकी भी होगी और इस सदन की भी इच्छा होगी कि राजस्थान विकास के मानदण्डों के आधार पर प्रगति की ओर बढ़े और जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान से ऊपर उठें।

सभापति महोदय, मैं यह चाहता था कि इस सदन में इस बात की भी चर्चा होती कि आखिर इन आंकड़ों को ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिये। आपने बजट की आलोचना की, करनी भी चाहिये लेकिन इस बात की भी यह सदन अपेक्षा करता था कि इस बात के भी सुझाव आते कि राजस्थान को विकास की गति देने के लिए अमक प्रकार के कार्यक्रम लिये जाएं, अमुक प्रकार की व्यवस्था की जाए, अमुक प्रकार से धन एकत्रित किया जाए। उस सम्बन्ध में आप लोग जान-बूझकर मौन रहे हों तो मैं कह नहीं सकता लेकिन आपका मौन इस बात का संकेत अवश्य देता है कि आपका काम केवल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बजट की खामियां बताना है। इस बजट में क्या सुधार किया जा सकता था इस सुधार करने की दृष्टि से आपने कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री शिवनाथसिंह : शिक्षा के मामले में दिया है, टैक्सों के मामले में दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब मुझे याद है जो आपने बोले हैं। आपकी बात का तो विरोध प्रतिपक्ष के नेता ने किया। आपने कहा कि साक्षरता के ऊपर पैसा फालतू खर्च किया जा रहा है और प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि साक्षरता का अभियान चलाना चाहिये और उसमें अगर मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं सहायता भी करूंगा। इसलिये आप जो बोले वह मुझे पूरा याद है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप इनको और मुझे लड़ाना चाहते हैं। इनकी और मेरी बात में कांट्राडिक्शन नहीं हैं। मैंने यह बात कही है कि गलत ढकोसला बना कर साक्षरता करने से कोई मतलब नहीं, वास्तव में साक्षरता होनी चाहिये। ये भी यही बात कह रहे हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है यह केवल अजमेर के पूर्व कलक्टर को सर्टिफिकेट मिल गया। वह वहां से भाग छूटी और वहां पर सब लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं। यहां कोई सर्टिफिकेट देने की बात नहीं हैं, वास्तव में लोगों को साक्षर बनाने की जरूरत है और इसमें बहुत ही मेहनत की जरूरत है। मैंने तो यह बात कही है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बिराजिये। धनखड़ साहब, बार-बार यह आदत ठीक नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साक्षरता के अभियान के लिये बहुत मेहनत होनी चाहिये, निष्ठापूर्वक कार्यक्रम होने चाहिये और निष्ठा के साथ उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें तत्परता दिखानी चाहिये। कमियां हो सकती हैं, मैं उससे इंकार नहीं करता। उसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, और लोगों का इन्वाल्टमेन्ट इसमें इन्वाइट किया जा सकता है लेकिन कार्यक्रम रद्दी है यह तो कहना उचित नहीं है। इसलिये गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि साक्षरता अभियान केवल इस सीमा तक नहीं है कि किसी आदमी को अक्षर ज्ञान हो गया, साक्षरता अभियान के कारण माता-पिता की यह स्थिति बनती है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्कूल में प्रवेश देने की चेष्टा करें।

श्री शिवनाथ सिंह : जब स्कूल हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये। अब आपने अजमेर और डूंगरपुर के बारे में मजाक की कि अजमेर और डूंगरपुर का क्या हुआ। लेकिन अजमेर में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस साक्षरता अभियान के परिणामस्वरूप प्राइमरी स्कूल में बच्चों की भर्ती का प्रतिशत बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार से डूंगरपुर में हुआ तो यदि मां-बाप साक्षर होंगे तो इस बात का प्रयत्न अवश्य करेंगे कि उनके बच्चे भी किसी तरह से पढ़े और पढ़ाई का काम करें। इसलिए साक्षरता अभियान केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि मां-बाप को अक्षर ज्ञान हो गया बल्कि ये आगे बढ़ गये हैं तो अपने परिवार के लोगों को और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दें।

श्री शिवनाथसिंह : मैंने, मुख्य मन्त्रीजी, यह कहा है कि ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर इस अभियान को हम सफल नहीं बना सकते। इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मैंने यह कहा और आने वाली पीढ़ी निरक्षर नहीं रहे वे उपाय हमें करने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसमें मतभेद रख सकते हैं कि ढोल नहीं बजाये जाए, बैंड-बाजा नहीं बजाया जाए। ये बैंड-बाजे और ढोल इसलिए बजाये जाते हैं कि लोगों को ज्ञान आये कि साक्षरता का महत्व क्या है। आप कहेंगे तो ढोल बन्द कर देंगे।

श्री शिवनाथसिंह : मेरे कहने से बन्द क्यों करो?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहो तो बन्द कर दूं?

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, क्या आप मानते हैं कि अजमेर पूर्ण साक्षर है? अजमेर पूर्ण साक्षर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय धनखड़ साहब को इस बात की चिन्ता है कि अजमेर पूर्णतया साक्षर नहीं है। चिन्ता है न आपको?

श्री जगदीप धनखड़ : पूरी चिन्ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता है तो कमी पूरी करो'

श्री जगदीप धनखड़ : आप अपनी घोषणा को तो वापस लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोषणा वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मूल्यांकन मैंने नहीं किया। आपको जानकारी है या नहीं कि मूल्यांकन कौन करता है? यह मूल्यांकन मैं नहीं करता केन्द्रीय सरकार करती है। इसलिए कोई कमी है तो निश्चित रूप से आप सारे जिले का प्रसार करें और देखें कि कहां कमी है और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। उसे पूरा करने में सरकार सहयोग देगी, आपके नेतृत्व में काम करेगी और उस नेतृत्व के द्वारा यदि लोगों को साक्षर बनाया जा सकता है तो राज्य का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सौभाग्य होगा। और अजमेर जिले के लोग आपसे बहुत ही अनुग्रहित होंगे कि धनखड़ जी एक ऐसे एम.एल.ए. जीत कर गये कि सारे जिले में अभियान चला कर लोगों को साक्षर बना रहे हैं। एक बार उदाहरण रखिये, बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति : पुष्कर में दूसरे लोग जाएंगे। पुष्कर में ये नहीं जाएंगे, पुष्कर में विष्णुजी जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, इनके आपस में झगड़ा है, आप पुष्कर में मत जाना और आप किशनगढ़ में मत जाना लेकिन पूरे अजमेर जिले में तो साक्षरता का अभियान चालू करिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन कर रहा था कि बजट के ऊपर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोले और बाद में जब मैंने उत्तर दिया तो सारी स्थिति विस्तार से रखी थी कि राज्य सरकार पर कर्जा कितना है, राज्य सरकार पर इण्ट्रेस्ट की लाइबिलिटी कितनी है, राज्य सरकार को डेवलपमेंट के लिए कितने धन की आवश्यकता है, एस.डी.पी. की तुलना में हम कितना राज्य की जनता पर कर भार लाद सकते हैं, कर भार की कहां सीमा आती है। रखने के बाद इस सदन को दो बातों का फैसला करना है कि राजस्थान का विकास करने के लिये अगर राजस्थान अपने ओन रिसोर्सेज से धन की कमी को पूरा नहीं कर सके तो क्या राज्य सरकार को कर्जा लेना चाहिये या नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं तो सदन की राय के अनुसार चलने को तैयार हूं, आप कहेंगे कि सारे काम बन्द कर दो, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है तो कर्जा नहीं लेंगे। कर्जा नहीं लेंगे तो यह मान कर चलिये कि राजस्थान विकास की गति में इतना पीछे चला जाएगा कि उस राजस्थान को आगे लाने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी।

कर्जे से वह डरता है जो कर्जे की अदायगी नहीं कर सकता, कर्जे से वह डरता है जो कर्ज का ब्याज नहीं दे सके। मैं समझता हूं कि कर्जे की अदायगी के प्रश्न पर और ब्याज की अदायगी के प्रश्न पर राजस्थान की क्रेडिटिबिलिटी पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं है। आज कोई भारत सरकार से पूछे कि आपने कितना कर्जा लिया है और अन्य राज्यों से पूछे कि विकास के लिये आपने कितना कर्जा लिया है तो मैं समझता हूं कि कोई राज्य ऐसा नहीं होगा कि अपने राजस्व से ही विकास के काम वह कर रहा हो। कोई ऐसा डबलपिंग कन्ट्री नहीं है मैं आज हिन्दुस्तान की बात नहीं कहना चाहता, कोई डबलपिंग कन्ट्री इस संसार में नहीं होगा जो विकास के लिये कर्जा नहीं ले रहा हो और हिन्दुस्तान में कोई राज्य सरकार नहीं होगी जो विकास के लिये कर्जा नहीं ले रही हो। स्वयं भारत सरकार विकास के लिये कर्जा ले रही है। अगर राजस्थान की सरकार नहर बनाने के लिये, स्कूल खोलने के लिये, बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उत्पादन बढ़ाने के लिये, अन्य विकास के कामों के लिये कर्जा लेती है तो इसमें आपत्ति करने की वही स्थिति पैदा हो सकती है जब हम कर्जा तो लें पर असेट्स का निर्माण नहीं करें या कर्जा अदायगी करने की हमारी क्षमता नहीं हो।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि कर्जे से डरने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में या तो आप यह कह दीजिये कि जितना हमने कर्जा लिया है उतना ही जनता के ऊपर टैक्स लगा दें। टैक्स लगाते हैं तो विरोध, कर्जा लेते हैं तो विरोध और विकास के मानदण्ड में नीचे रहते हैं तो विरोध, ये तीनों विरोध एक साथ नहीं चल सकते इसलिये गम्भीरतापूर्वक इस बात का चिन्तन करना पड़ेगा। हम राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं, राजस्थान को गतिशील बनाना चाहते हैं, राजस्थान के सेवा के क्षेत्र में जनता की सेवा करने में ज्यादा विनियोजन करना चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक होगा तो कर्जा भी हमें लेना पड़ेगा।

सभापति महोदय : प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि राजस्थान में राजस्व घाटे का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। अन्य राज्यों का तुलनात्मक स्टेटमेंट मेरे पास है लेकिन मैं ज्यादा समय इस सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता। केन्द्र सरकार के आधार पर यह आपको कहना चाहता हूं कि राजस्व घाटा केन्द्र के 1993-94 के बजट में जी.डी.पी. का 4.25 प्रतिशत है और राजस्थान में एस.डी.पी. का 1.16 प्रतिशत है। बजटीय घाटा जी.डी.पी. के आधार पर भारत सरकार का 1.13 प्रतिशत है और राजस्थान में एस.डी.पी. के आधार पर 0.47 प्रतिशत का घाटा है। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट जिसकी काफी चर्चा की गयी, जी.डी.पी. के आधार पर 7.3 प्रतिशत भारत सरकार का घाटा है और राजस्थान का एस.डी.पी. के आधार पर 5.45 प्रतिशत का घाटा है। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोई नयी चीज कर रहे हैं जिसके कारण से राजस्थान अन्य प्रकार से पिछड़ जाए। राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और आप मानकर चलिये कि जितना कर्जा ले रहे हैं उसका असेट बने उस असेट के द्वारा ही हम कर्जे का चुकारा करेंगे।

आज नॉन प्रोडक्टिव असेट भी बनती है लेकिन वह कम्यूनिटी की सर्विसेज में लगती है। आप लोगों को याद होगा कि समाजवाद का सिद्धान्त जब नेहरूजी ने स्वीकार किया था और जिस समय पब्लिक अण्डरटेकिंग की बात आयी थी कि किस-किस क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिये सरकार को जाना चाहिये, तो उनका यह एक मोटा सिद्धान्त था कि जहां जनता की सेवा करने के लिये प्राइवेट आदमी नहीं पहुंच सकता वहां सरकार को जाना चाहिये और सरकार को जाकर चाहे घाटा होता हो, घाटा भी हमें भुगतान चाहिये लेकिन सर्विसेज के सेक्टर को हम इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते।

मैं इसी आधार पर निवेदन करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं कि आज कर्जे की और ब्याज की इस आधार पर कोई चर्चा करे, वह ठीक नहीं है। यहां माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, मुझे आंकड़े इस समय तो जुबानी याद नहीं हैं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पर कैपिटा प्लान आउटले या तो 1978 में आल इण्डिया एवरेज से आगे आया था आल इण्डिया एवरेज से आज तक राजस्थान का प्लान आउटले एक बार पहले और आया था, वर्ष मुझे याद नहीं है लेकिन दूसरी बार 1978 में आया और तीसरी बार अब आया हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आज प्रति व्यक्ति खर्चा प्लान में जितना होगा उसी के कारण से तो राजस्थान का विकास होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस फिस्कल घाटे की बात हो चाहे राजस्व घाटे की बात हो चाहे कर्जे की बात हो, चाहे इन्ट्रेस्ट की बात हो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि इस रुपये का सदुपयोग हो, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर में इसको खर्च किया जाए जिसके कारण से राजस्थान का डवलपमेंट हो, राजस्थान में इन्फास्ट्रक्चर की फेसिलिटी क्रीएट हो। मैं इसी आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

यहां पर इस बात की भी चर्चा की गयी कि कई मामलों के अन्दर राजस्थान अन्य राज्यों से पीछे है, यह बिलकुल सही है। कोशिश इसी बात की की जा रही है। यहां प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि बजट को शिक्षा के नाम पर समर्पित करके एक प्रचार किया जा रहा है, हमारे समय में स्कूल खुले उनको बंद कर दिया। कई बार इस सदन में इस मामले पर चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि एक बार शिवचरणजी माथुर जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कई स्कूल खोलें, कई सड़कों का उद्घाटन किया, कई क्षेत्रों में उन्होंने काफी काम किया, संयोग से उसके बाद जोशीजी आ गये। जोशीजी ने बजट देखा और बजट देखने से उनको पता लगा कि बजट में किसी चीज का प्रावधान नहीं है तो इस सदन के अन्दर एक किताब सर्कुलेट की थी। पूनमचन्दजी विश्नोई को मालूम होगा, परसरामजी को मालूम होगा, जिसमें लिखा हुआ था, ऊपर हैडलाइन थी-विनम्र निवेदन वह विनम्र निवेदन ही ऐसा था कि शिव चरणजी माथुर ने जो भी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है इसलिये मैं इसको लागू नहीं कर सकता। वह एक विनम्र निवेदन था। उसी प्रकार का विनम्र निवेदन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज का बजट में प्रावधान नहीं है और केवल घोषणा कर दी जाए तो घोषणा के आधार पर तो काम नहीं होगा, काम के लिये बजट में रुपये का प्रावधान करना आवश्यक है। वह आवश्यक नहीं था....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह बात नहीं कही। मैंने तो यह कहा कि जन- एजुकेशन पर 160 करोड़ रुपये का

(श्री परसराम मदेरणा)

में से टोटल आपने प्रावधान रखा है, टैक्नीकल एजुकेशन को छोड़ दीजिये, फिर यह पूरा बजट एजुकेशन को कहां समर्पित कर रहे हैं आप? It is very partly amount which you have kept.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह तो आप मानते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मेरा कहने का मतलब यह था, मेरा कोई सरकाज्म कास्ट करने का नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आप समर्पित बजट की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपका उतना हीं प्रावधान अगर होता तो मैं यह सोचता हूं, जनरल एजूकेशन पर 160 करोड़ रुपये है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बार अधिक से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है, यह तो आप मानेंगे?

श्री हरि सिंह (महुआ) : यह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और यह ठीक है इसलिए इस बात के लिए अगर मैंने कह दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में, और यह भी मैंने क्यों कहा, आपको जानकारी दे दूं कि अभी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी आदत है बढ़ा चढ़ा कर कहने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं। सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में चार राज्य हैं-राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। हमें कहा गया कि शिक्षा की दृष्टि से सब बराबर कैसे आएं तो मैंने भारत सरकार से मांग की कि सन् दो हजार तक यदि सारे राजस्थान की जनता को साक्षर करना हो, उत्तरप्रदेश की सारी जनता को साक्षर करना हो....

श्री परसराम मदेरणा : वह तो प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली थी जिसमें आप भी गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही मैं कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी, उसी की मैं कह रहा हूं और उस मीटिंग के बाद में यह तय हुआ, मैंने यह मांग की थी कि इन चार राज्यों को जो शिक्षा की दृष्टि से पीछे रह गये हैं, उनको विशेष अनुदान दिया जाए, उनको विशेष सहायता दी जाए। आप यदि सहायता का पैटर्न या इंवेस्टमेंट का पैटर्न कामन बनाएंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि हम जहां है वहीं रहेंगे और जो राज्य हमसे आगे बढ़े हुए है वे आगे बढ़ जाएंगे। प्रधान मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि इन चार राज्यों की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक अलग से बैठक बुलायी जाए और इन चार राज्यों में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, उसके बारे में विचार किया जाए। अब वहां मैं यह बात कहूं तो मेरे लिये यह भी आवश्यक था कि मैं हिन्दुस्तान की सरकार को यह कह सकूं कि राजस्थान के बजट में मेरी क्षमता से अधिक मैंने शिक्षा के क्षेत्र के लिये प्रावधान रखा है।

मुझे उम्मीद है कि उस प्रावधान के कारण इन चार राज्यों के सम्बन्ध में जब विचार-विमर्श होगा और भारत सरकार कुछ सहायता करेगी तो राजस्थान इस नाते से पीछे नहीं रह सकता कि राजस्थान ने अपने राजस्व बजट से शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का अधिक प्रावधान नहीं किया है। इसके दो तरफा लाभ हैं।

एक तरफ तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि होगी और इसी वृद्धि के कारण से मेरा विश्वास है कि भारत सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक धनराशि मैं प्राप्त कर सकूंगा और यदि विपक्ष का मुझे सहयोग मिला तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : हर मामले में तो मिलता है आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष और पक्ष ये दोनों मिलकर के अगर राजस्थान के विकास के बारे में चिन्ता करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को लाभ मिलेगा।

श्री चन्दनमल बैद : जब आप प्रतिपक्ष में थे तो आप यही किया करते थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही करता था, आपने कभी मेरे से सहयोग नहीं मांगा। आपने सहयोग के लिये न तो कोई काम किया और न मेरा सहयोग मांगा। मेरा जैसा उदार प्रकृति का आदमी देखिये, हर बात में आपका सहयोग चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : वीर कर्ण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर्ण तो हूं कि नहीं हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इस उलझन में नहीं हूं कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से यदि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा होगी और इसी आधार पर मैं पूछता भी रहता हूं।

श्रीमती कमला : खूब सहयोग लो इधर तो बहुत बुद्धिजीवी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा कि योजना में इतना खर्च हुआ। कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन्

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1950-51 से 1989-90 तक योजनागत व्यय केवल 7200 करोड़ रुपये का हुआ। आप अन्दाज लगा लें, 1950-51 से लेकर 1989-90 तक केवल 7200 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है और 1990-91, जिस 04 मार्च, 1990 को मैं आया था, 1990-91 से 94-95 तक की अवधि में योजनागत व्यय 7221 करोड़ रुपये का हुआ। इससे अब हम...

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापतिजी, उस समय एक रुपये की वैल्यू क्या थी ? ....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह सिर्फ राजस्थान के कन्टेक्स्ट में नहीं है अधिकारियों ने आपको आंकड़े दे दिये, यह सभी प्रान्तों के कन्टेक्स्ट में भी है। आप क्या माइलेज देना चाहते हैं इस बात पर ? 1951 के अन्दर जो चार हजार में गाडी में आती थी वह चार लाख में आती है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : गेहूं की क्या कीमत थी ? आप आंकड़ों में मत घुमाओ।

श्री सभापति : आप घूम क्यों रहे हैं ? ये घुमा रहे हैं, आप घूमते हो तो ये घुमाते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : 40 साल से सभी प्रान्तों में है ऐसा अकेले कोई राजस्थान में ही है क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजे। सब प्रश्न पूछना चाहें, ऐसा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये तो आंकड़े हैं, मुंह बोलते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आंकड़े नहीं बोल रहे, आप....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बड़े उत्साहित हो। आपके उत्साह का योगदान यदि राजस्थान के विकास में मिलेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मैं यह कहूं कि 1950-51 से लेकर 1989-90 तक 7200 करोड़ योजनागत व्यय हुआ है और 1990-91 से लेकर के 1994-95 की पांच वर्ष की अवधि में 7721 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो ये आंकड़े बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती कमला : हां, आंकड़े तो आकड़े ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंकड़े तो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से धनखड़जी चिढ़ रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट, एक सीधा-सा। पिछले 40 साल में 7,000

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

करोड़ हुए और आपने चार साल में 7,000 करोड़ कर दिये तो हमारे 40 साल में जितने हमने बाँध और ये बनाये हैं, आप कोई 500 एकड़ का सिंचाई का बांध या कोई छोटा-सा कारखाना तो बता दो जो 7,000 करोड़ में आपने किया हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल सही है आपका कहना।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : या कोई सड़क बनायी हो। हमने तो जगह-जगह विद्युतीकरण कराये ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है, अब मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। अभी यहां पर चर्चा की गयी प्लान और नान प्लान। नान प्लान एक्सपेंडीचर बहुत बढ़े हैं। नान प्लान एक्सपेंडीचर यह नहीं है कि किसी को तनख्वाह दे दी उसी में नान प्लान एक्सपेंडीचर आया है, जो भी प्लान का खर्चा होगा, ज्यों ही प्लान खत्म होगा दूसरे वर्ष वह सारा का सारा खर्च नान प्लान में आएगा। आपने जो कुछ खर्च किया उस खर्च के आधार पर सर्विसेज चालू रहें, सेवाएं चालू रहें, उसके लिए नान प्लान एक्सपेंडीचर करना पड़ रहा है। अब आप यह कहें कि आप कोई बांध खड़ा करके बता देते, मैं बांध में पैसे लगाता तो आपने जितने भी बांध बनाये हैं वे सारे टूट कर साफ हो जाते। इसलिए उनको मेन्टेन करना यह....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बराबर खर्च किया है आपने चार साल में और हमने 40 साल में तो आपके चार साल का कोई 100 किलोमीटर की सड़क, 500 हैक्टेयर सिंचाई करने वाला बांध या कोई 200 मेगावाट का बिजली घर, कुछ न कुछ तो बताओ, क्या किया आपने।

श्री सभापति : सुरक्षा में भी हो गया उनके ऊपर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि इस समय आप चाहें तो कितनी सड़क का माइलेज बना, कितने बांध बने, कितना इरिगेशन पर खर्च हुआ, इस समय तो मैं दे नहीं सकता लेकिन आपने यह प्रश्न पूछा है तो मैं यह बात बता दूंगा कि कितना रुपया किस मद पर खर्च हुआ। कितनी सड़कें बनीं, कितने तालाब बने और उसके कारण से सिंचाई के साधन कितने बने और कितने बिजली के कारखाने चालू हुए। आज इस समय आप तत्काल मुझे पूछें यह सम्भव नहीं है लेकिन मैं आपको इस बात की जानकारी अवश्य दूंगा।

सभापति महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि मैंने पहले फाइनेंश कमीशन के सामने यह कहा था, हमको केवल ग्रांट-इन-एड के मामले पर जोर नहीं देना है, हम बैंगिग बाउल लेकर भारत सरकार के सामने नहीं जा रहे हैं। मैंने उस समय जो कहा था वही स्थिति आज है। आपको यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मालूम है कि भारत सरकार हमको जो सहायता देती है उसमें 30 प्रतिशत ग्रांट होती हैं और 70 प्रतिशत लोन होता है। अगर उस सहायता का 30 प्रतिशत अनुदान से ही काम चल जाए तब तो कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, कह दें भारत सरकार को कि 70 प्रतिशत हम कर्जा नहीं लेंगे। अब कर्जा जब ले रहे हैं तो किसी दूसरे का कर्ज नहीं है, यह कर्ज भारत सरकार का है। हम कोई विदेश से कर्ज ले रहे हों, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। विदेश भी जिन योजनाओं में सहायता करता है वह भी भारत सरकार के माध्यम से करता है, हमारा सीधा कोई बाइलेटरल अरेंजमेंट हो इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि कर्ज और कर्ज के ब्याज और कर्ज की देनदारियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस रुपये का सदुपयोग हो और राजस्थान के विकास के काम उसके कारण से चले, हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये।

सभापति महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने पहले चार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को साथ लेकर इस बात का एक जेहाद छेड़ा था कि भारत सरकार जो राजस्थान या अन्य राज्यों के रिसोर्सेज के ऊपर एन्क्रोचमेंट कर रही है वह एन्क्रोचमेंट नहीं होना चाहिये। शायद प्रतिपक्ष के नेता की तरह से आप अध्ययन करते तो आपको यह मालूम होता कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं वे सारे मुद्दे आपकी सरकार पहले उठा चुकी है। कन्साइनमेंट टैक्स के मामले में सरकार ने मुद्दा उठाया, रायल्टी रिवीजन के मामले में भी सरकार मुद्दा उठाया, फाइनेंस कमीशन के सामने प्रापर्टी टैक्स में हमारा हिस्सा हो यह मामला उठाया। कौनसा मामला है जो ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आप जो फर्मा रहे हैं ये अलग-अलग मांगे हैं जो राज्य सरकार हमेशा केन्द्र सरकार से करती आयी हैं। मेरा अर्ज करना यह था कि आपने आर्थिक स्वायत्तता का नारा देकर केन्द्र सरकार के खिलाफ जेहाद छेड़ा उस बाबत मैंने आप से बोला। हमेशा केन्द्र सरकार से मांगती आयी है राज्य सरकार, वह डाइल्यूट न करें, मेहरबानी करके आर्थिक स्वायत्ता तक सीमित रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न इन चार मांगों से निकलता हुआ है। हमने चार-पांच मांगें की हैं और मांगों के कारण से यदि आर्थिक स्वायत्तता का प्रश्न आप खड़ा करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इतना कह सकता हूं कि आर्थिक स्वायत्तता और अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित नहीं होते तो कान्सटीट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट और कान्करेंट लिस्ट और भारत सरकार के अधीन आने वाले कार्य अलग-अलग तरह से विभाजित नहीं होते।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मेरा कहना केवल इतना है कि जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, इन स्टेट सब्जेक्ट्स में कम से कम भारत सरकार और कन्करेंट लिस्ट में जिस प्रकार के विषय आते हैं उन विषयों के अन्दर राज्यों के हक का ध्यान रखे कि उनके हकों के ऊपर किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं हो।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, फोरेन्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बना। उस समय तक सारा फोरेस्ट का कन्जर्वेशन, फोरेस्ट का सुपरविजन यह सब राजस्थान सरकार के हाथ में था। भारत सरकार ने कन्जर्वेशन एक्ट बनाकर फोरेस्ट का सारा अधिकार क्षेत्र अपने हाथ में ले लिया। आज यह क्या एनक्रोचमेंट नहीं है कि फोरेस्ट का सुपरविजन तो हम करें और फोरेस्ट पर अधिकार भारत सरकार का हो ? इस प्रकार की विसंगतियां जब पैदा होंगी तब मैंने मांग की थी कि जिस तरह से सरकारिया कमीशन बना है, भारत सरकार को इसी तरह का एक कमीशन और अपाइण्ट करना चाहिये। उसके साथ यह भी मांग की थी कि भारत सरकार ने सरकारिया कमीशन की जिन सिफारिशों को माना नहीं उन सिफारिशों को माना जाए। अब उसमें एक सिफारिश यह भी थी, मेजर मिनरल्स के ऊपर जो रायल्टी का प्रश्न है यह रायल्टी के प्रश्न पर हर तीसरे वर्ष रायल्टी का रिवीजन होना चाहिये। सरकारिया कमीशन ने कहा कि दूसरे वर्ष रायल्टी का रिवीजन होना चाहिये और यदि हम यह कहें उस सम्बन्ध में कि सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के अनुसार दूसरे वर्ष रायल्टी का रिवीजन हो और वहां पांच-पांच वर्ष तक रायल्टी का रिवीजन नहीं होता तो लाभ किसको होता है ? न भारत को लाभ होता है, राजस्थान सरकार को हानि होती है और लीज होल्डर्स को उसका फायदा होता है।

श्री विष्णु मोदी : भारत सरकार को उसका लाभ होता है लेकिन जितने उसके अण्डरटेकिंग्स हैं उसके कारण वह नहीं करती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अण्डरटेकिंग्स का सवाल नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : सबसे ज्यादा सवाल ही अण्डरटेकिंग्स का है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी आप पांच-छह मुद्दे उठा रहे हैं और उसमें कार्पोरेशन टैक्स भी है, कन्साइनमेंट वाला मामला भी है, यह रूल्स वाला जो अभी आप कह रहे थे, माइन्स वाला मैटर भी है और उसके साथ एडीशनल सरचार्ज इन्कम टैक्स का वह मैटर भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइये, आपने यहां इस सदन में 1990 के अन्दर गाडगिल फार्मूले को मोडिफाई कराकर के कहा कि मैं उसको बदलाकर आया हूं उसका क्या फेट रहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, न तो मैंने यह कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सदन में कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिए कहीं भी रिकार्ड में। गाडगिल फार्मूले को मैं बदलाकर आया हूं यह मैंने नहीं कहा। मैं बदलने की चेष्टा कर रहा हूं और आपको सुनकर खुशी होगी कि गाडगिल फार्मूले में बदलाव पूरा का पूरा तो नहीं हुआ लेकिन उस गाडगिल फार्मूले में अमेण्डमेंट हुआ है और इस अमेण्डमेंट को आज प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन श्री मुखर्जी के नाम से, मुखर्जी फार्मूले के नाम से जाना जाता है और उसी में राजस्थान को कुछ विशेष सहायता मिली है। इसलिये गाडगिल फार्मूला बदला नहीं है और न मैंने यह कहा हैं कि मैं बदलकर आया हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मुखर्जी फार्मूले से तो आप सहमत थे कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : और इसलिये जब मुखर्जी फार्मूला था उसको आप मानने को तैयार नहीं थे लेकिन इस सदन में आपने कहा था कि मैंने इसको मोडिफाई कर दिया है, मैं ढूंढता रहा कुछ पुराने कागजों में कि वह मोडिफाई हुआ या नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गाडगिल फार्मूले में मोडिफिकेशन हुआ है और जो मोडिफिकेशन हुआ है उसको मुखर्जी फार्मूले के नाम से कहते हैं। ऐसा नहीं है मोडिफिकेशन उसमें नहीं हुआ, मोडिफिकेशन हुआ है और उसके कारण से हमको अतिरिक्त सहायता मिली है, इस प्लान में भी मिली है और एनुअल प्लान में भी मिली है। इसलिए कोशिश तो की है। अब गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करना, यह राज्यों के बीच का विवाद है। मुझे मालूम है कि इसके ऊपर कई बार डिबेट हुई है और डिबेट होने के बाद हमारा पक्ष कमजोर होता है। संख्या की दृष्टि से हम 9 होते हैं और गाडगिल फार्मूले के पक्ष में 11 राज्य हैं। इसलिये कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हमने नहीं होने दी कि कहीं 11 राज्य वीटो करके इस गाडगिल फार्मूले में किसी भी प्रकार का मोडिफिकेशन नहीं होने दें। किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था यह की कि जितना भी इसमें कुछ परिवर्तन हो सके उतना परिवर्तन कराया जाए और उस सीमा तक मैं सफल हुआ हूं। आज दिल्ली की सरकार आपके हाथ में है, बदलवा दीजिये गाडगिल फार्मूले को। मैं तो आपके साथ चलूंगा और चाहूंगा कि गाडगिल फार्मूला बदले।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी तो आप रहें और मैं आपके साथ चलूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके साथ चलूंगा। गाडगिल फार्मूला यदि आप पूरा बदलवाते हैं तो मैं आपको इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि पूरा मन्त्रि-मण्डल परसरामजी के साथ चलेगा, आप बदलवा दीजिये। आपको याद होगा फाइनेंस कमीशन के सामने....

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कह रहा था कि एन. डी. सी. की मीटिंग में आपने मुखर्जी फार्मूले को डेनिग्रेट किया है और पैरा 59 के अन्दर आपने कहा है कि कन्सेंसस अराइव हुई। इस तरह के निर्णय लिये हुए अगर पूरे बदल दिये जाते हैं तो मुख्य मन्त्री जी, वहां पर फिर आपका तो, बहुत मजबूत आदमी है, घुटने टेकते नहीं हैं घुटने टेककर क्यों आ गये वहां ? आपको बदलाव लाना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इसमें संकेत किया है, मुझे याद है आप तो पढ़कर बता रहे हैं मुझे जबानी याद है, उस समय वी. पी. सिंहजी प्रधान मन्त्री थे जिस समय पहली एन. डी. सी. की मीटिंग हुई और पहली बार जोर शोर से कई मुख्य मन्त्रियों ने गाडगिल फार्मूले में मोडिफिकेशन का सुझाव रखा। उस समय यह तय हुआ कि जो स्टेट्स बैकवर्ड हैं, जहां डेजर्ट है, जहां हिली एरियाज हैं, जहां पर केपिटा इन्कम कम है उन राज्यों को विशेष सहायता दी जाए। उसके भी कुछ नार्म्स तय किये लेकिन फाइनल नहीं हुए। उसके बाद वी. पी. सिंहजी की सरकार गयी, आपकी सरकार आयी, आपकी सरकार आयी तो मैंने कहा कि पहले तय हो गया था उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा : हमारी कहां आयी, वहां तो आपके मित्र चन्द्रशेखरजी आ गये न बीच में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय नहीं आये। उस समय चन्द्रशेखर जी आये होते तो शायद मैं समझता हूं कि उनमें कम से कम इतनी क्षमता है कि पुरानी सरकार ने जो फैसला किया उसको स्वीकार करते। लेकिन चन्द्रशेखर जी के जाने के बाद एन. डी.सी. की मीटिंग हुई और आपकी सरकार आयी। आपकी सरकार ने उस चीज को मंजूर नहीं किया इसलिये मैंने कहा था कि जो पहले एन.डी.सी. की मीटिंग में निर्णय हो चुका उस निर्णय को आज नहीं बदला जाए। यह बदला गया आपकी सरकार के समय. और इसलिये मैं आज भी कह रहा हूं कि यदि आप सक्षम हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैं सक्षम की बात नहीं कह रहा हूं. कन्सेंसस की बात कही है। उस वक्त भी कोई डिसीजन नहीं हुआ था, बात कन्सेंसस की थी और आपने पूरी अपनी स्पीच में यह लिखा है कि जो कन्सेंसस अराइव हो जाती है और कुछ स्टेट उसमें एतराज करती हैं तो यह बात नहीं मानी जाती है। मैं तो यह बात कह रहा

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं। अभी आप यही बात कह रहे थे कि सभी स्टेट सर्वसम्मत हो नहीं सकते ऐसे मामले में जहां अलग-अलग डिस्प्यूट रहता है। अब आप यहां पर सक्षम और मेरी सरकार और आप वहां चलिये, आप इधर आकर बैठ जाइये, मुझे उधर बैठा दीजिये फिर उसके बाद मुझे यह रेस्पांसिबिलिटी दे देना आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको इधर भी देखा है। यह गाडगिल फार्मूला आज का तो है नहीं, यह गाडगिल फार्मूला आज के 15 वर्ष पहले लागू हुआ था और 15 वर्षों में 10 वर्ष आपका राज रहा। आपकी सरकार में तो हिम्मत ही नहीं थी कि गाडगिल फार्मूले का विरोध कर सके और आज आप कहते हैं कि मैं उधर होता तो करवा देते। क्या करवा देते ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जितनी बातें कह रहे हैं उसमें से कोई एक बात भी आपने करवायी है क्या चार साल में यहां? यह स्टेट इन्ट्रेस्ट की बात है, अमेण्डमेंट करवाना चाहते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा लाना चाहते हैं, बिजली में शेयर लेना चाहते हैं, एक बात आपने अभी तक इस चार साल के मुख्य मंत्रीत्व काल में कोई भी चीज आपने करवायी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे सारे एन.डी.सी. के भाषण तो पढ़ लिये, सारी बजट स्पीच पढ़ ली, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी बुकलेटस नहीं बनी हो, सर्कुलेट नहीं हुई हो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं मैंने सब नहीं पढ़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब नहीं पढ़े हैं तो गलती मेरी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे दीजिये, मैं पढ़ लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको दे दूंगा, यह कहिये।

श्री सभापति : पर्याप्त चर्चा हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दस मिनट और लूंगा। एक बात और निवेदन करूंगा ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : यह भी मैंने सहजता से स्वीकार कर लिया है... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह राज तो खोल ही दो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतिपक्ष धनश्यामजी तिवाड़ी को विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह खबर भी थी कल या परसों पंजाब केसरी में कि ये अध्यक्ष बनने वाले हैं और अभी जो अध्यक्ष हैं वे उस मुख्य मंत्री होने वाले हैं।

श्री सभापति : होली का अवसर था, माननीय नेता, होली के अवसर पर था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब पढ़ी थी आपने ?

श्री परसराम मदेरणा : कल होली थी लेकिन एक अप्रैल थोड़े ही थी।

श्री सभापति : उसके ऊपर लिखा था, बुरा न मानो होली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। यहां पर यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार को गिरवी रख दिया, यहां सोने का भी जिक्र किया, यहां इस विधान सभा में डंकल के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की हमारी स्थिति है इस गैट के सारे निर्णय से, आप तो कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को गिरवी रख दिया, मुझे ऐसा लगता है कि सावधानी नहीं बरती गयी तो पूरे हिन्दुस्तानको गिरवी रखने की योजना है। सभापति महोदय, सबसे ज्यादा यहां यह जिक्र किया गया कि.... (व्यवधान).... आप ताली बजाएंगे। आज तो ताली आप नहीं बजा रहे हैं लेकिन चार वर्ष के अन्दर यह हिन्दुस्तान इस गैट के समझौते के कारण से रोएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं रोया तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं रोया तो लोग रूला देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : 117 देश रोएगे क्या ? 117 देश हैं उस गैट समझौते में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्रीजी इतना तो अखबार पढ़ते होंगे प्रधानमंत्री जी ने जी-15 देशों को सम्बोधित किया है। जी-15 देशों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको इकट्ठे होकर इन विकसित देश हैं उन देशों का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये।... (व्यवधान)....अब अगर आपने बात छेड़ दी तो मैं कहना चाहता हूं कि गैट का समझौता 1947 से या 1948 में हुआ था। उस समय इसमें ट्रेड और टैरिफ इस प्रकार की चीज नहीं थी, यह सबसे पहले अमेरिका ने इण्ट्रोड्यूज की। 1986 में इसलिये इण्ट्रोड्यूज की कि अमेरिका का जितना उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के लिये उसको मार्केट चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : क्यों भ्रम फैलाते हो, मुख्य मंत्रीजी, उस समय 23 देश थे आज 117 हैं। आप सारी चीज पढ़िये उसके बाद बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज चाहे 117 है लेकिन तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि हिन्दुस्तान की एक दिन वह ताकत थी कि जितने भी पिछड़े हुए देश या विकासशील देश थे उनका नेतृत्व हिन्दुस्तान के हाथ में था। पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू उनका नेतृत्व करते थे और जो गैट का समझौता 1986 में हुआ उस समय तक हिन्दुस्तान की सरकार, इस गैट के समझौते में ट्रेड और टैरिफ नहीं आना चाहिये इसका लगातार विरोध कर रही थी और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस समय इस संसार के जितने भी डवलपिंग कण्ट्रीज थे वे सारे के सारे हिन्दुस्तान की सरकार के साथ थे, वे भी उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन 1989 में अमेरिका के दबाव में आकर जब हमने ट्रेड और टैरिफ के मामले में गैट के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने की योजना बतायी उस समय, आपको जानकारी होनी चाहिये कि हमने किसी भी डवलपिंग कण्ट्री से नहीं पूछा और अमेरिका के दबाव के कारण हमने उस पर हस्ताक्षर किये थे। ऐसी स्थिति में आज आप यह मत कहिये....

श्री चन्दनमल बैद : भ्रम खूब फैला रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूं। आज आप बता दीजिये....

श्री चन्दनमल बैद : सर्वथा गलत है, असत्य है, मिथ्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डवलपिंग कण्ट्रीज की कई मीटिंग्स हुई हैं। इन डवलपिंग कण्ट्रीज के दबाव में आकर.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय धारीवालजी।

डॉ. हरिसिंह : 1986 में उरूग्वे में तो डंकल ने पुट अप किया था गेट के सामने उसमें विचार-विमर्श होकर यह घोषणा आयी। उसके बाद में तीन मीटिंग हो गयी टोकियो में हो गयी, वियना में हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी मीटिंग्स की बात नहीं कह रहा हूं। हरिसिंह जी, आप बता दें, क्या 1986 में डंकल प्रपोजल्स का भारत सरकार ने विरोध नहीं किया था?

डॉ. हरिसिंह : विरोध किया था। मुख्य मंत्रीजी, असल बात... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लेने और देने की बात है। एक जगह लिया और दूसरी जगह दिया। दूसरे देश अगर सहमत नहीं हैं और आपके देश को फायदा है तो आपको स्वीकार करने में क्या नुकसान था? ....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इस गैट के ऊपर आप एक बार चर्चा करवा दीजिये जो बात होगी सारी खुल कर आ जाएगी क्यों बजट का समय खराब कर रहे हैं? ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1986 में भारत सरकार ने विरोध किया और 1988 तक हम लगातार विरोध करते आ रहे हैं। 1989 में पहली बार भारत सरकार ने कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाए और अनुकूल.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे अनुकूल था वह।

श्रीमती कमला : सारे डवलपिंग कण्ट्रीज ने इकट्ठे होकर इसलिये इसको मन्जूर किया है कि अगर हम अलग-अलग बाइलेटरल समझौते करेंगे तो अपने को नुकसान होगा, इकट्ठे होकर करेंगे तो उनकी गैर वाजिब मांगों को अपन इकट्ठा होकर दबा सकते हैं। बहुत सी रीजनेबल बातें उन्होंने मनवायी हैं इसलिये किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे एक देश बता दीजिये, इस संसार में एक देश बता दीजिये कि अमेरिका को हिन्दुस्तान से ज्यादा कहीं मार्केट अवेलेबल है। छोटे-छोटे देश जिनकी एक करोड़ की आबादी, 50 लाख की आबादी, 20 लाख की आबादी, और एक हिन्दुस्तान जिसकी आबादी 84-85 करोड़, 90 करोड़ की है। मार्केट फैसिलिटी कहां है हिन्दुस्तान के अलावा ? कौनसे देश में है, मुझे बता दें ? छोटे-छोटे मुल्क, चायना तो घुसने ही नहीं देता। आज चायना का जितना फोरेन ट्रेड है, एक्सटरनल ट्रेड है वह कोई अमेरिका से कम नहीं है। आज आपको बता दूं ट्रेड की बात कर रहे हैं - (व्यवधान) आज क्यों चिन्ता हो रही है ? यहां तो आप बोल रहे हैं कि मैंने भारत सरकार के सामने सरण्डर कर दिया, +++ और यहां आपने अमरिका के सामने + + +। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात को स्वीकार करें या न करें।

डा. हरिसिंह : एक दिन बहस करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहस हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांग्रेस की सरकार ने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके।

श्री सभापति : माननीय धारीवालजी, आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब और बता दूं आपको, 15 अप्रेल को इसी के ऊपर फाइनल हस्ताक्षर होंगे। यह तो आपको जानकारी है ही ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपने तो कह दिया था, राज्यपाल के पहले अभिभाषण में आपने लिखवा भी दिया कि भारत सरकार ने दस्तखत कर दिये। उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, मेरे सामने यह समस्या हो रही है जब। धनखड़ साहब, आप खड़े होते हैं तो इधर वी.पी. सिंहजी खड़े हो जाते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो यह कह रहा था, धनखड़जी आपका जवाब यही दे रहा था कि... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात मैं इसलिये कहना चाहता था कि थोड़े कर्जे के लिये, मैंने भारत सरकार से कर्जा लिया तो उसमें तो +++ और यदि इस गैट समझौते के कारण से पूरे हिन्दुस्तान का व्यापार अमेरिका के हाथ में चला जाए और अमेरिका के दबाव के कारण हम यह समझौता करें तो इससे बडी तो कोई गुलामी इस संसार में हो नहीं सकती। आप नहीं मानेंगे—(व्यवधान) कई लोगों के मैंने भाषण सुने हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जरूरत से ज्यादा कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा नही कह रहा हूं, मैं आपको एक ही आंकडा देना चाहता हूं जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। कई बार कहते हैं कि किसानों का बड़ा हित होगा, किसानों का बड़ा हित होगा। यह तो आप मानकर चलिये, डंकल प्रस्ताव के ऊपर फाइनल मोहर लगने के बाद सपोर्ट प्राइज तय नहीं होगी, आप कह दीजिये कोई-सी भी होगी।

एक माननीय सदस्य : होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डंकल प्रपोजल्स में कहीं भी नहीं है. (व्यवधान).... नहीं होगी (व्यवधान)....मेरी सुन लीजिये तीनों बातें बता दूंगा। न तो सपोर्ट प्राइज मिलेगी, आपको मार्केट रेट के ऊपर किसान से अनाज खरीदना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट के लिये मार्केट रेट से। आप पढ़ लीजिये। चन्दनमलजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पढ़ लें, मार्केट रेट से....

श्रीमती कमला : किसान को फायदा है उससे तो।

श्री शिवनाथ सिंह : किसान को फायदा है उससे तो ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : टीकमचंद जी कान्त, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं, मार्केट रेट से खरीदना पड़ेगा एक। और फिर कहा यह जाता है कि किसानों को एक्सपोर्ट करने की बहुत इजाजत मिल जाएगी। आपको मैं इतना कह सकता हूं कि 1952 से लेकर आज तक केवल आठ वर्ष ऐसे निकले हैं, कि हमने विदेश से अनाज का आयात नहीं किया हो, आठ वर्ष ही निकले बाकी हमेशा आयात करते रहे हैं। आज हिन्दुस्तान में पर कैपिटा कंजम्प्शन पल्सेज का कितना है, फुड ग्रेन्स का कितना है? उस आधार को देखें तो आपको पता लगेगा कि हिन्दुस्तान अनाज का एक्सपोर्ट करने की स्थिति में

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है ही नहीं। अब वह एक्सपोर्ट काहे का करेगा ? अब आप कर सकते हैं.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : कई चीजें और हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। मैं मोदीजी को कह रहा हूं, ये कर सकते हैं लेकिन रामनारायणजी नहीं कर सकते।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, जब से राजीव गांधी ने मिनिस्टरी ऑफ फूड प्रोसेस बनायी उसके बाद से हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट सब्स्टेंशल एक्सपोर्ट हो गया और हमारी कण्ट्री से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और...

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : होर्टिकल्चर का काफी मात्रा में एक्सपोर्ट है और अब सीन यह है कि उसका उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कह रहा हूं आप होर्टिकल्चर पे जा रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : होर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों ही कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि मैंने भी ये किताबें पढ़ी हैं, डंकल प्रपोजल्स भी पढ़े हैं और जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसको भी देखा है और देखने के बाद में मैं इतना कह सकता हूं कि...

श्री विष्णु मोदी : एक दिन चर्चा कराओ आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, चर्चा तो आज करो चाहे कल करो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सभापति : यहां रोज चर्चा हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा रोज होती है। सभापति महोदय, अब यहां गरीबों की बात कर रहे थे, गरीबों के लिये पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, भारत सरकार को अनाज मार्केट प्राइज पर खरीद कर ही देना पड़ेगा। सब्सिडी का एलीमेण्ट उसमें से गायब हो जाएगा।

डा. हरिसिंह : टेन पर्सेण्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुन लीजिये। हां, 10 पर्सेण्ट का मैं बताता हूं वह गायब हो जाएगा तो गरीब को तो अनाज मिलेगा नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 10 पर्सेण्ट सब्सिडी का है, डा. साहब, आपने 10 पर्सेण्ट सब्सिडी का प्रोविजन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पढ़ा होगा उसमें सब्सिडी दी जाती है और जो सब्सिडी का एलीमेंट डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट है, उस एलीमेण्ट को आपने शामिल नहीं किया। आज उस एलीमेण्ट में किसान पर कितना इनकम टैक्स लग सकता था वह शामिल होगा, कितनी लैंड रेवेन्यू लग सकती थी वह शामिल होगा...

डा. हरिसिंह : मौजूदा हिन्दुस्तान में कितनी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं न, मौजूदा हिन्दुस्तान में कितनी ही हो....

श्री चन्दनमल बैद : तीन पर्सेण्ट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन पर्सेण्ट नहीं है, ज्यादा है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बता दीजिए कितनी है। ... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन आप इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गये न।

श्री रामनारायण चौधरी : पांच पर्सेण्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, आप इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार हो गये कि 10 पर्सेण्ट से ज्यादा सब्सिडी हम नहीं दे सकते, यही है लेकिन दूसरे जो गैट में कंट्रीज हैं जो अनाज का एक्सपोर्ट करने वाले हैं वे कहां से कहां तक आएंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : 10 पर्सेंट ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे 10 पर्सेंट में नहीं आएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, किसका 10 पर्सेंट ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल कंजम्प्शन का, टोटल प्रोडक्शन का....

श्री परसराम मदेरणा : हां। जी.डी.पी. का 10 पर्सेंट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता देऊं टोटल प्रोडक्शन का 10 परसेंट अगर हम सब्सिडी के रूप में देते हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं, परसरामजी, जो 120 पर्सेंट की सब्सिडी देते हैं उनका उन्होंने स्लैब सिस्टम इण्ट्रोड्यूस किया है। उनका यह नहीं है कि आज जर्मनी के अन्दर 150 या 110 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है वह जर्मनी वाले कल इस गैट के कारण से 10 प्रतिशत की सब्सिडी पर आएंगे, वे नहीं आएंगे, अगर इस भूल में हम चल रहे हैं तो दुर्भाग्य है।

उनका जो स्लैब है उस स्लैब के आधार पर कम होगा और हम तो 10 पर्सेंट से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नीचे हैं इसलिये आज आप कह सकते हैं कि हमारे तो कोई सब्सिडी कम नहीं होगी। सब्सिडी कम नहीं होगी तो विचार यह करना चाहिये कि इसमें जो इनडाइरेक्ट सब्सिडी है उस एलीमेंट को जोड़ने की कोशिश की और आइटमवार उन्होंने इस एलीमेंट को जोड़ने की कोशिश की तो हिन्दुस्तान की स्थिति क्या होगी ? अब यहां आप कहें, मोदीजी कह रहे थे कि अनाज का एक्सपोर्ट हो रहा है....

श्री विष्णु मोदी : मैं, सभापति महोदय, एक मिनट पढ़ना चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया नहीं, अलाउ नहीं है, बैठ जाएं आप।

श्री विष्णु मोदी : Sterling performance on the forefront will help in boosting agriculture exports.

श्री सभापति : नो-नो, अंकित नहीं होगा इनका।

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री सभापति : यह उचित नहीं है, उचित नहीं है मना करने के बाद भी।

श्री जगदीप धनखड़ : ईल्ड कर दिया उन्होंने।

श्री सभापति : गलत। कृपया सुनिये। फिर वी. पी. सिंहजी खड़े हो जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये। आपको बोलना है तो यहां बोलिये, बाहर बोलिये, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सभापति महोदय, कहते हैं एक्सपोर्ट करेंगे।

डा. हरिसिंह : यह बालक थोड़े ही हैं जो इनको उनका भूत दिखा रहे हो आप।

श्री सभापति : आप खड़े कर के देखो।

श्री जगदीप धनखड़ : वी. पी. सिंहजी के मुकाबले तो आप अच्छे थोड़े ही हैं ? ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बिराजिये। माननीय सदस्य, कृपया सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि इस गुलामी का जो कारण बनेगा वह यह गैट का समझौता बनेगा। इससे किसान अगर यह समझें कि हम अनाज का एक्सपोर्ट कर देंगे तो राजस्थान के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान के अधिकांश

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, जिस समय पैसे की आवश्यकता हो वे उस समय उसको बेचेंगे। बेचने के बाद लोग करेंगे होर्डिंग और होर्डिंग करने वाले ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। राजस्थान का किसान हिन्दुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा।

श्रीमती कमला : यह गवर्नमेन्ट की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आज तो व्यवस्था नहीं है, आज तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि बैंगलोर की जो कारगिल कम्पनी है जो अनाज का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है वह कारगिल कम्पनी हिन्दुस्तान में और राजस्थान में अनाज खरीदेगी और वह यहां से एक्सपोर्ट करेगी। ऐसी स्थिति में मैं एक खतरे की ओर और सावधान करना चाहता हूं कि इसमें एक सोशल क्लॉज, जो 15 तारीख तक मीटिंग होने वाली है उसमें एक सोशल क्लॉज और इंट्रोड्यूस किया गया है जो डंकल प्रपोजल्स में नहीं है। उस सोक्शल लॉज में चार बातें हैं, माननीय संदस्यअच्छी तरह सुन लें, उसमें यह कहा जा रहा है कि जहां पर लेबर को कम तनख्वाह मिलती है वहां के प्रोडक्ट में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लेबर के वेजेज कितने होंगे, इन दोनों का डिफरेंस लगा कर उसकी कॉस्ट का केलकुलेशन किया जाए।

मैं आज कहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इसको अच्छी तरह से समझे। आज भी युनाइटेड स्टेटस की कांग्रेस में एक ऐसे बिल के ऊपर विचार हो रहा है और विचार इसलिये हो रहा है कि कई मुल्कों में, हिन्दुस्तान, अफ्रीका और एशिया के कई जजट्रीईं हां हमें वेजेज कम मिल रहे हैं उन वेजेज की तुलना करना चाहते हैं अपने यहां के वेजेज मे और उस डिफरेंस....

श्री सुन्दर लाल : यह छह तारीख का भाषण है, आज का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी समझ की बात नहीं है।

श्री सुन्दरलाल : मेरी पूरी समझ की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो समझ गये, बैठे रहो।

एक माननीय सदस्य : नहीं, समझे तो आप भी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठे रहो। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री रामनारायण चौधरी : ये आप अपनी तरफ से जोड़ रहे है चार बातें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : असली ड्राफ्ट पालियामेंट में पेश हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : असली ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पेश हो गया लेकिन असली ड्राफ्ट में भी कल इस बात का जिक्र किया गया था जो बोल रहे थे और आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो हिन्दुस्तान टाइम्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिये यह सोशल क्लाज एक इनट्रोड्यूस किया जा रहा है। उस सोशल क्लॉज को इनट्रोड्यूस कर दिया तो केवल लेबर वेजेज के मामले में हिन्दुस्तान नहीं पड़ेगा, हिन्दुस्तान पर कुछ और पाबंदियां लगायी जा रही हैं। चाइल्ड लेबर जहां काम आएगा उस चाइल्ड लेबर के हाथ से जो प्रोडक्शन हुआ है वह प्रोडक्शन इन्टरनेशनल मार्केट में नहीं बिकेगा। जहां बांडेड लेबर है उसके नाम पर जो माल बना है वह इन्टरनेशनल मार्केट के अन्दर नहीं जाएगा। आज एन्वायर्नमेन्ट के कारण से जो माल पैदा हुआ है एन्वायर्नमेन्ट को खराब कर के वह हिन्दुस्तान का माल बाजार के अन्दर नहीं बिकेगा।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि डंकल प्रपोजल्स को और गैट को थोड़ा गम्भीरता से देखो और गम्भीरता से देख कर यह समझो कि हम किस कारण से और क्यों आज इस डंकल प्रपोजल या गैट के प्रस्ताव को मान रहे हैं। यह मानेंगे तो आप यह भरोसा रख कर चलो कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्वायत्तता निश्चित रूप से खतम होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और यदि आप चाहें तो....

श्रीमती कमला : लेबर का एक्स्प्लायटेशन कम होगा उसमें तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अगर आप यह चाहती हैं तो ठीक है, मैं इसमें....

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मेरे ख्याल से, नेता महोदय, अपना जो विषय है उस पर ही आ जाए। इस चर्चा को छोड़ दें, बहुत लम्बी चौड़ी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, बिश्नोई साहब, आपकी बात को मानता हूं लेकिन जो अपन चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में आज के दिन यदि इस देश में प्रमुख विषय है तो यह गैट का प्रस्ताव है।....(व्यवधान).. नहीं, गलत परम्परा नहीं है, यह गैट का प्रस्ताव है।

(18.00)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप नहीं बोल रहे हैं, आपकी पार्टियों का जो समूह है उनकी आप बात बोल रहे हैं। आप अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अपने मन से ही बोल रहा हूं लेकिन आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप मनमोहनसिंह बोल रहे हैं वह बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, आपके भाषण की एक प्रति लालकृष्ण जी अडवाणी को जरूर भेज दी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, मैं एक कॉपी करके आपको दूंगा, लालकृष्ण जी को ही नहीं, आप प्रधान मंत्रीजी को ही भेज दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह भाषण तो खुला हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : कॉपी वहां नहीं जाए, नहीं, कॉपी अडवाणी जी के पास नहीं भेजनी है रज्जु भैया के पास भेजनी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं मैं गलती से कह गया कि यह कॉपी प्रधान मंत्रीजी को भेजी जाए, प्रधान मत्रीजी के पास तो कॉपी जितेन्द्र प्रसादजी के मार्फत पहुंचेगी, परसराम जी, आप जरा उनके पास भेज दीजिये, उनको मत चूक जाना नहीं दो पदों में एक ही रह जाएगा।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, यहां जब मैंने बजट प्रस्तुत किया उस समय कई करों के अन्दर मैंने विसंगतियां दूर करने की कोशिश की, उन विसंगतियों को दूर करने के कारण से मुझे आशा है कि राजस्थान में जो भी हमने 340 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा है इन विसंगतियों को दूर करने के कारण से राजस्थान की राजस्व आय, कर आय बढ़ेगी यह आज का ही एक्सपेरीमेंट नहीं है, पिछले वर्षों में भी इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट किया गया है कि कर ढांचे में यदि विसंगतियां दूर की जाए तो उससे इनकम बढ़ेगी। मैं सदन को एक और जानकारी देना चाहता हूं कि मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां भी टैक्स कलेक्शन की एजेंसिया हैं वहां टैक्स का लीकेज होता है। उसमें कई कारण हैं। अब मैं सिस्टम ऐसा लाने की कोशिश कर रहा हूं मैंने पूरी योजना बना ली है कि जहां टैक्स कलेक्शन होता है वहां कम्प्यूटर को फीड किया जाए ताकि उस कम्प्यूटर के माध्यम से यह इत्तिला सब जगह पहुंच जाए कि अमुक आदमी का अमुक सामान आया है और इसने इसका टैक्स पेमेंट किया है, या नहीं किया है। एक क्रास चैकिंग होगा उस क्रास चैकिंग के आधार पर यह टैक्स की चोरी काफी रूक सकेगी। यह पहले भी एक्सपेरीमेंट किया है और इस बार व्यापक स्तर पर हम इस बात का एक्सपेरीमेंट करेंगे।

सभापति महोदय, यहां विद्युत शुल्क मैंने लगाया था लेकिन 7-3-94 को जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन पर भी लागू हो गया जो पावर अपने काम के लिये स्वयं ही जनरेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो स्वयं जनरेट करते हैं उनको एनकरेज करने की आवश्यकता है और इन एनकरेजमेन्ट के रूप में जो स्वयं के काम के लिये स्वयं ही पावर जनरेट करते हैं उनको इस विद्युत शुल्क से मैं मुक्त करता हूं।

सभापति महोदय, बजट प्रस्तावों में सौ रुपये के छोटे गारमेंट, बच्चों के कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स इनको मैंने कर से मुक्त किया था लेकिन उसमें हौजरी का सामान रह गया था उसको भी सौ प्रतिशत, हौजरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का सामान, जो गरीबों के काम आता है उसको भी कर मुक्त करता हूं, सौ रुपये तक।

सभापति महोदय, पिछली बार चने के ऊपर बिक्री कर घटाकर मैंने 4 से डेढ़ प्रतिशत किया था लेकिन दाल व बेसन उससे बच गये। आप लोग भी चाहेंगे कि दाल और बेसन के ऊपर जो चने की व्यवस्था की है वही लागू की जाए इसलिये चने की दाल और बेसन पर भी बिक्री कर 4 प्रतिशत से घटाकर चने के समान डेढ़ प्रतिशत किया जा रहा है। सभापति महोदय, दरों के स्लेब्स की संख्या कम करने की प्रक्रियान्तर्गत 8 पर्सेंट की स्लेब हटाने के फलस्वरूप साबुन की टिकिया पर लागू बिक्री कर की दर 8 से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी, स्लेब सिस्टम में जो चेंज किया उसके कारण से। राजस्थान में कार्यरत साबुन उद्योग पर इस निर्णय का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े इसलिये कपड़ा धोने के साबुन पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

सभापति महोदय, बजट प्रस्तावों में तेल उद्योगों को कई प्रकार की रियायतें दी गयी थीं परन्तु खाद्य तेलों पर अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लागू केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में विसंगतियां बनी रहीं। कर चोरी को रोकने के लिये आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों पर देय बिक्री कर की दरों में एकरूपता हो। विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों पर राजस्थान बिक्री कर की दर एक समान 6 प्रतिशत है परन्तु केन्द्रीय बिक्री कर का सोलवेंट एक्सट्रेक्टेड तेल पर एक प्रतिशत और अन्य प्रकार के खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत है, अब इन दरों को संशोधित करते हुए सभी प्रकार के खाद्य तेलों, सोलवेंट एक्सट्रेक्टेड तेलों सहित पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर 3 प्रतिशत निर्धारित की जा रही है। वर्तमान में सोलवेंट एक्सट्रेक्टेड तेल पर 10 प्रतिशत बिक्री कर देय है जबकि अन्य खाद्य तेलों पर 6 प्रतिशत कर देय है। यह भिन्नता तर्कसंगत नहीं होने से अब यह तय किया गया है कि सोलवेंट एक्सट्रेक्टेड तेल पर भी 6 प्रतिशत बिक्री कर देय होगा।

सभापति महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में तिलहन पर क्रय कर समाप्त करने की घोषणा की थी पर अखाद्य तेल, नान एडीबल आइल के निर्माण में उपयोग में आने वाले तिलहन पर क्रय कर अभी भी देय है। तेल उद्योग में एकरूपता लाने के लिये करारोपण व्यवस्था के सरलीकरण करने तथा अखाद्य तेल पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अब मैं यह घोषणा करता हूं कि अखाद्य तेल के निर्माण के उपयोग में आने वाले तिलहन पर भी क्रय कर समाप्त किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मोठ की दाल का क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आज आपने कही है, अचानक मैं कहूंगा तो ठीक नहीं है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि निश्चित रूप से विचार करके कोई व्यवस्था करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, विचार करो नहीं तो दूसरा विचार है, दुग्ध प्रोडक्ट्स है इस पर भी 6 पर्सेंट है। ये गरीब आदमी जिसको आप अन्त्योदयी को गाय दिला रहे हो और उसके सभी प्रोडक्ट्स पर डेयरीज ले रही हैं 6 पर्सेंट यह टैक्स लगता है आपका फिर मण्डी टैक्स डेढ़ पर्सेंट और 3 पर्सेंट फेडरेशन ले रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आपने कह दिया, मैंने सुन लिया।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी प्रोडक्ट्स पर साढ़े 10 परसेन्ट टैक्स है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसको देखूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : हां, यह आप एक्जामिन करवा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि किसानों के हित में यदि सुधार करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से करूंगा।

राज्य सरकार को जो कर दाता हैं उनका एक सुझाव प्राप्त हुआ कि उन्हें विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बिक्री कर जमा कराने की सुविधा दी जाए इस सम्बन्ध में बिक्री कर वसूल करने के लिये अधिकृत बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि टैक्स बैंकों में जमा कराया जा सके।

सभापति महोदय, यहां पर जिस समय ट्रान्सपोर्ट की डिमाण्ड चल रही थी उस समय इस बात की मांग की गयी कि पेंशनर्स को तो सुविधा मिल ही रही है पेंशनर्स के साथ एक आदमी और जाए ताकि उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी व्यवस्था कर सके, उनको भी इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये। फ्रीडम फाइटर्स,

श्री रतनलाल ताम्बी : एक्स एम एल ए. का भी करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्स-एमएलए. अभी जवान हैं। मैं अभी जो पहले हाउस में कह चुका था कि फ्रीडम फाइटर्स के साथ एक आदमी जाएगा उससे भी रोडवेज, आर एस आर टी सी. किराया वसूल नहीं करेगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं।

सभापति महोदय, यहां पर एक चर्चा यह भी आयी थी कि महिला शिक्षा में राजस्थान बहुत पीछे है। जहां तक स्कूल खोलने, महिला कॉलेज खोलने या महिलाओं के पढ़ाने की व्यवस्था करने का प्रश्न है वह तो अलग है लेकिन यह बात सही है कि कई स्थानों पर स्कूल की कमी के कारण से या ग्रेडेड स्कूल या क्रमोन्नत स्कूल नजदीक नहीं होने के कारण से ड्रापआउट्स की संख्या ज्यादा रहती है। अब हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति की छात्राएं किसी भी स्कूल में जाने के लिए यदि राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बसों का उपयोग करती हैं तो उनसे किराया वसूल नहीं किया जाए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जनजाति का क्या हुआ ? जनजाति का भी करो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लो, शिड्यूल्ड कास्ट का किया इससे तो आप खुश हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जनजाति का कह रहा हूं ।

श्रीमती कमला : टोटल ही छात्राओं का आप इसमें प्रावधान करो, छात्राएं चाहे किसी भी जाति की हों, इधर से उधर जा सकती हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमला जी, इतनी बात तो सुनिये कि आज तक कुछ नहीं....

श्रीमती कमला : अब तो पूरा करो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अब तो शनैः शनैः पूरा करूंगा । आज तक तो कभी हुआ नहीं और आज अगर मैं सुविधा दे रहा हूं तो उस सुविधा को आप स्वीकार ही करने को तैयार नहीं ।

श्रीमती कमला : नहीं, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे ?

एक माननीय सदस्य : अब तक बहुत से काम नहीं हुए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आदिवासी क्षेत्र में ।

श्री भीखा भाई : नहीं, उस योजना में रहने वाले अनुसूचित जनजाति का क्या होगा ?

श्री सभापति : कृपया बिराजिये, रामस्वरूप जी बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनकी लड़कियों को भी इसी प्रकार की छूट दी जाए । अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय,....

श्री रामस्वरूप मीणा : खाली आदिवासी लिया है ।

श्री सभापति : बिराजें । आदिवासी क्षेत्रों में है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इससे कुछ लड़कियों में स्कूल का अभाव खटके नहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको निःशुल्क इस प्रकार की सुविधा मिल जाए । मैं ऐसा समझता हूं इसके कारण से लड़कियों में निश्चित रूप से एक प्रेरणा उत्पन्न होगी कि अब हमारे स्कूल गांव में नहीं हैं तो गांव के आसपास हैं और वहां पर सरकारी बस जा रही है, उसमें बैठकर जा भी सकती हैं, हम उसमें

216

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठकर ग्रा भी सकती हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में, जिन टैक्सेज़ के मामले में कई ग्रौर सुझाव ग्राये हैं, मैं ग्रभी ग्राज उनको न तो रिजेक्ट करने की स्थिति में हूं न उनको स्वीकार करने की स्थिति में हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिन टैक्सेज के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन कम होता है, टैक्स लगाने के बावजूद भी ग्रौर व्यापार बाहर जाता है उस व्यापार को रोकने में ग्रौर टैक्स का लीकेज नहीं हो इस प्रकार की व्यवस्था करने में इस सारे टैक्स स्ट्रक्चर का लगातार ग्रध्ययन कर रहे हैं ग्रौर इस ग्रध्ययन के कारण यदि जिस समय भी राज्य सरकार को यह ग्रनुभव हुग्रा कि इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य को राजस्व की हानि हो रही है, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन करूंगा। प्रतिपक्ष के नेता ने....

एक माननीय सदस्य : ट्रैक्टर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप तो ट्रैक्टर की नहीं, सभी की कह देग्रो।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिक्रीकर, चुंगी का क्या हुग्रा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता ने मोड, ज्वार ग्रौर दूध के सम्बन्ध में जो कहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसका पूरा ग्रध्ययन करने के बाद में उनसे चर्चा करूंगा ग्रौर जितना भी सम्भव हो सकता है वह, राज्य की ग्रार्थिक स्थिति जितनी इजाजत दे सकती है, उस इजाजत के ग्रनुरूप उसमें भी परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा। ग्रौर मैं मानता हूं कि इस परिवर्तन से किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : गृह निर्माण सोसाइटी की बात थी। गृह निर्माण सहकारी समिति ...

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह निर्माण सहकारी समिति ? नहीं, ग्राप तो कौनसी चीज है जिसकी मांग नहीं करेंगे ?

श्री सभापति : ये राम किशन जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मांग जिन्होंने टैक्स लगाया था चन्दनमल जी उस समय कहते, टैक्स लगाते ही नहीं।

श्री सभापति : राम किशन जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले टैक्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगाया, अब मैं छोड़ रहा हूं।

श्री रामकिशन वर्मा : साहब, चाय और नमकीन पर भी चाहा है।

श्री सभापति : चाय और नमकीन पर भी ?

श्री विष्णु मोदी : गुलाब के ऊपर आपकी सरकार ने ही सेल्स टैक्स लगाया है। और गुलाब पर खाली छह सौ, मतलब राजस्थान में जितना... (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब आ चुका।

श्री विष्णु मोदी : उनका है, सिर्फ पुष्कर में होता है, उसका अध्ययन कराने की कोशिश करें।

श्री सभापति : आ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अब ये अलग-अलग लोग हैं, इस सदन में ऐसे भी हैं....

श्री शिवनाथ सिंह : गृह निर्माण सहकारी समिति की बात थी, उसको आपने कहा, मैं कन्सीडर करूंगा इसको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कंसीडर कर रहा हूं लेकिन मैं बता देऊं, मैं कल यहां नहीं था, उसकी सारी इम्प्लीकेशस को मैं स्टडी नहीं कर पाया। उसको देखकर मैं आपको बता दूंगा। उसमें रियायत निश्चित रूप से देऊं, उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां विचित्र स्थिति है....

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक आदमी तो मांग कर रहा है कि गरीबों को मकान के लिये दिया गया ऋण माफ किया जाए और आपकी पार्टी में ऐसे सदस्य हैं कि गुलाब पर लगा हुआ कर माफ किया जाए। यह मेरे समझ में नहीं आता। यह अन्तर इस पार्टी में किस प्रकार से पैदा हो गया, यह समझ में नहीं आ रहा है, माननीय सभापति महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : गुलाब भी तो किसान ही पैदा करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : गुलाब तो किसान ही पैदा करता है, उसको माफ करा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सच है।

श्री रामकिशन : चाय और नमकीन पर...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य

(श्री जगदीप धनखड़)

मंत्रीजी एक बात और जो बाहर दूध जाता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : गुलाब का....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उनको वोट मिले थे कि गुलाब का टैक्स माफ करा देंगे, इसलिये पुष्कर वालों की....(व्यवधान)....

श्री सभापति : पूरा होने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी जो दूध पर एक पर्सेण्ट का टैक्स है....

श्री सभापति : कृपया पूरा होने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : वह पूरे देश में और कहीं नहीं है, उसको भी गम्भीरता से जांच करवाइये।

श्री सभापति : आप बिराजें। यह आदत ठीक नहीं है। यह आदत ठीक नहीं है, माननीय धनखड़ साहब, पूरा होने दीजिये, बिराजें। बिराजें, अवसर नहीं है।

श्री दलीचन्द : सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अभी-अभी इन्होंने आदिवासी ग्राम क्षेत्रों में छात्राओं को बस की सेवा मुफ्त कराने की घोषणा की है, लेकिन मैं जहा तक सोचता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई गवर्नमेण्ट रोडवेज ही नहीं चल रही है तो वहां की छात्राओं की क्या व्यवस्था होगी?

श्री सभापति : बिराजिये, कृपया बैठ जाएं। आर्डर प्लीज, व्यवधान न हो। माननीय, सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का तो जवाब नहीं दूंगा और इसलिये नहीं देना चाहता कि उन्होंने अपना काउण्टर पार्ट ढूंढ लिया है और मोनोपोली हो गयी है। आपका जवाब देंगे और आप इनका जवाब देंगे, मुझे बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं काउण्टर पार्ट का नहीं, मैं यह कह रहा था कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दूध राजस्थान के बाहर जा रहा है, निर्यात हो रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने बता दी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, वह मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वह तो मैं सैल्स टैक्स की बात इनसाइड द स्टेट की बात कह रहा था। ये जो बात कह रहे हैं कि दूध बाहर जा रहा है और प्राइवेट लोग जो दूध ले जा रहे हैं उस पर एक पर्सेण्ट टैक्स है, वह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। मैं समझता हूं कि जो सैल्स टैक्स लग रहा है दूध के ऊपर इनसाइड द स्टेट, उसी के साथ इस मुद्दे को भी आप एग्जामिन करा लीजिये।

श्रीमती कमला : महिलाओं के लिये

(श्रीमती कमला)

जॉब रिजर्वेशन की भी शुरुआत करें महाराष्ट्र की तरह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमला जी, सारी महिलाएं आपको अभी क्यों याद आ रही हैं ? यह महिलाएं सारी आपको अभी...

श्रीमती कमला : आपके जो बैठे हैं मैं पहले भी कहती आ रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे समझ में यह नहीं आता कि आप सब लोगों को ये सब चीजें याद क्यों आने लग गयी ?

श्रीमती कमला : इधर बैठने वालों को सब बातें याद आती हैं। आपको भी इधर आती थीं, अब हमको भी आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको कम से कम, मुझे खुशी है कि यह भावना हो गयी कि यह सरकार बड़ी उदार प्रकृति की है, जो भी मांगेंगे, वह मंजूर कर देगी। कम से कम बजट के कारण यह धारणा बनी है, यह हमारे लिये बहुत अच्छी है। सभापति महोदय, एक ...

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया, उसका उत्तर देकर ....

श्री रतनलाल ताम्बी : बिक्रीकर, चुंगी भी खत्म करें, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आपने कहा कि ढाई सौ मेगावाट पॉवर आप लाये उसमें से कितनी लाये, यही कहा न आपने ? उस समय जो एलोकेशन हुआ था वह एलोकेशन किया था भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ने। ऊर्जा मन्त्रालय बिजली नहीं देता, बिजली देता है नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन। कल 24 तारीख को ही मुझे लैटर मिला है, 24 को ही, इस लैटर को आपको बता देता हूं। सैपरेट ऐलोकेशन, यह 24 तारीख को लैटर मिला है पॉवर कॉरपोरेशन से, कि आप बिजली ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है। लैटर आॅफ क्रेडिट खोलने का, जब तक पॉवर कॉरपोरेशन हमको बिजली नहीं दे, उस समय तक लैटर आॅफ क्रेडिट खोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं आपसे तो कम से कम यह उम्मीद नहीं करता, धनखड़ साहब, आप फिर नाराज होंगे। आप नाराज इसलिये होंगे कि....

श्री जगदीप धनखड़ : आप पढ़िये, मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत . हां, मैं पढ़ देता हूं। यह है लैटर, नहीं वही है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा आरोप स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आरोप स्पष्ट नहीं है। आप फिर कहेंगे कि आरोप मेरा बिल्कुल ही अस्पष्ट है। दूसरा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कागज नहीं है यह फैक्स पर मैसेज आया हुआ है, मेरे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं पढ़ूंगा, सुन लीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं बता देता हूं। इररिवोकेबल ऐसी खोली गयी है आरएसईबी ने एनटीपीसी को कि जब-जब लोगे हम पैसा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक मिनट में ही पढ़ देता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : उनको दे दो, फैक्स वे पढ़ देंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "Central Electricity Authority Directorate. Dated 24-3-1994. लिखा है -

"Specific allocation of 1/3 or unallocated power of N.T.P.C. Stations in the northern region, amounting to not exceeding 250 megawatt is made to Rajasthan. The balance unallocated power from N.T-P.C. stations' pool........ with unallocated power from other central sector's power stations could be apportioned as follows w.e.f. 1st April: 1994."

यह बाकी की स्टेट्स की दी हुई है, उनको कितनी-कितनी दी है, लेकिन हमारी जितनी किसी को नहीं है। दो सौ पचास मेगावाट अब ले ली, एक तारीख से शुरू होगी। एक से शुरू होगी और आप कहते हैं कि फरवरी में आपने घोषणा कर दी, लाये क्यों नहीं ? लाने का सवाल ही नहीं है....

श्री सभापति : कृपया सुनें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक अप्रैल से लागू होगा और मैं पहले ले आता। आप विधान सभा में तो अब बैठने लगे हो, पांच वर्ष पहले की तनख्वाह ले लेते, यह कैसे सम्भव है ? मैं इसलिये समझता हूं कि माननीय सदस्य को थोड़ी गम्भीरता से, चिन्ता से बात करनी चाहिये। आप मुझे पूछ लेते कि आप पावर क्यों नहीं लाये। यह पत्र आप ले जाइये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की आप चर्चा करें, यहां यह चर्चा होनी चाहिये थी कि 250 मैगावाट पावर हमने ले ली इसलिये इस सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिये। लेकिन धन्यवाद देने के बजाय आप कहते हैं कि फरवरी में आपने घोषणा की थी....

श्री जगदीप धनखड़ : 12 करोड़ का नुकसान राज्य का करवा दिया और फिर भी आप नहीं सोचते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, आप ज्यादा बोलेंगे, आपका मेरे पास इलाज नहीं है। आप ज्यादा बोलेंगे तो वी. पी. सिंह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी अपने आप खड़े हो जाएंगे।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : इनका जवाब यही है सर, इरिवोकेल एन. सी. खुली नहीं थी इसलिये यह बात है। अब खुल गयी अब बात ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि बजट सत्र में ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट के विषय में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, राज्य सरकार को भी उससे लाभ हुआ और उस चर्चा का प्रभाव भारत सरकार और राजस्थान की जनता पर पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे सदन के प्रति आभार प्रकट करता हुआ मैं विनियोग विधेयक आपकी सेवा में पारित करने व विचारार्थ करने के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से...

श्री पूनमचन्द, विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में....

श्री सभापति : प्रस्ताव आने दीजिये।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : श्री पूनम चन्दजी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : मैं मुख्य जो चर्चा हुई थी उस में हिस्सा नहीं ले सका। मैं ट्रैक्टरों के टैक्स के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कह दिया, मेरे ध्यान में है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, आपके किसी के भी ध्यान में नहीं है। परसरामजी और खेतसिंहजी जानते हैं और आप भी जानते है कि पहले जब मरूस्थलीय क्षेत्रों में अकाल होता था तो हल चलाने वाले बैल, ऊंट खत्म हो जाते थे तो मेरे देखने में औरतें और आदमी हल खींचते थे। गंगारामजी जानते हैं इस बात को तो। ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जो मरूस्थल के लिये सिंचाई का काम करती है क्योंकि पहली ही बरसात में ट्रैक्टर से पूरी खेती हो जाती है और अगर ट्रैक्टर नहीं हो मरूस्थल में तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चार बार बरसात हो तब बुवाई होती है। वह सब की सब फसल चार बार बरसात होती है तो पक जाती है। यह फायदा केवल ट्रैक्टर दे सकता है। बांध या बरसात दे सकती है वह यह ट्रैक्टर दे रहा है। किसी आदमी के पास सात सौ रुपये हों तो वह गरीब आदमी पूरी खेती करवा लेता है। यदि वह बैलों की जोड़ी रखे तो रोज के 70 रुपये चाहिये और 12 महीने तक। तो उसको आप माफ नहीं कर रहे हैं ट्रैक्टर पर जो एक गरीब का मरुस्थली खेती का मुख्य आधार है। कोई समझते होंगे कि ट्रैक्टर वालों को बहुत फायदा होता होगा और ये किराये पर चलाते हैं....

एक माननीय सदस्य : जैसे हरियाणा, पंजाब में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हरियाणा, पंजाब की बात अलग है। तो जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदे हों, मेरा खरीदा हुआ है, खेतसिंहजी ने खरीदा है, मदेरणाजी ने खरीदा है, सिंचित क्षेत्र जहां पर नहीं है वहां ट्रैक्टर बिलकुल नुकसान का सौदा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार प्रभारी मंत्री

विधेयक पर विचार

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, सरकार की आदत-सी बन गई है कि कानून लाना और उसको रशश्यू करना। यह जो मूल रूप से मोटरयान का कानून लाया गया है इसके अन्दर बहुत सारी खामियां हैं। इसमें इस तरह का प्रावधान करने जा रहे हैं कि टोल टैक्स वसूल किया जा सके, प्राइवेट एजेन्सीज से काम करवायें जा सकें। अच्छी बात है कि प्राइवेट एजेन्सीज से काम करवाये जाए लेकिन इसके खण्ड-2 में, कि कोई पुल, कोई सड़क, एप्रोच रोड, कोई भी भाग कोई बाई पास कन्स्ट्रक्शन, री-कन्स्ट्रक्शन इम्प्रूवमेण्ट उस पर टोल लागू किया जा सके, इस प्रावधान में सभी सड़कें, पुल

(श्री विष्णु मोदी)

आदि पर टोल टैक्स नहीं लगे। इसको पढ़ने से यही ज्ञान नहीं होता कि जो आगे बनाने जा रहे हैं या जो पहले बना दिये गये हैं उनके ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं या सब पर ही लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप किस तरह से लोगों को आइडेण्टिफाई करेंगे। दस लाख से ऊपर का कोई भी समूह या व्यक्ति या कम्पनी, इस तरह का आपने कोई आइडेण्टिफिकेशन किये है या इसका काइटेरिया रखा है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा क्लाज-2 में यह भी है कि ऐसी सड़क, पुल आदि पर भी टोल लगेगा जिसे राज्य सरकार स्पेशल सर्विस की समझे। ऐसा प्रावधान करना था तो राज्य सरकार सीधा-सा प्रावधान क्यों नहीं रख लेती है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय, सुनें। आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री विष्णु मोदी : दस लाख की बात सरकार को त्याग देनी चाहिये। तो, माननीय सभापति महादय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसका रश अ़ नहीं करें और इसको प्रवर समिति को सौंपें।

श्री सभापति : आपका जनमत जानने के लिए है।

श्री विष्णु मोदी : हां, जनमत के लिये सॉरी।

श्री सभापति - श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने व विचार करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। वह इसलिये रख रहा हूं कि एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब एक चीज पर दुबारा टैक्स लगे, जब डबल ट्रैक्सेशन हो उस समय जनता की राय अवश्य ले लेनी चाहिये। इस संशोधन के हिसाब से राजस्थान सरकार पहली बार डबल टैक्सेशन शुरू कर रही है और वह किस तरह शुरू कर रही है। वह इस तरह शुरु कर रही है कि हमारे राजस्थान में सड़कों पर टैक्स है, रोड टैक्स हम वसूल करते हैं। अब ये रोड टैक्स के अलावा टोल टैक्स वसूल करना चाहते हैं। टोल टैक्स कैसे वसूल करना चाहते हैं, श्रीमन् ? इन्होंने एक्ट के अन्दर यह लिखा है किसी भी ब्रिज पर, किसी भी सड़क भाग पर टोल टैक्स ले सकते हैं।

वह किस सूरत में नो दस लाख से ऊपर या गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल सर्विस पर ले सकते हैं। तो रोड के ऊपर शुरू में जब एक बार रोड टैक्स लिया जा रहा है उस समय फिर टोल टैक्स वसूल करने का अधिकार क्या होना चाहिये ? अगर होना चाहिये अधिकार तो जनता के सामने जाना चाहिये कि राजस्थान से अन्दर हम डबल टैक्सेशन की पॉलिसी शुरू कर रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है

(श्री हरिसिंह)

कि इस एक्ट को, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये भेजा जाना चाहिये ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा

(अनुपस्थित)

श्री जुबेर खान । प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैंने राजस्थान मोटरयान टैक्सेशन (अमेण्डमेंट) बिल, 1994 को एक माह के लिये प्रवर समिति को सौंपने के लिये संशोधन दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो

(18.29)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन ।)

बातें हमारे माननीय दूसरे सदस्यों ने कही उससे एक अलग बात कहना चाहूंगा । इसमें कहा गया है कि Not loss then Ten Lack Rupee यानि कि दस लाख से ऊपर कोई भी ब्रिज या एप्रोच रोड अगर राज्य सरकार किसी भी संस्था से या किसी भी विभाग से बनवा दें तो उस पर टोल टैक्स लगाएंगे ।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दस लाख में तो आज कल्वर्ट नहीं बनता, छोटा-सा ब्रिज नहीं बनता । अगर दस लाख के ऊपर टोल टैक्स लगाने लग जाएंगे क्योंकि दो किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बन सकती, तो यह बहुत कम अमाउण्ट है । पहले भी बीस लाख का रहा है बल्कि अब महंगाई देखते हुए तो इसको बढ़ाना चाहिये । वरना यह होगा कि सरकार के हाथ में और अधिकारी के हाथ में एक हथियार आ गया कि कहीं कल्वर्ट भी बना रहे हैं, एक छोटा पाइप भी दबा रहे हैं तो वहीं कह देंगे, लगा देंगे टोल टैक्स ।

माननीय सभापति महोदय, आप दिल्ली से जयपुर जाइये और जिस तरह के ब्रिज छोटे-छोटे वहां पड़ते हैं, आप टोल टैक्स लगाने लग गये तो दस घन्टे में आप पहुंचेंगे नहीं । कहां समय की, जिस तरह की हमारी जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग अगर ट्रकों की लग जाए टोल टैक्स के लिये टोल टैक्स वसूल करने वाले इशारा कर देते हैं कि ड्राइवर उतर कर आ जाइये और दे जाइये, तो यह व्यावहारिक नहीं है, इसमें काफी समस्या है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय जानते हैं दस लाख रुपये में क्या बनता है । इसकी एक प्रवर समिति बनाकर उसको सौंपा जाए और उस पर अध्ययन कराया जाए ।

इसमें अभी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी समय है । इस सैशन में भी आ

(श्री जुबेर खान)

सकता है, जरूरत पड़े अगले सत्र में आ जाए क्योंकि ऐसा कोई विधेयक नहीं है कि मालूम चला कोई टर्म खत्म हो रही है कि वसूली नहीं हो पा रही है। इससे एक बात और होगी कि कल को कोई अगर कोई भी आदमी चाहेगा कि सड़क से जोड़ा जाए दो किलोमीटर भी तो यही प्रावधान आ जाएगा। यह तो यह हो गया कि अगर किसी को सड़क से, पुल से, ब्रिज से, या टनल से चलना है तो आप पैसे देंगे तो चल सकते हैं वरना चल ही नहीं सकते। यह जो इसकी सीमा नहीं बांधी और गांव के लिये भी अगर ब्रिज बनने लग गया तो लोग जब ट्रैक्टर ले जाएं, अपना कोई सामान ले जाएं, आम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी।

इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपे। आप यहां बनाएं और उसमें इसका अध्ययन कराएं क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो संशोधन के प्रस्ताव रखे, मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मूल प्रस्ताव है इसमें कोई अमेण्डमेंट की इसलिये आवश्यकता नहीं कि जो हमारा बजट है और जिस गति से विकास की मांग बढ़ रही है बजट में प्राथमिकता हम देते हैं पेयजल को, प्राथमिकता देते हैं, बिजली को, इरिगेशन को, बाद में चिकित्सा और उसके बाद में शिक्षा। पर जो रुपया हम खर्च करते हैं उसमें सड़कों, पुलों और टनल्स के मामले में हम लास्ट में आते हैं और हमारे पास इसके लिये प्रचुर मात्रा में कोई रुपये का, फाइनेंशल प्रावधान नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1971 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान में 1500 की जनसंख्या वाले गांवों में सड़क बननी चाहिये थी और उसमें कोई 33000 गांव आते थे। उसके हिसाब से करीब 12,000 गांवों में हम अभी तक सड़क बना पाये है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गांव अभी तक सड़क से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में अभी हमारे माननीय सदस्य श्री धनखड़ साहब और विष्णु मोदी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री की बड़ी सराहना की।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने 1992-93 के आर्थिक सर्वेक्षण के समय मत व्यक्त किया और उन्होंने कहा—

"In the face of reduced budgetary allocations, the Government has drawn up a plan to involve the private sector in the

(श्री रोहिताश्व कुमार)

construction, maintenance and operation of fee based facility of national-highways on build, operate and transfer basis. The idea is to allow private sector to collect fees from users for an agreed period in order to recoup their investment."

सभापति महोदय, हमारी वरिष्ठ सदस्या माननीय कमला जी ने भी अभी वित्तीय मामलों में जो बहस हो रही थी, इन्होंने भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का हवाला दिया और वहां पर महिलाओं के लिये जो उन्होंने कोटा फिक्स किया है उसकी बड़ी सराहना की । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बम्बई मोटरयान कराधान अधिनियम, 1956 की धारा [21] में प्रावधान जोड़ा, हमने भी वर्ड बाई वर्ड उसी के हिसाब से यह अमेंडमेंट लिया है । उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि—

"....at the expense of the State Government or at the expense of any person or body or association of individuals whether incorporated or not or at the expense of both, that is to say, the State Government and any such person or body or association...."

मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य जुबेर खान जी ने कहा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए । सभापति महोदय, यह कोई आज का मामला नहीं है, माननीय भैरोंसिह जी की जो पूर्व में सरकार थी उस वक्त यह मुद्दा मन्त्रिमंडल के के विचारार्थ लिया गया, इस पर व्यापक चर्चा हुई । उसके बाद गवर्नर रूल में इस प्रस्ताव को लिया गया और उनकी जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने इसको पास किया । जिस प्रकार राष्ट्रपति शासन में केन्द्रीय सरकार की मोहर लगना आवश्यक है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कान्सटीट्यूशनल नियमों के हिसाब से इसको भेजा गया दिल्ली । किसी कारणवश वहां से जब इसका जवाब नहीं आया, और अब वर्तमान में जब पब्लिक से चुनी हुई सरकार वापिस आ गयी तो रूल्स के हिसाब से फिर यह बिल वापस चुनी हुई सरकार के सामने आया । इसकी सारी रूपरेखा लॉ डिपार्टमेंट, पी.डब्ल्यू.डी और मन्त्रिमंडल सबकी सहमति से यह रखा गया है इसलिये मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को....

श्री जुबेर खान : कि चाहे गांवों में ही बने, गांव वालों से आपने टोल टैक्स....

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं कि दस लाख का मतलब खाली सड़क से ही नहीं है, यहां पर नगरपालिका का भी मामला है । छोटी-छोटी नगरपालिका में नाली से भी काम चल जाता है, नगरपालिका में ज्यादा रुपये की जरूरत नहीं है गांवों में । वह दस

(श्री रोहिताश्व कुमार)

लाख रुपये का प्रावधान हमने इसीलिये किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 1994 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

श्री सभापति : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, सैक्शन 21, जो इस प्रकार रीड करता है :—

"Notwith standing anything contained in this Act, it shall be lawful for the State Government to levy toll on motor vehicles and trailors drawn by Such vehicles passing over any bridge or through any tunnel including an approach road there to or any section of road or any by—pass."

इसमें यह जो शब्द है 'including an approach road there to' इसके बाद 'any section of road or any by—pass' इसको मैं डिलीट कराना चाहता हूं। इसलिये डिलीट करना चाहता हूं श्रीमन्, कि इसका तो मतलब यह हो जाएगा जो टोल टैक्स का मतलब ही खत्म कर देता है। टोल टैक्स का मतलब यह हुआ करता है कि आप कोई पुल बनाए, पुल पर कोई मरम्मत का काम करें, उसका आप रीकन्स्ट्रक्शन करें और उसके रिएम्बर्समेंट के लिये, वसूली करने के लिये आप कोई टोल टैक्स लगाए। इसका मतलब यह नहीं है जैसा कि हमारे मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हमारे गांव के अन्दर 1500 की आबादी वाले गांवों को हम सड़क से जोड़ना चाहते हैं। आपका मकसद तो मैं समझता हूं यह हो रहा था इस अमेण्डमैंट से कि आप गांवों में जो सड़क बनाने जा रहे हैं, जो इनका मास्टर प्लान बनने जा रहा है उसके खर्चे को इस टोल टैक्स से मीट करना चाहते हैं। क्या यह सम्भव हो

(श्री हरिसिंह)

सकता हैं कि राजस्थान के गांवों की सड़कों के नक्शे के लिये पूरा करने के लिये यह टोल टैक्स लगाया जा रहा हो? गांव के अन्दर कोई भी सैक्शन ऑफ रोड दस लाख की हो जाएगी? आज एक किलोमीटर सड़क पांच लाख की बनती है और कोई भी दो किलोमीटर की सड़क सरकार बनाएगी उस पर क्या टोल टैक्स लगाएगी? क्या होगा इस सरकार का? कितनी बदनामी इस सरकार की होगी? उसे लगा देंगे? ऐसे क्यों अख्तियारात दिये जाए किसी गवर्नमेंट के लिये? क्या सरकार क्यों लेना चाहती है अगर दो किलोमीटर की भी सड़क बनाना चाहतें हैं आप, कोई बाई-पास बनाना चाहते हैं आप? अब हर गांव में बाई-पास बनते हैं, हर छोटे कस्बे का बाई-पास बनता है, डिमाण्ड होती है जहां कहीं बाई-पास बनाएंगे आप उस पर टोल टैक्स या बेरियर लगा देंगे? आज हिन्दुस्तान के अन्दर मांग इस बात की ही रही है, जगह-जगह बेरियर लग रहे हैं, चुंगी के जो बेरियर लग रहे हैं उनको एक तरफ हटाना चाहती है केन्द्रीय सरकार और हमारे राजस्थान की सरकार के मुख्य मन्त्रीजी भी इस पक्ष में हैं कि जगह-जगह के जो बेरियर हैं उनको खत्म किया जाए और आप टोल टैक्स के रूप में जगह-जगह बेरियर लगाना चाहते हैं। कोई बाई-पास होगा आप उसमें टोल टैक्स लगाना चाहेंगे, कोई गांव की अगर सैक्शन आफ रोड बनेगी उस पर लगाना चाहते हैं।

इसलिये मैं इनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मन्त्री महोदय से भी निवेदन है कि विचार करें आप। आपने कहां से नकल कर ली उसको मैं यह नहीं कहता, कितना पुराना एक्ट बना हुआ है उसका मैं यह नहीं कहता आप उस पर विचार करें, आप यह विचार करें, आपने पुल बनाया उस पर टोल लगा दीजिये आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कोई बहुत बड़ा काम करें, आप यहां से बीकानेर तक कोई रोड, नेशनल हाई-वे बनाते हैं, आप उस पर टोल टैक्स लगाएं वह हो सकता है। गांव की सड़क पर, छोटी छोटी सड़क के ऊपर ...

श्री सभापति : बात आ गयी। बात ठीक है। माननीय मन्त्रीजी।

श्रीमती कमला : मैं, एक मिनट, माननीय मन्त्री महोदय और माननीय मुख्य मन्त्रीजी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो शब्द इसमें लिखे हैं उनको अगर हम समझें और समझ रहे हैं एप्रोच रोड्स और लिंक रोड इसका मतलब गांव का कोई भी सड़क का टुकड़ा नहीं बचा जिसके ऊपर यह नहीं लगेगा। इसलिए बहुत गम्भीर और खतरनाक प्रस्ताव है जिसको हमें सोचकर के दुबारा से इसके ऊपर विचार करके फिर लाना चाहिये क्योंकि इसका मतलब तो यह है कि कोई भी सड़क इंटीरियर की भी छोटी-मोटी भी इससे बचेगी नहीं और बस लोगों को भयंकर परेशानी होगी।

श्री सभापति : यह बात प्रस्तावक कह चुके। माननीय मन्त्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : प्रस्तावक कह चुके ।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, प्रस्ताव पर दूसरे भी कह सकते हैं, ऐसा नियम है अपने यहां ।

श्री सभापति : नहीं, वह तो ठीक है पर कोई नयी बात हो तो कह सकते हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नयी नहीं पुरानी कह रहा हूं बात । मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि टोल टैक्स का कायदा है, टोल टैक्स लगता है लेकिन टोल टैक्स लगाने का सिद्धान्त है जहां नया पुलिया बन रही है कोई उस पर लगाओ, आप ब्रिज बना रहे हो उस पर लगाओ लेकिन गांव के अन्दर जो पांच--पांच क्या आधा किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको भी आप टोल टैक्स के प्रावधान में ला रहे हैं यह बहुत बड़ा अन्याय है ।

श्री सभापति : कोई नयी बात ।

श्री शिवनाथ सिंह : अव्यावहारिक भी होगा इसलिये जो आपने इसमें रखा है, पुलिया बनी है, टनल बनी है उस पर आप टोल टैक्स रखिये हम उसका समर्थन करते हैं लेकिन गांव की एप्रोच रोड को भी आप उसमें लाना चाहते हो ईसका तो हम विरोध कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, यह 1951 का जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेण्डमेण्ट जो अभी ला रहे हैं हमं इसका मकसद यह नहीं है कि यह गांव की सड़क से जोड़ा जाए, यह उन सड़कों से है जो पी.डबल्यू.डी. बनाती है । नेशनल हाईवे और उससे .... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नेशनल हाईवे, यह आप लिखिये न इस एक्ट के अन्दर । यह हो क्या रहा है आखिर ?

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्री जी, इसको डिफर करवाइये, यह बहुत विचित्र चीज हो रही है ।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप बिराजिये । माननीय मंत्रीजी को सुनिये ।

श्री रोहिताश्व कुमार : आप मेरी बात सुनिये । इसका मकसद यह है, हमने इसको इसलिये अमेण्ड किया इस तरह से कि बारबार इसको अमेण्ड करने की जरुरत नहीं पडे । अभी हमारा मकसद यह है कि खाली जो प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं उनको एनकरेज किया जाए जिससे कि हमारे राजस्थान की सड़कों का विकास हो सके हमारी यह व्यवस्था है इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम टोल रहित इसमें व्यवस्था करेंगे जिससे कि गांव वालों को ज्यादा वह (व्यवधान) ... ।

श्री हरिसिंह : नहीं, आपकी मंशा इस एक्ट में आनी चाहिये न । आपकी मंशा इसमें आनी चाहिये, सर ।

श्री सभापति : धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन श्री हरिसिंह (कुम्हेर) ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ठीक है, इस पर डिवीजन कराया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

श्रीमती कमला : यह क्या कर रहे हो ?....(व्यवधान)

श्री सभापति : खण्ड—तीन, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड—तीन स्वीकार किया जाए ? (व्यवधान)...

क्या करेंगे ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरे दो दूसरे अमेण्डमेण्ट हैं।

श्री सभापति : हां। होंगे तो आ जाएंगे आगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कहां आ जाएंगे आगे ?

श्री सभापति : जहां दिये होंगे वहां आ जाएंगे। अभी तो खण्डश: चल रहा है। (व्यवधान)....आप बिराजिये, खण्डश: चल रहा है। होंगे तो आ जाएंगे वे।

खण्ड-तीन स्वीकार किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गांव वालों से टेक्स ....

श्री सभापति : खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन है श्रीमान्।

श्री सभापति : नहीं, नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसके बी को डिलीट करना चाहता था।

विधेयक का पारण

श्री रोहिताश्व कुमार (यातायात राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : अब बोलिये, कौन बोलना चाहता था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, मैं बोलूंगा, श्रीमान।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): इनका अमैण्डमैंट है तो आपने टाइटल वगैरह सब पास करवा दिये।

श्री सभापति : तो इसमें नहीं है मेरे पास।

श्री हरिसिंह : इसमें है इन सेक्शन 28 (व्यवधान) ..

श्री सभापति : नहीं, नहीं, मेरे पास नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय नेता महोदय, को जानकारी के लिये....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दस लाख से पचास लाख करने का है ना साहब....

श्री सभापति: मेरे पास नहीं है, क्षमा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिलीट के लिये देने की जरुरत नहीं है, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें दस लाख से पचास लाख करने का है....

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि आपका केवल खण्ड दो के अन्दर था जो मैं ले आया, आपने चर्चा कर ली। बाकी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, दो में ही है, दस लाख का पचास लाख करने का है।

श्री सभापति : तो आप बोल देते उस वक्त जो बात बोलनी थी आपको।

श्री परसराम मदेरणा : कहां पर है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्लॉज 2 में ही है, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पारित करवाइये।

श्री सभापति : कोई सदस्य, आप कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है....(व्यवधान) ....बोलिये न, बोलिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति, महोदय, यह तो विचारार्थ लिया जा रहा है, बोलने का हमको अधिकार हैं।

श्री सभापति : मैं निवेदन तो कर रहा हूं, बोलिये।

श्री हरिसिंह : आप बोलेंगे, बोलिये।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सड़क हैं वे सारी बन चुकी हैं, अभी जो सड़कें बनने के लिये जा रही हैं ये सब वीकर सैक्शंस के लिये हैं जो सबसे कमजोर वर्ग के हैं, जिनकी पापुलेशन हजार से पन्द्रह सौ के ऊपर है। यह सरे आम अन्याय है, ये सड़कें महत्वपूर्ण जगहों पर जाती हैं, सिटीज पर जाती हैं तो भी इस बात को हम समझते नहीं कि यहां पर कोई टोल लगकर राजस्थान की आमदनी बढ़ सकती थी पर यह तो वीकर सैक्शन है जिसके लिये हमसे सब्सिडी लेना बहुत जरुरी है और इनको जोड़ना जरुरी है। यह दस लाख की कोई बात ही नहीं है पर कोई ऐसी एप्रोच रोड हो जिसमें सिटी के लिये जाता हो या जिसमें हमारा पैसा आता हो। आपको इतना खर्चा होगा वहां पर चुंगी चौकी लगाने के लिये जितनी आपकी वसूली नहीं हो पाएगी ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गांव में कितने लोग हैं ?

श्री दलजीत सिंह : गांव में 15 सौ के वर्ग के ऊपर आप लगाओगे तो कितने लोग, कितनी ट्रैफिक चलती है ? ज्यादातर बैलगाड़ियां चलेंगी, ट्रैक्टर चलेंगे, कोई ट्रक और बसें तो नहीं चलेंगी वहां पर। तो यह वीकर सेक्शन के ऊपर आप टोल टैक्स लगा रहे हो न कि अमीर वर्ग के ऊपर लगा रहे हो, जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं। एतराज इसके ऊपर है, दस लाख या बीस लाख के ऊपर नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय श्री हरिसिंह कुम्हेर।

एक माननीय सदस्य : गांव में जा रही हैं ये सड़कें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस टोल टैक्स की वसूली में जितना अंधेर हो रहा है, जितना अनियमित रूप से वसूल किया जा रहा है, जितना इसमें एक प्रकार से सरकार शोषण कर रही है जनता का उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने प्रश्न पूछा था इसी असेम्बली के अन्दर कि ढूंढ नदी के पुल पर कितना रुपया खर्च हुआ और कितना अब तक वसूल हो गया, उसका उत्तर मुझे मिला था, भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढूंढ नदी पर बनाये गये पुल पर वर्ष 1985-86 में एक करोड़, उनहत्तर लाख इकसठ हजार चौंसठ रुपये की राशि व्यय हुई। उक्त पुल पर गुजरने वाले वाहनों से दिनांक 31-3-1993 तक

(श्री हरिसिंह)

3,33,11,352 रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। अब टोल टैक्स लगता है, जो रुपया खर्च हुआ उसकी वसूली के लिये यही आपका आब्जेक्ट इसके अन्दर है, यह कोई स्थायी जन्म-जन्मान्तर का टैक्स नहीं हुआ करता।

ढूंढ नदी के पुल पर 1,69,61,000 रुपया खर्च हुआ और अब तक 3,33,11 352 रुपया वसूल हो चुका है और उसके बाद फिर आप ठेका कर रहे हैं उसका। यह तो 31-3-1993 तक हो रहा है। ऐसा कोई कानून है राजस्थान के अन्दर। मैं जानना चाहता हूं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कि जिसमें आप जनता का इस प्रकार से शोषण कर सकें जन्म-जन्मान्तर के लिये ?

श्री सभापति : बात हो गयी, अब बिराजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसा कुछ करते रहेंगे। ऐसा कोई कानून है तो आप बता दीजिये इसके अन्दर।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस टोल टैक्स के मामले में आशंका व्यक्त की....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आशंका नहीं, यह प्रश्न का जवाब है लिखित में मेरे पास।

श्री रोहिताश्व कुमार : मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में।

श्री सभापति : दोनों ही बातें हैं, आपने पहले आशंका की है फिर कोई बात पूछी है। जवाब सुन लीजिये अब आप।

श्री रोहिताश्व कुमार : मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में कि यह जो टोल टैक्स का मामला है यह कोई गरीब जनता पर नहीं है। जो टनल को, जो रोड को, जो बाई-पास को यूज करते हैं, यूजर्स गरीब आदमी नहीं होता है। बसेज हैं, दूसरे यातायात के गुडस ट्रांसपोर्टर्स हैं और कोई है यह टोल टैक्स....

एक माननीय सदस्य : बैलगाड़ियां हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : बैलगाधियों पर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ट्रैक्टर पर।

श्री रोहिताश्व कुमार : मुख्य मंत्री जी से बात करेंगे ट्रैक्टर के मामले में। तो मेरा निवेदन यह है कि इनकी आशंका गलत है और जिस ब्रिज की ये बात कर रहे हैं....

श्री हरिसिंह : जितनी रकम उस पर खर्च हुई है उससे ज्यादा वसूल नहीं करेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्राइवेट सेक्टर को अट्रेक्ट करने के लिये है। जितना वे लोग पैसा लगाएंगे उतना ही पैसा उनको वापस लौटाने का उसमें प्रावधान है। उससे ज्यादा हम उनसे टोल टैक्स नहीं लेंगे। ....(व्यवधान)... जिस नदी के ब्रिज के बारे में कह रहे हैं (व्यवधान)....

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं अगर इस मामले में वाकई कहीं कोताही बरती गयी है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा। आइन्दा भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

श्रीमती कमला : एप्रोच रोड और सैक्शन आफ रोड को तो इसमें से निकाल दीजिये जिससे गांव की सड़कों पर नदी लगे। ये दो चीजें तो आप माइनस कर दे एप्रोच रोड़ और सैक्शन आफ रोड, क्योंकि ये सीधी ही छोटे-छोटे गांवों तक जाती हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : मेरा निवेदन यह है कि आज जयपुर शहर है और ऐसे कई सिटीज हैं जहां आवागमन ज्यादा है, उसके लिये हमें बाईपास बनाने पड़ेंगे .... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। माननीय विपक्ष के नेता।

श्रीमती कमला : आप इसका सरकुलर रोड नाम दे दो। आप उसको सरकुलर रोड कवरिंग दी अर्बन एरियाज या आउटर रिंग रोड इस तरह का नाम दे दो बजाय एप्रोच रोड और सैक्शन आफ रोड के.... (व्यवधान)....

श्री सभापति . यह सब मात्र एनेबलिंग क्लॉज है, जबर्दस्ती थोड़े ही बनाने लग जायेंगे, बिराजिए।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आप एप्रोज रोड और सैक्शन आफ दी रोड, वह गांव की हो या शहरों में हो आप इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि लॉ में यह है कि यह मामला आप सारा प्राइवेट सैक्टर में देना चाहते हैं। जहां गांवों में सड़के बनी हुई नहीं है, छोटी-छोटी जगह सड़कें बनाने की बात है, गांव में एप्रोज रोड बनाने को बात है, यह आप प्राईवेट सैक्टर में देने जा रहे हैं क्या ?

श्री रोहिताश्व कुमार : हमारा मकसद यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मकसद आपका यह नहीं है तो इससे तो यह प्रतीत होता है इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स से कि आप प्राइवेट सेक्टर को इन सड़कों को बनाने के लिये अधिकृत और उसकी लागत होगी उससे वह टोल टैक्स वसूल करेंगे। गांवों के अन्दर छोटी छोटी जगह आप एप्रोच रोड बनाएंगे वहां टोल टैक्स वाले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये ट्रेक्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

छोटी मोटी गाड़ी होगी उस पर यह टोल टैक्स लगा देंगे । टोल टैक्स के बारे में आप जानते हैं कि आज पूरे टोल टैक्स को हटाया जाना चाहिये, यह बात चल रही है और आप तो अभी सरकार में आये हैं। यह सरकार इस बात का वादा कर चुकी है और बी. जे. पी. पार्टी भी वादा कर चुकी है कि टोल टैक्स को हटाएंगे । एक तरफ तो आप टोल टैक्स को हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गांव में एप्रोच रोड़ पर टोल टैक्स लगाना चाह रहे हैं । वहीं एप्रोच रोड़ और सेक्शन आफ रोड को आप प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं छोटे छोटे गांवों की सड़कें । एक गांव से दूसरे गांव के बीच की सड़क प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि यह तो बहुत बड़ा आब्सट्रक्शन खड़ा कर रहे हैं लोगों के फ्री फ्लो आफ ट्रेड पर और आवागमन के ऊपर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्य सड़कों की मांग करते रहे हैं कि सड़कें और बननी चाहिये, पुलियाएं और बननी चाहिये । आपने इस बजट में देखा होगा कि सड़कों और पुलियाओं के लिये जितना भी प्रावधान हम कर सकते थे वह प्रावधान हमने किया है । कल यह भी चर्चा हुई कि रोड़ एक्सीडेन्ट्स बहुत होते हैं इसलिये कई जगह मांग आती है कि सड़कों को चौड़ा किया जाए या सड़कों के बाईपास बनाये जाएं । अब सड़कों को चौड़ा किया जाए और सड़कों के बाइपास बनाये जाएं और टू लेन को फोर लेन में कन्वर्ट किया जाएं तो इसके लिये साधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है । यदि वे साधन सरकार के पास नहीं है और प्राइवेट सेक्टर आता है तो उस प्राइवेट सेक्टर को पुलिया बनाने के काम में, बाईपास बनाने के काम में या फोर लेन या टू लेन बनाने के काम में उपयोग लिया जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । अब आपने गरीबों का जिक्र किया कि गरीबों पर टैक्स लगेगा । जो दिल्ली से जयपुर और जयपुर से अजमेर जाते हैं, जयपुर से कोटा जाते हैं और इनके बाईपास बनाये जाए तो गरीबों को रोका नहीं है कि वे जयपुर शहर में से नहीं जा सकते हैं ।

अगर उसको टैक्स नहीं देना है तो जयपुर शहर में जो भी रोड है उससे जाएंगा और जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं वे बाईपास से जाएंगे और बाइपास से जाएंगे तो टोल टैक्स देंगे । इसमें दिक्कत क्या है ? इसमें कहां गरीब आ गये ? इसमें कहां बैलगाड़ी वाले आ गये ? इसमें कहां ऊंटगाड़ी वाले आ गये ? आखिर यह एक राज्य ने नहीं किया है शनैः शनैः सब यह जान गये हैं कि जितनी रोड्स की, टनल्स की और ब्रिजेज की आवश्यकता है वह अपने रिसोर्सेस से पूरी नहीं कर सकते इसलिये प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनवाइट किया जाए । यह तो आपके श्री मनमोहन सिंह जी की नीति है और गल्ती से हमने इसको लागू कर दिया । किसी का कोई विरोध है तब तो मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि विपक्ष के नेता ने कहा कि जो भी सरकारी रोड़ जिसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि एप्रोच रोड है उन एप्रोच रोड पर सरकार का टोल टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है....(व्यवधान).. मैं आपको कहूंगा कि एप्रोच रोड भी हो सकती है। मान लीजिये कि आज मेरे गांव से नेशनल हाईवे जा रहा है और मेरे गांव में सड़क नहीं है और गांव के कुछ आदमी मिलकर कहें कि हम एप्रोच रोड बना लेंगे और गांव वालों से पैसा वसूल करेंगे तो आपको आपत्ति क्या है ?

श्री जुबेर खान : वह तो आपका काम है, "अपना गांव अपना काम" के तहत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के डवलपमेन्ट में एप्रोच रोड है या बाइपास है या टनल्स हैं या ब्रिजेज हैं ये आवश्यक हैं। वन लेन से टू लेन और टू लेन से फोर लेन में कन्वेंट करके चलना एक आवश्यकता है। जिस तरह से पापुलेशन का दबाव बढ़ रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं कि सरकार कोई सड़क गांव में बनाएंगी, कोई सड़क गांव के बाहर बनाएंगी, गांव की एप्रोच रोड बनाएंगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा।

श्री हरिसिंह : एक्ट में यह है कि जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही वसूल करेंगे यह तो एक करोड़ की जगह 3 करोड़ वसूल हुआ है।

श्री सभापति : एक्ट में जो लिखा होगा वही होगा।

श्री जगदीप धनखड : सभापति जी, अपने यहां पर जो शिक्षा का स्तर है, गांव में यदि अगर कोई कोर्ट का सम्मन जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि यह वारण्ट है और आदमी को भारी परेशानी होती है। यह जो क्लाज (बी) है, मुख्य मंत्रीजी काफी उदार हो गये और प्रतिपक्ष के नेता की एक बात मान ली, सबसे खतरनाक क्लाज (वी) भी है इसको भी देखिये। इसके तहत पता नहीं सरकार कल कोनसा आदेश पारित कर दे। तो जब तक पाजीटिवली मुख्य मंत्री जी, आप इसको एक्सक्लुड नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरत नहीं है एक्सक्लुड करने की।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 1994 को पारित किया जाएं ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

सदन की बैठक दिनांक 31 मार्च, 1994 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.59 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 31 मार्च 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

वल्लभनगर (उदयपुर) विधानसभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालय

क्र.सं.	औषधालय स्थान	क्र.सं.	औषधालय स्थान
1.	भीण्डर	12.	नारायणपुरा
2.	दरोली	13.	अडिन्दा
3.	पाणून्दा	14.	बासडा
4.	कूतवास	15.	मजावड़ा
5.	मेनार	16.	माल की टूस
6.	रूण्डेडा	17.	खरसाण
7.	हींता	18.	राजपुरा
8.	नवानिया	19.	सिहाड़
9.	कूंडई	20.	सालेड़ा
10.	अमरपुरा	21.	बग्गड़
11.	करणपुर	22.	टेकण

परिशिष्ट—2

गौकसी के मुकदमात जिला भरतपुर

थाना	सन्	रिपोर्ट	अदमवकू	चालान	मारी गई गायों की संख्या	गिरफ्तार मुलजिमों की संख्या
कामा	1989	....	....	....	....	....
	1990	....	....	....	....	....
	1991	1	....	1	2	3
	1992	....	....	....	....	....
	1993	2	....	2	2	9
पहाड़ी	1989	....	....	....	....	....
	1990	....	....	....	....	....
	1991	....	....	....	....	....
	1992	....	....	....	....	....
	1993	2	1	1	2	4
डीग	1989	2	1	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7
	1990	1	....	1	2	6
	1991	....	....	....	....	....
	1992	1	1	....	....	....
	1993	1	....	1	1	1
नगर	1989	....	....	....	....	....
	1990	....	....	....	....	....
	1991	....	....	....	....	....
	1992	....	....	....	....	....
	1993	....	....	....	....	....
	1994	....	....	....	....	....
कुल योग —		10	3	7	10	26

240

परिशिष्ट—"ख"

गायों की तस्करी सम्बन्धी प्रकरण जिला भरतपुर।

वर्ष	रिपोर्ट	अदमवकू	चालान	बचाई गई गायों की संख्या	गिरफ्तार मुल्लिमों की संख्या
1989	....	....	....	....	....
1990	....	....	....	....	....
1991	1	....	1	5 गाय व एक बछड़ा	4
1992	1	....	1	28 गायें	5
1993	1	....	1	38 गायें	5
1994	5	....	5	263 गायें	23
कुल योग	8	....	8	334 गाय व एक बछड़ा	37

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बांसवाड़ा - दानपुरा बस सेवाएं

715. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बांसवाड़ा से दानपुर मुख्य मार्ग पर कितनी प्राइवेट बसों को परमिट जारी किया गया है, जिनमें कितनी बसों का वाया फेफर का परमिट है ?

(2) बांसवाड़ा से पीपलखूंट वाया घोड़ीतेजपुर कितनी बसों का परमिट है तथा वर्तमान में कितनी बसें इस मार्ग पर चल रही है ? सूची वाहन नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा से दानपुर मुख्य मार्ग पर प्राइवेट बसों का मार्ग निर्धारित नहीं होने से परमिट जारी किये हुए नहीं हैं तथापि बांसवाड़ा से पीपलखूंट मार्ग पर 5 तथा दानपुर से गढ़ी मार्ग पर 7 स्थाई परमिट जारी किये हुए हैं । इन दोनों मार्गों में बांसवाड़ा से दानपुर तक का भाग भी आ जाता है । दोनों मार्गों के सभी परमिट वाया फेफर होकर स्वीकृत हैं ।

(2) बांसवाड़ा से पीपलखूंट वाया घोड़ा तेजपुर मार्ग पर 5 स्थाई परमिट हैं तथा पांचों ही वाहनें इस मार्ग पर चल रही है । इन वाहनों के पंजीयन नम्बर निम्न प्रकार हैं—

1. आर.जे.आर.8314
2. आर.पी.बी.482
3. आर.पी.बी.14
4. आर.पी.बी.254
5. आर.जे.जे.2595

कारखाना एवं बायलर्स विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के मानदण्ड

716. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कारखाना एवं बायलर्स विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) वर्ष 1990 से अब तक किस-किस अधिकारी ने इन मानदण्डों के अनुसार निरिक्षण नहीं किया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कारखाना एवं बायलर्स विभाग के

(श्रम राज्य मंत्री)

अधिकारियों के निरीक्षण के मानदण्ड परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) वर्ष 1990 से अब तक जिन जिन अधिकारियों ने मानदण्डो के अनुसार निरीक्षण नहीं किया उनकी सूची परिशिष्ठ "ख" में संलग्न है। इस विषय में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

परिशिष्ट "क"

कारखाना एवं बायलर्स विभाग के अधिकारियों के निर्धारित विभागीय नियमावली में निर्धारित मानदण्ड

1. उपमुख्य निरीक्षक के लिये निर्धारित लक्ष्य—

(1) कारखाना एवं बायलर्स का एक तिमाही में 75 निरीक्षण

(2) प्रत्येक कर्मशाला का 4 माह में एक बार निरीक्षण

(3) साप्ताहिक अवकाश व अतिसमय की जांच के लिए एक तिमाही में 15 निरीक्षण।

2. वरिष्ठ निरीक्षक के लिये निर्धारित लक्ष्य—

(1) कारखाना एवं बायलर्स के एक तिमाही में 90 निरीक्षण

(2) 100 से अधिक नियोजित कर्मकारों वाले कारखानों का 4 माह में एक बार निरीक्षण।

(3) 100 से कम नियोजित कर्मकारों वाले कारखानों का 6 माह में एक बार निरीक्षण।

(4) साप्ताहिक अवकाश व अतिसमय की जांच के लिये एक तिमाही में 30 निरीक्षण।

(5) प्रत्येक खतरनाक कारखानों का तीन माह में एक बार निरीक्षण।

3. निरीक्षक के लिये निर्धारित लक्ष्य —

(1) कारखाना एवं बायलर्स के 35 निरीक्षण प्रतिमाह

(2) साप्ताहिक अवकाश एवं अतिसमय की जांच के 10 निरीक्षण प्रतिमाह

(3) कारखाना अधिनियम की धारा 2 एम [1] के अन्तर्गत कारखानों का 6 माह में एक बार निरीक्षण

(4) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत कारखानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण

(5) खतरनाक कारखानों का तीन माह में एक बार निरीक्षण

4. निरीक्षक (केमिकल) के लिये निर्धारित लक्ष्य—

(1) एक तिमाही में 45 निरीक्षण

5. निरीक्षक (मेडिकल) के लिये निर्धारित लक्ष्य—

(1) 100 श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच प्रतिमाह ।

244

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1990 से अब तक निम्न अधिकारियों ने मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण नहीं किया, की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
1.	श्री बी. एल. अग्रवाल	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (सेवानिवृत)
2.	श्री एच. एस. चितोडिया	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
3.	श्री प्रभाकर भट्ट	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स (वर्तमान मुख्य निरीक्षक)
4.	श्री आर. सी. पालीवाल	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
5.	श्री एन. एल. सालेचा	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
6.	श्री आर. एन. वर्मा	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
7.	श्री एल. एल. आर्य	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
8.	श्री डी. सी. सिन्च	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
9.	श्री आर. पी. कयाल	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
10.	श्री एस. के. गोस्वामी	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
11.	श्री एस. एन. मोदी	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद
12.	श्री बी. डी. बारन्दानी	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
13.	श्री ओ. पी. चेचाणी	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
14.	श्री वी. एस. भाटी	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
15.	श्री एस. एल. मून्दड़ा	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बालयर्स
16.	श्री एस. एन. प्रधान	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बालयर्स
17.	श्री पी. डी. गुप्ता	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
18.	श्री आर. सी. जिन्दल	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
19.	श्री चेतन कुमार	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एब बायलर्स
20.	श्री डी. आर. मेहता	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
21.	श्री डी. के. चौधरी	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
22.	श्री जी. डी. गोयल	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
23.	श्री ओ. पी. शर्मा	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
24.	श्री गोविन्द राम	,, ,,
25.	श्री मुकेश जैन	,, ,,

246

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
26.	श्री रमेश पुरोहित	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
27.	श्री एच. के. गुप्ता	,, ,,
28.	श्री बी. के. चौधरी	,, ,,
29.	श्री एल. एल. करोल	,, ,,
30.	श्री सुरेन्द्र सिंह	,, ,,
31.	श्री एन. एल. अग्रवाल	,, ,,
32.	श्री बी. पी. सारण	,, ,,
33.	श्री अब्दुल सलीम	,, ,,
34.	श्री एस. एम. पुरोहित	,, ,,
35.	श्री एम. एस. साईवाल	,, ,,
36.	श्री जी. आर. गौतम	,, ,,
37.	श्री योगेश्वर व्यास	,, ,,
38.	श्री मुकुल राजवंशी	,, ,,
39.	श्री एस. के. मिश्रा	निरीक्षक कारखाना (केमीकल)
40.	श्री (डा.) एस. सी. धारीवाल	निरीक्षक कारखाना (मेडीकल)

मोरेल नदी पर पुल निर्माण

717. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में मोरेल नदी की पुलीया का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो इस पुलिया के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इस योजना पर कितनी धनराशि की लागत आयेगी ? सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। पुल के निर्माण की प्रगति संतोषजनक है। माह फरवरी, 1994 तक इस कार्य पर 280.90 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस कार्य की लागत 9.50 करोड़ सम्भावित है। इसको सम्पूर्ण कराना राज्य के वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर के विरुद्ध छुआछूत

718. **श्री अर्जुन दास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में कार्यरत जिला आयुर्वेद अधिकारी "अ" क्षेत्र जयपुर जब गंगानगर जिले में कार्यरत थे को न्यायालय ने छुआछूत के अपराध में दोषी मानकर दण्डित किया था ? क्या विभाग को इस तथ्य की जानकारी है ?

(2) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) यदि उक्त अधिकारी के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो सरकार कब तक और क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी क्षेत्र "अ" जयपुर जब गंगानगर जिले में कार्यरत थे तब उनके विरूद्ध न्यायालय में एक छुआछूत का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर सिविल न्यायाधीश एव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अपराध में मुकदमा प्रोसिड विथ करने के पर्याप्त आधार मानते हुए आगामी तिथी निर्धारित की गई। किन्तु इस आदेश के विरूद्ध श्री जगदीशराम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-5-88 को याचिका स्वीकार कर ए. सी. जी. एम. के आदेश दिनांक 26-6-86 को निरस्त (सेट असाईड) करते हुए इस मामले को पुन: रिमाण्ड (सुनने के अधिकार) किया गया। इस पर न्यायालय ए. सी. जी. एम

(श्री आयुर्वेद राज्य मंत्री)

हनुमानगढ़ ने दिनांक 22-1-90 को पुन फोगनीजेन्स (प्रशाज्ञान) लिया। ए.सी.जी. एम. के इस आदेश पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 15-3-90 को स्थगन आदेश जारी किया गया। वर्तमान में मामला न्यायलय में लम्बित हैं।

(2) जब न्यायालय द्वारा अभी तक अधिकारी को दोषी ही नहीं माना गया है तो वर्तमान में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन हैं। अन्तिम निर्णय उपरान्त न्यायालय निर्णय के परिपेक्ष में उचित परीक्षण करने तथा प्रकारण का गुणावगुण व नियमानुसार विचार करने के बाद ही विधि सम्मत कोई कार्यवाही की जावेगी।

राज्य के सहायक लोक अभियोजक

719. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सहायक लोक अभियोजकों का स्थाई कॅडर है? यदि हां, तो कब से और इनके पद भरने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायक लोक अभियोजकों की पदोन्नति किस-किस पद पर किस प्रकार की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक लोक अभियोजकों के सगठन द्वारा आन्दोलन किया गया और सरकार ने पदोन्नति के सम्बन्ध में लिखित समझौता किया था? यदि हां, तो समझौते की पालना किस हद तक की गई और नहीं, तो क्यों? समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1978 से हैं। सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय श्रेणी की नियुक्ति की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से सम्पन्न की जाती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 बने हुये हैं। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय श्रेणी, की पदोन्नति सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी के पद पर, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की पदोन्नति सहायक निदेशक अभियोजन, के पद पर एवं सहायक निदेशक अभियोजन की

(गृह मंत्री)

पदोन्नति उप निदेशक अभियोजन, के पद पर की जाता है ।

(3) जी हां, अभियोजन विभाग समन्वय समिति, जिसमें सहायक लोक अभियोजक संगठन शामिल था, ने आन्दोलन किया । उक्त समिति के साथ वार्ता कर पदोन्नति की मांग संख्या 5 पर कार्यवाही करने हेतु समझौता हुआ । इस विभाग द्वारा समझौते की पालना में विधि विभाग को कार्यवाही हेतु लिखा गया था । वर्तमान में लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के 50 % पदों को उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन के पदों से भरे जाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया एवं राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 में संशोधन हेतु मामला विचाराधीन है । मांग संख्या 5 के बारे में हुए समझौते की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सांचौर तहसील के विद्युत सम्बन्ध

720. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील में जुलाई एवं अगस्त 1990 में आयी भयंकर बाढ़ से हेमगुडा, धरनावा तातड़ा, रामपुरा में बिजली की 11 के.वी. लाइन गिर गई थी ? यदि हां, तो सांचौर तहसील के ऐसे और कितने गांव हैं, जहां पर बिजली की लाइने गिर गई थी ?

(2) क्या इन लाइनों की मरम्मत की गई थी ? यदि हां, तो कब और उन पर कितना-कितना व्यय कहां-कहां पर हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन गांवों में विद्युतीकरण हेतु घोषणा हो जाने पर ट्रांसफार्मर्स रखे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार अब कब तक रखने का विचार रखती है ?

(4) सांचौर तहसील के इन गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु पिछले 3 वर्षों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें से कितने कनेक्शनों का आवंटन कर दिया गया है और अब कितने और शेष रहे हैं तथा शेष रहे आवेदकों को कब तक कनेक्शनों का आवंटन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांचौर तहसील में जुलाई व अगस्त 90 की भयंकर बाढ़ से कई गांवों की विद्युत लाइनें गिर गई थी । जिन गांवों में विद्युत लाईनों का नुकसान हुआ था उनके नाम निम्न है :–

1. हेमागुढ़ा 2. धरणावास 3. तातड़ा 4. रामपुरा 5. वनल 6. ईदाड़ा

(2) इस उपखण्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण लाइनों की मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं किया जा सका ।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उपरोक्त गांवों के विद्युतीकरण हेतु घोषणा हो जाने पर ट्रान्सफारमर रखे गये थे मगर बाढ़ में लाइनें गिर जाने के कारण ट्रान्सफारमर दूसरे गांवों में भिजवा दिये गये। लाईन का कार्य पूर्ण होने पर वापिस ट्रांसफारमर लगा दिये जायेंगे। लाइनों की मरम्मत का कार्य ठेके पर करने के लिए दे दिया गया है व शीघ्र ही चालू करने की कार्यवाही जारी है।

(4) उपरोक्त गांवों में पिछले तीन वर्ष में निम्न श्रेणी के आवेदन पत्र प्राप्त हुए:-

क्र.सं.	गांवों का नाम	घर	दुकान	कृषि	लघु उद्योग
1.	हेमागुढा	241	2	27	....
2.	बनल	3	....	4	....
3.	घरणावास	....	....	5	....
4.	तालडा	....	....	7	....
5.	इटादा	1	....	2	....
6.	रामपुरा	9	1	2	 2

पथ परिवहन निगम की अन्तर्राज्यीय बस सेवायें

721. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किन-किन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर कहां से कहां तक बसें चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बम्बई, बडौदा, सूरत और अहमदाबाद मार्गों पर सरकार राज्य पथ परिवहन निगम की डीलक्स या सुपर डीलक्स बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं का विवरण दर्शाते हुये आगार वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट—"क")

(2) निगम द्वारा सुविधा वाहन सेवाओं हेतु अपेक्षित यात्रीभार के अनुरूप निम्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वर्तमान में

(यातायात राज्य मंत्री)

सुविधा वाहन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :—

1. जयपुर-दिल्ली वाया कोटपुतली

2. जयपुर-शिमला वाया कोटपुतली-दिल्ली अम्बाला-चण्डीगढ़-कालका-सोलन

3. जयपुर-हरिद्वार- वाया कोटपुतली-दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-रुडकी

4. जयपुर-अलीगढ़ वाया भरतपुर--मथुरा

5. जयपुर-आगरा वाया भरतपुर

6. जयपुर-मथुरा वाया भरतपुर

7. जयपुर-ग्वालियर वाया भरतपुर--आगरा-धौलपुर

8. जोधपुर-अहमदाबाद वाया पाली--सिरोही-आबूरोड-पालनपुर

9. उदयपुर-अहमदाबाद वाया रतनपुर-हिम्मतनगर

10. जयपुर-टूण्डला वाया भरतपुर--आगरा बम्बई, बडोदा,सूरत, अहमदाबाद अन्तर्राज्यीय मार्ग है, इन पर गुजरात एवं महाराष्ट्र के साथ आपसी करार के अनुसार ही वाहन संचालित की जा सकती है। गुजरात के साथ आपसी सहमति के आधार पर सेवायें संचालित है। महाराष्ट्र के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मावली क्षेत्र में 200 की आबादी वाले जनजाति क्षेत्र

722. **श्री शान्ति लाल चपलोत** (मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिस जिस विधान सभा क्षेत्र में जनजाति की छितरी आबादी है, और उस गांव में 200 घर जनजाति के लोगों के हैं, क्या उसके विकास के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या मावली क्षेत्र में 200 की आबादी वाले जनजाति के लोगों के ग्रामों का कोई सर्वे सरकार ने करवाया है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव इसमें हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक इस प्रकार का सर्वे कराने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या ऐसे क्षेत्र के लिए बिजली, पानी, रोड बनाने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से कुछ राशि देने का प्रावधान करने का सरकार विचार रखती है

उत्तर

(1.) जी हां। जिस-जिस विधानसभा क्षेत्र में जनजाति बिखरी आबादी है और उस गांव में 200 घर जनजाति के हैं उनके विकास के लिए बिखरी आबादी कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया है और न ही ऐसा कोई विचार है क्योंकि जनगणना से ही ग्रामों की जनजाति जनसंख्या का पता चल जाता है। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर मावली विधानसभा क्षेत्र में मावली तहसील के 44 ग्रामों में एवं रेलमगरा तहसील के 5 ग्रामों में 200 से अधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। बिखरी जनजाति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार इन क्षेत्रों में बिजली पानी, सीधी लाभ की अनेक योजनाओं व अन्य कार्यक्रमों के लिए बिखरी जनजाति कार्यक्रम के अनुसार राशि का प्रावधान प्रतिवर्ष किया जाता है।

परिशिष्ट—क

तहसील—मावली

200 या उससे अधिक जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं. 1	कोड नं. 2	ग्राम का नाम 3	कुल जनसंख्या 4	जनजाति जनसंख्या 5	वि. वि. 6
1.	1	मानसोल	1898	363	
2.	7	सिन्धु	1792	258	
3.	8	महुड़ा	924	212	
4.	10	पलानाकलां	2102	373	
5.	11	पलाना खुर्द	1903	546	
6.	17	थामला	3746	796	
7.	25	साकरोदा	1777	316	
8.	32	घनेरिया	1206	318	
9.	33	जेवाणा	2150	285	
10.	35	मानखण्ड	759	249	

1	2	3	4	5	6
11.	37	भूबलावास	588	329	
12.	44	सवाणिया	688	219	
13.	45	लोपड़ा	857	277	
14.	47	लदानी	1274	375	
15.	53	मावली	7102	766	
16.	58	बासलिया	871	307	
17.	62	नूरदा	1354	270	
18.	63	धासा	4396	394	
19.	70	खाम की मादड़ो	890	257	
20.	73	वीर धोलिया	1378	657	
21.	74	सांगवा	2014	240	
22.	76	बिजलवास	1961	414	
23.	77	बिखरनी	784	451	
24.	78	मारुवास	468	261	
25.	79	नडवा	1336	469	
26.	80	रायजी का गुढ़ा	247	220	

Page No. 255

1	2	3	4	5	6
27.	81	चन्देसर	2010	489	
28.	83	गुडलो	2641	593	
29.	84	तुलसीदास जी की सराय	796	635	
30.	88	डबोक	3547	600	
31.	89	मेड़ता	1788	223	
32.	91	खेमली	3110	922	
33.	92	श्रासना	1198	256	
34.	96	नाहर मगरा	3877	1005	
35.	98	गनोली	1365	414	
36.	99	नामरी	1072	463	
37.	101	सालेरा कलां	2171	405	
38.	110	मादड़ी सोलंकियान	955	388	
39.	113	रेडिया खेड़ी	476	237	
40.	116	गादोली	2588	445	
41.	120	चीपी खेड़ा	673	205	
42.	127	धामली	1869	200	
43.	132	बड़गांव	1721	424	
44.	136	ईन्टाली	3735	309	

तहसील—रेलमगरा

200 या उससे अधिक जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची :—

(जनगणना 1981 के आधार पर)

क्र.सं.	कोड़ नं.	ग्रामों के नाम	कुल जनसंख्या	जनजाति जनसंख्या	वि.वि.
1.	2	पीपली अहीरान	1810	202	
2.	41	सादड़ी	1429	221	
3.	74	सांसेरा	1736	239	
4.	78	खटुकड़ा	1146	222	
5.	85	दरीबा	1183	268	

विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर की सड़कों का डामरीकरण

723. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा दिनांक 1-3-1990 से फरवरी, 1994 तक कितनी सड़कों पर हुआ व प्रत्येक सड़क पर कितनी डामरीकरण राशि खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें विभाग के पास है व क्या अन्य सड़कें भी प्लान में लेना विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की सड़कें टूट-फूट गई हैं व वह जगह-जगह खड्डे पड़ गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं व अब पुनः निर्माण के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में सा. नि. विभाग द्वारा वर्ष 1.3.90 से 28.2.94 तक जिन सड़कों पर डामरीकरण किया गया है तथा जो राशि व्यय की गई उसका उल्लेख सलंग्न है।

(2) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सडकों का रख-रखाव इस विभाग द्वारा किया जाता है :—

1. जालोरी गेट से फतेहपोल।

2. सोजती गेट से नागौरी गेट वाया माणक चौक, त्रिपोलिया एवं उम्मेद चौक।

3. सिवान्ची गेट से खांडा फलसा।

4. मेड़तीगेट से कन्दोई बाजार वाया हाथी राम का ओडा एवं घंटाघर।

5. मोहनपुरा ओवरब्रिज चौराहे से घंटाघर (नई सड़क)

अन्य सड़कों को रख-रखाव की सूची मे लेने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। विभाग की मरम्मत सूची में आने वाली सड़कों की स्थिति सही है।

258

परिशिष्ट 'क'

जोधपुर शहर की सड़कों पर डामरीकरण पर सड़कवार व्यय

क्र. सं.	सड़क का नाम	व्यय रु. लाखों में 1-3-1990 से 28-2-94 तक
	नगरपालिका की सड़कें (विशेष आवंटन राशि के अन्तर्गत) मद 5054/ शहरी सड़कें।	
1.	जोशियों का खुरा से बादोजी का नोहरा	1.43
2.	सिवाची गेट क्षेत्र की सड़कें	4.31
3.	घोड़ों का चौक से आमलिया वास पोकरण की हवेली से कबूतरों का चौक, सराफा बाजार से आड़ा बाजार।	4.58
4,	महिला बाग क्षेत्र, शम्भू भवन में हाथीराम का ओड़ा मखतूरमल जी की हवेली से नई सड़क	2.61
5.	जालोरी गेट से गांधी चौक	1.77
6.	नगर परिषद से कबूतरों का चौक वाया घोड़ों का चौक	2.52
7.	सिवाची गेट से नृसिंगदड़ा	2.64
8.	पन्ना निवास से उम्मेद चौक	0.84
9.	हाथीराम का ओड़ा से स्टेडियम	1.30
10.	गांधी चौक से पूंगलपाड़ा	1.25
11.	नवचौकिया से सिटी पुलिस	2.22
12.	बोहरों की पोल से भजन चौकी	0.38
13.	कबूतरों के चौक से कंटालिया	1.48

क्र.सं.	सड़क काम	व्यय रु. लाखों में 1-3-1990 से 28-2-94 तक
14.	जालीवाला महादेव से पोकरण की हवेली	1.82
15.	सोजती गेट से तेजाजी का मन्दिर	0.11
16.	लखारा का बास से महिला बाग	0.21
17.	रावतों का बास से सम्पर्क सड़क	0·35
18.	बनावती की गला जालप मोहल्ला	0.33
19.	निहारिया की मजिस्द से कबूतरों का चौक पोस्ट ग्राफिस गली	0.51
20.	सराफ बाजार से भजन चौकी भीम जी की हथाई बनियाबाडा, कम्रकट	0.65
21.	कबूतरों का चौक से गंगाराम जी की गली	0.05
22.	महावती की गली मोती चौक	0.12
23.	डबगरी का कुआ से कटला बाजार	0.40
24.	दफ्तरियों का बास मोति चौक से त्रिपालिया	0.49
25.	ठठेरों की गली	0.11
26.	अचलनाथ जी के मंदिर की सम्पर्क सड़क	0.06
27.	सादोकी गली सम्पर्क सड़क	0.11
28.	साजती गेट से बाटा दुकान से नई सड़क	0.22
29.	चारभुजा से थलियों का बास	0.31
30.	चांदपोल चौका से चांदपोल दरमाजा	1·29
31.	डेरागढ़ से पटम्सर	0.40

क्र.सं.	सड़क का नाम	व्यय रु. लाखों में 1-3-1990 से 28-2-94
32.	सोनारो की गली से राधवल्लभ जी का मन्दिर	0.51
33.	जुनी धान मंडी से खेतरपाल चबूतरा मुन्शियों की हवेली कायस्थों की घटी नवचौकिया	2.97
34.	ओसवालों के न्याति नोहरे हटट्डियों का चौक वाया इसाकिया स्कूल मादियों की गली	1
35.	शहर की भीतरी विभिन्न सड़कों पर मेनहोल कवर लगाने का कार्य	0.13
		40.22

राज्य में चांदी तस्करी की रोकथाम

724. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में तस्करी की कुल कितनी चांदी कितनी राशि की पकड़ी गई है ?

(2) तस्करी की यह चांदी राज्य में कहां-कहां से लाई गई और इससे संबंधित कितने तस्करों को पकड़ा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान चांदी की तस्करी का मुख्य मार्ग एवं अड्डा बनता जा रहा है ? यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में तस्करी की कुल 9829 किलो 223 ग्राम चांदी पकड़ी गई, जिसकी कीमत 6 करोड़ 78 लाख 22 हजार, तीन सौ तिरानबें, (6,78,22,393.00) करोड़ रुपये हैं।

(2) राज्य में यह चांदी पाकिस्तान, दुबई तथा गुजरात राज्य से लाई जाना

(गृह मंत्री)

प्रकाश में आया है। इससे संबंधित 190 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

(3) चांदी की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस द्वारा गश्त व नाकाबन्दी करवायी जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बी. एस. एफ. कस्टम व पुलिस द्वारा सामुहिक नाकाबन्दी भी की जाती है। तस्करों के पकड़े जाने के पश्चात् इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी भी बढ़ाई जा रही है।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा व्यय की गई राशि

725. **श्री शम्भुदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग की ओर से वर्ष 1990 से अब तक किन-किन प्रवृत्तियों पर कितनी-कितनी धन राशि व्यय की गई ?

(2) क्या सामाजिक वानिकी रेंज केकड़ी को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 1990 से अब तक व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट-क के अनुसार रख दिया गया है।

(2) राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना का प्रथम चरण पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप अजमेर जिले की सामाजिक वानिकी रेन्ज केकड़ी को समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

262

परिशिष्ट—क

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक सामाजिक वानिकी वन मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न प्रवृत्तियों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रवृत्ति का विवरण	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल हैक्टयर में	रोपित पौधों की संख्या	स्थापना वर्ष	व्यय रुपयों में 89-90	90-91	91-92	92-93	93-94 फरवरी 94 तक	विशेष विवरण योग व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना	पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण	आलोलासिल्वी	15	3000	1990	22600	23000	14800	14800	10600	85300
			सदारा सिल्वी	10	2000	1990	21000	16400	9900	14800	10600	72700
			आलोलाईंधन	15	16500	1990	44700	57300	15300	14800	10600	142700
			सदारा ईमारती	15	16500	1990	37800	74500	37500	14800	10600	175200
			कादेड़ा ईंधन	15	16500	1990	12800	91800	14000	14800	10600	144000
			मीमड़ावास सिल्वी	15	3000	1991	—	47500	27500	17800	10600	103400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			मीमड़ावास ईंधन	15	16500	1993	—	77000	51800	29000	10600	168400
			कादेड़ा ईंधन	15	16500	1991	—	77000	63800	26300	10600	177700
			नापाखेड़ा ईंधन	15	16500	1992	—	—	74400	75600	21000	171000
			ग्रलाम्बू ईंधन	15	16500	1992	—	—	5700	142400	13300	161400
		वन भूमि, पर वृक्षारोपण	सुन्दरपुरा	50	55000	1990	135000	189000	47000	14800	10600	396400
2-		पंचायत भूमि पर सिल्वी पेस्ट्रोल वृक्षारोपण	जैतपुरा	30	6000	1990	52003	47033	29273	14993	16680	59982
3.	ईंधन एवं चारा योजना	वन भूमि पर वृक्षारोपण	वास्टा	50	55000	1991	—	149800	238800	64600	10600	463800
4-	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण	सूंपा	25	20000	1992	—	—	114385	73999	24954	213338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण	अरनियां	50	40000	1992	—	—	216428	202000	49394	467822
6-	पहाडी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण (आयोजना)	पहाडी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण	मोडी	50	20000	1993	—	—	—	92999	103449	196448
			योग	400	319500		325903	850333	960586	828491	334777	3300090

आयुक्त, परिवहन कार्यालय, जयपुर में पदस्थापित कर्मचारी

726. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुक्त, परिवहन कार्यालय, जयपुर में वर्तमान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों में नियुक्ति समय से किन-किन मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पदोन्नति/स्थानान्तरण के आदेशों की पालना नहीं कर जयपुर से बाहर जाने से इन्कार किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो एक ही सीट पर या सेक्शन में 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से वर्तमान में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था परिवहन विभाग के सेवा नियमों के तहत उचित है ? सूची नाम तथा सेवा नियमों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुक्त परिवहन कार्यालय, जयपुर में वर्तमान में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों में से नियुक्ति समय से आज तक किसी मंत्रालयिक कर्मचारी ने पदोन्नति/स्थानान्तरण जयपुर से बाहर होने पर जाने से इन्कार नहीं किया है।

(2) आयुक्त परिवहन कार्यालय, जयपुर में ऐसा कोई मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं है जो वर्तमान में 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही सीट या सेक्शन में कार्यरत हो।

(3) विभाग द्वारा एक ही सीट अथवा सैक्शन में लम्बी अवधि से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

जयपुर पोलिस्पिन लि. रींगस के श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समय किये गये कार्यों का भुगतान

727. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत पांच वर्षों में जयपुर पोलिस्पिन लि. रींगस में श्रमिकों से कब-कब ओवर टाईम करवाया गया, तथा कब-कब भुगतान किया गया ?

(2) क्या जयपुर पोलिस्पिन रींगस में राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्योहारों के अवकाशों पर भी ओवरटाइम करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं भुगतान कितना-कितना किया गया हैं ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह सही हैं कि राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस पर भी उक्त उद्योग में श्रमिकों से ओवर टाइम करवाया गया ? यदि हां, तो भुगतान कितना किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर पोलिस्पिन लि. रींगस में गत पांच वर्षों में किये गये ओवरटाइम व उसके भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न हैं।

(2) जी हां। राष्ट्रीय एवं धार्मिक त्यौहारों पर ओवर टाइम, संस्थान के लाइन प्रोसेस इण्डस्ट्री (Line Process Industry) होने के कारण तथा श्रमिकों की अधिक अनुपस्थिति की वजह से कराया गया है। भुगतान का विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर उक्त उद्योग में श्रमिकों से कराये गये ओवरटाइम के भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' में ही अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के ग्रामों हेतु सम्पर्क सड़कें

728. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी सन् 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी एक हजार से अधिक है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार 1981 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को भी मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में 1981 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक की आबादी वाले 43 ग्राम हैं (सूची संलग्न है)

(2) जी नहीं।

1981 की जनगणना के आधार पर 1000 से ऊपर की
आबादी वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव	जनसंख्या	क्र.सं.	गांव	जनसंख्या
1.	मोहवा	2226	23.	तलवाड़ा	1851
2.	खंडीप	4166	24.	शिवाला	1198
3.	मोना बडोदा	2367	25.	बगलाई	1164
4.	बजीरपुर	6614	26.	रायपुर	1216
5.	स्यारीली	2900	27.	बारोली	1459
6.	पीलोदा	4316	28.	बामन बड़ौदा	1226
7.	उदेईकला	5457	29.	मालपुरा	1049
8.	उदेई खुर्द	3233	30.	खेरली	1089
9.	रेवा	3220	31.	कुशावा	1348
10.	चूली	2351	32.	बिनेगा	1092
11.	महूकला	3973	33.	जोवली	1256
12.	खानपुर बड़ौदा	1945	34.	छावा	1235
13.	मिर्जापुर	2313	35.	बाढ़ सालोदा	1174
14.	एमीदपुर	1939	36.	बिदरका	1347
15.	नयागांव	2080	37.	अरनिया	1086
16.	नारायणपुर टटवाड़ा	2678	38.	हबीबपुर	1089
17.	मेरी	2326	39.	सलेमपुर	1076
18.	रेण्डायल गुर्जर	1845	40.	उमरी	1217
19.	फलवाड़ा	1913	41.	बुचोलाई	1154
20.	टोकसी	1565	42.	कुनकटाकला	1021
21.	खूंटला	1946	43.	रामगढ़ मुराड़ा	1112
22.	अमरगढ़	1505			

जिला भरतपुर में घटित विभिन्न अपराध

729. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1992 एवं 1993 में पुलिस थानों में कितनी हत्या, डकैती व चोरी की प्रथम रिपोर्ट दर्ज हुई ?

(2) उक्त सूचना पर दर्ज मुकदमात में से कितनों का चालान अदालतों में पेश किया जा चुका है और कितनों में पेश होना शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चोरी के दर्ज मुकदमात में कितनी धनराशि की बरामदगी हुई व कितनी की नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1992 एवं 1993 में हत्या, डकैती व चोरी के कुल 1719 अभियोग दर्ज हुए । वर्षवार एवं अपराधवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

	हत्या	डकैती	चोरी
वर्ष 1992	92	21	797
वर्ष 1993	85	8	716

(2) चाही गई सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(3) चाही गई सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

भरतपुर जिले में वर्ष 1992, 1993 में पुलिस थानों में हत्या, डकैती, चोरी के मुकदमों का निस्तारण —

वर्ष	दर्ज मुकदमें		चालान	अन्वेषणाधीन पुलिस
1992	हत्या	92	51	6
	डकैती	21	13	1
	चोरी	797	179	—
1993	हत्या	85	47	15
	डकैती	8	3	1
	चोरी	716	114	44

वर्ष 1992 में चोरी गई सम्पत्ति का विवरण

वर्ष	दर्ज अभियोग	चोरी की गई सम्पत्ति की कीमत	बरामद हुई	बरामद नहीं हुई
1992	797	4347127	3344900/-	10,02,227/-

वर्ष 1993 में चोरी गई सम्पत्ति का विवरण

वर्ष	दर्ज अभियोग	चोरी की गई सम्पत्ति का विवरण	बरामद हुई	बरामद नहीं हुई
1993	716	5572136	4201430	1370706

नावां तहसील के विद्युत कनेक्शन्स

730. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां सहायक अभियन्ता विद्युत (ग्रामीण) के उपखण्ड में कृषि कुओं पर कनेक्शन हेतु दिनांक 10-2-1994 तक कितने प्रार्थना पत्र लम्बित थे ? दिनांक सहित लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नावां तहसील में विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर नहीं देकर मनमाने तौर पर दिये गये ? यदि हां, तो 1983-84 के प्रार्थना पत्र लम्बित होने पर भो उसके बाद के प्रार्थना पत्रों पर कुओं के कनेक्शन दिये गये है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन किस आधार पर आवंटित किये जाते है, इस हेतु क्या-क्या प्राथमिकतायें तय है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नावां सहायक अभियन्ता (पवस) के उपखण्ड में कृषि कुओं पर कनेक्शन हेतु दिनांक 10-2-94 तक कुल 1261 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं। दिनांक सहित लम्बित प्रार्थना पत्रों की ग्रामवार संख्या सूची "**अ**" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नावां तहसील में विद्युत कनेक्शन मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति एवं नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ही दिये गये है। वर्ष 83-84 के बाद के जिन प्रार्थियों को कनेक्शन दिये गये हैं वे मण्डल द्वारा घोषित नीति के अनुरूप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्रामवार लम्बित पत्रावलियों के आधार पर आवंटित लक्ष्यों के अनुसार दिये गये हैं। प्राथमिकता को भंग करके कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(3) पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्रों के अनुपात व राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार लक्ष्यों का आवंटन एवं प्राथमिकताएं तय की जाती है।

272

सहायक अभियन्ता विद्युत (ग्रामीण) उपखण्ड नावां में 18-2-94 तक लम्बित कृषि कनेक्शनों की गाव वार संख्या सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधी
1	2	3	4
1.	मींडा	104	17-9-84 से 12-1-94
2.	ठिकरिया खुर्द	029	29-9-83 से 23-12-93
3.	देवलीकला	087	29-8-83 से 23-12-93
4.	माता सुखा	13	13-7-84 से 27-12-93
5.	बावड़ी	18	3-9-84 से 29-10-94
6.	शिम्भूपुरा	9	11-9-85 से 4-8-93
7.	घरवाणी	7	6-8-88 से 14-1-92
8.	चोसला	47	27-4-83 से 31-12-93
9.	कूणी	41	20-4-83 से 21-1-93
10.	मूण्डगसोई	33	24-12-83 से 7-9-93
11.	लोहराणा	4	13-6-85 से 10-7-89
12.	बांगणा	12	24-7-84 से 15-2-92
13.	डारों का बास	3	23-8-87 से 4-1-94
14.	मुवाणा	42	24-7-84 से 3-9-93
15.	राजलिया	51	25-7-84 से 28-1-94
16.	पुरोहित का बास	1	26-6-92
17.	वाटलिया	14	7-4-86 से 14-1-94
18.	पेवासा दलेलपुरा	36	22-3-86 से 17-2-94
19.	रघुनाथपुरा	17	14-1-87 से 4-6-93
20.	खानखडकी	4	24-9-86 से 25-4-89
21.	नावां	44	11-5-82 से 27-1-94

1	2	3	4
22.	मारोठ	53	11-4-84 से 18-5-93
23.	पचोता	50	19-4-84 से 6-8-93
24.	भगवानपुरा	17	1-10-85 से 29-1-92
25.	पदमपुरा सरगोठ	49	28-8-84 से 22-11-93
26.	उलाणा	1	1-10-93
27.	मीठड़ी	46	18-8-83 से 15-2-94
28.	खराड़िया	10	3-1-84 से 8-12-93
29.	कासेड़ा	8	16-10-86 से 13-2-94
30.	मागलोरी	21	24-8-87 से 8-9-93
31.	उडाणा	25	24-9-83 से 20-10-93
32.	लीचाणा	37	25-5-86 से 3-2-94
33.	गोगोर	24	23-5-85 से 12-1-94
34,	गुढासाल	24	12-12-83 से 7-5-92
35.	देवला	23	14-12-83 से 15-1-94
36.	बीजापुर	4	17-5-88 से 5-11-93
37.	सिरसी	32	15-3-88 से 26-10-92
38.	महाराजपुर	17	29-7-85 से 5-7-93
39.	रावतगढ़	13	25-8-82 से 5-1-94
40.	अजीतपुरा	7	28-2-85 से 20-1-93
41.	आबास	14	2-11-84 से 4-8-92
42.	लूणवा	26	15-11-84 से 21-1-94
43.	सोलावा	1	9-4-90 से
44.	बरसव	11	8-2-83 से 4-5-92
45.	भूणी	29	17-1-84 से 23-3-92
46.	देपुर	7	17-10-87 से 15-4-92
47.	खुशिया	13	21-4-84 से 31-10-92

1	2	3	4
48.	राजास	11	27-4-87 से 26-1-93
49.	गोबिन्दी	11	31-3-82 से 12-10-94
50.	जीणवार	11	17-3-86 से 27-4-92
51.	श्यामगढ़	15	26-9-86 से 10-6-93
52.	ग्वारिया	8	30-12-82 से 18-7-89
53.	ठिकरियाकला	5	5-10-83 से 25-9-89
54.	पिपराली	10	29-10-83 से 23-2-89
55.	बोलाहिया	4	27-12-83 से 12-8-91
56.	अभयपुरा	2	20-1-94
57.	नृसिंहपुरा	2	16-11-88 से 30-12-91
58.	काठिया	1	25-4-92
59.	धूतने की ढाणी	3	22-1-85 से 27-7-88
	कुल योग	1261	

पंचायत समिति महुवा के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

731 श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति महुवा में किस-किस पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये नहीं हैं ? क्या सरकार इनको सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति महुवा में कुल 41 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 33 पंचायत मुख्यालय किसी न किसी प्रकार की सडक से जुड़े हुए हैं। योजना के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय नाहेड़ा को सडक से जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। जो पंचायत मुख्यालय सडक से जुड़े हुए नहीं हैं उनके नाम निम्न प्रकार है :—

नारंगवाड़ा, टीकरी, खेड़ला, गढ़ाली, बनावड, केसरा, कमालपुरा, पाली। प्राथमिकता के मापदण्ड में न आने के कारण उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सडक से जोडना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम पंचायत मुख्यालय पाली को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

भेड़ निकासी सम्बन्धी नियम

732. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने रेबारियों को जो अपनी भेडों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के जंगलों में चराने ले जाते हैं उस सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हैं?

(2) क्या इनके निकासी हेतु मार्गों का निर्धारण कर रखा है? यदि हां, तो निकासी के समय रास्ते में काश्तकारों की जो फसलें भेडों द्वारा नष्ट कर दी जाती है उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई व्यवस्था की जाती है?

(3) क्या यह सही है कि निकासी के समय कई जगह ग्रामवासियों एवं रेबारियों के बीच मारपीट हो जाती है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा इनकी निकासी हेतु मार्गों का निर्धारण किया हुआ है। भेडपालक परम्परागत जिन मार्गों से गुजरते आये हैं, आज भी उन्हीं मार्गों से गुजरते हैं। भेडपालक अधिकतर उन मार्गों से गुजरते हैं जिनके मध्य काश्तकारों की फसल आदि न हो। पशुपालन विभाग द्वारा निष्क्रमण मार्गों पर विभिन्न जिलों में 41 स्थाई भेड निष्क्रमण चौकियां स्थापित कर कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। इन कर्मचारियों द्वारा निष्क्रमण के समय भेडपालकों को मार्गदर्शन कराते हैं कि वे अपनी भेडों को काश्तकारों की फसलों से दूर होकर ले जायें और नुकसान आदि नहीं होने दें। एक ही स्थान पर भेडों का अधिक जमाव नहीं हो, इसके लिये निष्क्रमण पर आने वाली भेडों की जिलेवार संख्या निर्धारित की जाती है। अधिक संख्या में भेडें आने पर कर्मचारियों द्वारा इन्हें अन्यत्र स्थान के लिये अग्रेसित कर दिया जाता है। चौकियों पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा इनके स्वास्थ्य रक्षा हेतु उपचार एवं टीकाकरण आदि कार्य भी किया जाता है।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। कई स्थानों पर इन भेड़ों के आने पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जाता है और कभी कभी मारपीट, झगड़े आदि भी हो जाते हैं। इसके लिये निष्क्रमण पर भेड़ों के आने से पूर्व ही विभागीय स्तर के अलावा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में भी बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं वन विभाग के अधिकारी भाग लेते हैं। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने पर विचार विमर्श किया जाता है ताकि कोई झगड़ा आदि न हो। इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकियां एवं वायरलैस सेट्स लगाये जाते हैं, इस कार्य में पुलिस एवं जिला प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हैं।

मारपीट व अन्य जुर्म के अपराधों के घटित होने पर विधिवत् अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

कृषि कनेक्शन्स देने की नीति

733. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सामान्य वर्ग के मार्च 1982 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मार्च 1985 तक के सभी विचाराधीन आवेदन पत्रों को कृषि कनेक्शन देने की नीति निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो क्या सभी को उक्त कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 1990-91 की नीति के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के मार्च 82 तक एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मार्च 85 तक प्राप्त कृषि आवेदन पत्रों को कृषि कनेक्शन दिये जाना था किन्तु तकनीकी असाध्यता, न्यायालय में विचाराधीन मामले अथवा उपभोक्ता द्वारा कुओं पर फिटिंग आदि नहीं कर पाने के कारण ऐसे सभी विचाराधीन आवेदकों को कनेक्शन नहीं दिये जा सके। वर्ष 1990-91 के बाद कुल बकाया प्रार्थना पत्रों के अनुपात में कनेक्शन देने की नीति जारी है।

विधान सभा क्षेत्र लसाडिया के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण

734. **श्री नारायण लाल** (लसाडिया) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कें 1. सलूम्बर से बेड़ाबल 2. पारसोला से लोहगढ़ 3. लसाड़िया से करावली 4. कूण से पाणोद रायपुर सड़कों को पूर्ण कर डामरीकरण

(श्री नारायण लाल)

कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । वर्णित सडकें योजनान्तर्गत प्राथमिकता में नहीं आने से पूर्ण कर डामरीकरण करना विचाराधीन नहीं है ।

थाना बस्सी, चाकसू एवं शिवदासपुरा में दर्ज प्रकरण

735. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या पिछले एक वर्ष में थाना बस्सी, चाकसू एवं शिवदासपुरा में चोरी, लूट, डकैती व कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो दर्ज मुकदमों का पृथक-पृथक विवरण ग्राम वार सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त घटनाओं में गांव वालों ने अपने स्तर पर कितना माल बरामद किया, कौन-कौन से मुकदमों में पुलिस को सफलता मिली तथा जिनमें सफलता नहीं मिली, उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । पिछले एक वर्ष में थाना बस्सी, चाकसू, शिवदासपुरा में चोरी, लूट, डकैती एवं कत्ल के दर्ज अभियोगों का ग्रामवार विवरण (परिशिष्ट "अ") साथ संलग्न है ।

(2) उक्त घटनाओं में गांव वालों ने अपने स्तर पर कोई भी माल बरामद नहीं किया है । जिन मुकदमों में पुलिस ने सफलता हासिल की, उसकी सूचना (परिशिष्ट "अ" में) साथ संलग्न है । जिन अभियोगों में सफलता नहीं मिली है उनमें माल व मुलजिमान की तलाश जारी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सीकर नगर परिषद क्षेत्र की विभिन्न कालोनीज को विद्युत वितरण

736. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला सीकर के ग्राम बेरी कुडली, मादवासी एवं गोकुलपुरा में विद्युत सप्लाई को समुचित करने के उद्देश्य से सब स्टेशन के निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशनों के निर्माण की कार्यवाही कब तक चालू कर दी जायेगी ?

(2) सीकर नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले गोकुलपुरा चुंगी चौकी, पिरालो रोड चरण सिंह कालोनी, पुरोहित जी की ढाणी आदि को शहरी विद्युत सप्लाई से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला सीकर के ग्राम बेरी एवं गोकुलपुरा में 33 के. वी. सब स्टेशन की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप 33 के. वी. कार्यक्रम में इसके सम्मिलित होने के पश्चात ही इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। ग्राम कुडली में 33 के. वी. सब-स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। इनका निर्माण तकनीकी स्वीकृति एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप 33 के.वी. कार्यक्रम में इन्हें सम्मिलित किये जाने पर निर्भर करेगा। कुडली में 33 के. वी. सब-स्टेशन की तकनीकी स्वीकृति मिल जाती है तो इसके निर्माण होने के पश्चात मादवासी ग्राम में 33 के. वी. सब-स्टेशन के निर्माण की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(2) कुडली 43 के. वी. सब-स्टेशन के निर्माण होने के पश्चात इन्हें शहरी विद्युत सप्लाई से जोड़ने के प्रयास किये जा सकेंगे।

भिवाडी से करोली राजमार्ग

737. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) एवं **श्री हरीसिंह** (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या भिवाडी से करोली राजमार्ग की दूरी 236 कि.मी. है ? क्या इस मार्ग पर सडक बनाने का ठेका सिमको कम्पनी को दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस ठेके को 6 उप ठेकों में नियम के विरुद्ध कम दर पर दे दिया गया है, जिसमें सिमको कम्पनी को बिना किसी काम के 17 50 करोड़ रुपये का लाभ हो गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिमको कम्पनी द्वारा ठेके की कीमत पर 15 प्रतिशत एसकलेशन राशि अधिक चाही गई, जिससे 12 करोड़ की अप्रतिम्बित आय बिना किसी कार्य के होगी ?

(4) मिट्टी, मोर्हम व गिट्टी प्रति घन मीटर की क्या दर इस कम्पनी को दी जा रही है व पी. डब्ल्यू. डी की सामान्य निर्धारित दरें क्या है ?

(5) जंगल की सफाई की राज्य सरकार की क्या दर है व इस कम्पनी को क्या दर दी जा रही है ? क्या इस मार्ग पर कुछ पेड़ों को छोड़कर अच्छे जंगल भी हैं ?

(6) मशीने खरीदने के नाम पर कम्पनी को कितने रुपये का भुगतान किया

(श्री रामचन्द्र रावत)

गया है ? क्या सरकार वास्तव में सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदारों से काम करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भिवाड़ी से अलवर-करौली-मण्डरायल सड़क की स्वीकृत दूरी 235 कि.मी. है एवं मार्ग पर सड़क को चौड़ा करना सुदृढीकरण पुनः निर्माण हेतु मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, देहली को कार्य दिया गया है ।

(2) निर्माण कार्य सिमको कम्पनी द्वारा कराया जा रहा है एवं जहां तक कम्पनी को लाभ का प्रश्न है सरकार द्वारा कम्पनी के लेखे जोखे का निरीक्षण करने का अनुबन्ध में प्रावधान नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) मिट्टी, मोहम व गिट्टी की केवल प्रतिघन मीटर की दर अनुबन्ध में उपलब्ध नहीं है किन्तु इन सभी आईटम के पूरे कार्य की दरें अनुबन्ध में शामिल है जैसे कम्पैक्शन, बिछाई, पानी डालकर कुटाई (वाईब्रेटी रोलट से) इत्यादि । अतः वांछित दरें प्रस्तुत करना संभव नहीं है ।

(5) सन् 1991 की बी. एस. आर. के अनुसार जंगल सफाई की सामान्य दर 0.35 रु. प्रति वर्ग मीटर है। कम्पनी के साथ जो अनुबन्ध किया हुआ है, उसमें जंगल सफाई की सामान्य दर उपलब्ध नहीं है । इस अनुबन्ध में जो दर शामिल है, उसमें क्लीयरिंग व ग्रेबिंग के लिये जमीन को साफ करना, 15 से.मी. गहराई तक प्लाविंग करना, कम्पेक्शन करना, 30 से.मी. गर्थ तक के पेड़ों को काटना इत्यादि सम्पूर्ण आईटम की दर 2.82 प्रतिवर्ग मीटर है।

(6) कम्पनी को मशीने खरीदने हेतु रु. 3,71,30,000/- की अग्रिम राशि 14% वार्षिक ब्याज पर दी गई । इसके विरूद्ध कम्पनी द्वारा विभाग को बैंक गारंटी प्रस्तुत की हुई है। सरकार द्वारा ठेकेदार से नियमित रूप से काम करवाया जा रहा है ।

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की 132 के. वी. फीडर

738. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. फीडर का स्थापन कार्य कब किया गया ?

(2) क्या इस 132 के. वी. फीडर से पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के सभी

(श्री ज़ुबेर खान)

ग्रामों को बिजली की सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो कितने ऐसे ग्राम हैं जिनको इस फीडर से विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन बचे हुए ग्रामों को विद्युत सप्लाई भी इसी फीडर से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लक्ष्मगढ़ जिला अलवर में 132 के. वी. जी. एस. एस. की स्थापना दिनांक 23-8-93 को कर, विद्युत प्रवाह की जा रही है।

(2) जी नहीं। उक्त पंचायत समिति के 76 ग्रामों को विद्युत आपूर्ति 132 के के. वी.जी.एस.एस. नगर से की जा रही है। इसकी सूची प्रपत्र 'अ' में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र—"अ"

132 के. वी. जी. एस. एस. नगर से विद्युत आपूर्ति किये जाने वाले ग्रामों की सूची

क. सं.	गांव का नाम	क.सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	इम्लाली	6.	निजामनगर
2.	पीपलखेड़ा	7.	जयसिंहपुरा
3.	मेहलवपुर	8.	मस्तपुर
4.	मयाडी	9.	असाखा
5.	खोपुररी	10.	फाहरी

281

1	2	1	2
11.	खरसनकी	36.	गोविन्दपुरा
12.	बिदूका	37.	सीरमोर
13.	पलानखेडा	38.	बरवाडा
14.	क्चरोटी	39.	चिडबाडी
15.	टिकरी	40.	मालपुर
16.	छतरपुर	41.	सहजपुर
17.	इटका	42.	जहानपुर
18.	मारकपुर	43.	हसनपुर
19.	बारोली	44.	तिलवाडा
20.	चमरवाडा	45.	ईदपुरा
21.	न्याणा	46.	खानपुरखुर्द
22.	ग्रलधना	47.	मुडपुरीखुर्द
23.	ग्रगराका	48.	तालडा
24.	सकीपुर	49.	सैमलीदिलावर
25.	कैमासा	50.	बन्थेडी
26.	पोगसेडी	51.	मजेडी
27.	सैदमपुर	52.	भैंसडावत
28.	गंडीका	53.	मगरेडा
29.	खेडामेहमुदपुर	54.	बडवाडा
30.	खेडलीबहादुर	55.	सैमलाखुर्द
31.	सहापुर	56.	दौगडी
32.	हरसोली	57.	बुलाहेडी
33.	मूडपुरीकलां	58.	बडोदामेव
34.	सिंगराका	59.	डाबरी
35.	नसवारी	60.	बासडूगरी

1	2	1	2
61.	सायपुर	69.	विदरका
62.	पाखर	70.	गोठरा
63.	जैतपुर	71.	नाग्नोलकलां
64.	भीखाहेड़ी	72.	झालाटाला
65.	पेंहुडावती	73.	नारनोलखुर्द
66.	ग्रमरपुर	74.	सुनारी
67.	खेडामंगलसिंह	75.	सेहरा
68	ग्रन्तावाडा	76.	कालीपहाड़ी

बागीदौरा से ग्रानन्दपुरी सड़क मार्ग

739. श्री पूंजालाल (बागीड़ोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बागीदौरा से ग्रान्नदपुरी सड़क मार्ग पर ग्रनास नदी का पुल बना हुग्रा है ? तथा गांव थापड़ा की ग्रोर पुल के छोर पर गम्भीर मोड़ है एवं घाटी पर चढ़ाव में भी गम्भीर एवं भयावह मोड़ है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ही मोड़ पर दुर्घटनाएं हुई हैं ?

(3) क्या दुर्घटनाग्रों से बचाव के लिए सरकार कुछ सुधारात्मक उपाय करना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मूसलाधार वर्षा व लगातार 24 घण्टे से ग्रधिक समय तक वर्षा होने पर इस पुल पर पानी चढ़ जाता है ग्रौर उसके ऊपर ग्राठ, दस फीट पानी हो जाता है ? क्या सरकार का विचार उक्त पुल को ऊंचा करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

(5) क्या जल विद्युत गृह नं. 2 लीलवानी के पास ग्रनास नदी पर पुल बनाकर सरकार पंचायत समिति बागीदौरा के ग्रनास पार क्षेत्र को सीधे बागीदौरा

(श्री पूंजालाल)

तहसील मुख्यालय व सज्जनगढ़, पंचायत समिति से जोड़ना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बागीदौरा से आनंदपुरी सड़क मार्ग पर अनास नदी पर छापड़ा पुल बना हुआ है। घाट वाले बाग में विकट मोड़ है एवं घाटी के चढ़ाव में भी गंभीर मोड़ है।

(2) इस घाटी के चढ़ाव वाले भाग में गंभीर मोड़ की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस घाटी के उपरोक्त मोड़ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना विभाग को नहीं है।

(3) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बाढ़क्षतिग्रस्त कार्यों के अन्तर्गत गाइड पिलर एवं रिटेनिंग वाल बनी हुई है। जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है उसे जून, 94 तक सुधार दिया जायेगा। सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष में उपरोक्त घाट के नवीनीकरण एवं सुधार कार्य की कोई योजना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां, यह सही है कि अतिवृष्टि के समय पुल पर से पानी गुजरता है। उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये यह निर्माण किया गया है। यह सबमर्सिबल ब्रिज है उपरोक्त पुल को ऊंचा करना तकनीकी दृष्टि से भी संभव नहीं है क्योंकि यह सबमर्सिबल पुल है तथा इसकी अभी प्राथमिकता भी नहीं है।

(5) नव विद्युत गृह नं. 2 लीलवानी के पास अनास नदी पर किसी भी प्रकार के पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बड़ौदा से टोंकवासा (आसपुर) सड़क

740. **श्री भीमराज मीणा** (आसपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बड़ौदा से टोंकवासा (आसपुर) सड़क निर्माण कार्य हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रेवलिंग कार्य के बजाय मिट्टी का कार्य किया गया व विभाग द्वारा ग्रेवलिंग ट्रान्सपोर्टेशन की राशि का ठेकेदार को भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय

(श्री भीमराज मीणा)

लोगों द्वारा इस सम्बन्ध की शिकायत अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को करने के उपरान्त भी कोई भ कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करा कर उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बडौदा टोंकवासा सड़क के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1993-94 में 5.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति 7-4-93 को जारी की गई थी।

(2) जी नहीं। ठेकेदार को ग्रेवल के ट्रांसपोर्टेशन की राशि का भुगतान उसके द्वारा ग्रेवल का ट्रांसपोर्टेशन करने पर किया गया।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत अधिशाषी अभियन्ता अथवा सहायक अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई।

(4) कार्य अनुबन्ध के अनुसार कराये जाने के कारण जांच करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

तीर्थ स्थानों को सड़कों से जोड़ना

741. श्री हरिनारायण (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग में ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा तीर्थ स्थानों को सड़क से जोडने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्रों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों तथा तीर्थस्थानों की सूची बनाकर योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि हां, तो जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा तीर्थ स्थान सिवाड को जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

(3) अन्य तीर्थ स्थान कवाल जी, रामेश्वरजी को जोड़ने की भी कोई योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में केवल ऐसे पंचायत मुख्यालय वाले गांव जिसकी आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक है

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। ऐसी योजना बनाली गई है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विख्यात धार्मिक स्थलों को भी सड़क से जोड़ने की योजना है।

(2) शिवाड़ ग्राम जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से वर्तमान में सड़क से जुड़ा हुआ है।

(3) रामेश्वरघाट सड़क की लम्बाई सवाई माधोपुर खण्डार सड़क से 18 कि. मी. है जिसमें 14 कि. मी. डामर है। माह जून 94 तक अतिरिक्त 1 कि.मी. डामर सड़क पूर्ण हो जावेगी। शेष 3 कि.मी. में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण स्वीकृति है तथा इसमें से 2 कि.मी. ग्रेवल सड़क पूर्ण हो गई है। शेष 1 कि.मी ग्रेवल सड़क माह जून 94 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 का संलग्नक)

प्रपत्र "क"

श्री गंगानगर जिले में वर्तमान में अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	अपूर्ण कार्य का विवरण	कार्य अपूर्ण रहने के कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	सम्पर्क सड़क 10 जेड	इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.5.91 को रु. 4.5 लाख की 1 कि.मी. लम्बाई के लिये की गई थी । ½ कि.मी. की लम्बाई में डामर का कार्य व आधा कि.मी. में गिट्टी कुटाई का कार्य कर दिया गया है । आधा कि.मी. दूरी में डामर का कार्य शेष है ।	न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत कार्य बन्द है ।	न्यायालय के स्थगन आदेश के निरस्त होते ही कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

1	2	3	4	5
2.	सम्पर्क सड़क 22 के. एस. डी.	इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.5.91 को एक कि.मी. लम्बाई के लिये की गई थी। आधा कि.मी. दूरी में गिट्टी का दो लेयर की व आधा कि.मी. दूरी में सिर्फ एक लेयर की गिट्टी कुटाई का कार्य किया गया। आधा कि.मी. में गिट्टी की एक लेयर व 1 कि.मी. में डामर का कार्य करना शेष है।	ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा बन्द कर देने के कारण।	अनुबन्ध के तहत ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर पुनः निविदायें आमंत्रित कर कार्यपूर्ण करना प्रस्तावित है।
3.	मादरा से राजगढ़ सड़क के मिसिंग लिंक किमी. 17/0 से 22/0 तक	इस कार्य को वित्तीय स्वीकृति दिनांक 8.6.92 को 5 किमी. लम्बाई में सड़क निर्माण के लिये की गई थी। 5 किमी. में मिट्टी का कार्य पूर्ण कर 2.00 कि.मी में गिट्टी एकत्रित करने का कार्य कर दिया गया है। 5 कि.मी. में गिट्टी कुटाई का व डामर का कार्य करना शेष है।	ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण ही बन्द कर देने के कारण	अनुबन्ध के तहत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर निविदायें आमंत्रित कर कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5
4.	सम्पर्क सड़क मुन्शरी से हरियाणा सीमा तक	इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21.1.92 को 3.00 किमी. लम्बाई में सड़क निर्माण के लिये की गई थी। 2.5 किमी. लम्बाई में गिट्टी की कुटाई का कार्य कर दिया गया है। तथा आधा कि.मी. दूरी में गिट्टी का कार्य व 3 कि.मी में डामर का कार्य करना शेष है।	ठेकेदारों द्वारा कार्य अपूर्ण व बीच में ही बन्द कर देने के कारण से	अनुबन्ध के तहत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर व पुनः निविदायें आमन्त्रित कर कार्य को पूर्ण करना प्रस्तावित है।
5.	नोहर से ऐलनाबाद (राज्य सीमा तक) सम्पर्क सड़क।	इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 15.4.89 को 12 किमी. लम्बाई में सड़क निर्माण के लिये की गई थी। वर्तमान में 11.2 किमी. दूरी में डामर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। व 800 मीटर दूरी में पूर्ण सड़क का निर्माण शेष है।	न्यायालय के स्थगन आदेश के तहत कार्य बन्द है।	स्थगन आदेश निरस्त होते ही कार्य को पूर्ण करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट--5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1086 की सूची)

पंचायत मुख्यालय जो डामर की सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं की सूची

विधान सभा क्षेत्र—बिलाड़ा

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या 1971	जनसंख्या 1981	वर्तमान स्थिति	डामर सड़क जिससे जोड़ना प्रस्तावित है।	सड़क की लम्बाई कि.मी. में	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जेतीवास	529	1277	ग्रेवल सड़क	बिलाड़ा जेतीवास सड़क	7	24.50	
2.	रावणियाना	1324	1748	ग्रेवल सड़क	खेजड़ला (बिलाड़ा खेजडला सड़क)	6	21.00	
3.	मेलावास	743	1178	ग्रेवल सड़क	दांतीवाड़ा से मेड़ता-सिटी सड़क	2	7.00	
4.	विजबाड़िया	819	1323	ग्रेवल सड़क	खारिया (ब्यावर-वर बिलाड़ा जोधपुर सड़क)	4	15.00	
5.	पटेलनगर	....	2258	ग्रेवल सड़क	हरियाढाणा से पटेल नगर	8	28.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	खेड़ी सालवा	1466	1944	ग्रेवल सड़क	बनाड़ ग्रासोप सड़क	8	21.00	
7.	वाड़ा कलां	822	1017	मेटल सड़क	दांतीवाड़ा मेड़तासिटी सड़क	6	12.00	
							128.50	

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 का विवरण)

प्रपत्र 'अ'

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	तहसील	स्वीकृत लम्बाई किमी	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	कार्य पूर्ण/अधूरा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1988-89	शून्य					
2.	1989-90	शक्करपुरा जामोली	जहाजपुर	4	8.00	एफ.2(37) पीडब्ल्यू: ए.एस/दिनांक 22-8-89	कार्य पूर्ण
3.	"	बिहाडा से अजमेर (जिला सीमा सड़क)	"	5	10.00	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	1989-90	जामोली से रोपां तक	जहाजपुर	6	6.00	एफ.2/37/पी.डब्ल्य.,ए.एस/ दि.22-1-90	कार्य अपूर्ण
5.		भोपालपुरा से टिटोडी	"	5	5.00	"	केवल 100 मीटर को छोड़कर कार्य पूर्ण
6.	"	सरसिया चारण संपर्क सड़क	"	3	3.00	"	कार्य अपूर्ण

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1089 की तालिका)

उपखण्डों में विभिन्न सड़कों पर मिश्रण सामग्री की आपूर्ति

परिशिष्ट—'ब'

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम		मिश्रण सामग्री की मात्रा मैट्रिक टन	ग्रिट की मात्रा घ.मी.	डामर की मात्रा मै. टन	विवरण
1	2		3	4	5	6
1.	भोपालगढ़	वर्ष 1992-93	शून्य	शून्य	शून्य	
2.	बिलाड़ा	वर्ष 1992-93	"	"	"	

1	2		3	4	5	6
3.	भोपालगढ़	वर्ष 1993-94	193.90	101.95	7.756	
4.	बिलाड़ा		49.30	27.0	1.970	
		कुल मात्रा	243.20	128.95	9 726	

भोपालगढ़ उपखण्ड में विभिन्न सड़कों पर मिश्रण सामग्री की आपूर्ति वर्ष 1993-94

क.सं. 1	सड़कों का नाम 2	मिश्रण सामग्री की मात्रा मै. टन 3	मिट्टी की मात्रा घन मी. 4	डामर की मात्रा मै. टन 5	विवरण 6
1.	भोपालगढ़ से पालड़ी	18.20	9.57	0.728	
2.	कजनऊ से गोटन	49.15	25.85	1.966	
3.	वनाड़ से ग्रामोप	24.60	12.93	0.984	
4.	कड़वासरों की ढाणी से खिण्डकोर	8.70	4.57	0.348	

1	2	3	4	5	6
5.	पीपाड़ सिटी से मोपालगढ़ वाया खांगटा कि.मी. 27/0 से 41/0	16.20	8.52	0.648	
6.	आसोप से बोरुंदा	18.95	9.96	0.758	
7.	दांतीवाड़ा से मेड़तासिटी	16.60	8.73	0.664	
8.	पीपाड़ सिटी से मोपालगढ़ वाया खांगटा कि.मी. 0/0 से 27/0	41.50	21.82	1.660	
	कुल मात्रा	193.90	101.95	7.756	

बिलाड़ा उपखण्ड में विभिन्न सड़कों पर मिश्रण सामग्री की आपूर्ति वर्ष 1993-94

क्र.सं.	सड़कों के नाम	मिश्रण सामग्री की मात्रा मै.टन	मिट्टी की मात्रा घन.मी	डामर की मात्रा मै.टन	विवरण
1.	दातीवाड़ा-मेड़तासिटी सड़क कि.मी. 0/0 से 26/0	18.36	10.0	0.734	
2.	पीपाड़ सिटी से बोरुंदा वाया खेजड़ला सड़क कि.मी. 17/0से 24/0	10.76	6.0	0.430	
3.	बरविलाड़ा जोधपुर सड़क कि.मी. 36/0 से 37/0	20.260	11.0	0.810	
		49.30	27.0	1.970	

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 का विवरण)

प्रपत्र 'क'

दौसा सिकरिका रोड बाणगंगा ब्रिज अप्रोच रोड के निर्माण हेतु ग्राम बापी के काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि का विवरण

क्र. सं.	काश्तकार का नाम	खसरा नं.	अवाप्त की गई भूमि का विवरण
1	2	3	4
1.	भोरीलाल/जोहरीलाल, प्रभुनारायण पिता नाथूलाल	531,532	95 एअर
2.	हरीकिशन, सत्यनारायण पिता नाथूलाल	333,335, 337,339	20 ,,
3.	रामकिशोर पिता छाजूलाल	531,529	95 ,,
4.	श्रीमती कौशल्या बेवा रामकिशोर	330	02 ,,
5.	मुरलीधर, मुरारीलाल, शम्भूदयाल पिता बदरीनारायण	559,560 588	13 ,,
6.	कोशल्या बेवा रामकिशोर	265,557 558,590	55 ,,
7.	रमेश, मूरली पिता रामकिशोर	265,557 558,590	55 ,,
8.	रमेश, मूरली पिता रामकिशोर	338	02 ,,
9.	गिर्राज, रघुनन्दन पिता रामकिशोर	265,257 558,569	55 ,,
10.	—डूब—	338	02 ,,

1	2	3	4
11.	कैलाश नारायण, कन्हैयालाल पिता प्रहलाद नारायण	338	02 एअर
12.	—हूब—	265,557 558,590	55 „
13.	सूरजचन्द, शिवचन्द पिता ब्रजमोहन	338	02 „
14.	—हूब—	265,557 558,590	55 „
15.	बदरी नारायण पुत्र जगन्नाथ व्यवस्थापक मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायणजी	330,331 336	59 „
16.	भगवान सहाय पुत्र श्योसहाय	531,532	95 „
17.	शम्भू पुत्र मांग्या	531,532	95 „
18.	बिहारी पुत्र गणपत	531,532	95 „
19.	सीताराम, रामेश्वर पिता श्रवण	531,532	1.90 „
20.	घासीलाल, मीठालाल पिता श्रीनारायण	531,532	95 „
21.	कोशल्या बेवा रामकिशोर	531,532	1.90 „
22.	रमेश, मुरली पिता रामकिशोर	531,532	1.90 „
23.	गिर्राज, रघुनन्दन पिता रामकिशोर	531,532	1.90 „
24.	सूरजमल, शिवसिंह पिता ब्रजमोहन	531,532	1.90 „
25.	कैलाश नारायण, कन्हैयालाल पिता प्रहलाद नारायण	531,532	1.90 „
26.	मोरीलाल, जोहरीलाल	531,532	1.90 „
27.	हरीकिशन, सत्यनारायण पिता नाथूलाल	531,532	1.90 „

1	2	3	4
28.	राधेश्याम, रतिराम	531,532	95 ,,
29.	किशन, मंगलचन्द पिता गणेश	531,532	95 ,,
30.	कल्याण सहाय, भगवान सहाय पिता जयनारायण	561	20 ,,
31.	रामचन्द्र सिह पुत्र नोकसिह	562,563,564	19 ,,
32.	रामप्रताप, लक्ष्मीनारायण	591	11 ,,
33.	मंगलचन्द पुत्र गणेश	593	10 ,,
34.	मुरारीलाल, शम्भूदयाल, मुरलीधर पिता बदरी	262,263, 270,275	20 ,,
35.	बिहारीलाल पुत्र गणपत	262,263, 270'275	20 ,,
36.	घासीलाल, भूं थोलाल पिता श्री नारायण	262,263, 270,275	20 ,,
37.	सीताराम रामेश्वर पिता श्रवण	262,263, 270,275	20 ,,
38.	बिहारीलाल, गणपत	266,303	27 ,,
39.	श्रोमप्रकाश पुत्र बदरीनारायण	267	18 ,,
40.	कजोड पुत्र भगवान सहाय	303,534	37 ,,
41.	मोरीलाल पुत्र नाथूलाल	333,335, 337,339	20 ,,
42.	जोहरीलाल प्रभुनारायण पिता नाथूलाल	3433,3435,337	20 ,,
43.	सत्यनारायण, हरीकिशन पिता नाथूलाल	333,335, 337,339	40 ,,

1	2	3	4
44.	राधेश्याम, पुत्र रतिराम	333,335, 337,339	20 एअर
45.	रामविलास पुत्र रतिराम	333,335, 337,339	20 ,,
46.	झूथा पुत्र श्रीनारायण	305,307	12 ,,
47.	घासी पुत्र श्रीनारायण	308	23 ,,
48.	मूलचन्द वि. मू. श्योसहाय	323,329	03 ,,
49.	रामप्रताप लक्ष्मीनारायण	531,532	95 ,,
50.	मुरलीधर, मुरारीलाल, शम्भूदयाल पिता बदरी नारायण	531,532	95 ,,
			32.70

सम्पर्क सड़क के एलाइनमेन्ट तब्दीली करने पर सेक्शन 10 पैरा 95 शिड्यूल ऑफ पावर के अन्तर्गत बाण गंगा नदी पर पुल हेतु बनाये गये लिंक रोड के लिये ग्राम बापी के किसानों की भमि आपसी सहमती के अनुसार अवाप्त की गई भूमि का विवरण

प्रपत्र "ख"

क. सं	काश्तकार का नाम	खसरा नं.	अवाप्त भूमि का विवरण		भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशासक ग्राम पंचायत बापी	295	02	ऐअर	800.00
2.	कन्हैयालाल पिता प्रहलादनारायण बापी	550	07	,,	1400.00
3.	शम्भू दयाल पिता भगवानसहाय	547	06	,,	2400.00
4.	—डू—	542	18	,,	4000,00
5.	शिवचन्द पिता ब्रजमोहन	550	07	,,	1400.00
6.	—डू—	548	02	,,	214.00
7.	कजोड़ पिता भगवान सहाय	298	02	,,	1280.00
8.	—डू—	298	फसल मुआवजा		400.00
9.	बदरीनारायण पिता जगन्नाथ	332	04	ऐअर	853.00
10.	घासी लाल मार्फत भूथाराम पिता नारायण	531	01	,,	400.00

1	2	3	4	5
11.	झूथा पिता नारायण	543	06 ,,	2400.00
12.	शिवचन्द पिता ब्रजमोहन	552	11 ,,	2200.00
13.	कन्हैयालाल पिता प्रहलादनारायण	552	11 ,,	2200.00
		कुल योग	77 ऐअर	19947.00

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 की प्रति)

कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर

क्र. प-(13) अरेंजज/अप/वि.जा./8/505 दिनांक 27-1-94

ज्ञापन

श्री नवलकिशोर, उ.नि. (राज्य कर्मचारी का नाम व पद) को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उसके विरूद्ध सरौनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व पुर्नविचार) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन एक जांच प्रस्तावित की गई है, उनको सलंग्न दोषारोपण विवरण पत्र में दिया गया है और उनके आधार पर बनाये गये आरोपों का आरोप पत्र में स्पष्ट विवरण दिया गया है।

श्री नवलकिशोर, उ. नि. से एतदद्वारा इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अपने बचाव का लिखित प्रतिकथन प्रस्तुत करना चाहा गया है, और

(क) कि वह यह भी बतावें कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है,

(ख) अपने बचाव (सफाई) की पुष्टि में जिन गवाहों, यदि कोई हो तो, बुलाना चाहता है, उसके नाम व पते पेश करें,

(ग) यदि कोई हो तो, इन दस्तावेजों की सूची पेश करें, जिन्हें वह अपने बचाव की पुष्टि में पेश करना चाहता है।

श्री नवलकिशोर, उ. नि. को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह अपने बचाव की तैयारी के उदेश्य से किसी अभिलेख सरकारी (रिकार्ड) का निरीक्षण करना और उसके उद्धरण लेना चाहता है, तो उसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उन अभिलेखों की एक सूची पेश करनी चाहिये, ताकि इस सम्बन्ध में उचित सुविधा प्रदान करने

की व्यवस्था की जा सके । उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की सम्मति में यदि ऐसा कोई अभिलेख इस उद्धेश्य के लिए सम्बद्ध नहीं है या ऐसे अभिलेख तक उसकी पहुंच जनहित के विरूद्ध है. तो उसे ऐसे अभिलेख का निरीक्षण करने या उद्धरण लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

श्री नवलकिशोर, उ. नि. (नाम) को आगे सूचित किया जाता है कि यदि उसके बचाव के लिये लिखित प्रति कथन उप निर्दिष्ट दिनांक या उसके पूर्व प्राप्त नहीं हुआ, तो जांच इकतरफा की जा सकेगी ।

इस ज्ञापन की प्राप्ति की रसीद भेजी जावे ।

सलंग्न:—आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र

एस. डी.
उप महानिरीक्षक पुलिस
अजमेर रेंज, अजमेर

आरोप पत्र नियम 16 सी.सी.ए. (राज. जनपद सेवा) वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध श्री नवलकिशोर उप निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर ।

—XX—

आप श्री नवलकिशोर उप निरीक्षक वर्ष 1993 में थानाधिकारी पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर पर पदस्थापित थे । इस अवधि में दिनांक 5-7-93 को प्रार्थी श्री राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण (सरोलिया) निवासी कुसुम्बी अलीपुर की एक रिपोर्ट श्री भगवानदास के समाज की पंचायत के बर्तन को जानबूझकर हजम कर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में प्रेषित की जिस पर आपने

अभियोग संख्या 51/93 धारा 406, 420 आईपीसी दर्जकर तफतीश शुरु की अन्वेषण के दौरान आपने मात्र एक पक्ष (मुस्तगीस पक्ष) के दरियाफ्त कर अन्वेषण अभियुक्त श्री भगवान दास के विरूद्ध जुर्म धारा 406, 420 आईपीसी प्रमाणित मानकर चार्जशीट नं. 40 दिनांक 4-8-93 किता की जबकि आपको दूसरे पक्ष से अन्वेषण कर सही नतीजे पर पहुंचना चाहिये था लेकिन आपने दूसरे पक्षों से कतई दरियाफत नहीं की।

2. प्र सं. 51/93 धारा 406, 420 आईपीसी के अन्वेषण के दौरान श्री भगवान दास के विरूद्ध जुर्म उपरोक्त प्रमाणित मानकर तलब किया जिस पर श्री भगवान दास दिनांक 31-7-93 को थाने पर सम्बन्धित न्यायालय के अग्रिम आदेश के साथ उपस्थित हुआ। जिस पर आपने श्री भगवान दास से तफतीश कर इन्ट्रोगेशन नोट अंकित किया कि " शादी के बाद बर्तन मैंने हमारे समाज के नये अध्यक्ष श्री इन्द्रचन्द को सम्भाला दिये थे क्योंकि राधेश्याम हमें बर्तन का हिसाब नहीं बता रहा था इसलिये हमने मीटिंग करके नया अध्यक्ष श्री इन्द्रचन्द को बना दिया था व बर्तन उसी की गैर निगरानी में मन्दिर में रखे होना बताया। अभियुक्त के उक्त कथन पर आपको श्री इन्द्रचन्द से दरियाफत कर तथ्यों की गहराई का पता लगाना चाहिये था लेकिन आप उपरोक्त कथन से सारी कहानी स्पष्ट होती देख भी गहराई मे नहीं गये जो आपकी नियत पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है।

3. आपने प्र.सं. 51/93 के अन्वेषण में जो लापरवाही व अनियमितताऐं बरती हैं उससे कानून की मंशा के विपरीत एक व्यक्ति (श्री भगवान दास) जो न सिर्फ न्याय प्राप्ति से वंचित हो ही रहा था वरन आपके इस कृत्य से जनता की नजर में पुलिस के प्रति विश्वास व छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आपके यह कृत्य स्वेच्छाकारिता, अनियमितता, पद का दुरुपयोग अमंण्यता, लापरवाही बरतने का परिचायक है जो विभागीय नियमानुकूल दण्डनीय है।

एस. डी./–

उप महानिरीक्षक पुलिस

अजमेर रेंज, अजमेर

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1104 की प्रतियां)

फोन : 511864

शिवजीराम मीणा
विधायक, जहाजपुर (राज.)

एम-1, एम. एल. ए. क्वार्टर्स,
बजाज नगर, जयपुर

दिनांक 7-4-1992

आयुक्त एवं शासन सचिव,
गृह विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय : अनुसूचित जाति के श्री मुकेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवादों पर कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

आपसे उपरोक्त विषय में लेख कर निवेदन है कि श्री मुकेश कुमार ने मु.सं. 1/86 और मुकदमा सं. 171/86 जो पुलिस थाना सांगानेर जयपुर शहर में दर्ज हुये थे। परिवादी ने इन मुकदमों की जांच अधिकारियों एवं तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आपको निम्न रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किये थे।

1. मु. सं. 1/86 थाना प्रभारी के विरूद्ध रजि. पत्र सं. 05357 दिनांक 15-5-90

2. मु.सं. 171/86 थाना प्रभारी के विरूद्ध रजि. सं. 5487 दिनांक 25-5-90

3. मु.सं. 1/86 के जांच अधिकारी के विरूद्ध रजि. पत्र सं 5360 दिनांक 17-5-90

4. मु.स. 171/86 के जांच अधिकारी के विरुद्ध रजि. पत्र सं. 5490 दिनांक 25-5-90

श्रीमान् उपरोक्त परिवादों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की जा रही है। कृपया इन परिवादों पर शीघ्र कार्यवाही कराने एवं आप द्वारा उक्त परिवादों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट कर अनुग्रहित करें।

सादर धन्यवाद।

भवदीय,
ह.
(शिवजीराम मीणा)

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी.
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

द्वारा :—माननीय श्री नरपत राम जी बरबड साहब राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार।

विषय :—प्रार्थी के साथ पक्षपात करने एवं मिथ्या साक्ष्य गढकर झूठा फंसाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी के साथ साथ पक्षपात करके और मिथ्या साक्ष्य गढकर परेशान करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कराने के लिये प्रार्थी ने दिनांक 1 जुलाई 1988 को विस्तार पूर्वक एक प्रार्थना पत्र माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया था। इस पत्र को मंत्री जी ने अपने

निर्देशों के साथ पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 4-7-88 के द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज के पास कार्यवाही हेतु भेज दिया था।

श्रीमान इसके बाद प्रार्थी ने पुनः विधि एवं न्याय राज्य मंत्री को दिनांक 22-2-89 को स्मरण पत्र प्रस्तुत किया इसे भी मंत्री जी ने उप महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर रेंज के पास पत्र क्र.564 दिनांक 24-2-89 को भेज दिया,

श्रीमान इसके बाद प्रार्थी ने उप महानिरीक्षक जयपुर रेंज को दिनांक 27-6-89 दिनांक 28-8-89 को रजि. पत्र भेजे किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला।

श्रीमान इसके बाद प्रार्थी ने श्री नरेन्द्र बुडानिया, सदस्य लोक सभा के द्वारा दिनांक 2-10-89 को एवं श्री मदन महाराज सदस्य विधान सभा के द्वारा दिनांक 30-10-89 को उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज को कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखवाये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्रीमान इसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 16-11-89 को पुन. उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर कार्यवाही करने एवं कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराने का अनुरोध किया परन्तु अभी तक कोई सूचना प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रार्थी का आपसे निवेदन है कि प्रार्थी के दिनांक 1 जुलाई 1988 के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही कराकर दोषीयों को दण्डित करवाया जावे और प्रार्थी को भी कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

दि. 15-12-89

प्रार्थी
ह
(मुकेश कुमार वाल्मिकी)
निवासी एयरपोर्ट के सामने सांगानेर
जयपुर राज.

प्रतिलिपि :— 1. श्रीमान्, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक एस.एम. (1326 दिनांक 19-7-88 या 1504 दिनांक 28-7-88 तथा 164/राज/88/27/2/88 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

2. श्रीमान, आयुर्वेदिक व भेड उन राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक निस/आयु/राम/88/दिनांक 1-3-88 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

ह.
पुलिस अधीक्षक,
जयपुर नगर, जयपुर

राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस (ई)

बी–613 सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर—302016

जर्नलिस्ट मुकेश कुमार बाल्मीकि
महामंत्री

महाऋषि भवन
एयरपोर्ट के सामने जयपुर
दिनांक 7 जनवरी, 91

क्रमांक 4867/पीयूसीग्राई/91
माननीय गृह आयुक्त एवं सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषय :— श्री माधोसिंह हैडकांस्टेबल (1291) के विरुद्ध कार्यवाही कराने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि श्री माधोसिंह हैडकांस्टेबल (1291) जयपुर शहर के भ्रष्ट कार्यों एवं सेवानियमों के उल्लंघन करने की शिकायत माननीय श्री शिवजीराम मीणा सदस्य राजस्थान विधान सभा ने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक-1264 दि. 3-11-90 के द्वारा महानिदेशक राजस्थान पुलिस और माननीय श्री शम्भूदयाल बड़गूजर सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने अपने पत्र 8-8-90 के द्वारा महानिरीक्षक पुलिस (संस्थापन) को की थी।

श्रीमान् उक्त पुलिस कर्मी श्री माधोसिंह हैडकांसटेबल को इतनी गम्भीर शिकायतों के बावजूद भी सांगानेर पुलिस थाने में ही ड्यूटी पर लगा रखा है, इनके विरुद्ध सम्भवतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्रीमान् इस कारण से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हैं और प्रशासन के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो रहा हैं।

इसलिए आपसे आग्रह है कि तुरन्त उचित कार्यवाही कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,
ह.
(मुकेश कुमार बालिमकी)

संलग्न :— 1. श्री शिवजी राम मीणा, विधायक के पत्र की प्रति।
2. श्री शम्भू दयाल बड़गूजर विधायक के पत्र की प्रति।
3. समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति दि. 1-12-90 जांच और खोज।

रजिस्टर्ड ए. डी.

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

जयपुर (शहर) जयपुर ।

प्रेषक–मुकेश कुमार वाल्मिकी,

एयरपोर्ट के सामने,

सांगानेर, जयपुर (राज.)

विषय :—राज्य कर्मचारी (अधीनस्थ पुलिस सेवा) के श्री माधोसिंह हैड कान्सटेबल (1291) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कराने हेतु ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार है । श्री माधोसिंह हैड कान्सटेबल (1291) पुलिस थाना सांगानेर जयपुर ने मुकदमा संख्या 1/86 दिनांक 1 जनवरी 1986 की तफतीश की थी, जो कि श्री शंकर लाल मीणा ने प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया था ।

श्रीमान इस मुकदमें में प्रार्थी व अन्य को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है ।

श्रीमान प्रार्थी की माधोसिंह हैड कान्सटेबल (1291) के विरूद्ध निम्न आरोप का विवरण प्रस्तुत कर रहा हैं :—

श्री माधोसिंह ने इस मुकदमें के सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी 86 को श्री जगदीश मीणा के बयान धारा 161 सी. आर. पी.सी. में कलमबंद किये और श्री जगदीश मीणा को मारपीट की घटना का चश्मदीद गवाह होना बताया ।

(अ) जबकि श्री जगदीश मीणा ने अपने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22 जनवरी 1986 के द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर (शहर) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) वृत अधिकारी व थाना प्रभारी सांगानेर को जांच अधिकारी व प्रभारी थाना सांगानेर को जांच अधिकारी द्वारा फर्जी गवाह बनाये जाने की सूचना दे दी थी । यह पत्र पुलिस थाना प्रभारी सांगानेर को दिनांक 24-1-86 को प्राप्त हो गया था ।

(ब) श्री जगदीश मीणा ने दिनांक 5-3-86 को न्यायालय में सपथ बयान में भी कहा है कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिए थे ।

(2) श्री माधोसिंह ने इस मुकदमें के सम्बन्ध में चन्दरपाल मीणा के बयान भी धारा 161 सी.आर.पी.सी. में लिए थे और श्री चन्दरपाल मीणा को घटना का चश्मदीद गवाह होना बताया था।

जबकि श्री चन्दरपाल मीणा ने न्यायालय में दिनांक 21-3-86 को सशपथ बयान में पुलिस द्वारा पूछताछ की बात तो स्वीकार की है परन्तु प्रार्थी के विरूद्ध कुछ भी पुलिस को नहीं लिखवाने की बात भी कहीं है।

(3) श्री माधोसिंह ने श्री मैदाराम पुत्र श्री मैरू को नक्शा मौका घटनास्थल उसकी मौजूदगी में बनाना दर्ज किया था।

(अ) जबकि श्री मैदाराम ने न्यायालय में दिनांक 21-3-86 को सशपथ बयान में कहा कि पुलिस ने उसके सामने कुछ लिखा पढ़ी नहीं की थी।

(ब) श्री मैदाराम ने यह भी कहा कि नक्शा किस चीज का है, पुलिस ने उसे नहीं बताया और उसके हस्ताक्षर करवा लिए।

(4) श्री माधोसिंह ने श्री नेहरूलाल पुत्र श्री नाथू लाल को भी नक्शा मौका घटनास्थल का गवाह दर्ज किया था।

जबकि श्री नेहरूलाल ने कहा की उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे।

(5) श्री माधोसिंह ने स्वयं दिनांक 8-4-86 को न्यायालय में सशपथ बयान में कहा की उसने स्वयं मुस्तगीस शंकरलाल मीणा की चोटो का निरीक्षण किया था और कुछ चोटों का न्यायालय में उल्लेख किया। जबकि दिनांक 21-3-86 को डा. निर्मल कुमार मेडिकल आफिसर ने न्यायालय में अपने सशपथ बयान में श्री माधोसिंह द्वारा बताई चोटों की ताईद नहीं की है।

(6) श्री माधोसिंह ने अपने सशपथ बयान में न्यायालय को बताया की उसने मुस्तगीस शंकरलाल को मेडिकल मुआयना हेतु एक कांस्टेबल के साथ 12-45 पी. एम. दिन में मेडिकल आफिसर के पास भेजा था।

जबकि मेडिकल आफिसर श्री निर्मल कुमार ने न्यायालय को बताया की

उसने मुस्तगीस शंकरलाल मीणा का मेडिकल मुआयना सुबह 4 (चार) बजे किया था।

(7) श्री माधोसिंह ने न्यायालय को बताया की मुस्तगीस श्री शंकर लाल मीणा द्वारा रिपोर्ट दिन के करीब 12.30 बजे दर्ज कराई थी।

जबकि दिनांक 21-3-86 को थाना प्रभारी श्री इन्द्रपालसिंह ने न्यायालय में सशपथ बयान में बताया की मुस्तगीस ने अपनी रिपोर्ट रात्रि के 12.30 बजे दर्ज कराई थी।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मक बिन्दुओं से स्पष्ट हैं कि श्री माधोसिंह हैड कांस्टेबल (1291) द्वारा किये गये इस कार्य से इनको कर्तव्य निष्ठा सान्दिध सिद्ध होती है, और कार्यालय (पुलिस विभाग) की गरिमा को क्षति पहुंची है। और प्रार्थी के प्रति इनका आचरण अनुचित ढंग का रहा है। इस लिए इन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम (आचरण) के नियम 3-सामान्य के (द्वितीय) और नियम 4-अनुचित और अनुपयुक्त आचरण-2 के उल्लघंन के आरोप में दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 14 के तहत कार्यवाही की जावें। साथ ही प्रार्थी के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के जुर्म में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराने की कृपा करें।

आपका अति कृपा होगी।

प्रार्थी.

ह.

(मुकेश कुमार)

दिनांक 15 मई 90

पुत्र स्वर्गीय बसन्त राम

311

सेवा मे,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जयपुर शहर जयपुर
राजस्थान ।

विषय :—अनुसूचित जाति के प्रार्थी को न्याय दिलाने हेतु ।
सन्दर्भ :—मुकदमा नं. 171/87 थाना सांगानेर जयपुर शहर ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सन्दर्भ में अंकित उक्त मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध मुस्तगीस हरिमोहन सैनी ने दिनांक 16-9-87 को दर्ज कराया है श्रीमान जो उक्त मुकदमा सरासर झूठा है इस सम्बन्ध में प्रार्थी को निवेदन निम्न प्रकार है :—

1. मुस्तगीस अपने आप को आर. एस. टी. 854 का मालिक बताता हैं जो कि असत्य हैं ।

2. इस मुकदमें का एक गवाह व मजरब बाबूलाल सैनी पूर्व की रंजिश वश झूठ बोल रहा हैं ।

3. इस मुकदमें के कुछ गवाह प्रार्थी के विरूद्ध इसलिए झूठा साक्ष्य दे रहे हैं क्योंकि प्रार्थी ने इनके विरूद्ध दिनांक 19-4-85 को छुआछूत फैलाने के सम्बन्ध में थाना सांगानेर को शिकायत की थी किन्तु इनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये लोग पैसे वाले प्रभावशाली हैं ।

4. श्रीमान् जो इस मुकदमें के साक्षी कितना सत्य बोल रहे हैं इसका यह पूछने पर मालूम चल सकता हैं कि यदि ये लोग वाकई घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद थे तो मुकदमा नं. 172/87 थाना सांगानेर जयपुर शहर के मुस्तगीस राजू पुत्र श्री पांचू जाति हरिजन को तलवार मारकर किसने घायल किया था जैसा कि उसने अपनी सूचना मे बताया है और उसके गम्भीर चोट लगी हैं, इस सूचना में बताये गये दो व्यक्ति कौन हैं यदि इन्होंने यह नहीं देखा तो क्या सिफ अपने मित्रो पर होते हमले को देखा है किन्तु मित्रों द्वारा किये गये तलवार के हमले को नहीं ?

5. श्रीमान जी इन सबके अलावा इनमें से कुछ साथी इसलिए भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इन्होंने दिनांक 6 जनवरी, 1988 को मुकदमा नं. 68/86 में फर्जी राजीनामा अदालत को धोखा देकर न्यायलय क्रम स. 11 जयपुर नगर में किया है जैसा कि 2 जुलाई 1988 के सीखा तोर

साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और इस मुकदमें के एक मुलजिम अब्दुल शत्तार में इसकी शिकायत की है।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना हैं कि ऐसी गवाही नहीं ली जावे जो रंजिशवश और स्वार्थ से प्रार्थी को हानि पहुंचाने के लिए दी जा रही हो और जो लोग अदालत जैसी संस्थाओं को धोखा दे सकते हैं क्या वो लोग पुलिस के समक्ष एक हरिजन को झूठा फंसाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं।

आशा है आप उपरोक्त तथ्यों की बिन्दुवार जांच करवाकर प्रार्थी को विधि के समक्ष समानता के साथ न्याय दिलवायेंगे।

प्रार्थी
एस. डी./-
(सुरेश कुमार बालिमकी)
एयरपोर्ट के सामने सांगानेर
जयपुर (राज.)

दिनांक 23-7-88

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1106 का विवरण)

एसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए पत्थर लाये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम वन खण्ड	नाम ग्राम	तहसील
1.	अलियारी बुडकरवर	1. केमला-कोटडी 2. बंसी 3. हरिपुरा	नैनवां
2.	लाखेरी	1. लाखेरी 2. चमावली 3. उतराना 4. कांकरा	केशवाराय पाटन

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 का विवरण)

गोरख्या पेड़ोंक में पेड़ काटने बाबत मुजरिमों की सूची

क्र.सं. 1		नाम मुजरिम 2	एफ.आई.आर. न. 3	दिनांक 4
1.	1.	गट्टु पत्नी देवा बलाई नि. गोरख्या	194/30	1.3.94
	2.	प्रेमी/पत्नी काना तेली नि. गोरख्या		
	3.	लक्ष्मी पत्नी मोहन खटीक नि. गोरख्या		
	4.	मीना पत्नी हुकमा खटीक नि. गोरख्या		
2.	1.	रामा पिता मियाराम गूजर नि. गोरख्या	194/31	1.3.94
3.	1.	माईगं पिता कालू बलाई नि. गोरख्या	194/32	2.3.94
4.	1.	डालू पिता रोडा बलाई नि. गोरख्या	194/33	3.3.94
5.	1.	कस्तूरी पत्नी मांगीलाल लुहार नि. गोरख्या	194/34	5.3.94

1	2	3	4
6.	1. हेमी पत्नी मागू गूर्जर नि. गोरख्या	194/35	6.3,94
	2. बाली पिता गोपी गुर्जर, नि. गोरख्या		
	3. लहरी पत्नी भारूगूर्जर नि गोरख्या		
7.	1. सांमरी पत्नी मोमा गूर्जर नि. गोरख्या	194/36	7.3.94
	2. कंकू पत्नी मांगू गूर्जर नि. गोरख्या	194/36	7.3.94
8.	नाम ना मालूम	194/37	8.3.94
9.	बालू/पिता आसु-गूर्जर नि. गोरख्या	194/38	8.3.94

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1114 की सूची)

जिन किसानों को पिछले तीन वर्षों से विद्युतीकृत ग्रामों में,
कृषि कनेक्शन दिये गये है उनकी सूची :—

क.सं.	आवेदक का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	श्री रामावतार/बद्री नारायण शर्मा	मोहम्मदपुरा
2.	,, रामजी लाल/कल्याण सहाय शर्मा	,,
3.	,, रामधन बिरदा मोरया पांचू	टूटियावास
4.	,, बदरी/किशन	,,
5.	,, राम सहाय/गोपाल	,,
6.	,, गंगाराम/रेवड	,,
7.	,, हुक्मा/रामनारायण	,,
8.	,, मंगल्या/प्रभु	,,
9.	,, रामदेव/जयनारायण	चैनपुरा कला
10.	,, मूलचन्द/रामबक्स	,,
11.	,, तेजा/किशना बैरवा	जीतपुर
12.	,, मेधाराम/भगवान	टूटियावास
13.	,, बिरदा/रामफुल	,,
14.	,, पून्या/जगराम	श्री रामपुरा
15.	,, मूलचन्द/रुगनाथ	,,

316

1	2	3
16.	श्री राम सहाय/सुखदेव	श्रीरामपुर
17.	,, कजोड/हरीनारायण	,,
18.	,, मूलचन्द/चौथमल	,,
19.	,, लादू/छीतर	,,
20.	श्री मोतीलाल/बदरी नारायण	,,
21.	श्री अर्जुन/जैल्या मीना	किराडी
22.	,, गौरीलाल/सांवल्या	,,
23.	,, अणत्या/गंगाधर	,,
24.	,, हजारी/हरदेव	,,
25.	,, कोरया/गोरधन	,,
26.	,, शंकर/भूरा	,,
27.	,, सीताराम/प्रभुदयाल	,,
28.	,, मंगल्या/नोदा	श्रीरामपुर
29.	,, श्रीनारायण/ओंकार शर्मा	,,
30.	,, मति रक्षा मिश्रा	,,
31.	,, महादेव/जयदेव कुम्हार	,,
32.	,, पून्या/जगराम	,,
33.	,, महादेव/ग्यारस्या मीना	,,
34.	,, शोला/मनफूल मीना	,,
35.	,, नारायण/गंगाधर	,,
36.	,, सीताराम/कन्हैया लाल	,,

1	2	3
37.	श्री कंवरपाल/हजारी	श्रीरामपुर
38.	,, राम सहाय/जसी	,,
39.	,, गिर्राज/रमेशचन्द	,,
40.	,, रामजी लाल/रामकिशोर	,,
41.	,, काना/मोरया मीना	कूणायास
42.	,, कल्याण/बिरदा मीना	,

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1119 की सूची)

अप्रेल, 95 से मार्च, 94 तक पूर्व में विद्युतीकृत ग्रामों में जिनमें एक भी कृषि कनेक्शन नहीं लिया हुआ, उनमें दिये गये कृषि कनेक्शनों की सूची।

क्र. संख्या	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	कनेक्शन जारी करने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री मीजा/डूंगा गुजर	भमाणा	14-7-93
2.	गोविन्द सिंह/कल्याण सिंह	,,	9-9-93
3.	दयाराम/भूरा गुजर	सुरघटी	22-2-94
4.	भोला/सवाईराम गुजर	,,	24-1-92
5.	बालू/प्रताप कुमावत	गोपालपुरा	31-3-92
6.	भीमा/सुखा गुजर	केसरपुरा	13-11-90
7.	रामा/गोमा गुजर	,,	,,

1	2	3	4
8.	श्री गजसिंह/पृथ्वी सिंह	गून्दलियों की खेड़ा	मार्च, 94
9.	गजसिंह/पृथ्वी सिंह	,,	,,
10.	कालू/उदा तेली	खुमानपुरा	25-3-92
11.	देवा/नरसिंह तेली	,,	23-6-93
12.	हरि सिंह/धन सिंह	सरदारसिंह जीका खेड़ा	30-10-92
13.	रामचन्द/लक्ष्मण बैरागी	भोपो की केमेरी	15-10-90
14.	श्रीमति समुन्द्र कंवर/किशनसिंह	मालास	मार्च, 94
15.	मेस/हरलाल खाती	,,	,,
16.	सज्जन सिंह/	,,	,,
17.	देवी सिंह/रणजीत सिंह	टोंकरा	30-1-93
18.	नैना/काना गुजर	गोराणा	31-3-92
19.	डालू/लूम्बा कुमावत	आलमास	,,
20.	ज्वारा/उदा गुजर	जालमपुरा	26-12-92

1	2	3	4
21.	गंगाराम/लादू गुजर	जालमपुरा	26-12-92
22.	रामसिंह/किशोर सिंह	सांवला का खेड़ा	मार्च, 94
23.	रामसिंह/किशोर सिंह	,,	,,
24.	हजारी/नन्दा	गरबाय	,,
25.	भोगा/बालूनिम्बा	,,	,,
26.	लादूनाथ/शम्भूनाथ जोशी	मनोहरपुरा	9-9-93
27.	धापू/केसर राजपूत	,,	,,
28.	माघू/जोधा जाट	लक्ष्मणपुरा	22-11-92
29.	प्रताप/घीसा गुजर	अजीतपुरा	मार्च, 94
30.	मांगू/डालू गुजर	,,	,,
31.	रामा/मूला भारती	राजपुराचि.	30-1-93
32.	लालु/धूला तेली	,,	11-10-93
33.	उदा/मोटा गुर्जर	कांडीनाल	14-7-93

1	2	3	4
34.	मूरा/सोला कुमावत	सबलपुरा	14-7-93
35.	नाथू/निम्बा गुर्जर	गोवर्धनपुरा	,,
36.	सुखा/ नाथू गुर्जर	,,	मार्च, 94

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1121 की सूची)

परिशिष्ट—1

वर्ष 1991 एवं 1992 के दौरान बिना टिकिट यात्री ले जाने के आरोप में पकड़े गये परिचालकों में से दण्डित किये गये परिचालकों द्वारा कार्यकारी निदेशक (यातायात) को प्रस्तुत अपीलों का विवरण

क्र.सं. 1	अपीलकर्त्ता का नाम 2	पद 3
1.	श्री मोहनलाल शर्मा	परिचालक
2.	,, कैलाश चन्द सोनी	,,
3.	,, राजेन्द्र सिंह राजावत	,,
4.	,, रमेश कुमार	पत्रक वितरक
5.	,, बन्सीधर यादव	परिचालक
6.	,, रतनलाल	,,
7.	,, जयकिशन शर्मा	,,
8.	,, हेतराम	,,
9.	,, बद्री प्रसाद जाट	,,
10.	,, मींताराम	,,
11.	,, नन्दलाल जाट	,,
12,	,, उमराव सिंह	,,
13.	,, रामनरेश सक्सैना	,,
14.	,, कालूराम चौधरी	,,
15.	,, सीताराम गूजर	,,
16.	,, ललित कुमार शर्मा	,,

1	2	3
17.	श्री मानसिंह	परिचालक
18.	,, रामवतार शर्मा	,,
19.	,, हीरालाल सैन	,,
20.	,, प्रदीप कुमार पारीक	,,
21.	,, बन्शीधर यादव	,,
22.	,, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	,,
23.	,, रामकुमार दाधीच	,,
24.	,, बाबूलाल मीना	,,
25.	,, लूम्ब सिंह	,,
26.	,, रमेश चन्द शर्मा	,,
27.	,, सोहन लाल	,,
28.	,, प्रदीप कुमार नागर	पत्रक वितरक
29.	,, रामकरण शर्मा	,,
30.	,, मोतीलाल उज्जवल	परिचालक
31.	,, जगदीश चन्द उपाध्याय	,,
32.	,, हापूराम	,,
33.	,, मुकट बिहारी	,,
34.	,, मोतीलाल	,,
35.	,, मूलगिरी गोस्वामी	,,
36.	,, रामप्रसाद पुरोहित	,,
37.	,, करणीराम	पत्रक वितरक
38.	,, जयकिशन शर्मा	परिचालक
39.	,, रणजीतसिंह राठौड़	,,
40.	,, दयाराम	,,
41.	,, चांदमल पारीक	,,

1	2	3
42.	श्री बगडावत राम	परिचालक
43.	,, चैंसाराम	,,
44.	,, दयाराम	,,
45.	,, हुसैन बक्स	,,
46.	,, बनवारी लाल	पत्रक वितरक
47.	,, मदन लाल नागिड़	परिचालक
48.	,, राधा किशन	,,
49.	,, कैलाश चन्द सोनी	,,
50.	,, कुलवन्त सिंह	,,
51.	,, रामरतन	,,
52.	,, भुवनेश्वर तिवाड़ी	,,
53.	,, गणेश प्रसाद शर्मा	,,
54.	,, कमल किशोर शर्मा	,,
55.	,, मोहन लाल बूरड़क	,,
56.	,, ओम प्रकाश सैन	,,
57.	,, रमेश चन्द शर्मा	,,
58.	,, बाबुलाल धनकड़	,,
59.	,, प्रकाश चन्द महला	,,
60.	,, गोपाल लाल यादव	,,
61.	,, करण सिंह	,,
62.	,, गुलाबसिंह शेखावत	,,
63.	,, राधेश्याम	,,

1	2	3
64.	श्री गोकुल चन्द माली	परिचालक
65.	,, मोहनलाल मीना	,,
66.	,, अनिल वाजपेयी	,,
67.	,, कैलाश चन्द शर्मा	,,
68.	,, शंकर लाल सैन	,,
69.	,, गजानन्द गुप्ता	,,
70.	,, काना राम	,,
71.	,, हरिसिंह नरूका	,,
72.	,, कचर खां	,,
73.	,, पूर्णमल यादव	,,
74.	,, गजराज सिंह	,,
75.	,, गोपाल लाल गूजर	,,
76.	,, मोहन लाल शर्मा	,,
77.	,, प्रेमसिंह	,,
78.	,, मखनलाल	,,
79.	,, बालकिशन तिवाड़ा	,,
80.	,, पहलवान सिंह	,,
81.	,, ओमप्रकाश टाक	,,
82.	,, शिवकरण	पत्रक वितरक
83.	,, चीतू सिंह	परिचालक
84.	,, बक्शीदान	,,
85.	,, जय सिंह	,,
86.	,, नन्द सिंह	पत्रक वितरक

1	2	3
87.	श्री बुद्धाराम	परिचालक
88.	,, भैरु लाल साहू	,,
89.	,, कैलाश चन्द परमार	,,
90.	,, दामोदर लाल	,,
91.	,, भगवती लाल जैन	,,
92.	,, दीनदयाल त्रिवेदी	,,
93.	,, रामदेव चोयला	,,
94.	,, इन्द्रसिंह राठौड़	,,
95.	,, जमुना प्रसाद	,,
96.	,, सुवालाल रेंगर	,,
97.	,, कमदूर सिंह	,,
98.	,, प्रेमकुमार पाटीदार	,,
99.	,, चन्दन सिंह	,,
100.	,, श्याम सुन्दर व्यास	,,
101.	,, गोपाल कृष्ण वैष्णव	पत्रक वितरक
102.	,, गोविन्दसिंह गोड़	परिचालक
103.	,, मानसिंह	,,
104.	,, साहिब सिंह	,,
105.	,, ए. आई. जोसफ	पत्रक वितरक
106.	,, ओमप्रकाश गुप्ता	परिचालक
107	,, भंवर सिंह	,,
108.	,, सुखदेव सिंह	,,
109.	,, मूलाराम	,,
110.	,, राजेश जोशी	,,
111.	,, प्रहलाद राम चौधरी	,,
112	,, नाथूलाल पटेल	,,

1	2	3
113.	श्री अनोखालाल श्रृंगी	परिचालक
114.	,, मदनमोहन गुप्ता	,,
115	,, मुख्तियार सिंह	,,
116.	,, ओमप्रकाश दाधीच	,,
117.	,, सब्बीर शाह	,,
118.	,, गोपाल लाल यादव	,,
119.	,, सुजान सिंह	,,
120.	,, सोहन लाल बोहरा	,,
121.	,, इकरामुदीन	परिचालक
122.	,, भंवर लाल खटीक	,,
123.	,, मोहम्मद हनीफ	,,
124.	,, ओमप्रकाश अरोड़ा	,,
125.	,, चन्दन सिंह	,,
126	,, भोलानाथ	,,
127.	,, रामदयाल	परिचालक
128.	,, रूपाराम जाट	,,
129	,, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	,,
130.	,, नारायण प्रजापति	,,
131.	,, मोहन लाल नागर	,,
132.	,, खींवराज शर्मा	,,
133.	,, मदन लाल	,,
134.	,, मथुरा लाल मीना	,,
135.	श्री दिनेश टेकवानी	परिचालक
136.	श्री रामसिंह पंवार	परिचालक

1	2	3
137.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	परिचालक
138.	श्री संजय कुमार	परिचालक
139.	श्री धर्माराम	परिचालक
140.	श्री अब्दुल हनीफ खां	परिचालक
141.	श्री मूलचन्द शर्मा	परिचालक
142.	श्री नन्दकिशोर मीना	परिचालक
143.	श्री दयाराम बिटटू	परिचालक
144.	श्री मोहम्मद यासीन	परिचालक
145.	श्री सोहन सिंह	परिचालक
146.	श्री बाबूलाल	पत्रक वितरक
147.	श्री जगदीश गौड़	परिचालक
148.	श्री सुरेश जोशी	परिचालक
149.	श्री ओमप्रकाश टाक	परिचालक
150.	श्री सुभान खाँ	परिचालक
151.	श्री शिवराम सिंह	,,

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 की सूची)

परिशिष्ट-1

सागवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय से परिवहन निगम द्वारा
विभिन्न मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का विवरण ।

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित परिचक्र
1.	सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
2.	डूंगरपुर-सागवाड़ा-बड़ौदा	2
3.	उदयपुर-बड़ौदा वाया सागवाड़ा	2
4.	गलियाकोट-सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
5.	साकरखाई-सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
6.	डूंगरपुर-इन्दौर वाया सागवाड़ा	2
7.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-डूंगरपुर	4
8.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-ओबरी	2
9.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-सीमलवाडा	2
10.	गलियाकोट-दाहोद वाया सागवाड़ा	4
11.	उदयपुर-गलियाकोट वाया सागवाडा	4
12.	डूंगरपुर-बांसवाडा	10
13.	आसपुर-कुआ	2
14.	सागवाडा-आसपुर	1
15.	डूंगरपुर-गलियाकोट वाया सागवाडा	9
16.	सागवाडा-डूंगरपुर	2
17.	सागवाडा-मांडली	2
18.	डूंगरपुर-पीठ वाया सागवाड़ा	2
19.	डूंगरपुर-ओबरी-सागवाड़ा	2
		58

(330)

परिशिष्ट–2

सागवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय से विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों
पर संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण।

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित परिचक
1.	सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
2.	डूंगरपुर-सागवाड़ा-बड़ौदा	2
3.	उदयपुर-बड़ौदा वाया सागवाड़ा	2
4.	गलियाकोट-सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
5.	साकरखाई-सागवाड़ा-अहमदाबाद	2
6.	डूंगरपुर-इन्दौर वाया सागवाड़ा	2
7.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-डूंगरपुर	4
8.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-ओबरी	2
9.	बांसवाड़ा-अहमदाबाद वाया सागवाड़ा-सीमलवाड़ा	2
10.	गलियाकोट-दाहोद वाया सागवाड़ा	4
		24

331
567

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1125 की सूची)

जिला सवाईमाधोपुर एवं दौसा में जनवरी, 1990 से
जनवरी, 1994 तक किये गये ट्रेक्टरों के पंजीकरण का विवरण।

पंजीकृत ट्रेक्टरों की सिरीज का विवरण	कुल पंजीकृत ट्रेक्टर
1	2
जिला सवाई माधोपुर	
आरजे-25/आर-0001 से आरजे-25/आर-2798 तक	2798
जिला दौसा	
आरजे-29/आर-0001 से आरजे-29/आर-0473 तक	473

परिशिष्ट—18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1129 की सूची)

संस्थानों का नाम जिनमें वर्क्स कमेटी नहीं बनी हुई है	अवधि जबसे वर्क्स कमेटी की स्थापना नहीं हुई है।
1	2
कोटा क्षेत्र	
1. मै. संगलम सीमेन्ट लि. मोड़क	जून, 93
2. मै. एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी, लाखेरी	अप्रेल, 91
3. मै. श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. केशोरायपाटन	मई, 93

1	2
4. मै. मल्टीमैटल्स लि. कोटा	मार्च, 92
5. मै. जे. के. स्टेपल एण्ड टोज, कोटा	मार्च, 88
6. मै. जे. के. टायर कार्ड, कोटा	मार्च, 88
7. मै. जे. के. एक्रेलिक्स, कोटा	मार्च, 88
8. मै. पदम सिन्थेटिक्स, कोटा	मार्च, 88
9. मै. गोपाल सिन्थेटिक्स, कोटा	प्रारम्भ से
10. मै. जे. के. फाइबर्स, पृथ्वीपुरा, जिला–झालावाड़	प्रारम्भ से
11. मै. जे. के. यूटिलिटी एण्ड टैक्निकल डबलपमेंट पृथ्वीपुरा, झालावाड़	,,
12. मै. जे. के. टैक्सटाइल	,,
अजमेर क्षेत्र	
13. मै. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	1-4-1974
14. मै. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	,,
15. मै. श्री विजय काटन मिल्स, विजयनगर	,,
16. मै. कोयना रोकला पाइप्स लि., नाईखेड़ा, केकड़ी	7-9-1989
17. मै. एच. एम. टी. लि., अजमेर	1979 से
18. मै. तोषनीवाल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., अजमेर	1992 से
19. मै. श्री सीमेंट लि. ब्यावर	मार्च, 1993 से
जोधपुर क्षेत्र	
20. मै. सुराज डायमण्ड इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	1989 से
21. मै. उम्मेद टैक्सटाइल्स, जोधपुर	,,
22. मै. स्वास्तिक कैमिकल, जोधपुर	,,
23. मै. दिग्जाम फैब्रिक्स, जोधपुर	,,
24. मै. राज. कोपरेटिव डेयरी, जोधपुर	प्रारम्भ से
25. गवर्नमेंट प्रेस, जोधपुर	प्रारम्भ से
चित्तौड़गढ़ क्षेत्र	
26. अंकुर डायमण्ड, चित्तौड़गढ़	प्रारम्भ से

1	2
27. मेवाड़ शुगर मिल, भोपालसागर	1991
28. हिन्दुस्तान लैण्ड जिंक स्मेल्टर, चन्देरिया (चित्तौडगढ़)	प्रारम्भ से
पाली क्षेत्र	
29. महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लि., पाली	1985 से
30. महावीर मैटल मैन्यु. कं. फालना	1985 से
31. प्रेस कैबिल्स पीपलियाकला, जिला—पाली	1986 से
32. नाहटा टैक्सटाईल इण्डस्ट्री, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पाली	1985 से
33. सोजत लाईमकम्पनी, सोजत रोड़	1986 से
34. नाहटा फेब्रिक्स प्रा. लि., इण्ड. एरिया, पाली	1986 से
श्री गंगानगर क्षेत्र	
35. सैन्ट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़	प्रारम्भ से
36. सैन्ट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़	प्रारम्भ से
37. सैन्ट्रल स्टेट फार्म, सरदारगढ़	प्रारम्भ से
38. गंगानगर सहकारी विविंग मिल्स, हनुमानगढ़	प्रारम्भ से
39. कोटन काम्पलेक्स, श्री गंगानगर	प्रारम्भ से
भरतपुर क्षेत्र	
40. सिमको वैगन फैक्ट्री लि., भरतपुर	प्रारम्भ से
41. चितार सिगरेट प्रा. लि. भरतपुर	प्रारम्भ से
42. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स, भरतपुर	प्रारम्भ से
बीकानेर क्षेत्र	
43. शिवदीप फुड प्रोडक्ट्स, बीकानेर	5 वर्ष से
44. खादी मन्दिर, बीकानेर	10 वर्ष से
45. उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बीकानेर	6 वर्ष से
46. राज. राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर	प्रारम्भ से

1	2
सीकर क्षेत्र	
47. जयपुर पोलिस्पिन लि., रींगस	1982 से
48. हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतड़ी कापर कॉम्पलेक्स, खेतड़ी नगर	1983 से (ज्वाइन्ट कौंसिल तथा शाप कौंसिल गठित है)
उदयपुर क्षेत्र	
49. रिलाईन्स कैमोटैक्स गांव–कानपुर (उदयपुर)	प्रारम्भ से
50. उदयपुर फास्फेट, खेमली	प्रारम्भ से
51. लिबीडेटा सिस्टम सादड़ी, उदयपुर	प्रारम्भ से
52. सागर स्पिनिंग मिल्स लि., मादड़ी	प्रारम्भ से
53. उदयपुर डिस्टलरीज, उदयपुर	प्रारम्भ से
54. समर मार्बल्स, सुखेर औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर	प्रारम्भ से
55. रिखबदेव टैक्सटाइल्स, उदयपुर	प्रारम्भ से
56. विनीत उद्योग सुखेर औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर	प्रारम्भ से
57. परफैक्ट थ्रेड मिल्स, अम्बेरी, उदयपुर	प्रारम्भ से
डूंगरपुर क्षेत्र	
58. राज. सिन्टैक्स लि.,	1985 से
भीलवाड़ा क्षेत्र	
59. मै. सुपर सिन्कोटैक्स (ई.) लि., खारी का लाम्बा, गुलाबपुरा	प्रारम्भ से
60. मै. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स, खारी ग्राम, गुलाबपुरा	प्रारम्भ से
61. मै. राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा	प्रारम्भ से
62. मै. गंगापुर कापरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गंगापुर	प्रारम्भ से

1	2
63. मै. मार्डन थ्रेड (प्रा. लि.) (ई.) रायला, भीलवाड़ा	प्रारम्भ से
64. मै. भीलवाड़ा स्पिनर्स लि., भीलवाड़ा	प्रारम्भ से
अलवर क्षेत्र	
65. राज. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, रोडवेज डिपो, अलवर	1985 से
66. राजकीय मुद्रणालय, महल चौक, अलवर	प्रारम्भ से
67. स्टीम पावर हाउस, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, अलवर।	प्रारम्भ से
68. जयपुर सिन्टेक्स लि., बहरोड़	1980 से
69. कोन्टीनेन्टल पैट्रोलियम लि., बहरोड़	1987 से
70. खेमका सीमेंट प्रा. लि., बहरोड़	1987 से
71. पालीवाल मिनी स्टील एम. आई. ए., अलवर	1981 से
72. मोर्डन सिन्टेक्स (इ.) लि., एम. आई. ए., अलवर	1978 से
73. मार्डन सूटिंग्स लि., ईटाराणा रोड, अलवर	1980 से
74. एक्स एलग्रो यूनाइटेट क्लच प्रोडक्टस, एम. आई. ए., अलवर	1982 से
75. बक्शी स्टील लि., भिवाडी	1981 से
76. परसराम पुरिया सिन्टेक्स लि., भिवाड़ी	1982 से
77. विकास हाइब्रिड्स लि., भिवाड़ी	1986 से
78. आयशर ट्रेक्टर लि., ईटाराणा रोड, अलवर	1078 से
79. फाल्कन गल्फ सेरामिक्स लि., एम. आई. ए., अलवर	1989 से
80. मित्तल लेमीनेटर लि., बहरोड	1989 से
81. महाराजा इन्टरनेशनल प्रा. लि. शाहजहापुर	1990 से

1	2
जयपुर क्षेत्र	
82. के. ई. सी. इन्टरनेशनल, झोटवाड़ा, जयपुर	9/93 के बाद गठन नहीं हुआ।
83. जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रीक्लस, जयपुर।	वर्क्स कमेटी के स्थान पर प्लान्ट लेविल कमेटी कार्यरत है।
84. अनिल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज, कनकपुरा, जयपुर	2/91 के बाद गठन नहीं हुआ।
85. आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज, जयपुर	प्रारम्भ से
86. आर. डी. पी. एल. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	,,
87. प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	,,
88. वायर्स एण्ड फैब्रिक्स, झोटवाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	,,
89. राजस्थान कम्युनिकेशन, कनकपुरा, जयपुर	,,
90. आर. जी इस्पात, विश्वकर्मा औ. क्षेत्र, जयपुर	,,
91. कृष्णा प्लेसैस एण्ड आयल इण्डस्ट्रीज, वि. औ. क्षेत्र, जयपुर	,,
92. सर्राफ, टैक्सटाईल मिल्स प्रा. लि., ,, ,,	,,
93. राज. ट्रांसफार्मर्स एवं स्वीच गेयर्स ,, ,,	,,
94. भारत पोट्रीज ,, ,, ,,	,,
95. होटल मानसिंह, एम. आई. रोड, जयपुर	,,
96. होटल राजपूताना सैरेटोन, स्टेशन रोड़, जयपुर	,,

जयपुर पॉलिस्पिन लि., रींगस में वर्क्स कमेटी के गठन के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-7-89 की पालना के लिए की गई कार्यवाही का विवरण ।

दि. 02-08 89 : माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में सहायक श्रम आयुक्त, सीकर ने अपने पत्र क्रमांक 1267 दिनांक 2-8-89 द्वारा श्रम आयुक्त महोदय को सूचित किया ।

दि. 25-09-89 : जयपुर पोलीस्पिन लि. का पत्र क्रमांक 2539 दि. 25-9-89 सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसमें नियोजक ने यूनियनों से आवश्यक रिकार्ड एवं सूचनायें प्राप्त करने में अपने आपको सक्षम नहीं मानते हुए वर्क्स कमेटी के गठन में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

दि. 01-11-89 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1843 दि. 1-11-89 द्वारा प्रबन्धक/नियोजक, जयपुर पोलिस्पिन लि. से वर्क्स कमेटी के गठन के सम्बन्ध में की गई प्रगति से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई इस पत्र के अनुसरण में प्रबन्धक, जयपुर पोलिस्पिन लि. ने कार्यालय से आवश्यक निर्देश चाहे ।

दि. 13-12-89 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 2116 दि. 13-12-89 द्वारा श्रम आयुक्त, राजस्थान से रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, राजस्थान से जयपुर पोलिस्पिन में कार्यरत यूनियनों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया कि जयपुर पोलिस्पिन लि. में कौन सी यूनियन टाइटल होल्डर है ।

दि. 23-04-90 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1086 दि. 23-4-90 द्वारा पुनः श्रम आयुक्त, राजस्थान को टाइटल होल्डर यूनियन के बारे में सूचना दिलवाने का निवेदन किया ।

दि. 26-04-90 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1060-63 दिनांक 26-4-90 द्वारा जयपुर पोलिस्पिन लि. की सभी यूनियनों को अपना मूल पंजीयन एवं सम्बन्धित रिकार्ड इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया । जिसकी पालना में जयपुर

पोलिस्पिन मजदूर यूनियन (सीटू) के अतिरिक्त किसी भी अन्य यूनियन ने सूचना/रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये।

दि. 22-08-90 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1181-95 दिनांक 22-8-90 द्वारा जयपुर पोलिस्पिन लि. की सभी यूनियनों को पुन: सूचना प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया जिनकी प्रतिलिपि प्रबन्धक, जयपुर पोलिस्पिन लि. को भी दी गई लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

दि. 22-08-90 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1787 दि. 22-8-90 द्वारा श्रम आयुक्त, राजस्थान से डेलीगेशन ऑफ पावर करने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया जिससे कि कानूनी अड़चन से बचा जा सकें।

दि. 27-11-90 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 2801 दि. 27-11-90 द्वारा जयपुर पोलिस्पिन लि. के प्रबन्धक को सभी यूनियनों को इस पत्र की तामील करवाने एवं सूचना भिजवाने के लिए कहा गया लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

दि. 11-04-91 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 562 दि. 11-4-91 द्वारा नोटिस, जो कारखाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना था, प्रबन्धक, जयपुर पोलिस्पिन लि. ने इसे चस्पा भी करवाया। इस पत्र में सभी यूनियनों से आवश्यक सूचना दि. 30-4-91 तक इस आशय के साथ मांगी गई थी कि इस तिथि तक यूनियनों द्वारा सूचना नहीं भेजने पर यह मान लिया जावेगा कि वे वर्क्स कमेटी के गठन के प्रति इच्छुक नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में सीटू यूनियन के अलावा किसी भी अन्य यूनियन से आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई।

दि. 26-09-91 : श्रम आयुक्त, राजस्थान के पत्र क्रमांक 12920 दि. 26-9-91 से सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय को वर्क्स कमेटी के गठन के सम्बन्ध में अधिसूचना की प्रति प्रेषित की गई।

दि. 11-02-92 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 275 दि. 11/2/92 द्वारा श्रम आयुक्त, राजस्थान से वर्क्स कमेटी के गठन

के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन चाहा गया ।

दि. 07-04-92 : श्रम आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 4574 दि. 7/4/92 द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये ।

दि. 20-04-92 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 719 दि. 20/4/92 द्वारा जनरल मैनेजर, पोलिस्पिन लि. रींगस को वर्क्स कमेटी के गठन के आदेश दिये गये एवं पत्र क्रमांक 720 दि. 20/4/92 द्वारा प्रतिलिपि श्रम आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई ।

दि. 25-08-93 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर के पत्र क्रमांक 1323 दि. 25/8/93 को पुनः प्रबन्धक, जयपुर पोलिस्पिन लि. को इस आशय के आदेश जारी किये गये ।

दि. 31-12-93 : सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय के पत्र क्रमांक 2092 दि. 31/12/93 द्वारा प्रबन्धक, जयपुर पोलिस्पिन लि., रींगस को वर्क्स कमेटी के गठन के पुनः आदेश जारी किये गये ।

परिशिष्ट—19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1131 का विवरण)

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटित वस्तुओं का नाम	माह का नाम		
			जनवरी, 94	फरवरी, 94	मार्च, 94
1.	जोधपुर	(1) गेहूं	4200 मै. टन	6000 मै. टन	10,000 मै.टन
		(2) लेवीचीनी	839.3 ,,	839.3 ,,	839.3 ,,
		(3) चावल	50 ,,	100 ,,	100 ,,
		(4) कैरोसीन	1350 कि.ली.	1200 कि.ली.	950 कि.ली.

क्र.सं.	नाम खण्ड	गेहूं का आवंटन (मी. टन में)			लेवी चीनी (मात्रा मी. टनों में)			चावल का आवंटन (मी. टन में)			कैरोसीन का आवंटन (कि.ली. में)		
		जनवरी 94	फरवरी 94	मार्च 94	जनवरी 94	फरवरी 94	मार्च 94	जनवरी 94	फरवरी 94	मार्च 94	जनवरी 94	फरवरी 94	मार्च 94
1	2	3			4			5			6		
1.	नागौर	1045	1500	2700	162	162	162	20	30	20	361	344	274
2.	जायल	400	550	1000	84.3	84.3	84.3	10	—	10	112	96	72
3.	मेड़ता	525	750	1300	180	180	180	10	10	10	170	158	132
4.	डेगाना	400	550	1000	तहसील मेड़ता में शामिल है			10	—	10	106	108	72
5.	डीड़वाना	470	700	1100	103	103	103	—	10	10	181	158	120

1	2	3			4			5			6		
6.	लाडनूं	420	550	900	70	70	70	—	10	10	116	108	76
7.	नांवा	420	600	900	240	240	240	—	20	15	124	86	74
8.	परबतसर	520	800	1100	तहसील नावां में शामिल है			—	20	15	180	142	130

विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं. 14/खा. मं. द्वारा
श्री रिछपालसिंह, सदस्य, राजस्थान विधानसभा के प्रश्न के
भाग (2) का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1	2
1-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मांझी
2-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जाखेड़ा
3-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बबरला
4-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सिरासना
5-	ग्राम सेवा सहकारी समिति. ढांढ़रियाकलां
6-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, साजू
7-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सारसण्डा
8-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बुटाटी
9,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, हिरणीढाणी
10-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राकेली बी
11-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, पालडीकलां
12-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिरखनियाकलां
13-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खुड़किलां
14-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांवलियावास
15-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चौलियास
16-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नथावड़ा
17-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बरणा
18-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदारुण
19-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लंगोड़
20-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामणा
21-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोडीकलां

1	2
22-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, आलनियावास
23-	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सूदवाड़ा
24-	कृषक सेवा सहकारी समिति, हरसौर

डेगना तहसील की निम्नलिखित ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जिन्हें उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन न करने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है :—

1- ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगना गांव

2- ग्राम सेवा सहकारी समिति, पूंदलौता

3- ग्राम सेवा सहकारी समिति, ईड़वा

4- ग्राम सेवा सहकारी समिति, डेगाना जक्शन

5- ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुणसली

6- ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदनी

7- ग्राम सेवा सहकारी समिति, हनुमन्त जालसूकलां

8- ग्राम सेवा सहकारी समिति, पालियास

345

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	7	1	(राज्य मंत्री)	डा. रामप्रताप
2.	63	फोलियों	तारांकित	अतारांकित
3.	201	1		(13.20)
4.	255	1	श्री शांतीकुमार धारीवाल	श्री शांतिकुमार धारीवाल
5.	257	1	श्री भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह शेखावत
6.	304	22	श्री विजेन्द्रपाल सिह	श्री विजयेन्द्रपाल सिंह
7.	305	फोलियों	परु	पर
8.	305	,,	बिचार	विचार
9.	441	3	श्री विजेन्द्र पालसिह	श्री विजयेन्द्र पालसिंह
10.	484	1	श्री आयर्वेद राज्य मंत्री	आयुर्वेद राज्य मंत्री